राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तांत

अंक 6] सप्तम् विधान सभा के छठे सत्र का छठा दिवस [संख्या 4

मंगलवार

दिनांक 22 फरवरी, 1983

विधान सभा की बैठक म.पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री रंगजी मीणा व श्री कैलाश मेघवाल।

विश्व खाद्य कार्यक्रम के प्रोजेक्ट से नये सिंचित क्षेत्रों के निवासियों को सुविधायें

58. श्री रंगजी मीणा (सपोटरा) व श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या राजस्थान नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर से नये सिंचित क्षेत्रों में बसने वालों की गति को तेज करने के लिये विश्व खाद्य कार्यक्रम की ओर से कोई प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ है ?

(2) यदि हां, तो कब से और यह प्रोजेक्ट किस रूप में, किस-किस माध्यम से क्या-क्या सहयोग प्रदान करेगा, और उससे कितने लोग लाभान्वित होंगे ?

(3) उक्त प्रोजेक्ट के तहत अभी तक क्या-क्या सामग्री प्राप्त की जाकर राजस्थान नहर के नये सिंचित क्षेत्रों में बसने वालों को पहुंचाई गई है ?

मंत्री राजस्थान नहर परियोजना (श्री चंदनमल बैद) : (1) जी हां।

(2) यह प्रोजेक्ट 10 जनवरी, 1983 को भारत सरकार एवं विश्व खाद्य कार्यक्रम के बीच अनुबंधित हुआ है।

(3) उक्त प्रोजेक्ट के अन्तर्गत सहायता मुफ्त खाद्य सामग्री के रूप में क्षेत्रीय विकास आयुक्त, बीकानेर के माध्यम से प्रदान की जायेगी। समझौते के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को क्षेत्र में बसने की तिथि अथवा उसके खेत द्वार तक पानी उपलब्ध कराने की तिथि, जो भी बाद में हो, से 18 माह की अवधि तक प्रति व्यक्ति प्रति दिन निम्न प्रकार मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जायेगा :—

	सामग्री	मात्रा
(1)	गेहूं	500 ग्राम
(2)	खाद्य तेल	40 ग्राम
(3)	दालें	40 ग्राम

इसके अतिरिक्त प्रत्येक परिवार को 500 से 1000 रुपये तक ब्याज रहित ऋण भी उपलब्ध कराया जावेगा। उक्त ऋण प्रारम्भ के 2 सालों को छोड़ कर वार्षिक

(श्री चन्दनमल बैद)

किश्तों में वसूल किया जायेगा। इस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत 30,000 परिवार पांच साल की अवधि में लाभान्वित होंगे। यह प्रोजेक्ट 1 अप्रेल, 1983 से प्रारम्भ होना सम्भावित है। अतः अभी तक सामग्री बसने वालों तक पहुंचने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

श्री कैलाश मेघवाल: माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रोजेक्ट वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की ओर से कब प्रस्तावित किया गया और इसके लिये बात कब चालू हुयी? क्या यह सही है कि राज्य सरकार की देरी और उदासीनता की वजह से यह प्रोग्राम इतना लेट हो रहा है और इसका लाभ राज्य सरकार जल्दी लेने में असमर्थ रही है? एक बात। दूसरे, क्या 1 अप्रेल, 1983 से इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिये आवश्यक इन्फ्रा स्ट्रक्चर सरकार के द्वारा तैयार कर लिया गया है? क्या 30 हजार परिवारों का चयन हो चुका है और जिस क्षेत्र पर उनको बसाया जायेगा क्या उसका भी चयन हो चुका है? अर्थात् क्या आप इस प्रोग्राम को उक्त तिथि से चलाने की स्थिति में हैं?

श्री चंदनमल बैद: इसके लिये बातचीत सन् 1980 में शुरू हुयी थी। उसके बाद में उस पर हस्ताक्षर जनवरी, 1983 में हुये हैं। सरकार पूरी तरह इस योजना को 1 अप्रेल, 1983 से चलाने के लिये तैयार है?

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री कैलाश मेघवाल: 1980 में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की ओर से प्रस्ताव आ गया था फिर आपकी ओर से इसको स्वीकार करने में इतनी देरी क्यों की गयी? मैंने स्पष्ट आरोप लगाया है कि ढिले और लापरवाही के कारण यह प्रोग्राम समय पर चालू नहीं किया जा सका। क्या आपने 30 हजार परिवारों का चयन कर लिया है?

श्री चदनमल बैद: अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर चुका हूं कि 80 में यह बातचीत चली थी और 83 जनवरी में जाकर यह समझौता हुआ है। अब 1 अप्रेल, 83 से इसको हम चालू कर रहे हैं। सरकार इसको पूरी तरह चलाने में सक्षम है। पता नहीं, आप तैयार हैं या नहीं हैं?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा): किस बात के लिये तैयार कर रहे हैं हमको आप?

श्री चन्दनमल बैद: इधर आने के लिये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: तो हम तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री महावीर प्रसाद।

टौंक और टोडारायसिंह पंचायत समिति के ग्रामों का विद्युतीकरण

59. श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि टौंक और टोडारायसिंह पंचायत समिति के ग्रामों के विद्युतीकरण के लिए टौंक में 132 के.वी. का ग्रिड सब-स्टेशन स्थापित करने का कार्य शुरू किया गया था?

(2) क्या यह सही है कि कतिपय कारणों से यह कार्य रोक लिया गया? यदि

(श्री महावीर प्रसाद जैन)
हां, तो क्यों और अब यह कार्य कब प्रारम्भ कर दिया जावेगा तथा कब तक पूर्ण हो जावेगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्रीमती कमला) : (1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। ग्रिड सब स्टेशन के लिये आवश्यक जमीन माह फरवरी, 1983 में उपलब्ध कराई गई है। इस सब स्टेशन पर शीघ्र कार्य शुरू किया जाकर वर्ष 1983 में ही पूर्ण कराने की सम्भावना है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्या, अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि टोडारायसिंह-टोंक रोड पर लाइन का कार्य जो चालू किया गया था, किन्हीं अज्ञात कारणों वश रोक दिया गया था ? क्या सरकार इसको पूरा नहीं करवाना चाहती है ? यदि नहीं, तो अब कब तक यह कार्य पूर्ण हो जायेगा ? डेट बता दें।

श्रीमती कमला : मैंने, अध्यक्ष महोदय, जैसा बताया, इसकी स्वीकृति मार्च, 1982 में हुयी थी। सवाई माधोपुर से टोंक तक 175 टावर्स बनाने थे जिनमें से 100 पूर्ण हो चुके हैं। बाकी जमीन न मिलने के कारण पूरे नहीं हो सके। अब जमीन मिल गयी है इसलिये उनको इसी वित्तीय वर्ष में पूरा करा दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री चाव खां।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेरा यह कहना है कि जमीन मिल गयी है अब तो, अब क्यों देरी की जा रही है ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : 1983 से क्या मतलब है, मार्च, 83 या दिसम्बर, 83 ?

श्रीमती कमला : मूल प्रश्न के उत्तर में साफ है कि इसी वर्ष करा दिया जायेगा।

राजस्थान वक्फ बोर्ड

60. श्री चाव खां (कामां) : क्या वक्फ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान वक्फ बोर्ड का गठन किया जा चुका है ? अगर हां, तो आज तक वक्फ बोर्ड की कब-कब और कितनी बार मीटिंग की गई, और राजस्थान की वक्फ जायदादों के लिए क्या क्या प्रस्ताव लिये गये ?

(2) क्या यह भी सही है कि वक्फ बोर्ड के तहत आज तक जिला वाइज कमेटियां नहीं बनाई गई हैं, जिसके कारण जिलों की वक्फ जायदादों पर लोग दिन पर दिन नाजायज कब्जे करते चले जा रहे हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार द्वारा मजहबी मामलों में भी राजनीति को अपनाया जा रहा है ?

(4) क्या यह भी सही है कि जिला अलवर एवं भरतपुर की भूतपूर्व वक्फ कमेटियों के लाखों रुपयों के घोटालों की जांच के लिये किसी वक्फ के सदस्य को नियुक्त किया गया है ? अगर हां, तो कब और किसको ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार का जिला कमेटियां बनाने का इरादा है ? अगर हां, तो कब तक बना दी जावेंगी ?

वक्फ मंत्री (श्री अहमद बक्श सिंधी) : माननीय अध्यक्ष ....

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : 'माननीय अध्यक्ष महोदय' बोलो।

श्री अध्यक्ष : 'बोलो' नहीं 'बोलिये'।

श्री अहमद बक्श सिंधी : माननीय अध्यक्ष महोदय, वक्फ बोर्ड एक स्वायत्त शासी संस्था है। वक्फ एक्ट के अनुसार वक्फ सम्पत्तियों का सुपरविजन वक्फ बोर्ड करता है। विधान सभा के कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियमों के नियम 32 (2) के भाग 12 व 13 के अनुसार यह पूछा नहीं जा सकता है क्योंकि वक्फ जायदाद का स्वामित्व वक्फ बोर्ड के पास है जो जुडिशियल बोर्ड है। फिर भी मैं इस सवाल का आपको जवाब दे देता हूं।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : यह अध्यक्ष महोदय का अपमान है।

श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, यह बात बहुत अपमानजनक है। यह बात कहने वाले ये कौन होते हैं। क्या यह मामला कोर्ट में कन्सीडरेशन में है ? अगर नहीं है, तो इससे संबंधित प्रश्न क्यों नहीं पूछे जा सकते हैं...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, आपने जो निर्णय दिया है उसको चेलेंज करने का मंत्री महोदय को कोई अधिकार नहीं है। ये कौन होते हैं उसको चेलेंज करने वाले। यह अध्यक्ष महोदय का अधिकार है। अध्यक्ष महोदय, आपका अपमान किया गया है।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : मंत्री महोदय को यह सब सदन में कहने का अधिकार नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, वक्फ बोर्ड के बारे में कई बार पहले भी सवाल आ चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। वक्फ बोर्ड के अलावा आप कानून मंत्री भी हैं इसलिये संवैधानिक स्थिति स्पष्ट कर दी है। फिर प्रश्न का उत्तर तो दे ही रहे हैं।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) : फिर आप यहां पर भी तो रह चुके हैं, इसलिये नियमों की कुछ ज्यादा ही जानकारी है।

श्री अहमद बक्श सिंधी : (1) जी हां। नवगठित बोर्ड की अब तक दिनांक 18-10-82, 19-10-82, 26-11-82, 29-1-83 को चार बैठकें हुई हैं। वक्फ जायदाद के बाबत लिये गये प्रस्तावों की सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं वक्फ अधिनियम के अन्तर्गत जहां जहां आवश्यक समझा गया कमेटियों का गठन वक्फ बोर्ड ने कर दिया है। नाजायज कब्जों का जिला वक्फ कमेटियों के गठन से कोई संबंध नहीं है। वक्फ बोर्ड द्वारा गठित जिला कमेटियों की सूची संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। ऐसी कोई शिकायत वक्फ बोर्ड को प्राप्त नहीं हुई है। इसलिये प्रश्न पैदा नहीं होता है।

(श्री अहमद बक्श सिन्धी)

(5) यह मामला राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में नहीं है।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री चाव खां : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रश्न किया था, "क्या यह सही है कि वक्फ बोर्ड के तहत आज तक जिला कमेटियां नहीं बनायी गयी हैं जिसके कारण जिले की वक्फ जायदाद पर लोग दिन पर दिन कब्जा करते जा रहे हैं ?" इसके उत्तर में लिस्ट 10 जिलों की दी है जब कि 27 जिले हैं। जिन जिलों में कमेटी अब तक नहीं बनायी गयी हैं, वे कब तक बनायी जायेंगी ?

दूसरा, आपके द्वारा जो कमेटियां बनाई गयी हैं, यह सही है कि आपके मंत्री महोदय ने, चेयरमैन ने, बोर्ड के सदस्यों ने यह क्लीयर कहा है कि हम उन्हीं लोगों को लेंगे जो कांग्रेस के होंगे। क्या इसमें राजनीति लाना उचित है ? ऐसा कौन सा नियम है ? क्या यह सही है कि अलवर और भरतपुर से जो पिछली कमेटियां थीं उनके द्वारा किये गये घोटाले के बारे में शिकायतें हैं जिनकी जांच करने के लिए आपने आदेश दिये हैं ? तो क्या उन्हीं आदमियों को फिर ले सकते हैं ?

श्री अहमद बक्श सिन्धी : माननीय अध्यक्ष, कमेटियां कब तक बना दी जायेंगी, यह वक्फ बोर्ड का एक्सक्लूसिव जूरिस्डिक्शन है। वह जहां, जिस जगह कमेटी बनाना चाहेगी, वह बना सकती है। राज्य सरकार का इससे सम्बन्ध नहीं है।

दूसरा, मजहबी मामलात वक्फ वोर्ड में कोई असर अंदाज नहीं है इसलिए यह सवाल, कि क्या राजस्थान सरकार द्वारा मजहबी मामलात में राजनीति अपनाई जा रही है, का जवाब है मजहबी मामलात में कोई राजनीति नहीं अपनायी जा रही है। जो आदमी ठीक है, समझदार है उसी को वक्फ वोर्ड में नामजद किया गया है। अलवर भरतपुर का जहां तक मामला है, भरतपुर में कमेटी बना दी गई है। यह जरूरी नहीं है कि कमेटियां हों तो नाजायज कब्जे नहीं होंगे। नाजायज कब्जे कमेटियां होने पर भी कर दिये जाते हैं। इसलिए उसके लिए राज्य सरकार ने एस. डी. ओज. को स्टेट आफिसर्स की पावर्स दे दी हैं। उम्मीद है कि बहुत जल्दी नाजायज कब्जे मिटा दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री चाव खां : अध्यक्ष महोदय, जिला भरतपुर में जिन्होंने घोटाले किये हैं उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ किन्तु कमेटी में उन्हीं को दुबारा चेयरमैन बना दिया गया है, क्या यह सही है ?

श्री अहमद बक्श सिन्धी : पहले भरतपुर जामा मस्जिद वक्फ बोर्ड के चेयरमैन लाल खां थे...

श्री चाव खां : लाल खां सैक्रेटरी था..

श्री अहमद बक्श सिन्धी : मेरे यहां जो रिपोर्ट आयी है उसके अनुसार वह चेयरमैन थे। पुलिस में घोटाले की रिपोर्ट दर्ज हुई थी, पुलिस ने एफ. आर. दे दी। उस सिलसिले में वक्फ बोर्ड ने पुलिस अफसरान को दुबारा जांच करने के लिए लिखा है।

श्री चाव खां: यानी, अध्यक्ष महोदय, जिसके खिलाफ मुकदमा हुआ और जिसकी जांच जारी है उसी को चेयरमैन दुबारा बनाना कौनसे न्याय से उचित है ? क्लीयर है कि उन मामलों को दबाने के लिए यह सारी कार्यवाही की गई है।

श्री अहमद बक्श सिंधी : माननीय अध्यक्ष, हमने जो जिला भरतपुर कमेटी का सदस्य बनाया, मौलाना मोहम्मद इशुक साहब को···

श्री चाव खां : पहले भी यही था।

श्री अहमद बक्श सिंधी : उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है।

श्री रामप्रसाद (रूपवास): अध्यक्ष महोदय, बेलना में वक्फ बोर्ड की कम से कम 50 लाख रुपये की जमीन पर नाजायज कब्जा है। मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कब्जों को कब तक हटा दिया जायेगा ? नहीं हटा सकते हैं···

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है।

श्री रामप्रसाद : इसी से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय के पास सूचना हो तो उपलब्ध करवा दें···

श्री अहमद बक्श सिंधी : हालांकि इसके मुतल्लिक मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं है, न कोई सवाल इस किस्म का था लेकिन फिर भी मैं जवाब देता हूं। जो नाजायज कब्जे कब्रिस्तान के मुतल्लिक बता रहे हैं उसके मुतल्लिक एस. डी. ओ., जिसको स्टेट आफिसर्स की पावर दे रखी हैं, को लिखा जा रहा है कि वह नाजायज कब्जे हटा दे।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। अगले माननीय सदस्य का नाम पुकार रहा हूं।

श्री अब्दुल रहमान चौधरी (मकराना): अध्यक्ष महोदय, जिला भरतपुर में लोगों ने नाजायज कब्जे करे हैं और पुलिस उसके लिए कार्यवाही कर रही है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि वहां आलरेडी सरकार ने आफिसेज बना रखे हैं, आर.एस.ई.बी. का आफिस है उसका किराया बकाया कर रखा है, उसका 10 लाख बाकी रहता है। उसको दिलाने का सरकार कोई इरादा रखती है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है। अगला प्रश्न।

श्री अमरा राम।

तहसील पचपदरा में राहत कार्य

61. **श्री अमरा राम चौधरी (पचपदरा):** क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पचपदरा तहसील में सिंचाई विभाग द्वारा अकाल राहत के तहत कुल कितने कार्य चलाये जा रहे हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार किरनोद बांध और वरीया बांध को पूरा करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त बांध के अभाव में पचपदरा तहसील के कई गांव पेयजल की समस्या से ग्रस्त हैं ?

राज्य मंत्री, अकाल राहत (श्री चेतराम मीणा) : अध्यक्ष महोदय, (1) पचपदरा तहसील में सिचाई विभाग द्वारा अकाल राहत कार्य के रूप में कुल 13 कार्य चलाये जा रहे हैं। उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) किरनोद बांध के लिये जिलाधीश ने 1,50,000 रु. की स्वीकृति करने का प्रस्ताव भेजा था। तदनुसार इस कार्य को स्वीकृत कर दिया गया है। जहां तक वरिया एनीकट का संबंध है, जिलाधीश के द्वारा प्रेषित प्रस्तावों के अनुसार इन कार्यों का अनुमानित व्यय 11.65 लाख रुपये है जिनमें से सामग्री व्यय 10.49 लाख रुपये एवं श्रम का व्यय 1.16 लाख रुपये है। खर्चों में सामग्री का इतना बड़ा अनुपात होने से यह सहायता कार्य व्यवस्था के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं किया जा सकता।

(3) इन बांधों से पेयजल की उपलब्धि पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री अमराराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि 1,50,000 रुपये स्वीकृत हुए हैं, कितने मजदूर लगे हुए हैं और···

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न।

श्री अमराराम चौधरी : 1,50,000 स्वीकृत हुए हैं। पहले भी कोई मंजूर हुआ था ? यह बता दीजिये। किरनोद बांध है, यह पहले भी मंजूर हुआ है ? 1981 के पहले भी मंजूर हुआ था क्या ?

अकाल राहत मंत्री (श्री हनुमान प्रभाकर) : 1981 से आपने पूछा नहीं। दो बांध प्रस्तावित होकर आये। एक बांध मंजूर हो गया जिसकी लागत 1,50,000 थी। दूसरा भी मंजूर करने में कोई दिक्कत नहीं। जनरली हम 60 प्रतिशत श्रमिक का और 40 प्रतिशत सामग्री का अनुपात रखते हैं। कोई अन्तर होता है तो उसको जिले के आधार पर एडजस्ट कर लेते हैं। इसका अनुपात 10.49 और 1.16 का था। इस तरह का काम यदि अकाल राहत काम में स्वीकृत करते हैं तो दूसरे कामों पर भी प्रभाव पड़ता है। जहां तक इसके काम का सम्बन्ध है वह प्रारम्भ हो चुका है। श्रमिक कितने काम कर रहे हैं, यह सूचना मेरे पास है।

श्री अमराराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर एक रेगिस्तानी जिला है। पानी की हमेशा वहां पर बड़ी कठिनाई रहती है। मैटीरियल की वहां कमी नहीं है, मैटीरियल वहां पड़ा हुआ है। सिर्फ ट्रैक्टर की सैंक्शन नहीं मिली है किरनोद बांध के लिये··

श्री हनुमान प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, पेयजल की समस्या का अकाल राहत से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। इस समस्या का समाधान तो जल प्रदाय विभाग के द्वारा सम्भव हो सकेगा। जहां तक श्रमिकों की कमी का प्रश्न है, श्रमिकों की संख्या बढ़ाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री अमराराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो···

(8)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, अगला प्रश्न ।

(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : नीति का प्रश्न है··

श्री अध्यक्ष : नीति का प्रश्न नहीं है। केवल पचपदरा तहसील के बांध के सम्बन्ध में है, इसलिये मैं इजाजत नहीं दे सकता। समय न लें। अगला प्रश्न ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। श्री देवीसिंह भाटी

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया है। कृपया सहयोग दें। बैठ जायें। आर्डर प्लीज। आसन पैरों पर है।

(व्यवधान)

नियमों का ध्यान रखें, माननीय सदस्य। आर्डर, आर्डर। अगला प्रश्न। श्री देवीसिंह भाटी।

जिला बीकानेर में आवश्यक वस्तुओं का वितरण

62. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत): क्या खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बीकानेर में आवश्यक वस्तुओं के वितरण की कितनी दुकानें किन-किन स्थानों पर खुली हुई हैं ? कृपया ग्राम वार व मोहल्लावार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) कितनी दुकानें सहकारी समितियों के पास तथा कितनी निजी व्यक्तियों के पास हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 1980-81, 1981-82 व 1982-83 में बीकानेर जिले को कितना कितना गेहूं, चीनी, कपड़ा व सीमेंट का कोटा आवंटित किया गया ? कृपया तहसील व मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि देशनोक की जनसंख्या करीबन 10 हजार है व वर्तमान में वर्षों से सस्ते दर की एक ही दुकान कार्य कर रही है ? यदि हां, तो जिला प्रशासन अन्य दुकान आवंटन करने की प्राथमिकता सूची के आधार पर आवंटन की कार्यवाही क्यों नहीं कर रहा है ? सरकारी नीति के अनुसार कितनी जनसंख्या पर एक दुकान खोलना निर्धारित है ? क्या देशनोक में इसकी पालना हो रही है ?

(5) क्या यह सही है कि जिला प्रशासन ने देशनोक में कुछ समय पूर्व दो व्यक्तियों को 2 दुकानें आवंटित की हैं ? उक्त व्यक्तियों को किन आधारों पर आवंटन किया गया ? कृपया आवंटन हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों की प्रति मय सरकारी प्राथमिकता सूची सदन की मेज पर रखें। उक्त व्यक्तियों को कब आवंटन हुआ व अब तक राशन न ले जाने पर भी अन्य व्यक्तियों को आवंटन कर जनता को राहत क्यों नहीं दी जा रही है ?

राज्य मंत्री, खाद्य एवं आपूर्ति (श्री घासीराम यादव) : (1) सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(श्री घासीराम यादव)

(2) सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(3) सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(4) वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार देशनोक नगर की आबादी 10,995 है। यह सही नहीं है कि देशनोक में वर्तमान में एक ही दुकान कार्य कर रही है। जिला प्रशासन द्वारा स्वीकृत दो दुकानें कार्यशील हैं तथा एक अन्य दुकानदार, देशनोक प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार द्वारा प्राधिकार पत्र प्राप्त करने के उपरांत भी कार्य चालू नहीं किया गया, जिसके लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। एक अन्य व्यक्ति श्री केशूराम मेघवाल को भी देशनोक में दुकान दिनांक 1-12-1982 को आवंटित की गई लेकिन उसने दुकान चलाने में अपनी असमर्थता दिनांक 3-2-1982 को व्यक्त कर दी जिस पर अन्य व्यक्तियों के आवेदन-पत्र प्राप्त करने हेतु अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका देशनोक को निर्देश दिये गये हैं। राज्य सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार नगरीय क्षेत्र में 2500 व ग्रामीण क्षेत्र में 3000 की जनसंख्या पर एक उचित मूल्य की दुकान खोले जाने का प्रावधान है। देशनोक में इस नीति के अनुसार दुकानें खोले जाने का प्रयास किया जा रहा है।

(5) देशनोक सहकारी उपभोक्ता भण्डार, देशनोक तथा श्री जमालदीन (अल्प संख्यक) को प्राथमिकता के आधार पर उचित मूल्य की दुकानें क्रमशः दिनांक 3-8-1982 व 1-12-1982 को आवंटित की गई। आवंटन हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों की प्रति एवं प्राथमिकता सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है। श्री केशूराम मेघवाल (अनुसूचित जाति) को भी एक दुकान प्राथमिकता के आधार पर दिनांक 1-12-1982 को दिया जाना तय किया गया था। श्री केशूराम मेघवाल द्वारा असमर्थता व्यक्त किये जाने पर अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, देशनोक को अन्य व्यक्तियों के आवेदन-पत्र भिजवाने हेतु लिखा गया है।

(सूचियों के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं प्रश्न के भाग (3) के संबंध में जानकारी चाहूंगा कि शहरों और ग्रामीण अंचलों में किस प्रकार से भेद-भाव करते हैं? बीकानेर जिले में चीनी का आवंटन देखिये, वर्ष 1980–81 में 3 हजार 956 टन, 1981–82 में 3 हजार 896 टन और 1982–83 में 3 हजार 629 टन। इसी प्रकार से आपने कपड़े का आवंटन किया 367,246। इसी प्रकार से सीमेन्ट का 4122, 3461 और 1325 टन। अध्यक्ष महोदय, यह कम कैसे हो जाता है जब कि जन संख्या बढ़ती जाती है? ग्रामीण अंचलों का कोटा क्यों कम कर दिया जाता है? मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि इसका कारण क्या है? क्या वहां की जन संख्या कम हो जाती है इसलिए शहरों का कोटा बढ़ा दिया जाता है . . .

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, माननीय सदस्य।

श्री घासीराम यादव : अध्यक्ष महोदय, चीनी प्रति व्यक्ति के हिसाब से ग्रामीण अंचलों

(श्री घासीराम यादव)
और शहरों में बराबर दी जाती है । इसमें भेद-भाव की बात कहां है ?

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : सीमेन्ट के बारे में और कपड़े के बारे में·····

श्री घासीराम यादव : अध्यक्ष महोदय, सीमेन्ट वहां का कलेक्टर देता है। कपड़े के बारे में यह निवेदन है कि कभी कम मिलता है तो कभी ज्यादा। इसलिये कहीं कम जन-संख्या के आधार पर कर देते हैं। इसमें भेद-भाव की कोई बात नहीं है।

श्री देवीसिंह भाटी : आप ग्रामीण अंचलों में जो चीनी देते हैं उसका कोटा कम हो जाता है, सीमेन्ट का कोटा और कपड़े का कोटा कम हो जाता है और शहरों का बढ़ जाता है···

श्री घासीराम यादव : वहां की मांग के अनुसार दिया जाता है। जिला प्रशासन इसको देखता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता !

श्री देवीसिंह भाटी : जिला प्रशासन देखता है तो जब प्रश्न आपके सामने आ गया तो आपने क्यों नहीं देखा ? ग्रामीण अंचलों को कम आवंटन हुआ।

श्री घासीराम यादव : कहां कम हुआ है मुझे बताइये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। मैं इजाजत नहीं दे सकता, कृपया बैठ जाइये। अगला प्रश्न।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय के उत्तर से आप कन्विन्स हो गये हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछते हैं और मंत्रीजी उत्तर देते हैं।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया, देशनोक में 10,500 की आबादी है। वहां पर चार दुकानें होनी चाहिये। दो दुकानें वहां पर चल रही हैं। दूसरी दुकानों पर काम चालू नहीं हुआ है। तो, मंत्री महोदय, दूसरी दुकानें चालू करवाने के लिए क्या व्यवस्था करेंगे, मैं यही पूछना चाहता हूं ?

श्री घासीराम यादव : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि देशनोक में दस हजार की आबादी है। वहां पर चार दुकानें दी गई थीं और दो ने उठाई थी। कोई वहां पर दुकान लेने को तैयार नहीं है। माननीय सदस्य दो आदमियों को तैयार कर दें तो उसी दिन दुकानें दे देंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। बैठ जाइये। अगला प्रश्न। माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, फिर हमें कहां न्याय मिलेगा, देशनोक ऐसा महत्वपूर्ण···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित हो।

श्री देवीसिंह भाटी :×××

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, व्यर्थ में समय जा रहा है।

कृपया बैठ जाइये।

श्री देवीसिंह भाटी :×××

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर। कृपया बैठ जाइये।

अगला प्रश्न।

श्री भैरूंलाल मीणा!

राष्ट्रीय राज मार्ग नं. 8 पर पुल निर्माण

63. श्री भैरूंलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 8 पर 12 कि. मी. के करीब एक गहरे नाले पर पुल बनाने हेतु भारत सरकार से स्वीकृति मिल गई है? यदि हां, तो यह पुल कब तक तैयार हो जावेगा?

(2) क्या यह भी सही है, कि इसी मार्ग पर 18 से 19 कि. मी. के बीच में महेन्द्र बावड़ी नामक स्थान पर विकट मोड़ होने के कारण आये दिन भयंकर दुर्घटनायें होती हैं? यदि हां तो कोई कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

×××माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री चेतराम मीणा) : (1) राष्ट्रीय राज मार्ग नं. 8 पर उदयपुर से 12 कि. मी. पर गहरे नाले पर पुल बनाने हेतु भारत सरकार से अभी कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

(2) यह सही नहीं है कि 18 से 19 कि. मी. पर महेन्द्र बावड़ी नामक स्थान के निकट एक विकट मोड़ है। अतः आये दिन भयंकर दुर्घटनायें होने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री भैरूंलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी प्रश्न पूछा था, उसमें भी यह साफ लिखा है कि दुर्घटना होने का सवाल ही नहीं उठता। मेरे पास रिकार्ड है जिससे साफ जाहिर है कि वहां आदमी मरे हैं और दुर्घटना हुई हैं गुजरात और राजस्थान की गाड़ियों से, सी. आर. आर. 8390 आर. जे. वाई. 1851, आर. आर. वाई 6535 यह एक जीप है जिससे एक आदमी मर गया और सात घायल हो गये। जून 1982 में पांच दुर्घटनायें हुई। कई व्यक्ति घायल हो गये और एक मारा गया। ऐसी हालत में भी मंत्री महोदय बताते हैं कि दुर्घटनायें नहीं होती हैं तो फिर यह रिकार्ड कहां से आया? 7 से 13 तारीख के बीच में यह दुर्घटनायें हुई हैं ट्रकों के बीच में जिन में दो आदमी मारे गये। जहां पर ऐसी दुर्घटनायें होती हैं वहां पर पुल सकड़ा है, दो गाड़ियां आसानी से निकल नहीं सकतीं। आपने कई स्थानों पर छोटे छोटे पुल बनाये हैं, उदयपुर और रतनपुर के बीच में पुल बनाया है, उसमें कितना खर्चा हुआ। वहां के लिए तो बजट आ जाता है, लेकिन जहां दुर्घटनायें होती हैं वहां के लिये बजट नहीं

(श्री भैरूंलाल मीणा)

है। ऐसी हालत में जहां तक मैं देखता हूं बड़ी विकट समस्या है और मंत्री महोदय यह जवाब देते हैं, मुझे अफसोस है। मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि वह मेरे साथ वहां पर चलें और मौका देखें तो पता चल जायेगा कि मोड़ कहां पर है ?

श्री रामप्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को तो ठेकेदारों से ही फुरसत नहीं मिलती। वह तो एक्स.ई.एन. के आफिस में बैठे रहते हैं

(व्यवधान)

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न दो जगहों से संबंधित है। ऊंडा नाले के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह नेशनल हाई वे नम्बर 8 पर है, यह बहुत ज्यादा पुराना, करीब 80 साल पुराना है और वहां पर दुर्घटनायें हो जाती हैं। राज्य सरकार ने सन् 1980 में केन्द्र सरकार को अपनी रिपोर्ट इस सम्बन्ध में भेजी थी कि दूसरा पुल बनाया जाय। 17-7-81 को राज्य सरकार ने भारत सरकार को इसकी आवश्यकता के बारे में लिखा था कि भारत सरकार ने इसे स्वीकारा था, महसूस किया और प्रिलिमिनरी रिपोर्ट और एस्टीमेट भेजने के लिए कहा। अभी 1 फरवरी, 1983 को भारत सरकार के मुख्य अभियन्ता यहां पर आये। एक साइड का चयन कर लिया गया है और राज्य सरकार को फाइनल रिपोर्ट और एस्टीमेट भेजने के लिए कहा है जो हमने भेज दी है। मेरी मान्यता है कि बहुत जल्दी ही स्वीकृति आ जायेगी और काम चालू हो जायगा। महेन्द्र बावड़ी के निकट मोड़ अवश्य है लेकिन नेशनल हाई वे के जो नार्म्स हैं उनके अनुसार इतना मोड़ नहीं है। फरवरी, 1981 में यहां पर काम हुआ था और सड़क को चौड़ा किया गया था। सुधार करने के पश्चात् नेशनल हाई वे के हिसाब से उसको ठीक कर दिया गया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। माननीय सदस्य, बैठ जायें।

श्री चेतराम मीणा : होरीजेण्टल कर्व में 500 फीट का रेडियस रहता है तथा साइट फिउस्टेन्स में वर्टिकल कर्व में 400 फीट का सामान्यतः स्थान रखते हैं जो इस मोड़ में है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न !

श्री भैरूंलाल मीणा : भले ही दुर्घटना हो आप कुछ नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक प्रश्न है। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे, आपने अपने टेक्निकल हिसाब से जवाब दे दिया, आप डूंगरपुर का दौरा करते हैं, क्या आपने उस मोड़ को देखा है ? अगर नहीं देखा है तो आप वहां जायें। वहां पर दुर्घटना हुई है। मैंने इसके सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव भी दिया था। अध्यक्ष महोदय, वह मोड़ काफी खतरनाक है। पिछली बरसात में वहां पानी भर जाने से रास्ता खराब हो गया है, पूरा रास्ता अवरुद्ध हो गया है। जब तक राज्य सरकार वन-वे ट्रैफिक करने की व्यवस्था

(श्री मेघराज तावड़)
नहीं करेगी वहां पर दुर्घटनायें होती रहेंगी। क्या राज्य सरकार वहां वन-वे ट्रैफिक करने का इरादा रखती है ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग प्रश्न है।

श्री मेघराज तावड़ : आप कम से कम मोड़ तो देख लें।

श्री रामप्रसाद : मंत्री महोदय यह तय कर लें कि यह ठेका किस ठेकेदार को देना है।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहता हूं कि निश्चित् रूप से विधान सभा के सत्र के पश्चात् मैं वहां जाऊंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न !

बहरोड़ में कालेज भवन का निर्माण

64. श्री सुजानसिंह यादव (बहरोड़) : क्या महा विद्यालय शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि जिला अलवर के बहरोड़ कस्बे का कालेज उच्च माध्यमिक विद्यालय के भवन में चल रहा है ?

(2) क्या सरकार वहां कालेज के लिए भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्य मंत्री, महाविद्यालय शिक्षा (श्री सुरेन्द्र व्यास) : जी हां।

(2) जी नहीं। भवन निर्माण जन सहयोग द्वारा ही कराया जाना है।

श्री सुजानसिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 22 उच्च माध्यमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय हैं। मेरे क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया हुआ है। सन् 1979 को भूतपूर्व जनता पार्टी के मुख्य मंत्री ने कालेज की आधारशिला रखी थी। तत्पश्चात् ग्राम निवासियों ने ढाई-तीन लाख रुपये इकट्ठे करके भवन निर्माण करवाया। मेरा क्षेत्र लगातार अकाल से प्रभावित रहा है, लोगों के पास इतनी धनराशि इकट्ठी नहीं हो पाई जिससे महाविद्यालय की बिल्डिंग अधूरी पड़ी हुई है। मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि जहां हायर सैकेण्डरी स्कूल है उसी क्षेत्र में महाविद्यालय चल रहा है, 1500 छात्र उच्च माध्यमिक विद्यालय में और 450 छात्र कालेज में पढ़ रहे हैं। आये रोज वहां पर हड़ताल होती रहती है। हैड मास्टर और प्रिंसिपल में रोज झगड़े होते रहते हैं। आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि दोनों जगहों के छात्र जहां पढ़ाई करते हैं तो उनमें यह डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता कि यह लड़के हायर सैकण्डरी के हैं यह कालेज के हैं। उनमें आपस में पानी को लेकर, स्टेण्ड्स को लेकर झगड़ा होता रहता है जिससे अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस वित्तीय वर्ष में कुछ प्रावधान करके ज्यादा से ज्यादा धन की व्यवस्था करवायें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : 1977 में जब यह महाविद्यालय खोला गया था तो यह कहा गया था कि इसके भवन के लिए पैसा गांव

(श्री सुरेन्द्र व्यास)
वाले उपलब्ध करायेंगे। तत्कालीन सांसद श्री रामजीलाल यादव थे उन्होंने आश्वासन दिया था कि उसी के अनुसार भवन निर्माण कराया जायेगा।

श्री सुजानसिंह यादव: मेरे इलाके में अकाल पड़ा हुआ है, उसी के कारण धनराशि उस मात्रा में नहीं उपलब्ध हो पाई जिससे कालेज भवन बन पाये। कुछ राशि राज्य सरकार दे, कुछ वहां के निवासियों द्वारा दी जाये ताकि यह प्राब्लम जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न !

श्री तेजपाल यादव (चांमू): गरीब जनता है और यह कह रहे है कि वह जन सहयोग से बन जायेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। ऑर्डर प्लीज।

श्री तेजपाल यादव : क्या महारानी कालेज जनता के सहयोग से बना है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह नीतिगत प्रश्न है। इसको किसी अन्य माध्यम से उठायें।

श्री तेजपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, ऐसा भेदभावपूर्ण रवैया क्यों है ?

श्री मेघराज तावड़ : जहां जन सहयोग नहीं होगा वहां पर क्या कालेज नहीं बनेंगे ?

श्री अध्यक्ष : अन्य किसी माध्यम से इसको उठायें। प्रश्न के माध्यम से नहीं उठायें।

(व्यवधान)

यह सब बातें राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जब आप बहस में हिस्सा लें तब कहें।

(व्यवधान)

समय खराब न करें। अगला प्रश्न !

श्री मेघराज तावड़ : यह सरकार की जिम्मेदारी है कि भवन बनवाये। सभी गांवों के नागरिक एक समान होने चाहिए।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न पुकार रहा हूं।

(व्यवधान)

जो आप चाहते हैं उसके लिए मंत्री जी तैयार नहीं हैं। आप इसको किसी अन्य माध्यम से उठायें। समय काफी हो गया है।

श्रीमती विद्या पाठक !

मेवाड़ काम्प्लेक्स योजना

65. **श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर):** क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) मेवाड़ काम्प्लेक्स योजना केन्द्रीय सरकार द्वारा कब व कितनी लागत की स्वीकृत की गई ?

(2) इसके अन्तर्गत क्या क्या योजनायें पूरी की जानी थीं और कब तक ?

(श्रीमती विद्या पाठक)

(3) इसके अन्तर्गत वर्ष 1980 तक क्या-क्या सर्वे व कार्यवाही की जा चुकी है ?

(4) वर्ष 1980 के बाद इसकी प्रगति रुक जाने का क्या कारण है और अब यह कब तक पूरी कर ली जायेगी ?

राज्य मंत्री, पर्यटन (श्री बुलाकीदास कल्ला) : (1) मेवाड़ काम्प्लेक्स की योजना अभी तक केन्द्रीय सरकार ने स्वीकृत नहीं की है।

(2) मेवाड़ काम्प्लेक्स की योजना के प्रारूप में हल्दी घाटी, रक्त तलाई, धांवड़, कुम्भलगढ़ एवं गोगुन्दा का क्षेत्रीय विकास एवं पर्यटकों के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली आवश्यक सुविधाओं आदि की योजनायें सम्मिलित हैं। अवधि का निर्धारण नहीं किया गया है।

(3) वर्ष 1980 तक मेवाड़ काम्प्लेक्स में सम्मिलित स्थलों का केवल प्रारम्भिक सर्वेक्षण कर लिया गया था।

(4) वर्ष 1980 के बाद इस पर प्रगति जारी है, इस योजना में सम्मिलित स्थलों का प्रारम्भिक-सर्वेक्षण किया जाकर एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग तथा अन्य सम्बन्धित विभागों से विचार विमर्श कर इस सर्वेक्षण को प्रकाशित करा दिया गया है। अब जिलाधीश उदयपुर इस योजना में आये स्थलों के खसरा नम्बर ज्ञात कर इन क्षेत्रों के पृथकीकरण (सैट अपार्ट) के संबंध में कार्यवाही कर रहे हैं।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने कहा कि यह योजना अभी तक केन्द्रीय सरकार ने स्वीकृत नहीं की है। सन् 1978–79 में इस योजना का दो बार सर्वे हो चुका, फाइनल सर्वे हो गया। मास्टर प्लान बनाकर आपको एप्रूवल के लिए केन्द्र ने भेजा। क्या आपको जानकारी है कि केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को भेजी ? क्या आपको जानकारी है कि जो नोटिफिकेशन राज्य सरकार द्वारा निकालना अपेक्षित था वह 15-1-83 तक भी नहीं हो पाया है जिसके लिए केन्द्र ने आप को भी ताड़ना का पत्र लिखा है ? इसके लिए स्वीकृत धन उस नोटिफिकेशन के अभाव में रुका पड़ा है ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : सन् 1978 में पर्यटन राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में इस योजना के बारे में विभाग ने अपनी प्रारंभिक रूप रेखा प्रस्तुत की थी। केन्द्र सरकार ने इस बात को स्वीकार किया था कि उनके माध्यम से हम इस योजना का क्रियान्वयन करेंगे। सन् 1980 तक केवल इसका प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया गया था। उसके बाद केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने सर्वेक्षण के बाद टाउन व कन्ट्री प्लानिंग आर्गेनाइजेशन के माध्यम से विस्तृत सर्वेक्षण कराया जिसकी प्रति मार्च, 1982 में राज्य सरकार को प्राप्त हुई। तत्पश्चात इस रिपोर्ट के आधार पर पर्यटन विभाग ने इस क्षेत्र में आने वाले तमाम क्षेत्रों में जितनी सड़कें हैं उनको चौड़ी बनाने के काम, जहां सड़क नहीं है वहां सड़क बनाने के काम के बारे में सार्वजनिक निर्माण विभाग को पत्र दिए। निदेशक, पंचायत विभाग और जिलाधीश, उदयपुर ने इस क्षेत्र में आने वाली जमीन के बेचान व रख-रखाव के लिए कुछ निर्णय लिये, जिसके अनुसार इस क्षेत्र का विस्तृत

(श्री बुलाकी दास कल्ला)
सर्वे होकर रिपोर्ट हमारे पास जो मार्च 1982 में आई उसके आधार पर जो भी खसरा भूमि आती है उस पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य न किया जाए, इस बारे में भी कहा। इसके पश्चात् वर्तमान में उदयपुर जिलाधीश के माध्यम से पर्यटन विभाग के सहयोग से खसरा नम्बर वगैरह विस्तृत रूप से ज्ञात कर इन क्षेत्रों के पृथकीकरण की कार्यवाही चल रही है। जैसे ही पूरा सर्वेक्षण हमारे पास में आ जायगा, हमको किस किस क्षेत्र में क्या क्या करना है, पूरी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को शीघ्र भेज कर प्रभावी कार्यवाही करायेंगे।

श्रीमती विद्या पाठक : क्या कोई नोटिफिकेशन जो राज्य सरकार द्वारा निकालना था वह 15–1–83 तक नहीं निकाला गया जिसके अभाव में यह योजना रुकी पड़ी है ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह बात सही नहीं है कि नोटिफिकेशन के अभाव में यह योजना लम्बित हो रही है। लैंड एक्वीजिशन की कार्यवाही कर रहे हैं। आप जानती हैं कि 1979–80 तक केवल प्रारम्भिक सर्वेक्षण का कार्य किया, उसके बाद में टाउन व कन्ट्री प्लानिंग आर्गेनाइजेशन ने इसका व्यापक सर्वे कराने में समय लगाया। आप स्वयं राज्य सरकार में रही हुई हैं, मैं समझता हूं लैंड एक्वीजिशन के मामले में जितना समय लगता है उसके पश्चात् किसी प्रकार की देरी इसकी क्रियान्विति में नहीं लगेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री सी. पी. जोशी !

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि उदयपुर में केन्द्रीय पर्यटन मंत्री की उपस्थिति में आपने आश्वासन दिया था कि मोती मगरी और चावण्ड जैसे स्थल मेवाड़ काम्प्लेक्स में लिये जायेंगे ? उस आश्वासन के बाद इन स्थलों को योजना में शामिल करने की कार्यवाही की गई ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : चावण्ड को तो पहले ही सम्मिलित किया गया है। मोती मगरी के बारे में केन्द्रीय सरकार को लिखा गया है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या मंत्री महोदय को यह ध्यान है कि पिछले बजट सैशन में पर्यटन राज्य मंत्री ने इसी सदन में आश्वासन दिया था कि हमें केन्द्रीय सरकार से मेवाड़ काम्प्लेक्स की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है ? उसको आज पूरा एक वर्ष हो गया। फिर काम प्रारम्भ न करने का क्या कारण रहा ? आप अपनी रिपोर्ट उठाकर देखें, मैं जब पर्यटन पर और खास तौर से मेवाड़ काम्प्लेक्स पर बोला था उस समय राज्य मंत्री श्री भाटी ने जवाब में कहा था कि मेवाड़ काम्प्लेक्स की स्वीकृति हमें केन्द्रीय सरकार से प्राप्त हो गई है और शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ हो जाएगा। क्या यह आपकी जानकारी में है ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : श्री गुलाबचन्द कटारिया को 25-2-82 को जो उत्तर दिया गया था वह इस प्रकार है: "योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया अतः इस स्थल विशेष पर कितना व्यय हुआ, बताना संभव नहीं है।"

श्री गुलाबचन्द कटारिया : जब मांग पर वाद-विवाद हुआ था, उस दिन पर्यटन

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)
की डिमांड थी। मंत्री महोदय ने अपने जवाब में यह बात स्वीकार की थी कि हमें कुछ दिन पहले ही केन्द्रीय सरकार से इसकी स्वीकृति मिल गई है और इसका प्रति शीघ्र कार्य प्रारंभ कर रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैंने पूर्व में कहा है कि सिद्धांततः केन्द्रीय सरकार ने इस योजना को स्वीकृत किया हुआ है। लेकिन जब तक हम उनको विस्तृत एस्टीमेट्स नहीं भेजेंगे, क्या भवन बनेंगे, कौनसी पब्लिक यूटिलिटीज बनेगी, एनवायरनमेन्ट सुधार के लिये क्या क्या काम करेंगे, व्यापक एस्टीमेट्स देने के बाद फाइनेन्शल और एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन मिलेगी। मैं समझता हूं इस संदर्भ में कार्यवाही की जा रही है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप इसलिए यह काम नहीं कर पाए क्योंकि इस योजना में नए स्थान . . .

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप लोगों और स्थानीय निवासियों की मांग पर मोती मगरी और दूसरे नए स्थानों के लिये हम केन्द्रीय सरकार को अवश्य लिख चुके हैं। इस योजना को क्रियान्वित करने में कोई बाधा नहीं आ रही है।

श्री अध्यक्ष : श्री हरसहाय मीणा।

श्री दीपेन्द्रसिंह।

राजस्थान नहर परियोजना

66. श्री हरसहाय मीणा (किशनगंज) व श्री दीपेन्द्रसिंह (श्री माधोपुर) : क्या राजस्थान नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) राजस्थान नहर परियोजना का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ किया गया तथा उस समय अनुमानित लागत क्या थी ?

(2) उक्त परियोजना पर अब तक कुल कितनी राशि व्यय की जा चुकी है तथा कितना निर्माण पूर्ण हो चुका है ?

(3) राजस्थान नहर का पूर्ण निर्माण कब तक हो सकेगा तथा कुल कितनी राशि व्यय होने का अनुमान है ?

(4) राजस्थान नहर के निर्माण में देरी के क्या कारण हैं तथा उनको दूर किये जाने के क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

मंत्री राजस्थान नहर परियोजना (श्री चन्दनमल बैद) : (1) राजस्थान नहर परियोजना का निर्माण कार्य मार्च, 1958 में शुरू हुआ था। उस समय मुख्यतः वर्षा ऋतु में पानी लेने के लिये बनाए गए प्रोजेक्ट तखमीने की लागत 62 करोड़ रुपये आंकी गई थी।

(2) इस परियोजना में जनवरी, 1983 तक 332 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है, प्रथम चरण में 204 किलोमीटर लम्बी फीडर व 189 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर पूरी हो चुकी है। कुल 2900 किलोमीटर वितरण प्रणाली, 1342 किलोमीटर पक्के खालों में से क्रमशः 2836 व 1151 किलोमीटर पूर्ण हो चुके हैं। द्वितीय चरण में 256 किलोमीटर में से 147 किलोमीटर लम्बाई में कार्य पूर्ण हो चुका है। 70 किलोमीटर लम्बाई में कार्य

(श्री चन्दनमल बैद)
प्रगति पर है। वितरण प्रणाली में 192 किलोमीटर का कार्य पूर्ण हो चुका है।

(3) राजस्थान नहर के प्रथम चरण का शेष कार्य मार्च, 1984 तक एवं द्वितीय चरण की कच्ची वितरण प्रणाली बनाकर काम मार्च, 1985 तक पूरा होना निर्धारित है। वर्तमान में इस परियोजना पर कुल 534.50 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है।

(4) धनराशि, कोयला व सीमेंट का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होना निर्माण में देरी होने के मुख्य कारण हैं। हाल ही में केन्द्रीय सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 40 करोड़ की विशेष योजना सहायता स्वीकृत की है, जो वर्ष 1982-83, 1983-84, 1984-85 में क्रमश: 15-15 व 10 करोड़ रुपये होगी। साथ ही सीमेंट व कोयले की पर्याप्त मात्रा व उसकी ढुलाई हेतु आवश्यक रेल उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी भारत सरकार द्वारा की जा रही है।

श्री दीपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से तीन स्पेसिफिक सवाल करना चाहता हूं। पहला तो यह है कि राजस्थान नहर के निर्माण के विषय में भूतपूर्व राजस्थान नहर राज्य मन्त्री श्री नरेन्द्रसिंह भाटी ने कोई रिपोर्ट पेश की थी? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही आप करेंगे?

दूसरा, राजस्थान नहर के सम्बन्ध में जो देरी हो रही है उसका क्या कारण रामसिंह जांच कमेटी की रिपोर्ट से जो मुद्दे नये सामने आये वह भी हैं?

अभी आपने जो अवधि बतायी है, मैं मन्त्री महोदय से यह स्पष्ट रूप से आश्वासन चाहूंगा, वह स्पष्ट बतावें और सदन में आश्वासन दें कि इस निश्चित अवधि तक यह नहर पूरी हो जावेगी? यह कब तक पूरी हो जावेगी, यह बतावें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने अभी जो पूरक प्रश्न किये उनमें एक तो जो प्रतिवेदन राजस्थान नहर के राज्य मन्त्रीजी के द्वारा प्रस्तुत किया गया उसके बारे में है। दूसरा रामसिंह आयोग की जांच रिपोर्ट के कारण देरी होने के बारे में है। यह दो पूरक प्रश्न इससे संबंधित नहीं हैं।

श्री दीपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, देरी होने के कारण यह भी दोनों ही हैं।

श्री अध्यक्ष : आप, माननीय सदस्य, इस प्रश्न को और किसी माध्यम से सदन में पूछ सकते हैं क्योंकि नहर के पूरा होने में कई पक्ष हैं, कई स्टेजेज इसके निर्माण में आये हैं, इसमें कोलोनाइजेशन का सवाल भी आता है, इसमें इनएफीशियेन्सी भी एक कारण हो सकता है, इसमें मैटीरियल की कमी एक कारण हो सकता है, इसमें जलोत्थान की बात भी आती है, तो आप सीमित दायरे में इस प्रश्न को नहीं पूछ सकते हैं। इसलिये आप किसी उचित माध्यम से इस प्रश्न को उठा सकते हैं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जब चर्चा हो आप उस समय भी इस प्रश्न को उठा सकते हैं। इसके अलावा जब हाउस में मांगों पर चर्चा होगी तब भी आप इसको उठा सकते हैं। इसके अलावा जब बजट प्रस्तुत होगा और बजट के ऊपर सामान्य वाद विवाद होगा उस समय भी

(श्री अध्यक्ष)
आप इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो आपको इसका उत्तर मिल जावेगा। लेकिन अगर आप अल्प अवधि में ही प्रश्न पूछना चाहते हैं तो उत्तर आया नहीं है। आप यहां इस संबंध में देरी के कारणों की चर्चा करना चाहते हैं तो यह नहीं हो सकता है।

श्री देवी सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जो देरी के कारण बताये हैं उनमें एक तो सीमेन्ट और कोयले की कमी बतायी। चूंकि सीमेन्ट व कोयला समय पर उपलब्ध नहीं हुआ इसलिये यह नहर पूरी नहीं हो सकी। तो मेरा मन्त्री महोदय से यह प्रश्न है कि पिछले चार पांच सालों में राजस्थान नहर के लिये कितना सीमेन्ट और कितना कोयला अलग से आवंटित किया गया ? आपने इसके लिये कोई प्रयास किया ?

श्री अध्यक्ष : हां, इस मामले में श्री देवी सिंह जी भाटी एक्सपर्ट हैं उनकी राय मान ली जानी चाहिये।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय क्या यह सही है कि राजस्थान नहर के लिये जो कोयला आवंटित किया गया था वह सिंगरोली का घटिया किस्म का कोयला आवंटित किया गया था ? यदि हां, तो उस घटिया कोयले का आवंटन रोकने के लिये और बढ़िया कोयला आवंटित किया जाय इसके लिये राज्य सरकार ने क्या प्रयास किये ?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान नहर के पूरा न होने के तीन कारण मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि इन कारणों से देरी हुई। इसमें देरी का कारण धन का पूरा नहीं मिलना, सीमेन्ट का आवंटन पूरा नहीं होना और कोयले का पूरा आवंटन नहीं होना था। पर अब यह तीनों ही चीजें हमें उपलब्ध हो रही हैं। इसकी कमी अब नहीं आने दी जायेगी। यहां पर जो प्रश्न पूछा गया उस प्रश्न के सप्लीमेन्ट्री के जवाब में मैंने डेट भी फिक्स कर दी है यानि वह है 85 की 31 मार्च यानी 31-3-85 तक यह नहर सम्पूर्ण रूप से पूरी की जा सकेगी।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय मन्त्री महोदय यह स्पष्ट आश्वासन कैसे दे रहे हैं ? जब कि एक तरफ तो इन्होंने कहा कि कोयला और सीमेन्ट पूरा नहीं मिलने की वजह से देरी हो रही है तो दूसरी तरफ अब आप यह आश्वासन कैसे दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : हां ठीक है, आधार क्या है यह जानना चाहते हैं आप।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान नहर मन्त्रीजी से आपके माध्यम से राजस्थान नहर के निर्माण में देरी होने के लिये एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। एक तरफ तो इन्होंने अपने उत्तर में बताया कि देरी के यह कारण थे, दूसरी तरफ इन्होंने यह भी बताया कि अब देरी नहीं होगी। मेरा प्रश्न यह है कि गत समय में जो राजस्थान नहर के निर्माण में देरी हुई, वह न हो, इसके लिए क्या उपाय किये जा सकते हैं इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार के मन्त्रिमण्डल ने राजस्थान नहर के क्षेत्र का

(श्री भैरूंसिह गुर्जर)
दौरा किया था या नहीं ? यदि हां, तो क्यों किया गया ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री भैरूंसिह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, यह खेतसिंहजी डिस्टर्ब कर रहे हैं। मन्त्रि-मण्डल ने जो दौरा किया और जो निर्णय राजस्थान नहर को पूरा करने के लिये लिया, क्या उस वक्त तत्कालीन राजस्थान नहर राज्य मन्त्री उस दौरे में शामिल नहीं थे ? यदि नहीं थे तो क्या उनकी सहमति और मौजूदगी के बिना मन्त्रिमण्डल निर्णय लेने में सक्षम था ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। आप उत्तर दीजिए।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी माननीय सदस्य ने पूछा, क्या राजस्थान सरकार के मंत्रिमण्डल ने दौरा किया था। यह तो सभी जानते है कि राज्य मंत्रिमण्डल ने दौरा किया था। और यह भी जानते हैं कि वहां मन्त्रिमण्डल ने कोई निर्णय लिया था। इस प्रश्न के उत्तर में जो मैंने बताया है उससे ज्यादा प्रश्नकाल में नहीं बताया जा सकता है। लेकिन मैं इतना ही बता सकता हूं कि राजस्थान नहर की जो मैन चैनल है उसको व उसकी जो कच्ची और पक्की डिस्ट्रिब्यूट्रीज हैं उनको कच्चा व पक्का 1985 के मार्च तक पूरा बना दिया जायेगा। अब इसमें राजस्थान नहर के भूतपूर्व राज्य मन्त्रीजी मौजूद थे या नहीं थे, अध्यक्ष महोदय, इतनी बात जरूर है कि मैंने उनको जैसलमेर में देखा था। इसका मतलब यह हुआ कि वह आधी दूर तक थे और आधी दूर तक नहीं थे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री भैरूंसिह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन राज्य मंत्री की गैर मौजूदगी में क्या मन्त्रिमण्डल निर्णय ले सकता था ?

श्री अध्यक्ष : यह तो सामुहिक दायित्व होता है।

श्री भैरूंसिह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, बिना राजस्थान नहर के राज्य मन्त्री जी के...

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, यह तो जबाव देने मैं खड़ा नहीं हुआ हूं कि बिना उनके मन्त्रिमण्डल निर्णय ले सकता है कि नहीं, पर जो स्थिति थी वह मैंने बतायी है।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से प्रश्न पूछना चाहता हूं। जैसा मन्त्री महोदय ने बताया, राजस्थान नहर के निर्माण का कार्य सन् 58 में शुरू हुआ था और इसमें 62 करोड़ रुपये खर्च होने थे। अब तक उसमें 332 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं पर अभी तक वह पूरी नहीं हुई। तो क्या यह सही है, जैसा आपने बताया इसमें, कोयला और धन की कमी होने के कारण यह कार्य समय पर पूरा नहीं हो सका ? अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी के अनुसार यह काम 62 करोड़ रुपये में पूरा हो जाना चाहिये था।

(श्री रामसिंह विश्नोई)
जब आपके पास इतना धन आ गया और 332 करोड़ रुपये उसमें खर्च हो गये तो आपके पहले प्रोग्राम के अनुसार तो आज से दस साल पहले ही नहर पूरी हो जानी चाहिये, वह क्यों नहीं हो सकी ? राजस्थान की जनता उस पानी का उपयोग नहीं कर सकी। आपकी अक्षमता के कारण यह नहर समय पर पूरी नहीं हो सकने के कारण आज भी उसका पानी पंजाब ले रहा है और इसी कारण पंजाब और ज्यादा पानी मांग रहा है, तो आप अपनी इस अयोग्यता को कितने वर्षों तक साबित करते रहेंगे ?

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का मैं जवाब दे देता हूं। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैंने अपने जवाब में बताया कि सन् 58 में इस नहर को बनाने के लिये तखमीना बनाया गया था। उस तखमीने में इसका वर्षाकालीन उपयोग करने का प्रावधान था।

श्री रामसिंह विश्नोई : यह गलत बात है। आप सदन को गुमराह मत कीजिये।

श्री चन्दनमल बैद : मैं कोई गुमराह नहीं कर रहा हूं।

श्री दीपेन्द्रसिंह : आप डांटिये मत।

श्री चन्दनमल बैद : मैं डांट नहीं रहा हूं। मेरी तेज बोलने की आदत है। मैं इनको गुमराह नहीं कर रहा हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार इस नहर के तखमीने बने। पहले तो वर्षाकालीन की बात थी। फिर उसके बाद में दूसरे तखमीने बने और जो सिंचाई के रकबे थे वह भी बढ़ते गये। इसके बाद में लिफ्ट इरिगेशन की भी योजना बनी। इस तरह 24 वर्षों तक जो काम होता रहा उसमें कई प्रकार के तखमीने बने, तो शुरू में और बाद में जो तखमीने बने उनमें फर्क तो होगा ही।

श्री अध्यक्ष : हां, उस वक्त जीप भी आठ हजार में आती थी।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, समय पर माल नहीं मिला और काम नहीं हुआ उसके बारे में ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 69, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, को आप स्थगित करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, इस तरह आप इस प्रश्न को नहीं उठा सकते हैं। यह स्थगित नहीं किया जा सकता है। आप किसी अन्य तरीके से इस प्रश्न को उठावें। या तो आप आधे घंटे की चर्चा के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से इसके बारे में सदन में विचार कर सकते हैं।

श्री सुनील विश्नोई (सूरतगढ़): अध्यक्ष महोदय, चूंकि वह प्रश्न मेरे क्षेत्र से संबंधित है इसलिये मुझे इसके लिये एक पूरक प्रश्न पूछने की इजाजत दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। आर्डर, आर्डर!

श्री सुनील विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र का मसला है और अहम् मसला है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ! माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। आसन पैरों पर है

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्थान नहर हेतु वित्तीय साधन

37. श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : क्या राजस्थान नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या राज्य सरकार के पास राजस्थान नहर को पूरा करने के लिए पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध हैं ?

(2) यदि नहीं, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ? कृपया पूर्ण ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

लूणकरणसर लिफ्ट नहर पर व्यय राशि

38. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या राजस्थान नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) लूणकरणसर लिफ्ट नहर में सन् 1981 व 1982 में नहर की मिट्टी निकालने व सफाई पर कितनी राशि व्यय की गई ? कृपया प्रत्येक शाखा, वितरिका व माइनर की डिवीजनवार व्यय सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्य के लिए लिफ्ट नहर की प्रत्येक प्रणाली पर अलग-अलग कार्यवार मजदूरों की संख्या कितनी-कितनी रही ?

उत्तर

(1) लूणकरणसर लिफ्ट नहर में सन् 1981 व 82 में नहर की मिट्टी निकालने व सफाई पर प्रत्येक शाखा, वितरिका एवं माइनर की डिवीजनवार व्यय सूची परिशिष्ट "अ" के अनुसार संलग्न है।

(2) उक्त कार्य के लिए लिफ्ट नहर की प्रत्येक प्रणाली पर अलग अलग कार्यवार मजदूरों की संख्या परिशिष्ट "ब" के अनुसार संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

उपनिवेशन तहसील कोलायत में पटवारियों के मुख्यालय

39. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि नियमानुसार पटवारियों का मुख्यालय पटवार हल्के में ही होना चाहिये ? यदि हां, तो उपनिवेशन तहसील कोलायत नं. 1 से 4 व नाचना नं. 1 व 2 बीकानेर के पटवारियों का मुख्यालय तहसील मुख्यालय पर क्यों है ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य कर्मचारी अपने मुख्यालय से बाहर कार्यालय

(श्री देवीसिंह भाटी)

कार्य से जाता है, तो उसे दैनिक भत्ता दिया जाता है ? यदि हां, तो उस उपनिवेशन तहसील के पटवारियों को मुख्यालयों से बाहर हल्के में जाने पर दैनिक भत्ता नही देने का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान लैण्ड रिकार्ड रूल्स 1957 के अध्याय दो के नियम 4 (क) के अनुसार प्रत्येक पटवार हल्के में पटवारी की नियुक्ति की जाती है व नियम 12 के अनुसार पटवारी को हल्के में रहना आवश्यक है। उपरोक्त प्रक्रिया राजस्व विभाग में है।

उपनिवेशन विभाग में 23 उपनिवेशन तहसीलों में से 8 उपनिवेशन तहसीलें क्रमशः कोलायत नं. 1 से 4 व नाचना नं. 1 व 2 तथा मोहनगढ़ नं. 1 व 2 के अलावा शेष सभी तहसीलों के पटवारियों के मुख्यावास हल्कों में हैं। इसके अनुसार बीकानेर तहसील के पटवारियों को मुख्यालय उनके हल्कों में ही है।-जिन तहसीलों का मुख्यावास तहसीलों में रखा गया है इसका मुख्य कारण यह है कि उपनिवेशन विभाग के पटवारियों की कार्यविधि एवं राजस्व पटवारियों की कार्यविधि में काफी अन्तर है। उपनिवेशन तहसीलों की प्रथम स्थापना के बाद पटवारियों को निम्न कार्य प्रारम्भिक स्थिति में सम्पन्न करने आवश्यक हैं, जो मुख्यालय पर तहसीलदार के निरीक्षण में ही सुचारु रूप से सम्पादित किये जा सकते हैं :-

(1) सर्वे कार्य व सर्वे खसरों का लेखन।

(2) राजस्व विभाग से उपनिवेशन क्षेत्र संबंधी भू-अभिलेख प्राप्त कर उनकी नकलात तैयार करना।

(3) रकबा बरारी व मिलान क्षेत्रफल पर्चा खतौनी का लेखन

(4) सिचाई विभाग से चक प्लान प्राप्त होने पर खसरेजात की मुरब्बेवार, किलेवार फिटिंग की तैयारी करना।

इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि उपनिवेशन क्षेत्र में प्रारम्भिक अवस्था में पुराने आबाद गांव की न्यून संख्या होने के कारण, अधिकांश क्षेत्र गैर आबाद होने से पटवारियों को हल्के में पदस्थापित यदि किया जाता है तो आवास की भी कोई सुविधा उन्हें काफी समय तक उपलब्ध हो सकने की कोई संभावना नहीं होती। वर्तमान परिस्थितियों में उपनिवेशन तहसील कोलायत नं. 1 से 4 व नाचना नं. 1 व 2 में पटवारियों का मुख्यावास तहसील मुख्यालय पर ही है। चूंकि अभी चक प्लान प्राप्त हो रहे हैं और रिकार्ड तैयार किया जा रहा है। जब इस क्षेत्र में भूमि आवंटन कार्य प्रारम्भ हो जावेगा तथा आवंटन प्रक्रिया के अन्तर्गत वसूली आदि का कार्य शुरू हो जायेगा अन्य तहसीलों की भांति इनका मुख्यालय पटवार हल्कों में कर दिया जावेगा।

(2) जी हां। जिन पटवारियों का मुख्यालय उनके हलकों में है उन्हें तहसील मुख्यालय पर राज्य कार्य हेतु यात्रा करने पर यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता देय है। जिन पटवारियों का मुख्यालय तहसीलें हैं एवं उनके हल्के बंधे हुए हैं उन्हें मुख्यालयों से

(उपनिवेशन मंत्री)

हल्कों तक जाने का यात्रा भत्ता एवं प्रासंगिक व्यय तो अनुज्ञेय है एवं दिया जाता रहा है। लेकिन यात्रा भत्ता नियमों के नियम 15 (1) के अनुसार ऐसे पटवारियों को हल्के में सड़क द्वारा यात्रा करने का एवं यात्रा भत्ता एवं हल्के में ठहरने का दैनिक भता अनुज्ञेय नहीं है। पटवारियों को उनके हल्कों में दैनिक भत्ते देने हेतु वर्तमान नियमों में प्रावधान नहीं है।

पन बिजली घरों का निर्माण

40. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) एवं

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल छोटे पन बिजली घर बनाने का विचार कर रहा है? यदि हां, तो कहां-कहां किन-किन नदियों व बांधों पर ?

(2) इन पन बिजली घरों से कितनी-कितनी बिजली पैदा हो सकेगी ?

(3) क्या इन पन बिजली घरों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां हो चुकी हैं, तथा क्या योजना आयोग ने भी इनकी मंजूरी दे दी है ?

उत्तर

(1) जी हां। वांछित सूचना दर्शाते हुए सूची "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) प्रत्येक योजना की प्रस्तावित क्षमता उक्त सूची में योजना के नाम के आगे दर्शा दी गई है।

(3) इन योजनाओं में से केवल अनूपगढ़ पन-बिजली योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हो चुकी है तथा इसे योजना आयोग द्वारा भी स्वीकृत किया जा चुका है। शेष सभी योजनाओं की न तो योजना आयोग से अभी मंजूरी प्राप्त हुई है और न ही इनकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां दी गई हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

बाड़मेर जिले की क्षेत्रीय जल योजना

41. श्री अमीन खां (शिव) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले के ग्राम खानीयानी से क्षेत्रीय नल योजना से 29 गांवों को पानी पहुंचाना है और वहां पर 11 के. वी. की लाइन है, जिससे 80 एच. पी. कनेक्शन दिया जाएगा ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या इसी जिले के बुठिया ग्राम में मोटर पम्प चलाने के लिए 50 एच.पी. कनेक्शन दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) विद्युत मण्डल को इस योजना की जानकारी नहीं है। सहायक अभियन्ता पी. एच. ई. डी. ने ग्राम खानयानी में निम्न विद्युत कनेक्शन हेतु, दिनांक

(ऊर्जा मंत्री)

20–1–1983 को, आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये हैं।

क्र.सं.	कुए का नाम	विद्युत् मांग
1.	टी. नं. 2	15 एच.पी.
3.	टी. नं. 3	15 एच.पी.
3.	बूस्टर	15 एच.पी.

इन आवेदनों पर एस्टीमेट बनाने की कार्यवाही की जा रही है। एस्टीमेट की राशि जमा कराये जाने के बाद ही कनेक्शन दिये जा सकेंगे।

(2) ग्राम बुठिया के पेयजल व्यवस्था हेतु विद्युत् कनेक्शन के लिए विद्युत् मण्डल के संबंधित सहायक अभियन्ता के कार्यालय में अभी कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ। अतः प्रश्न ही नहीं उठता।

सांगोद क्षेत्र का विद्युतन

42. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद): क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या नगरपालिका, सांगोद एवं पंचायत समिति, सांगोद द्वारा इस क्षेत्र के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मोहल्ले एवं कस्बों में बिजली लगाने हेतु विभाग को लिखा गया है?

(2) यदि हां, तो किस-किस कस्बों के मोहल्ले के लिए व कब-कब लिखा गया और उसमें क्या प्रगति है तथा वहां कब तक बिजली पहुंचा दी जावेगी?

उत्तर

(1) जी नहीं। नगरपालिका, सांगोद एवं पंचायत समिति, सांगोद की ओर से ऐसे कोई आवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि कुछ ग्राम पंचायतों द्वारा उनके कुछ ग्रामों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मोहल्लों में विद्युत् प्रदान करने के लिए आवेदन अवश्य प्राप्त हुए हैं।

(2) सरपंच ग्राम पंचायत हींगी द्वारा हींगी ग्राम के मोहल्लों में, सरपंच मण्डाप द्वारा ग्राम मण्डाप के एवं अतरालिया के मोहल्लों में तथा सरपंच बोरीना कलां द्वारा विजयपुर व गुरायता को बिजली देने के लिए आवेदन किया गया है। उसमें से ग्राम हींगी के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मोहल्लों में विद्युत प्रदान कर दी गई है तथा ग्राम मण्डाप व अतरालिया के अनुसूचित जाति व जनजाति के मोहल्लों में विद्युत् प्रदान करने की स्वीकृति दे दी गई है, जहां कार्य शीघ्र ही सामान की उपलब्धि के अनुसार चालू कर दिया जावेगा। ग्राम बोरीना कलां के विजयपुर व गुरायता के अनुसूचित जाति व जनजाति के मोहल्लों में बिजली देने हेतु प्राक्कलन बनाने की नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है, जिसके प्राप्त होने पर ही स्वीकृति एवं बिजली लगाने की कार्यवाही की जा सकेगी, जिसके विषय में अभी निश्चित रूप से कुछ कहना सम्भव नहीं है।

मांगरोल नगरपालिका क्षेत्र का विद्युतन

43. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मांगरोल नगरपालिका के मोहल्ले भगवानपुरा, भैरु-पुरा, छतरियां, अमरपुरा, टोड़ी, सहराना व हरिजन वस्ती में अभी भी विद्युत् नहीं है?

(श्री हीरालाल आर्य)

(2) यदि हां, तो सरकार की उक्त मोहल्लों में विद्युत् पहुंचाने की क्या योजना है ?

(3) उक्त मोहल्लों में विद्युत् कब तक पहुंचा दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां ! नगरपालिका मांगरोल के इन मोहल्लों में अभी रोड लाइट की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।

(2) नगरपालिका मांगरोल द्वारा वांछित/निर्धारित प्रपत्र में अभी तक विद्युत् मण्डल के सम्बन्धित कार्यालय में कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। नगरपालिका से आवेदन पत्र प्राप्त होने पर ही अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

(3) आवेदन पत्र की प्राप्ति के अभाव में अभी इस विषय में निश्चित रूप से कुछ कहना सम्भव नहीं है।

राजस्थान नेहर की बरसलपुर शाखा का विद्युतन

44. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान नहर की बरसलपुर शाखा पर किस आर. डी. तक विद्युतीकरण पूर्ण कर दिया गया है ?

(2) बरसलपुर शाखा में किस छोर तक विद्युतीकरण करना प्रस्तावित है तथा आखिरी छोर पर कब तक पूर्ण विद्युतीकरण कर दिया जायेगा ?

(3) राजस्थान नहर विभाग ने ऊर्जा विभाग को किस-किस तिथि को कितनी-कितनी राशि बरसलपुर शाखा पर विद्युतीकरण कराने हेतु जमा करवाई है ? क्या शाखा की आखिरी छोर तक विद्युतीकरण कराने हेतु नहर विभाग द्वारा ऊर्जा विभाग को पूरी राशि जमा करवा दी गई है ?

उत्तर

(1) राजस्थान नहर की बरसलपुर शाखा पर आर. डी–0 से 115 आर. डी. तक 11 के वी. लाइन खींची जाकर निम्न उप केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है:–

अ.	859 आर.डी. (राज. मु. नहर) 0 आर. डी.	1×1000 के वी ए, 33/11 के वी
ब.	0 आर. डी.	1×25 केवीए, 11/4 केवी 1×63 केवीए, 11/4 केवी
स.	68 आर डी.	1×63 केवीए, 11/4 केवी
द.	95 आर. डी.	1×63 केवीए, 11/4 केवी
य.	115 आर. डी.	1×100 केवीए, 11/4 केवी

(2) बरसलपुर शाखा पर आर. डी. 0 से 115 आर. डी. तक जो कार्य करने के लिये धनराशि विद्युत् मण्डल के पास जमा कराई थी वे कार्य नहर विभाग की आवश्यकता के अनुसार पूर्ण कर दिये गये हैं। कनेक्शन लेने की उनके द्वारा आवश्यकता बताये जाने पर उस स्थान पर उप केन्द्र स्थापित कर कनेक्शन दे दिया जाता है।

(ऊर्जा मंत्री)

(3) राजस्थान नहर परियोजना ने विद्युत मण्डल को वरसलपुर शाखा पर विद्युतीकरण कराने हेतु दिनांक 30-1-79 को 12 लाख 66 हजार रुपये जमा करवाये हैं। शाखा के आखिरी छोर तक और क्या कार्य करवाया जाना आवश्यक है इसकी जानकारी विद्युत मण्डल को नहीं है।

उच्च माध्यमिक विद्यालय, मारवाड़ जंक्शन

46. श्री भैरुसिंह गुर्जर (खारची): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मारवाड़ जंक्शन (पाली) का विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय के रूप में कब क्रमोन्नत हुआ?

(2) इस उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक सहित व्याख्याताओं के पदों पर किन्हें नियुक्त या स्थानान्तरित किया गया?

(3) उक्त विद्यालय में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न व्याख्याताओं के पद पर किन-किन के स्थानान्तरण आदेश हुए एवं निचले स्तर पर क्या सही रूप में इन आदेशों की पालना की गई? यदि नहीं तो, ऐसे क्या कारण थे कि राज्य सरकार के आदेशों की पालना नहीं की गई?

(4) सरकार के आदेशों की पालना नहीं करने पर सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

उत्तर

(1) मारवाड़ जंक्शन (पाली) का विद्यालय उ. मा. वि. के रूप में राज्य सरकार के आदेश सं. पं 13(9) शिक्षा/ग्रुप 1/82 दिनांक 1-10-82 द्वारा क्रमोन्नत किया गया।

(2) प्र. अ. सहित निम्नलिखित व्यक्तियों को इस विद्यालय में माह जनवरी, 83 में नियुक्त/स्थानान्तरित किया गया है:—

प्रधानाध्यापक

1. श्री मोहनलाल पुरोहित

व्याख्याता	विषय
1. श्री भैरूपुरी गोस्वामी	हिन्दी
2. श्री देवाराम	अंग्रेजी
3. श्री धर्मपाल शर्मा	ना. शा.
4. श्री खेताराम जोशी	भूगोल
5. श्री भवानी सिंह	वाणिज्य
6. श्री सोहनलाल त्रिवेदी	वाणिज्य
7. श्री पूर्णाराम	वाणिज्य
8. श्री हेमेन्द्र कुमार देवड़ा	गणित
9. श्री शंकरलाल	जी. विज्ञान
10. श्री कमलेश व्यास	भौ. शास्त्र

(3) निम्नलिखित व्याख्याताओं को इस विद्यालय में, पदस्थापन के आदेश क्रमांक एफ. 9(9) शिक्षा—2/83 दिनांक 27-1-83 राज्य सरकार द्वारा प्रसारित किये गये थे,

1. श्री खेताराम जोशी
2. श्री फूटरमल जोशी
3. श्री मोटाराम गूजर
4. श्री सत्यनारायण जोशी

इनमें से क्र. 1 की पालना की जा चुकी है। क्रम संख्या 2 पर अंकित श्री फूटरमल चौधरी का चयन विद्यालय अवर निरीक्षक के पद पर हो जाने से उनकी स्वयं की

28

(शिक्षा मंत्री)

प्रार्थना पर ही उन्हें पार्ला में पदस्थापित कर दिया गया है। क्र. सं. 3 व 4 की पालना वहां उनके विषय के पद रिक्त न होने के कारण नहीं की जा सकी।

(4) स्थानान्तरण/पदस्थापन रिक्त स्थान होने की स्थिति में ही करने के लिए स्पष्ट निर्देश दिनांक 27-1-83 को दिये गये थे और रिक्त स्थान उपलब्ध न होने की स्थिति में जो स्थानान्तरण/पदस्थापन नहीं किये जा सके, उसके लिए किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

गृह निर्माण सहकारी समितियों में प्रशासक की नियुक्ति

47. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही कि सहकारी विभाग ने कुछ गृह निर्माण सहकारी समितियों को अपने नियंत्रण में लेकर प्रशासक नियुक्त किये हैं तथा कुछ गृह निर्माण सहकारी समितियों को नियन्त्रण से बाहर रखा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) जयपुर में कुल कितनी गृह निर्माण सहकारी समितियां पंजीकृत हैं उनके अधीन भूमि का क्षेत्रफल व पदाधिकारियों की सूची दर्शाते हुए सूचना सदन की मेज पर रखें।

(3) जिन गृह निर्माण सहकारी समितियों में प्रशासक नियुक्त किए गए हैं उनके अधीन भूमि प्रशासक का नाम और समिति का नाम दर्शाते हुए सूचना सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ऐसी गृह निर्माण सहकारी समितियां, जिनके पास कृषि भूमि है और जिन्होंने वांछित सूचनायें उपलब्ध नहीं कराई हैं, पर प्रशासक नियुक्त किये गये हैं। जिन समितियों ने कोर्ट से स्थगन आदेश प्राप्त किये हुए हैं या पूर्वतः ही प्रशासक नियुक्त थे, उन पर प्रशासक नियुक्त करने की कार्यवाही नहीं की गई।

(2) जयपुर शहर में पंजीकृत समितियों की सूचना संलग्न है।

(3) वांछित सूचना भाग (2) के उत्तर में सम्मिलित है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

जालौर जिले में को-आपरेटिव सोसायटीज में मैनेजरों के स्थानान्तरण

48. श्री कनकराज मेहता (सांचौर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जालौर जिले में वर्ष 1982-83 में मैनेजर कोआपरेटिव सोसायटीज के कितने स्थानान्तरण हुए हैं ? कृपया सूची मय स्थानान्तरण आदेशों के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि स्थानान्तरणों को निरस्तीकरण के बाद भी पुनः स्थानान्तरण हुए हैं ? यदि हां, तो किन-किन के ?

(3) क्या यह भी सही है कि कुछ मैनेजरों के महीने में तीन-तीन बार स्थानान्तरण आदेश जारी किए गए हैं, यदि हां,

(श्री कनकराज मेहता)

तो क्यों ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जालौर जिले में वर्ष 1982-83 में मैनेजर, कोग्रापरेटिव सोसायटीज के 37 व्यवस्थापकों के स्थानान्तरण किये गये हैं। सूची एवं स्थानान्तरण आदेशों की प्रतियां संलग्न है।

(2) जी हां। ऐसे निम्नलिखित व्यवस्थापक हैं :–

1. श्री देवेन्द्रसिंह
2. श्री खुशालसिंह

(3) जी नहीं।

(सूची व आदेशों के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ का आडिट

49. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., अजमेर का पिछले कई सालों से अभी तक आडिट नहीं हुआ है ?

(2) यदि नहीं, तो अभी तक आडिट नहीं कराने के क्या कारण हैं, कौन उसके लिये उत्तरदायी है और कब तक आडिट करा लिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, वर्ष 76-77 के पश्चात् समवर्ती अंकेक्षण चालू है परन्तु अंतिम रिपोर्ट नहीं बन सकी है।

(2) संघ के कुछ लेखे एवं संतुलन चित्र तैयार न होने के कारण आडिट पूर्ण नहीं हो सका है जिसके लिये संघ का मैनेजमेंट जिम्मेदार है। अंतिम लेख मिलते ही आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत हो जावेगी।

सिन्धी गृह निर्माण समिति, अजमेर

50. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि अजमेर सिंधी गृह निर्माण समिति, अजमेर के पिछले चुनाव की कालावधि समाप्त हो जाने के बाद अभी तक चुनाव नहीं हुये हैं ? यदि हां, तो इसके पिछले चुनाव कब हुए थे और उसमें कौन-कौन पदाधिकारी चुने गये और क्या वे ही पदाधिकारी अभी तक कार्यरत हैं या उसमें कोई परिवर्तन हुए हैं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इस समिति के वर्ष 1978–79 के आडिट होने पर 4,624.00 रुपये का अनियमित तथा अवैध खर्च एवं गबन होना पाया गया ?

(3) क्या यह भी सही है कि वह आडिट रिपोर्ट सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, अजमेर एवं रीजनल आडिटर सहकारी समितियां, अजमेर को प्रस्तुत कर

(श्री कैलाश मेघवाल)
दी गई ? यदि हां, तो वह कब प्रस्तुत की गई और उन पर अभी तक क्या कार्यवाही हुई है ?

उत्तर

(1) जी हां। गत चुनाव दिनांक 21-2-79 को हुए थे, जिसमें निम्न पदाधिकारी चुने गये थे :—

1.	श्री चन्दीराम	अध्यक्ष
2.	श्री रामचन्द्र ग्रासूदानी	उपाध्यक्ष
3.	श्री भगवानदास	मंत्री
4.	श्री किशोर परियानी	संयुक्त मंत्री
5.	श्री मगनदास	कोषाध्यक्ष
6.	श्री थावरदास	सदस्य
7.	श्रीमती जेठी बाई	,,
8.	श्री कीमत राय	,,
9.	श्री दयाराम	,,
10.	श्री पोहूमल	,,
11.	श्री टोपनदास	,,

उपरोक्त में से श्रीमती जेठी बाई के स्थान पर श्री उधोदास व श्री पोहूमल के स्थान पर श्री कोडामल पदाधिकारी सहवरण किये गये हैं।

(2) जी हां। वर्ष 78-79 की ग्राडिट रिपोर्ट में 4626.40 पैसे के अनियमित एवं प्रबंध खर्चे एवं गबन का उल्लेख किया गया है।

(3) जी हां। यह रिपोर्ट रीजनल ग्राडिट कार्यालय में व सहायक रजिस्ट्रार, अजमेर के कार्यालय में जनवरी, 83 में प्राप्त हुई है। मामला राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 74 के अन्तर्गत जांच अधिकारी नियुक्त किया जाकर जांच रिपोर्ट प्राप्ति हेतु निर्देश दे दिये हैं।

अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की बकाया की वसूली

51. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. अजमेर की ओर से दिनांक 30-6-82 तक संघ के किस किस वर्तमान एवं भूतपूर्व अधिकारी, कर्मचारी, कान्ट्रेक्टर, बूथ होल्डर आदि में संघ की कितनी कितनी रकम किस किस रूप में कब कब से बाकी थी ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बकीयात को वसूल करने के लिये क्या क्या कदम अब तक उठाये गये हैं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" में अंकित है।

(2) विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" में अंकित है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

विवेक गृह निर्माण सहकारी समिति, अजमेर

52. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि विवेक गृह निर्माण सहकारी समिति, अजमेर के पिछले

(श्री कैलाश मेघवाल)
चुनाव की कालावधि समाप्त हो जाने के बाद अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं ? यदि हां, तो इसके पिछले चुनाव कब हुए थे और उसमें कौन कौन पदाधिकारी चुने गये और क्या वे ही पदाधिकारी अभी तक कार्यरत हैं या उसमें कोई परिवर्तन हुए हैं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इस समिति के वर्ष 1978-79 के ऑडिट होने पर रुपये 1,682.80 का अनियमित तथा अवैध खर्च एवं गबन होना पाया गया ?

(3) क्या यह भी सही है कि वह आडिट रिपोर्ट सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, अजमेर एवं रीजनल आडिटर सहकारी समितियां, अजमेर को प्रस्तुत कर दी गई ? यदि हां, तो कब और उस पर अभी तक क्या कार्यवाही हुई है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। गत चुनाव दिनांक 28-6-81 को हुए थे जिसमें निम्न पदाधिकारी चुने गये थे :–

1.	श्रीमती कुसम शर्मा	अध्यक्ष
2.	श्री मेहरचन्द	उपाध्यक्ष
3.	श्री प्रकाशचन्द्र शर्मा	मंत्री
4.	श्री विशम्भर दयाल जैन	कोषाध्यक्ष
5.	श्री सत्यनारायण गुप्ता	सदस्य

(2) जी हां। वे ही पदाधिकारी अभी तक कार्यरत हैं। उसमें कोई परिवर्तन अभी तक नहीं हुए हैं।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। सहायक रजिस्ट्रार अजमेर के कार्यालय में दिनांक 29-2-80 को व क्षेत्रीय अंकेक्षक के कार्यालय में दिनांक 29-2-80 को प्रस्तुत की गई थी। उस पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

झूलेलाल गृह निर्माण सहकारी समिति, अजमेर

53. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि झूलेलाल गृह निर्माण सहकारी समिति, अजमेर के पिछले चुनाव की कालावधि समाप्त हो जाने के बाद अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं ? यदि हां, तो इसके पिछले चुनाव कब हुए थे और उसमें कौन कौन पदाधिकारी चुनें गये और क्या वे ही पदाधिकारी अभी तक कार्यरत हैं, या उसमें कोई परिवर्तन हुए हैं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इस समिति के वर्ष 1978-79 के आडिट होने पर रेकार्ड के फर्जी इन्द्राज बाबत अनियमित तथा अवैध खर्च एवं गबन होना पाया गया ?

(3) क्या यह भी सही है कि वह ऑडिट रिपोर्ट सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, अजमेर एवं रीजनल ऑडिटर सहकारी समितियां, अजमेर को प्रस्तुत कर दी गई ? यदि हां, तो वह कब प्रस्तुत की गई और उस पर अभी तक क्या कार्यवाही हुई ?

उत्तर

(1) जी नहीं। समिति के पिछले चुनाव जो दिनांक 23-6-81 को हुए थे उसमें निम्न चुने गये:—

1.	श्री बच्चूमल	अध्यक्ष
2.	श्री बूलचन्द	उपाध्यक्ष
3.	श्री ठाकुरदास	मंत्री
4.	श्री नानकराम	कोषाध्यक्ष
5.	श्री चन्दुलाल	सदस्य
6.	श्री दत्ताराम	"
7.	श्री प्रकाश	"
8.	श्री भगवानदास	"

(2) अभी तक उपरोक्त संचालक मण्डल कार्यरत है।

जी नहीं।

(3) जी हां। सहायक रजिस्ट्रार कार्यालय में दिनांक 15-1-80 को व क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी के कार्यालय में दिनांक 29-12-79 को प्रस्तुत की गई।

पार्श्वनाथ गृह निर्माण सहकारी समिति, अजमेर

54. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि पार्श्वनाथ गृह निर्माण सहकारी समिति लि., अजमेर के पिछले चुनाव की कालावधि समाप्त हो जाने के बाद अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं ? यदि हां, तो इसके पिछले चुनाव कब हुए थे और उनमें कौन-कौन पदाधिकारी चुने गये और क्या वे ही पदाधिकारी अभी तक कार्यरत हैं, या उनमें कोई परिवर्तन हुए हैं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इस समिति के वर्ष 1978-79 के ऑडिट होने पर 57,777/- रुपये का अनियमित तथा अवैध खर्च एवं गबन होना पाया गया ?

(3) क्या यह भी सही है कि वह आडिट रिपोर्ट सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, अजमेर एवं रीजनल आडिट आफिसर सहकारी समितियां, अजमेर को प्रस्तुत कर दी गई ? यदि हां, तो कब प्रस्तुत की गई, और उस पर अभी तक क्या कार्यवाही हुई है ?

उत्तर

(1) जी हां। कालावधि दिनांक 13-12-82 को समाप्त हो चुकी है। गत चुनाव दिनांक 14-12-79 को हुए थे। उसमें निम्न पदाधिकारी चुने गये थे :–

1.	श्री विजय कुमार सोगानी	अध्यक्ष
2.	श्री पदम कुमार जैन	उपाध्यक्ष
3.	श्री प्रीतम कुमार पटोदी	सचिव
4.	श्री प्रेमचन्द कासलीवाल	कोषाध्यक्ष
5.	श्री हेमराज बड़जात्या	सदस्य
6.	श्री स्वरूप चन्द पाटनी	"
7.	श्री सुभाष चन्द्र जैन	"

जी हां। प्रबन्ध समिति में एक रिक्त स्थान, जिसका चुनाव नहीं हुआ था, पर श्री पारस कुमार जैन का प्रबन्ध समिति में सहवरण किया गया।

(सहकारिता मंत्री)

(2) जी हां। संस्था की आडिट रिपोर्ट वर्ष 78-79 में 50000/- रु. की राशि चैक द्वारा भुगतान किये जाने की विधिवत रसीद न होने व 7777/- रुपये देर से जमा कराने के कारण गबन बताया है।

(3) जी हां, आडिट रिपोर्ट सहायक रजिस्ट्रार, अजमेर के कार्यालय में दिनांक 31-12-79 को व रीजनल आडिट आफिसर कोटा के कार्यालय में दिनांक 14-1-80 को प्राप्त हुई। सहायक रजिस्ट्रार ने तुरंत 25-1-80 को राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 74 के अन्तर्गत आरम्भ कर आचरण की जांच हेतु जांच अधिकारी नियुक्त किया। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर पाया गया कि 50 हजार रु. की राशि का गबन न होकर केवल विधिवत रसीद प्राप्त नहीं की गई। तत्कालीन खजांची द्वारा भी 7168/- रु. जमा कराये जा चुके हैं। सुनवाई का मौका देकर अन्तिम निर्णय लेना शेष है।

क्रय-विक्रय सहकारी समिति, दौसा का ऑडिट

55. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या दौसा क्रय-विक्रय सहकारी समिति का वर्ष 1978-79 व 1979-80 का ऑडिट हुआ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

(2) दौसा क्रय-विक्रय सहकारी समिति के व्यवस्थापक को किन-किन परिस्थितियों में कब-कब, किन-किन अधिकारियों द्वारा निलम्बित तथा बहाल किया गया?

(3) क्या उक्त अधिकारी के विरुद्ध जुलाई, 1980 में कोई जांच हुई थी? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या उक्त अधिकारी के विरुद्ध अब भी कोई विस्तृत जांच चल रही है? यदि हां, तो कब से तथा किस अधिकारी द्वारा?

उत्तर

(1) यह सही है कि दौसा क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., दौसा का वर्ष 78-79 का ऑडिट हो चुका है किंतु लेखों में असंगतियों के कारण ऑडिट रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। ऑडिट वर्ष 79-80 का अभी चल रहा है।

(2) सूचना संलग्न परिशिष्ट "अ" में अंकित है।

(3) जी हां। जांच रिपोर्ट के आधार पर श्री ढाबरिया के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई जिसमें श्री ढाबरिया को आरोप प्रमाणित नहीं होने के कारण दोष मुक्त कर दिया गया।

(4) जी नहीं। वर्तमान में उक्त अधिकारी के विरुद्ध अब भी कोई विस्तृत जांच नहीं चल रही है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

सांगानेर व चाकसू तहसीलों की सहकारी समितियां

56. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) सांगानेर व चाकसू तहसीलों में कौन-कौन सी पंचायतों के लिए कौन-कौनसी सहकारी समितियां कब-कब से बनी हुई हैं और वे क्या-क्या कार्य करती हैं ?

(2) उक्त समितियों में प्रत्येक के अन्तिम बार चुनाव कब-कब हुए ? उनमें से कौन-कौन से चुनाव विवादग्रस्त रहे और विवाद क्या था ? कृपया समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें। यह भी बतावें कि किस समिति का प्रकरण कहां चल रहा है और उसकी वर्तमान में क्या स्टेज है ?

उत्तर

(1) तहसील सांगानेर व चाकसू में जो समितियां बनी हुई हैं उनकी सूची संलग्न है। वांछित सूचना परिशिष्ट "अ" कोलम संख्या 1 से 5 तक में अंकित है।

(2) समितियों में जो चुनाव हुए व जिनमें विवाद हैं उनकी सूची-पत्र के साथ संलग्न "अ" के कालम 6 से 8 तक अंकित है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

क्रय-विक्रय सहकारी समिति, दौसा के व्यवस्थापक का निलम्बन

57. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि क्रय-विक्रय सहकारी समिति, दौसा के व्यवस्थापक श्री ढाबरिया को माह जुलाई, 1981 में तत्कालीन प्रशासक एवं सहायक रजिस्ट्रार ने गबन एवं पद के दुरुपयोग के मामले में निलम्बित किया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि रजिस्ट्रार महोदय के टोरियों प्रवास के दौरान पेन्डिग इन्क्वायरी होते हुए भी श्री ढाबरिया को बहाल कर दिया गया तथा प्रकासक को बदल दिया गया ? यदि हां, तो किन कारणों से ऐसा किया गया ?

उत्तर

(1) जी हां। श्री ढाबरिया को कार्य में विघ्न डालने एवं गम्भीर अनियमिततायें वरतने के कारण दिनांक 24-7-81 को निलम्बित किया गया था ?

(2) जी हां। विभागीय निरीक्षक को प्रधान व्यवस्थापक प्रतिनियुक्त करने के उपरान्त भी कृषकों को खाद्य वितरण आदि में उत्पन्न हुई कठिनाई व व्यवस्था में तत्कालीन प्रशासक द्वारा सुधार न किये जाने व शिकायतें गंभीर न होने के कारण संयुक्त रजिस्ट्रार के निर्देशानुसार प्रशासक के आदेश दिनांक 31-10-81 द्वारा श्री ढाबरिया को पेन्डिग इन्क्वायरी बहाल किया। साथ ही सहकारी विभाग के आदेश दिनांक 13-11-81 के द्वारा सहायक रजिस्ट्रार के स्थान पर खण्डीय संयुक्त रजिस्ट्रार को प्रशासक नियुक्त किया गया जिससे कि काश्तकारों को खाद बीज वितरण में हो रही अव्यवस्था में सुधार किया जा सके।

सांचौर के अधूरे राहत कार्य

58. श्री कनक राज मेहता (सांचौर) : क्या राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) सांचौर क्षेत्र में संवत् 2025 से आज तक किये गये कितने राहत कार्य अधूरे हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इतने अर्से तक अधूरे कार्य पूरे न करने का कारण क्या है, और उन्हें पूरा कराने की क्या योजना है ?

(3) इस वर्ष कितने अधूरे कार्य पूरे किये जायेंगे व किन आधार पर ?

(4) क्या अधूरे कार्य एक लम्बे अर्से से पूरे न होने से सरकार को हानि हुई है ? यदि हां, तो कितनी ?

उत्तर

(1) जालौर जिले के सांचौर क्षेत्र में सिंचाई विभाग के 6 एवं सा.नि.विभाग के 23 राहत कार्य संवत् 2025 से आज तक अधूरे हैं जो निम्नानुसार हैं :-

सिंचाई विभाग के 6 अधूरे कार्य

1. टूढ़का प्रथम क्रास बांध
2. धीगपुरा बांध
3. कपूरिया क्रास बांध
4. साकरिया क्रास बांध
5. बमल क्रास बांध
6. तेतरोल क्रास बांध

सा.नि.विभाग के 23 अधूरे राहत कार्य :-

1. जी.आर./ए.आर. पांचला सड़क कि.मी. 10

2. जी.मेटल सड़क आमली डबाल देडवा कि.मी. 08

3. ग्रेवल सड़क के सूरी से रकासरकी कि.मी. 15

4. ग्रेवल सांचोर से भवातड़ा कि.मी. 51

5. ग्रेवल सांचोर से सरवाना कि. मी. 28

6. ग्रेवल एप्रोच सड़क से डूमरी कि. मी. 1

7. गिटल सड़क भीनमाल से सांचोर वाया करड़ा कि. मी. 62

8. ग्रेवल सड़क बावलिया से पाथला कि. मी. 10

9. ग्रेवल सूराचन्द से टापी

10. ग्रेवल सांचोर से बासनदेखड़ा कि.मी. 5

11. ,, सरनावा से जिला सीमा कि.मी. 6-5

12. ,, सेवाड़ा से भाव कि.मी. 19

13. ,, बेडियां से लेजडियाली

14. ,, सेवाड़ा से चितलवाना कि.मी. 9

15. ,, जी.आर/खारा से बिजरोल कि. मी. 9

16. ,, टी. आर/कूड़ा से गुजरात जिला सीमा कि. मी. 16

17. ,, जी. आर/रानीवाड़ा से धानोल कि. मी. 19

18. ,, दांतीं पांचला डूगरवा कि.मी. 13

(राहत मंत्री)

19. ग्रेवल भवातड़ा सूरावन्द वेछिया कि.मी. 21

20. मेटल बी.टी. खारा से गुन्दाउ कि.मी. 08

21. ग्रेवल बी. टी. हाडेवा से झटवाड़ा कि.मी. 12

22. सिलू से गुजरात बोर्डर

23. ग्रेवल सड़क भवातड़ा से रिड़का

भू-संरक्षण विभाग एवं वन विभाग के कोई राहत कार्य अधूरे नहीं हैं।

(2) अभाव वर्ष में ही अभावग्रस्त क्षेत्र में सहायता कार्य करवाये जाते हैं। अभाव-स्थिति की समाप्ति पर अगर कोई सहायता कार्य अपूर्ण रह जाता है तो सम्बन्धित अभिकरणों द्वारा अपने विभागीय प्रावधानानुसार उसे पूर्ण कराने का प्रयास किया जाता है अन्यथा उस क्षेत्र विशेष में पुनः अभाव-स्थिति उत्पन्न होने की अवस्था में पूर्व वर्षों के अधूरे रहे सहायता कार्यों को पूर्ण कराये जाने का प्रयत्न किया जाता है। जिला राहत परामर्शदात्री समिति की सिफारिश पर ही सहायता विभाग अधूरा अथवा नया कार्य स्वीकृत करता है।

(3) इस वर्ष उपरोक्त में से 9 कार्यों, जिनकी सिफारिश जिलाधीश ने 'जिला सहायता परामर्शदात्री समिति की राय से की थी, को स्वीकृत किया गया है जिनमें सिंचाई विभाग के उपरोक्त समस्त 6 कार्य एवं सड़क कार्यों में से कार्यक्रम संख्या–1, 2, एवं 7 हैं।

(4) कार्यों के लम्बे अर्से तक अधूरे रहने से हानि तो अवश्य होती है लेकिन उसका आकलन किया जाना सम्भव नहीं है।

न्यायाधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच

60. श्री रंगजी मीणा (सपोटरा) :

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के अधीनस्थ कार्यरत कई न्यायाधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच की कार्यवाहियां चल रही हैं ?

(2) यदि हां, तो किस-किस न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध क्या क्या विभागीय जांच कब-कब से विचाराधीन है ? कृपया दिनांक 31-1-1983 को इस तरह विचाराधीन जांचों का विवरण सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) किस-किस न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध क्या-क्या विभागीय जांच विचाराधीन है, उसका उल्लेख करना राजस्थान उच्च न्यायालय उपयुक्त नहीं समझता। वैसे 4 जिला व सत्र न्यायाधीश, 3 अपर जिला व सत्र न्यायाधीश, 4 व्यवहार एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा 16 मुंसिफ व न्यायिक मजिस्ट्रेटों के विरुद्ध विभागीय जांच विचाराधीन है। इनमें से 4 के विरुद्ध सी.सी.ए. रूल्स के नियम 17, व 32 के विरुद्ध नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय जांच विचाराधीन है। 'कब से विचाराधीन है' का विवरण इस

(विधि मंत्री)

प्रकार है- सन् 1977-1, 1978-1, 1979-1, 1980-7, 1981-10 एवं 1982-16 । कुछ अधिकारियों के विरुद्ध एक से अधिक विभागीय जांच चल रही है।

बमोरी कलां जिला कोटा को सड़क से जोडना

61. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि बमोरी कलां नामक ग्राम कोटा जिले का सबसे बड़ा कस्बा है, जो अभी तक सड़क से जुड़ा हुआ नहीं है ?

(2) यदि हां, तो उक्त ग्राम को सड़क से जोड़ने की सरकार की क्या योजना है, तथा यह कब तक सड़क से जोड़ दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) एवं (2) बमोरी कलां सन् 1971 की जनगणना के अनुसार 2546 की आबादी का ग्राम है जो सड़क से जुड़ा हुआ नहीं है। इस ग्राम को सड़क से जोड़ने की धनाभाव के कारण कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

सांचौर क्षेत्र की सड़कें

62. श्री कनक राज मेहता (सांचौर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि सांचौर हाडेचा सबसे पुराना व सबसे अधिक यातायात वाली क्षेत्र की सड़क है, जिस पर आज दिन तक टार नहीं हो पाई है ? यदि हां, तो इस पर डामर कब तक कर दिया जायेगा ?

(2) क्या सांचौर क्षेत्र में सोकड़ से टीटोप-सुराला व दुगावा जाने वाली सड़क का निर्माण संवत् 2025 में हुआ था ? यदि हां, तो इस पर आज दिन तक कोई राशि मरम्मत हेतु व्यय हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सड़क अभी यातायात योग्य है ? यदि नहीं, तो इसे कब तक ठीक करवा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

धनाभाव के कारण डामर कराये जाने की कोई योजना अभी विचाराधीन नहीं है।

(2) जी हां।

मरम्मत का कार्य 1980-81 में किया गया है।

(3) जी हां।

यातायात योग्य मार्ग है।

मुख्य मंत्री निवास की मरम्मत आदि पर व्यय

63. श्री रामकिशोर मीणा (सीकराय) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान के मुख्य मंत्री के निवास 8, सिविल लाइन्स, जयपुर पर मरम्मत, तोड़फोड़, एडिशन आल्टरेशन आदि पर दिनांक 6-6-80 से दिनांक 13-7-82

(श्री रामकिशोर मीणा)

तक एवं दिनांक 14-7-1980 से दिनांक 31-1-1983 तक कितना-कितना खर्चा किस किस मद पर किया गया ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) इसी कालखण्ड में सचिवालय स्थित मुख्य मंत्री एवं उनके स्टाफ के कक्षों पर कितना-कितना खर्चा किस-किस मद पर किया गया ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) विवरण प्रपत्र "क" में संकलन है ।

(2) विवरण प्रपत्र "ख" में संलग्न है ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

होड़ू, ग्राडेल व शिवकर से नोखड़ा सम्पर्क सड़क का निर्माण

64. श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ा मालानी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1979-80 में सम्पर्क सड़क होड़ू एवं शिवकर से नोखड़ा, सम्पर्क सड़क ग्राडेल की डामर की बनवाने की स्वीकृति हुई थी ? यदि हां, तो उक्त सड़कों का निर्माण क्यों नहीं हुआ ?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम होड़ू, ग्राडेल एवं नोखड़ा की सन् 1971 की जनगणना के आधार पर इनकी जनसंख्या 3000 से अधिक थी एवं 1981 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या 5000 से अधिक है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन ग्रामों को बी. टी. सड़क से जोड़ने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1979–80 में केवल शिवकर से नोखड़ा सड़क की न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की गई थी । इस सड़क में से शिवकर सरली (25 कि. मी.) तक डामर सड़क बन चुकी है, सरली से नोखड़ा 12 कि. मी. धनाभाव के कारण नहीं बनाई गई ।

(2) 1971 की जनगणना के अनुसार केवल होड़ू एवं ग्राडेल की जनसंख्या 3000 से अधिक थी । 1981 की जनगणना के आंकड़े अभी प्राप्त नहीं हुए हैं । न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्पर्क सड़क होड़ू एवं ग्राडेल स्वीकृत की गई है । धन की उपलब्धता के अनुसार तीनों सड़कों को पूरा कराया जायेगा ।

बाड़मेर–जैसलमेर की पंचायत मुख्यालय को सड़क से जोड़ना

65. श्री अमीन खां (शिव) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) जिला बाड़मेर व जैसलमेर में कितने पंचायत मुख्यालय ऐसे हैं जो अभी तक सड़क से नहीं जुड़े हैं ? कृपया पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार इस वर्ष अकाल में जिन-जिन पंचायत मुख्यालयों तक सड़कें

(श्री अमीन खां)
नहीं हैं उनको सड़कों से जोड़ेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जिला बाड़मेर व जैसलमेर में पंचायत समितिवार जो पंचायतें व मुख्यालय सड़क से जुड़े हुए नहीं हैं ? उनकी सूची (प्रपत्र–क) सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) अकाल राहत कार्यों की स्वीकृति सहायता विभाग द्वारा की जाती है। अभी तक ऐसी किसी योजना की स्वीकृति सार्वजनिक निर्माण विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

आमेर रोड (जलमहल-जयपुर) सीकर बाई पास (लिंक रोड) रोड की योजना

66. **श्री बाल चन्द आर्य** (डग)

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) आमेर रोड (जलमहल–जयपुर) सीकर बाई पास (लिंक रोड) प्रस्तावित रोड पर कुल कितना खर्चा होने का अनुमान है ? कृपया योजना के प्रारूप की प्रति मय मानचित्र सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त रोड का निर्माण जून, 1983 से पूर्व होने की सम्भावना है ? अगर नहीं, तो क्यों और यह रोड कब तक बन कर तैयार हो जावेगी ?

उत्तर

(1 एवं 2) आमेर रोड (जलमहल-जयपुर) से सीकर रोड को मिलाने वाली प्रस्तावित लिंक रोड की कोई स्वीकृति सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रदान नहीं की गई है अतः खर्चे के अनुमान का प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार की किसी भी योजना को विभाग द्वारा अभी अन्तिम रूप न देने के कारण प्रारूप एवं मानचित्र दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

चम्बल कमाण्ड एरिया की सड़कें

67. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) :
श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) कोटा जिले में चम्बल कमाण्ड एरिया के अन्तर्गत द्वितीय फेज में कौन-कौन सी सड़कें बनाये जाने का प्रावधान है ?

(2) वर्ष 1981-82 व 1982-83 में कौन-कौन सी सड़क का निर्माण कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) सरकार की उक्त सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में क्या योजना है तथा निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) कोटा जिले में द्वितीय फेज के अन्तर्गत अभी किसी भी सड़क के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। अतः सड़क बनाये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) वर्ष 1981-82 एवं 82-83 में किसी भी नई सड़क का कार्य नहीं करवाया गया क्योंकि द्वितीय फेज की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है।

(3) इन सड़कों को धनाभाव के कारण अभी बनाये जाने की कोई सम्भावना नहीं है।

श्री कल्याण कालेज, सीकर

68. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर): क्या शिक्षा (कॉलेज) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या श्री कल्याण कालेज, सीकर में छात्रों की संख्या को देखते हुए कमरों की कमी है ? यदि हां, तो सरकार कमरों की कमी को दूर करने के लिये क्या प्रयत्न कर रही है ? कृपया विवरण सहित जानकारी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

1. जी हां। छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से वित्तीय सहायता प्राप्त होने पर कक्षा-कक्षों का निर्माण कराया जा सकेगा। विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

पं. उदय जैन महाविद्यालय कानोड़ के विरुद्ध शिकायतें

69. **श्री रंगजी मीणा** (सपोटरा) : क्या शिक्षा (कालेज) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ ने पं. उदय जैन महाविद्यालय, कानोड़, जिला उदयपुर में चली आ रही अनियमितताओं आदि की जांच करने हेतु शिकायतें प्रस्तुत की थीं ?

(2) यदि हां, तो कृपया शिकायतों या मांग पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें और सरकार ने तत्सम्बन्धी क्या कार्यवाही की है, उसका भी विवरण सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) शिकायत की प्रति संलग्न है। संस्था के विरुद्ध शिकायत की जांच करने हेतु श्री आर. के. सहानी, आचार्य, राजकीय महाविद्यालय, प्रतापगढ़ को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 18-2-83 को प्रस्तुत की है जो राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(शिकायत पत्र के लिये कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

आदर्श श्रमिक ठेका सहकारी समिति, अजमेर

70. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि आदर्श श्रमिक ठेका सहकारी समिति, अजमेर के

(श्री कैलाश मेघवाल)
पिछले चुनाव की कालावधि समाप्त हो जाने के बाद अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं ? यदि हां, तो इसके पिछले चुनाव कब हुए थे और उसमें कौन-कौन पदाधिकारी चुने गये और क्या वे ही पदाधिकारी अभी तक कार्यरत हैं, या उसमें कोई परिवर्तन हुए हैं ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इस समिति के वर्ष 1978-79 के आडिट होने पर 84,098/-रुपये का अनियमित तथा अवैध खर्च एवं गबन होना पाया गया ?

(3) क्या यह भी सही है कि वह आडिट रिपोर्ट सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, अजमेर एवं स्पेशल आडिट सहकारी समितियां, अजमेर को प्रस्तुत कर दी गई ? यदि हां, तो कब प्रस्तुत की गई और उस पर अभी तक क्या कार्यवाही हुई है ?

उत्तर

(1) जी हां। पिछले चुनाव दिनांक 27-3-66 को हुए थे जिसमें निम्न पदाधिकारी चुने गये थे :—

1.	श्री किरोड़ीमल	अध्यक्ष
2.	श्री रवीदेव शर्मा	मंत्री
3.	श्री चांदमल	कोषाध्यक्ष
4.	श्री नरसिंह	सदस्य
5.	श्री नारायणसिंह	सदस्य

इस निर्वाचन की कालावधि उपनियमानुसार दिनांक 26-3-1967 को समाप्त हो चुकी थी किन्तु समिति के निष्क्रिय हो जाने के फलस्वरूप उसे सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, अजमेर द्वारा उनके विज्ञप्ति क्र. 5049 दिनांक 18-6-79 के द्वारा अवसायन में लाकर अवसायक नियुक्त किया गया। अतः वर्तमान में पूर्व अधिकारियों के कार्यरत रहने का प्रश्न ही नहीं रहता।

(2) जी हां। वर्ष 77-78 का आडिट वर्ष 79 में करने पर 84133.23 रुपये का अनियमित खर्च एवं धन के दुरुपयोग का मामला प्रकाश में आया।

(3) जी हां। वर्ष 77-78 की आडिट रिपोर्ट स्पेशल आडिटर, सहकारी समितियां, अजमेर, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, अजमेर को क्रमशः दि. 18-9-79 एवं 11-2-80 को प्राप्त हुई है। स्पेशल आडिटर, सहकारी समितियां, अजमेर द्वारा दि. 7-5-80 को राज. सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 74(1) के अन्तर्गत श्री मांगीलाल नन्दवाना, निरीक्षक (आडिट) को, आचरण की जांच करने हेतु जांच अधिकारी नियुक्त किया है। जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री दाऊदयाल जोशी, सदस्य, विधान सभा की ओर से बेरी वेतन आयोग की रिपोर्ट के बाद वैद्यों के वेतनमान को

(श्री अध्यक्ष)
लेकर आयुर्वेद चिकित्सकों व विद्यार्थियों में असन्तोष होने के विषय में,

(2) श्री अनंगकुमार जैन व श्री बाल चन्द्र आर्यवीर, सदस्य, विधान सभा की ओर से अकालग्रस्त होने के बावजूद झालावाड़ जिले में कोई राहत कार्य प्रारम्भ न करने के विषय में,

(3) श्री महावीर प्रसाद जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 पर टौंक जिले के अन्तर्गत आने वाली सड़क की मरम्मत बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के करने के विषय में,

(4) श्री हरीश शर्मा व श्री गोपाल पचेरवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 21 जून, 1982 को ग्राम घनवां जिला कोटा में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा एक व्यक्ति को घायल करने के बावजूद पुलिस द्वारा अपराधियों को गिरफ्तार न करने के विषय में,

(5) श्री मेघराज तावड़, सदस्य, विधान सभा की ओर से उदयपुर से डूंगरपुर नेशनल हाई वे नम्बर 8 उदयपुर से 12 किलो मीटर दूर उण्डावेला नामक पुल के संकीर्ण होने से दुर्घटनाएं होने के विषय में,

(6) श्री बंशीलाल पटवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा नगर के राधाकृष्णन नगर में नगर विकास न्यास द्वारा अनेक मकानों को बिना नोटिस दिये तोड़े जाने के विषय में,

(7) श्री देवीसिंह भाटी, सदस्य, विधान सभा द्वारा तहसील कोलायत, जिला बीकानेर में डेढ़ माह से हजारों ग्रामीण परिवारों में ज्वर फैलने के बावजूद भी चिकित्सा की पर्याप्त व्यवस्था न होने के विषय में,

(8) श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य विधान सभा की ओर से कमाण्ड एरिया डवलपमेंट, बीकानेर में आर. डी. 60 व आर. डी. 120 में सीमेंट के स्थान पर बिल्डिंग प्लास्टर एवं राख लगाने के विषय में,

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

पूर्व में श्री जीतमल जैन व श्री समर्थ लाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से अलवर जिले की तिजारा तहसील के कई गांवों में नीम हकीम डाक्टरों द्वारा आंखों के आपरेशन के विषय में तथा श्री हरीश शर्मा, श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, श्री त्रिलोकसिंह, श्री लच्छूराम व श्री मेघराज तावड़, सदस्य विधान सभा की ओर से कोटा में जे. के. सिन्थेटिक्स फैक्ट्री द्वारा हजारों मजदूरों की छटनी किये जाने के विषय में दो स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई थी। इन दोनों स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हो गयी है। मैं चाहूंगा कि इन पर सरकार की ओर से अलग-अलग वक्तव्य दिये जायें, जिनकी तिथि बाद में निर्धारित की जायेगी।

अस्वीकृत स्थगन प्रस्ताव

(9) श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से किसानों को समय पर बिजली न मिलने के विषय में,

(श्री अध्यक्ष)

(10) श्री कैलाश मेघवाल, सदस्य, विधान-सभा की ओर से राज्य सरकार द्वारा एक वायुयान खरीदने की तैयारी के विषय में,

(11) श्री समर्थलाल–श्री सच्चिदानन्द शर्मा, सरपंच, रेणी, जिला अलवर द्वारा अनियमितताएं।

यह व्यक्तिगत प्रश्न है।

(12) श्री भगवानदास शास्त्री –मुख्य डाकखाना, अजमेर के केशियर से गोगाराम कान्सटेबल द्वारा धनराशि उड़ा कर ले जाने के विषय में,

(13) श्री हंसराज शर्मा व श्री चुन्नी लाल जेलिया–ग्राम माधोसिंहपुरा, तहसील सवाई माधोपुर में श्री फतेहसिंह को जमीन आंवटित करने के विषय में,

(14) श्री रामकिशोर मीणा–दौसा तहसील में कुछ काश्तकारों द्वारा 18 फरवरी से तहसील कार्यालय के सामने धरना देने के विषय में,

ये सभी व्यक्तिगत मामले हैं और इन्हें अन्य किसी माध्यम से उठाया जा सकता है। अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं। इन पर किसी तरह की चर्चा करने की भी अनुमति नहीं होगी।

छोटे-छोटे मामले हैं। यदि कुछ महत्वपूर्ण मामले होते हैं अथवा उनमें ज्यादा लोगों को कोई तकलीफ अथवा शिकायत होती है तो उनको यदि अस्वीकृत भी आसन करता है तो उन पर मैं दो-दो मिनट बोलने की अनुमति दे देता हूं। लेकिन यह सभी मामले बहुत ही छोटे-छोटे हैं और एक-एक व्यक्ति से उनका सम्बन्ध था इसलिए मैंने अस्वीकृत किये हैं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : हवाई जहाज . . .

श्री अध्यक्ष : हवाई जहाज खरीदने में क्या करेंगे। अन्य कोई भी तरीके से उसको आप उठायें।

श्री यदुनाथ सिंह : घोटाले का मामला है।

श्री अध्यक्ष : आडर प्लीज। जनहित के प्रश्न होते है तो मैं बहुत ही सहानुभूति से उनके ऊपर विचार करता हूं। सरकार से जानकारी लेता हूं। लेकिन बहुत ही छोटे-छोटे मामले आ जाते हैं तो मेरी मजबूरी हो जाती है।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति के 17 वें प्रतिवेदन में अन्तर्राज्यीय जल विवाद (रावी–व्यास) पर चर्चा हेतु संशोधन

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा . .

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : पाइन्ट आफ आर्डर . . .

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय,

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान कार्य सलाहकार समिति के 17 वें प्रतिवेदन की ओर दिलाना चाहता हूं . . .

श्री अध्यक्ष : स्वीकृत हो गया है यहां से, सदन से।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसीलिए आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। इसमें व्यवस्था की गयी है कि शुक्रवार, दिनांक 25 फरवरी, 1983 को रावी-व्यास समझौते के संबंध में प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि रावी-व्यास के पानी के बटवारे के संबंध में कई दिनों से दिल्ली में त्रिपक्षीय वार्ता चल रही है....

श्री अध्यक्ष : शांत रहें, माननीय सदस्य। यहां बातें नहीं करें। बातें करनी हों तो आप लाबी में पधार जायें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : परसों जिस प्रकार वार्ता हुई है उससे अनुमान यही लगाया जा रहा है कि वार्ता लगभग टूट गयी है। कल के समाचार-पत्रों को यदि आपने देखा हो तो आपको यह जानकारी मिली होगी कि कल लोक सभा में केन्द्रीय सरकार के गृह मंत्री जी इस वार्ता के संबध में एक वक्तव्य देने वाले हैं।

अध्यक्ष महोदय, मेरा केवल इतना ही निवेदन करना है कि इस संबंध में विधान सभा के द्वारा तुरन्त एक प्रस्ताव पास कराया जाये ताकि राजस्थान की जनता और राजस्थान के जन प्रतिनिधियों की भावनायें भारत सरकार तक पहुंच जायें और भारत सरकार के अलावा लोक सभा के सदस्यों को भी इसकी जानकारी मिल जाये। 25 तारीख को जिन प्रस्तावों पर आपको विचार करना है मैं चाहूंगा कि उन प्रस्तावों पर आज ही विचार कर लिया जाये ताकि कल जब लोक सभा में रावी-व्यास जल के बटवारे के संबंध में गृह मंत्री जी कोई वक्तव्य दें उस समय तक सदन की भावनायें भी उनके पास पहुंच जावें ताकि उस आधार पर वह अपने वक्तव्य में इस बात का भी उल्लेख कर सकें कि राजस्थान विधान सभा ने अमुक प्रकार का प्रस्ताव पास किया है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार रावी-व्यास समझौते के प्रश्न पर जो भी सदन की भावनायें हैं उनकी लोक सभा के सदस्यों को भी जानकारी मिल जायेगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे कल और आज के समाचार-पत्रों को देखने से कुछ ऐसा आभास होता है कि पर्दे के पीछे कहीं समझौता हो रहा है। हालांकि वह एक बाहर का विषय है लेकिन मैं संकेत के रूप में कहना चाहता हूं कि परसों भी अकाली दल के नेताओं से निवेदन किया गया था कि विधान सभा के सदस्य, लोक सभा के सदस्य या राज्य सभा के सदस्यों ने जो इस्तीफे दिये हैं वह इस्तीफे वापस लें। कल तक इस्तीफे वापस नहीं लिये, न इस्तीफे मन्जूर हुए। तो कुछ ऐसा लग रहा है कि पर्दे के पीछे कहीं समझौता हो रहा है। कहीं ऐसा न हो कि पर्दे के पीछे के समझौते में राजस्थान को किसी प्रकार की हानि हो जावे। इस आधार पर यह आवश्यक है कि विधान सभा को इस प्रश्न पर तुरन्त ही विचार करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा निवेदन करना यह है कि कई दिनों से त्रिपक्षीय वार्ता चल रही है। सदन के विरोधी पक्ष के विभिन्न दलों के नेता लोग उसमें शामिल थे, सरकारी पक्ष भी शामिल था। समाचार पत्रों में भी कुछ समाचार छपे हैं लेकिन सारे सदन को इस बात की जानकारी नहीं है कि

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उस त्रिपक्षीय वार्ता में क्या हुआ। राजस्थान का पक्ष किस प्रकार से रखा गया है। राजस्थान के पक्ष से भारत सरकार की किस प्रकार की प्रतिक्रिया हुई, जो विरोधी दल के नेता उसमें बैठे थे उनकी किस प्रकार की प्रतिक्रिया हुई और उसका परिणाम किस प्रकार का निकलने वाला है। इस प्रश्न पर मैं चाहता था कि मुख्य मंत्रीजी और कामों के अतिरिक्त सबसे पहले इस प्रश्न पर एक वक्तव्य देते। उस वक्तव्य पर चर्चा होती और चर्चा होने के बाद एक प्रस्ताव के रूप में हम भारत सरकार से इस संबंध में कुछ निवेदन कर पाते। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी तो हैं नहीं लेकिन मैं आपके माध्यम से मुख्य सचेतक महोदय से कहना चाहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी को यदि वह कह सकें और साहस हो कहने का तो उनको निश्चित रूप से यहां आने का कष्ट करने की बात कहें ताकि वे सदन में आ जायें और इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार किया जा सके। राजस्थान के हित में होगा कि आज इस प्रश्न पर विचार, चर्चा करें और आज ही इस प्रश्न पर हम भारत सरकार को अवगत करायें कि हमारे क्या विचार हैं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य सचेतक अथवा अन्य मंत्रिगण, जो भी राय व्यक्त करना चाहें सरकार की ओर से।

श्री खेतसिंह जी।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हमने तय किया था कि 25 तारीख को इस विषय पर एक प्रस्ताव पारित करेंगे लेकिन उसके बाद में कुछ परिस्थितियां बदलीं। उस बैठक के अन्दर न विरोधी दल के नेता थे और न सदन के नेता थे। जब कल सदन के नेता यहां पधारे उस समय मैं उनसे मिला और विरोधी दल के नेता से भी मेरी कुछ बातचीत हुई। दोनों की यह राय थी कि अपने को कल ही यानी आज, इस प्रस्ताव को लेना चाहिए लेकिन इत्तफाक से आज सुबह टेलीफोन से मुख्य मंत्रीजी, सदन के नेता को तुरन्त ही दिल्ली बुलाया गया है और इसी विषय के बारे में बुलाया है। क्योंकि सिंचाई मंत्रीजी भी साथ में गये हैं रावी-व्यास के ही सिलसिले में बातचीत वहां हो रही होगी। इस सिलसिले में वह वहां गये हुए हैं। इस मामले में तो सदन एक है और आपकी और हमारी राय में कोई अन्तर नहीं है। हम आपसे भी ज्यादा इस मामले में गम्भीर हैं और सोचते हैं कि जो राजस्थान का पक्ष है वह निश्चित तौर पर बहुत ही मुस्तैदी से रखा जाय। मुख्य मंत्रीजी के तो कई वक्तव्य अखबारों में पहले ही आ चुके हैं, फिर भी मैं अभी दिल्ली उनसे कान्टेक्ट करने की कोशिश करूंगा और यदि वह आ जायें जल्दी ही तो आज ही इस प्रस्ताव को लेकर चर्चा करेंगे वरना कल के लिए तय करेंगे।

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन कर दूं। ऐसा है, इस औपचारिक कार्य को पहले निपटा दें उसके बाद आप 15-20 मिनट में बात कर लीजिये। फिर सभी पक्ष के नेतागण और मैं मिल लेते हैं उसके बाद तय कर लेते हैं।

सदन की मेज पर रखा जाने···

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, अभी तक यह परम्परा रही है जो रिजेक्ट किये गये हैं ···

श्री अध्यक्ष : वह परम्परा कायम है। आप जो कह रही हैं बिजली नहीं मिलने का प्रश्न है, लम्बा चौड़ा प्रश्न है। आपको अवसर दिया जा सकता है। यहां पर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जब आप चर्चा करें तो सभी बात कह सकती हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, मुझे मेरे ढंग से कह लेने दीजिये।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरे क्षेत्र में इस समय बड़ी दिक्कत है।

श्री अध्यक्ष : सभी जगह, क्षेत्रों में दिक्कत हैं। आप चाहेंगी तो तब मैं आपको अवसर दे दूंगा आज।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इसके अलावा ···

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जब आप चाहेंगी उसी वक्त··

श्रीमती उजला अरोड़ा : दो मिनट अभी दे देते तो अच्छा होता।

श्री अध्यक्ष : अभी नहीं। जब मैंने आप से निवेदन कर दिया है···

श्रीमती उजला अरोड़ा : दो मिनट में अपनी बात खत्म कर देती।

श्री अध्यक्ष : फिर अन्य माननीय सदस्य भी यह कहेंगे, हमको भी दो दो मिनट बात करने दें। यह ऐसा विषय है, सोच विचार करके मैंने व्यवस्था दी है। आप फिर जब चाहेंगी···

श्रीमती उजला अरोड़ा : इसके अलावा फिर आप एक दिन मुकर्रर कर दीजिये तब सभी बोल लेंगे।

श्री त्रिलोक सिंह (फतेहपुर) : प्वाइंट आफ ऑर्डर।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, यह हमारे अधिकारों की रक्षा···

श्री अध्यक्ष : पाइंट आफ ऑर्डर आ गया।

श्री त्रिलोक सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव भाखड़ा नहर के बारे में था, भाखड़ा नहर टूट गई, भाखड़ी गांव बरबाद हो गया···

श्री अध्यक्ष : वह आ रहा है, माननीय सदस्य। इस पर बहुत सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहा हूं, माननीय सदस्य। ऑर्डर ऑर्डर। इसके बारे में मैंने माननीय सदस्यों से निवेदन कर दिया था, कई इस तरह के प्रस्ताव आये हैं, काफी गम्भीर मसला है। उस पर व्यवस्था की जायेगी। मैं इस वक्त आपसे यही निवेदन कर सकता हूँ।

सदन की पटल पर रखा गया पत्र
अधिसूचना

सदन की मेज पर रखा जाने वाला पत्र।

परिवहन राज्य मंत्री जी।

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मंत्री, परिवहन) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 3 (2) के अन्तर्गत गृह (ग्रुप-7) विभाग की अधिसूचना सं. प. 5 (20) गृह-7/82 दिनांक 10 जून, 1982, जिसके द्वारा राज्य के भ्रमण हेतु अनुबंधित बस को कर मुक्त किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरः स्थापन

राजस्थान भूमि सुधार तथा भू-स्वामियों की सम्पदाओं का अर्जन (संशोधन) विधेयक, 1983

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य।

पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक। राजस्व मंत्री जी।

श्री हीरालाल देवपुरा (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भूमि सुधार तथा भू-स्वामियों की सम्पदाओं का अर्जन (संशोधन) विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि सुधार तथा भू-स्वामियों की सम्पदाओं का अर्जन (संशोधन), विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

राजस्थान भूमि सुधार तथा भू-स्वामियों की सम्पदाओं का अर्जन (संशोधन) विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भूमि सुधार तथा भू-स्वामियों की सम्पदाओं का अर्जन (संशोधन) विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री दिनेश डांगी।

राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1983

श्री दिनेश डांगी (राज्य मंत्री, आयुर्वेद) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करता हूं।

राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद (संशोधन) विधेयक, 1983

श्री अध्यक्ष : पंचायत राज मंत्री।

श्री खेत सिंह राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1983 को

(श्री खेतसिंह राठौड़)
पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1983 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1983 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1983 को पुर:स्थापित करता हूँ।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद।

श्री कमलेन्द्रसिंह।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, कल इनका भाषण खतम नहीं हुआ था, इनका अधूरा भाषण था।

श्री अध्यक्ष : भाषण कभी अधूरा रहता नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : उस के बाद यह व्यवस्था दी गई। सभापति महोदय ने कहा, एक मिनट बैठिये और उन्होंने कार्यवाही स्थगित कर दी कल तक के लिये।

श्री अध्यक्ष : स्थगित कर दी तब बात चली गई।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पुरानी परम्परा यह रही है···

श्री अध्यक्ष : पुरानी ऐसी परम्परायें नहीं रही है। परम्परायें इसके विपरीत रही हैं। बैठक जब स्थगित हो गई तो भाषण स्वत: ही समाप्त हुआ समझा जाता है लेकिन पदासीन व्यक्ति को यह चाहिये कि यदि सदन का समय समाप्त हो गया है और उनका भाषण समाप्त नहीं हुआ हो तो दो, चार पांच मिनट के लिये समय को बढ़ाया जाय लेकिन ऐसा नहीं हुआ इसलिये भाषण स्वत: ही समाप्त हो गया।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में माननीय श्री बंशीलाल जी पटवा का भाषण अधूरा रह गया था, दूसरे दिन कन्टीन्यू हुआ है। श्री कैलाश मेघवाल का रह गया था, उनका कन्टीन्यू हुआ है।

श्री अध्यक्ष : उसमें यह कहा होगा, यह कन्टीन्यू रखा जाता है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, चेयर से यह कहा गया, आप एक मिनट बिराजिये। जब भाषण चल रहा था पाँच मिनट महावीर प्रसाद जी बोले थे, चेयर ने कहा, एक मिनट···

श्री अध्यक्ष : कितने मिनट बोले थे ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पांच मिनट।

श्री अध्यक्ष : एक और प्रश्न है। आपके दल का पूरा समय भी तीन घण्टे का समाप्त हो गया है इसलिये···

(व्यवधान)

मैं हल निकाल रहा हूँ समस्या का। आपको अधिक से अधिक दस मिनट का समय और दे देता हूं विशेष परिस्थितियों में इसके पश्चात् माननीय श्री कमलेन्द्रसिंह जी बोलेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल 'प्रशासन गांवों की ओर' के बारे में चर्चा चल रही थी। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में 'प्रशासन गांवों की ओर' की बहुत चर्चा की गई। इसमें यह भी कहा गया, "इससे जनता और प्रशासन, दोनों एक दूसरे को समझ कर विकास के कामों में भागीदार के रूप में सामने आये हैं। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों की समस्या का कारगर तथा व्यापक हल निकला है और लोगों को काफी राहत मिली है।" मैं नहीं समझ पाया, अध्यक्ष महोदय, क्या कारगर तथा व्यापक हल निकला है, क्या लोगों को राहत मिली है?

(12.28 म.प.)

(श्री देवदत्त तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

प्रशासन और जनता के बीच में ऐसी कौन सी कड़ी स्थापित हुई है जिसके कारण माननीय राज्यपाल महोदय से यह कहलवाया गया है। मैं तो यह समझता था कि जो कमियां रही हैं उनकी चर्चा करके आगे कमी को किस प्रकार दूर किया जायेगा, इसकी चर्चा की जायेगी। यह चर्चा की जाती तो शायद अच्छा होता लेकिन यह कहा गया कि जनता और प्रशासन, दोनों एक दूसरे को समझ कर भागीदार के रूप में सामने आये हैं और ग्रामीण क्षेत्र की समस्या का कारगर तथा व्यापक हल निकला है। मैं समझता हूं, व्यापक हल तो नहीं निकला, कोई कारगर हल तो सामने नहीं आया बल्कि लोगों को कोर्ट्स और कचहरियों में जाने के लिए मजबूर कर दिया है। गलत अलाटमेंट गांवों में कर दिये गये, रास्तों को अलाट कर दिया। हालत यह हुई कि आज लोग कोर्ट्स की ओर दौड़ रहे हैं। इन्होंने रास्तों को अलाट कर दिया, कोई गोचर भूमि है उसको अलाट कर दिया। पटवारी ने यदि उन नम्बरों की उद्घोषणा नहीं की तो वह अलाटमेंट नहीं हुआ। उसके लिये एस.डी.ओ. के पास अधिकार नहीं है। बोले, हम उद्घोषणा करेंगे तब होगा। आपने जो चाहा उसकी उद्घोषणा कर दी, जो नहीं चाहा उसकी नहीं की। राज्य सरकार की ओर से भी समय-समय पर जो विभिन्न प्रकार के सर्क्यूलर निकले, उनके कारण से न एस. डी. ओ. समझ पा रहा था, न तहसीलदार समझ पा रहा था कि उनको क्या अधिकार दिये गये। एक जगह का उदाहरण मैं बताऊं। बरनी पंचायत, जो टोंक जिले में है, में 400 बीघा जमीन कमान्ड एरिया में घोषित कर रखी है जब कि एक बीघा जमीन की पिलाई नहीं होती है। गांव वालों की बहुत समय से मांग थी कि इसे नान कमान्ड एरिया घोषित किया जाय और इसका अलाटमेंट नहीं हो। आज भी वहां पर लोग अतिक्रमी के रूप में हैं। 50) रु. पैनल्टी लगाई जा रही है, उसका कोई सुधार हुआ? न वे कमान्ड एरिया से नान कमांड एरिया में घोषित कर सकते हैं, न गोचर को आबादी में कन्वर्ट कर

(50)

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

सकते हैं। केवल तीन बीघा जमीन सार्वजनिक उपयोग के लिये है और उसका भी जिलाधीश निर्णय करेगा। उसको रिकमन्ड करके भेज दिया। मैं यह पूछना चाहता हूं इस सरकार से और जिन्होंने राज्यपाल महोदय का अभिभाषण तैयार किया उनसे, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह तो कहलवा दिया गया कि समस्या का समाधान हो गया। लेकिन कौनसी समस्याओं का समाधान हो गया? आज जो समस्याएं हैं गांवों की उनका कौनसा काम पूरा हो गया? न गांवों में पेयजल की समस्या हल हुई है, न वहां पर स्कूल जो खोलने की बात है वह पूरी हुई। बड़ी–बड़ी बस्तियां वहां हैं पर प्राइमरी स्कूल खोलना चाहिये, उस समस्या का समाधान नहीं हुआ। वहां पर मास्टर नहीं है, मास्टर आने चाहिये, इसका कोई समाधान नहीं हुआ। यहां पंचायत मिनिस्टर ने कह दिया कि शिक्षा विभाग ने 2000 अध्यापक दे दिये, कोई कमी नहीं है। पर सारे स्कूल खाली पड़े हैं। गांवों की जो सिंचाई की समस्या है वहां पर लिफ्ट से सिंचाई होनी चाहिये वह भी नहीं हो रही है। जो 20 संकल्प दिये हैं, उनमें माननीय मुख्य मंत्री ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में बड़े-बड़े संकल्प लिये। यह महसूस किया गया कि हमारे पास प्राकृतिक स्रोत नहीं हैं, पानी नहीं है इसकी वजह से सिंचाई में कमी है।

इस अभिभाषण में कहा गया है कि कृषि विकास के लिये प्रमुख आवश्यकता सिंचाई के पानी की है। इस दिशा में राज्य के सीमित जल स्रोतों का समुचित विकास कर अधिक से अधिक क्षमता प्राप्त करने में सरकार निरन्तर प्रयत्नशील है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान में कोई पानी की कमी नहीं है। हो सकता है, किसी इलाके में पानी की कमी हो तो उसको दूर भी किया जा सकता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, टोंक जिले में औसत से ज्यादा बरसात होती है। वहां पर बनास नदी है। सन् 62 से लगातार स्कीम बन रही है। पहली स्कीम बीसलपुर बांध की 6 करोड़ की थी। यदि 6 करोड़ रुपया खर्च कर देते तो सारे खेत लहलहाते, वहां का किसान समृद्ध होता, आज जो बाढ़ की स्थिति आई, शायद वह नहीं आती लेकिन वह रुपया खर्च नहीं किया गया। 6 करोड़ खर्च नहीं किये गये और केवल एक करोड़ रुपया सर्वे में खर्च कर दिया गया। आज भी सर्वे चल रहा है, सर्वे चल रहा है इस बात की चर्चा हो रही है। जहां पर हमारे स्रोत हैं, पानी है उसका उपयोग करने के लिये राज्य सरकार ने कोई दिशा-निर्देश नहीं दिये।

सभापति महोदय, कोटा की तरफ कालीसिंध और कई नदियां हैं, उनके बारे में क्या सोचा, क्यों नहीं बांध बनवाये गये? क्या हम हमारे प्राकृतिक साधनों से सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं करा सकते? एक तरफ अजमेर और ब्यावर पानी के लिये त्राहि-त्राहि कर रहा है, उस बीसलपुर योजना से पानी पहुंचाया जा सकता है लेकिन उसकी किसी को चिंता नहीं है। हमने अभिभाषण पढ़वा दिया, हमारा कर्तव्य पूरा हो गया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या अड़चन है जिसके कारण बीसलपुर बांध नहीं बनता, वहां के किसान को हम समृद्ध नहीं कर सकते, वहां की पैदावार नहीं बढ़ा सकते, अजमेर, किशनगढ़, ब्यावर के लोगों को पानी नहीं पिला सकते, ऐसा कौनसा कारण है?

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

लेकिन न स्वीकृतियां निकलती हैं और न कुछ होता है। सर्वे में टीम लग रही है केवल उस पर सन्तोष है। इस अभिभाषण में हमें भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे राजस्थान में कुछ नहीं है। राजस्थान में खनिज सम्पदा है, राजस्थान में पानी है, लिफ्ट इरिगेशन हो सकती है। बनास नदी से पानी अजमेर के लिये पहुंचाया जाता है कुएं खोदकर, बनास से लिफ्ट इरिगेशन क्यों नहीं की जाती? आपने सर्वे कराया है झालावाड़ का। भू-जल की व्यवस्था के लिये उदयपुर, डूंगरपुर में एक अभिनव प्रयोग कर रहे हैं और उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और झालावाड़ में एक सर्वे कराया है। तो बनास नदी जहां से निकलती है वहां का सर्वे आपने क्यों नहीं करवाया?

सभापति महोदय, टोंक जिले में टोड़ारायसिंह पंचायत समिति है। उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। अब इसको राजनैतिक भेदभाव भी कैसे कहा जाय, मेरी समझ में नहीं आता, टोडारायसिंह में कांग्रेस के एम. एल. ए. हैं, अभी भी हैं। केवल एक बार जनता राज में, मैं समझता हूं, जनता पार्टी का एम. एल. ए. रहा था। हमने 132 के. वी. की स्कीम भी बनवाई और आज वह पूरी हो रही है। यदि 132 के. वी. का सब स्टेशन बन जायगा तो वहां के गांवों का विद्युतीकरण हो जायगा। राजस्थान में औसतन 50 प्रतिशत गांव विद्युतीकृत हैं लेकिन टोडारायसिंह में केवल 9 गांवों को बिजली मिली है। टोंक पंचायत समिति जिला हैडक्वार्टर है वहां पर 262 गांवों में से केवल 62 गांवों को बिजली मिली है। वहां अब तक ग्रिड स्टेशन नहीं बनाया जा सकता था? किसने रोक रखा था? सभापति महोदय, हमारे यहां आज खनिज सम्पदा पर्याप्त है। टोंक जिले में बहुत प्रकार की खनिज सम्पदा है। उसका सर्वे करा कर उसके दोहन की आवश्यकता है लेकिन उस ओर किसी का ध्यान नहीं गया।

श्री सभापति : संक्षेप में कहें, माननीय सदस्य।

श्री महावीर प्रसाद जैन : बहुत संक्षेप में ही कह रहा हूं। इन भाषणों और आंकड़ों के जाल में फंसा कर हमें भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। किसी प्रकार का कार्य नहीं किया। मुझे यह कहते हुए दुःख है, मेवाड़ में मुख्य मंत्री पैदा हुए हैं उन्होंने यह दोहराया है कि हम इस प्रकार से काम करेंगे, हमारा संकल्प है कि एक साल में सारे टार्गेट्स पूरे कर लेंगे। तो, इस प्रकार की कोई परम्परा कायम करते लेकिन वे आज किसी भी बात को फेस करने को तैयार नहीं हैं। आज उन्होंने क्या किया है यह प्रमाणिक रूप से बताने की भी स्थिति में नहीं है। आज इस सारे प्रदेश में हमारे पास जो प्राकृतिक स्रोत हैं, हमारे पास जो प्राकृतिक बहुत बड़ी सम्पदा है उसका दोहन करके और उसका विकास करके जनता को खुशहाल किया जा सकता है और नान-टैक्स रेवेन्यू कमाया जा सकता है, इसका प्रयास किया जाना चाहिये।

अब मैं, माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि उद्योग . . .

श्री सभापति : समय का भी ध्यान रखें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : बहुत कम समय में बोल रहा हूं। अब उद्योग के मामले में . . .

(व्यवधान)

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मंत्री, परिवहन) : सभापति महोदय, इनको 10 मिनट का समय दिया गया था, इनका समय हो गया है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अभी केवल दो मिनट ही बोला हूं। राजस्थान में उद्योगों की बहुत बड़ी सम्भावना है। आपको भी पता है, हमारे यहां के हजारों लोग हिन्दुस्तान में जगह-जगह उद्योग लगा रहे हैं। हमारे यहां पर उद्योग लगाने वालों का मस्तिष्क है, लोगों के पास श्रम और पूंजी है लेकिन हम उनके मस्तिष्क का उपयोग नहीं कर पाते। कहीं भी मारवाड़ी सम्मेलन में गये और वहां पर आह्वान कर आते हैं कि आइये और राजस्थान में उद्योग लगाइये। राजस्थान में उद्योग बन्द हो रहे हैं, कौन लगाने की हिम्मत कर सकता है। यदि बिजली का कनेक्शन लेने जायं तो कनेक्शन नहीं दिया जाता है। यदि किसी जमीन का कन्वर्शन का मामला होता है तो वह कन्वर्ट नहीं होती। चाहे यहां के प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे मंत्रिमण्डल के सदस्य हों पहले ही उसका दूध निकालने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार का वातावरण नहीं बनाया गया कि प्रदेश में उद्योग स्थापित हों। इस प्रकार का कोई प्रयत्न नहीं किया गया। न उद्योगों को समय पर बिजली मिलती है, न समय पर पानी मिलता है, न सड़कों की सुविधायें हैं। आपने बड़ी बड़ी घोषणायें, सब्सिडी की घोषणायें कर रखी हैं और ढिंढोरा पीटते हैं कि इतने उद्योगों को पंजीकृत कर दिया गया है, इतने स्थाई उद्योगों को पंजीकृत कर दिया और इतने अस्थाई उद्योगों को पंजीकृत कर दिया। मैं पूछता हूं जो बीमार उद्योग हैं, जो बन्द हो गये हैं, उनके बन्द होने के क्या कारण हैं ? क्या आपने इस प्रकार का कोई वातावरण बनाया कि लोग यहां पर आकर अपनी प्रतिभा का परिचय दें ? जब राजस्थान का आदमी बाहर जाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकता है, वहां उद्योगों की सूची में अपना नाम प्रदर्शित कर सकता है तो क्या कारण है कि वह राजस्थान में नहीं कर सकता है। आप उनको सुविधायें नहीं देते, यही कारण है कि वे राजस्थान में अपने उद्योग-धन्धे नहीं लगाते।

मुझे पता है, सन् 72 टोंक में एक औद्योगिक क्षेत्र घोषित हुआ था लेकिन आज तक उसका विकास नहीं हुआ। क्यों ? आज यह प्रश्न वाचक चिन्ह जगह जगह खड़ा है। यदि उस समय से उद्योग स्थापित होते तो आज 10–15 साल में प्रोडक्शन 10 गुना बढ़ जाता और प्रदेश को काफी लाभ होता लेकिन वह नहीं हुआ। इससे प्रदेश का विकास रुक गया। आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि · · ·

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कुछ नियमों का पालन करें। अब एक मिनट से अधिक नहीं दे सकता हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपने भी सुना होगा, हमारे मुख्य मंत्री जी ने घोषणा कर दी कि राजस्थान में थर्मल पावर प्लान्ट लगाये जायेंगे 60-60 मेगावाट बिजली का उनमें उत्पादन किया जायगा। मैं पूछता हूं, कहां गया वह उत्पादन ? कहां पर हो रहा है ? अभी सवाई माधोपुर की एक रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है कि सवाई

(श्री महावीर प्रसाद जैन)
माधोपुर में बिजली का प्लांट लग सकता है, वहां पर बिजली जनरेट की जा सकती है। इस बनास के पानी को रोक कर बिजली जनरेट की जा सकती है, बिजली का प्रोडक्शन किया जा सकता हैं लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है, कोई सीरियसली नहीं सोचता है। केवल इसमें विश्वास करते हैं कि घोषणाएं कर दो और लोगों को भ्रमित कर दो कि हम यह कर रहे हैं, हम वह कर रहे हैं। खुली लूट चल रही है, चाहे प्रशासनिक स्तर पर हो, चाहे राजनैतिक स्तर पर हो।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : समझ में तो आपकी नहीं आ रहा है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आज सबका केवल एक ख्याल है कि कहां से पैसा लाया जाय। बस पैसा खींचने की दृष्टि से हमारे प्रदेश का विकास रुक रहा है। मेरा सीधा-सीधा आरोप है कि यदि हमने यह नहीं रोका तो लोग सड़कों पर निपटेंगे। यदि हमने इस प्रकार का स्कैन्डल करना, इस प्रकार लोगों का शोषण करना, इस प्रकार का भाई भतीजावाद, लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार मिटाने की कोशिश नहीं की और इसकी शुरुआत हमने अपने से नहीं की तो लोग सड़कों पर निपटेंगे। शायद आप विधान सभा से बाहर नहीं निकल पायेंगे, गांवों में नहीं जा पायेंगे, यह स्थिति होने वाली है।

इतना ही कह कर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की मैं घोर भर्त्सना करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री भैरूंलाल जी।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़) : आदरणीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं राजस्थान सरकार के साथ ही केन्द्रीय सरकार की इस बात के लिए सराहना करना चाहूंगा कि जो विश्व प्रसिद्ध एशियाड हमारे देश में हुआ, उसमें हिन्दुस्तान के एक भाग राजस्थान और राजस्थान में भी जयपुर के जमवारामगढ़ क्षेत्र को नौकायन प्रतियोगिता के लिए चुना गया। इससे न केवल खेलों को प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि जयपुर, जो राजधानी है, के नजदीक एक पर्यटन स्थल के रूप में जमवारामगढ़, जो पहले से ही प्रसिद्ध स्थान है, का भी विकास होगा। इससे राष्ट्रीय स्तर की, एशिया और विश्व स्तर की प्रतियोगिताएं यहां पर आयोजित करने में आगे हमारे देश को मदद मिलेगी। मैं इस अच्छे कार्य के लिए, जैसा मैंने निवेदन किया, केन्द्रीय सरकार और राजस्थान सरकार को मुबारकबाद देना चाहूंगा।

जहां तक हमारे प्रान्त में बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत किये गये कार्यों के लेखे-जोखे का प्रश्न है, यह आंकड़ों से भी सिद्ध है कि कई कामों में हमने अच्छी प्रगति की है। यह तो बहुत अच्छी बात है। परन्तु मैं बीस सूत्री कार्यक्रम के कुछ मुख्य बिन्दुओं पर प्रकाश डालना आवश्यक समझता हूं। हमारी नेता और देश की प्रधान मन्त्री ने यह जो बीस सूत्री कार्यक्रम दिया है, इसमें जो पहला सूत्र है, उसकी गरिमा बीस सूत्री कार्यक्रम में प्राथमिकता देने से ही विदित होती है। पहला सूत्र सिंचाई से सम्बन्धित है। हिन्दुस्तान एक कृषि प्रधान देश है। इसमें कृषि को प्राथमिकता दिये बिना न किसी प्रकार की रोजगार की सम्भावनाएं बढ़ सकती हैं और न गरीबी

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

मिटाने का कोई विचार किया जा सकता है। सच बात तो यह है कि कृषि प्रधान योजनाओं से ही हम देश को आगे ले जा सकेंगे और देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को रोजगार दे सकेंगे। कृषि के कार्य में सबसे बड़ा कीमती काम पानी का है और इसीलिए प्रधान मन्त्री ने बीस सूत्री कार्यक्रम में सिंचाई को प्राथमिकता दी है। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि···

श्री महावीर प्रसाद जैन : कि आपको चेयरमैन बना दिया।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : प्रथम बिन्दू पर जो सिंचाई का कार्यक्रम है उस पर हम समग्र दृष्टि से राजस्थान को आगे नहीं बढ़ा पाये हैं। यह ठीक है कि हम राजस्थान नहर को पूरा करने में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, हम पश्चिमी राजस्थान के कुछ अन्य स्रोतों से भी पानी देने के लिए प्रयत्नशील हैं लेकिन केवल इतने से ही सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सन्तोष कर लेना हमारे लिए काफी नहीं है। राजस्थान बहुत बड़ा प्रदेश है और उसके बहुत से ऐसे हिस्से हैं जहां पानी की कोई व्यवस्था अब तक नहीं है। मेरा कहना तो यह है कि सिंचाई के लिए पानी देने का काम जो अब तक एक किसान के जिम्मे रख छोड़ा है, यह नितान्त ही हमारी भूल है। हम आज के प्रगतिशील युग में यदि यह विचार करें कि देश में पानी की व्यवस्था किसान कर लेगा तो यह हम किसी पुराने युग में रह रहे हैं। हमको आज नये युग के हिसाब से यह सोचना पड़ेगा कि जमीन के चप्पे–चप्पे पर पानी पहुंचाना इस देश के विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है। जब तक सरकार इस जिम्मेदारी को अपने ऊपर नहीं लेगी बल्कि अपनी जिम्मेदारियों में इसको प्राथमिकता नहीं देगी तब तक हम इस कार्य को आगे नहीं बढ़ा पायेंगे। मैं यह बात याद दिलाना चाहूंगा कि इस देश में ऐसी व्यवस्थाएं पहले भी रही हैं, प्राचीन रामायण कालीन इतिहास में भी तुलसीदास ने इसको इंगित किया है, "मांगे वारिधि देहि जल रामचन्द्र के राज।" इसका साधारण तौर पर भौतिक अर्थ तो लोग यह लगाते हैं कि जब भी राम राज में किसानों को फसल के लिए पानी की आवश्यकता होती थी तो बादल पानी बरसा देते थे। ऐसी बात ही नहीं है। यह केवल भौतिक, मौटे तौर पर कहे जाने वाली बात ही नहीं है। तुलसीदास जी ने इस बात की ओर इंगित किया है कि वारिधि का अर्थ केवल बादल से नहीं है, वारिधि का अर्थ है जो वारि देने के स्रोत हैं वह सब वारिधि कहलाते हैं। इसलिये वारिधि का अर्थ न केवल बादल से है बल्कि सिंचाई की अन्य जो सुविधायें हैं जिनके जरिये पानी मिलता है, वह सब वारिधि हैं। इसका अर्थ यह है कि राम राज के समय पर भारत में ऐसी व्यवस्थाएं थीं कि किसान को जिस समय फसल के लिए पानी की आवश्यकता होती थी तुरन्त उसको प्राप्त होता था। हमारे पुराने रामायण कालीन इतिहास से आज के जमाने में भी कुछ लोगों ने अपने विकास की दरारें तय की हैं, जो इसका नया उदाहरण है। उसके लिए मैं आपका ध्यान इजराइल की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। हमारे रामायण कालीन इस सूत्र को लेकर आज इजराइल ने जो तरक्की की है वह सर्वविदित है। मैं इजराइल की इस रूप में कोई तारीफ नहीं करता कि उसके जो

(श्री भैरूं लाल भारद्वाज)

अन्य कार्यक्रम हैं, खास तौर से राजनैतिक और विश्व शांति के रास्ते में जो बाधक कार्यक्रम हैं, उनकी तारीफ करने की बात नहीं करता, उनकी तो मैं भर्त्सना करता हूं परन्तु आज वह इस स्थिति में पहुंचा है कि विश्व के रंगमंच पर एक छोटा सा देश अत्यन्त शक्तिशाली आविर्भूत हुआ। उसका मुख्य कारण सिंचाई का पाइण्ट है। जहां इजराइल के 500 फीट नीचे तक जमीन में पानी नहीं है और 500 मील तक देश में पानी नहीं है ऐसे पानी विहीन देश इजराइल ने सिंचाई के मामले को, पानी को प्राथमिकता देकर दूर से पानी लाकर इजराइल की चप्पे-चप्पे जमीन पर पानी के वह स्रोत कायम किये हैं, जिस प्रकार एक बाग-बगीचे में बटन दबाते ही पानी निकलता है, यह स्थिति उस देश के कोने-कोने में कर दी गयी है। उस देश के बड़े-बड़े रेतीले टीलों पर जहां भी पम्प खोला जाता है पानी की बौछार इस तरह से होती है जिस तरह से वर्षा होती है। यह जो फव्वारे से खेती करने की तकनीक है यह इजराइल की ईजाद है ताकि न कहीं पर जमीन को लेवल करना पड़े और न कहीं पर क्यारियों, धोरे और नहरों के जाल के झंझट में पड़ना पड़े। यह एक व्यवस्था है इस नये जमाने की। उन पुरानी बातों को याद करते हुए कि ज्यों ही मांगे वारिधि देहि जल रामचन्द्र के राज, जहां किसान को आवश्यकता है बटन दबाइये, फव्वारे से खेती बगैर किसी क्यारी के, धारे के, बिना किसी कुए और नहर के जरिये। मैं इस देश में भी उस व्यवस्था को स्थापित करने के लिए इस मौके पर निवेदन करना चाहूंगा। मेरा निवेदन है कि प्राथमिक सूत्र जो सिंचाई का इन्दिरा गांधी ने दिया है उनकी मन्शा यही है। परन्तु यदि हम सब लोग उनकी मन्शा को पूर्ण तौर पर समझें बिना इस साल में एकाध नेहर, एकाध बांध छोटे-मोटे बना कर इस सूत्र को पूरा करना चाहें तो यह हमारी खाम खयाली होगी। हम इस सूत्र को प्राथमिकता दें। इसके लिए मैं चाहूंगा कि हमारा सरकारी बजट आने वाला है, वित्त मंत्री जी थोड़ा विचार करें, हमारी केबिनेट पूरा विचार करे और जितना भी राजस्थान के पास धन है, उसका कम से कम आधा भाग सिंचाई की व्यवस्थाओं के ऊपर रखे। 35 साल की आजादी के बाद हमने जितना रुपया बजट में इस देश के विकास के लिए खर्च किया है यदि उस सबका आधा पैसा मात्र सिंचाई के लिए रखा होता तो आज हिन्दुस्तान नन्दन वन बन गया होता और हिन्दुस्तान की स्थिति किसी प्रकार की कमी खामियों की न होकर एक बड़े भारी समृद्धिशाली मुल्क के तौर पर हुई होती। मेरा तो यह भी निवेदन है कि हम जो अन्य योजनाओं में पैसा लगाते हैं, उसकी आज कोई आवश्यकता नहीं रही होती। यदि देश के अन्दर हर क्षेत्र में पानी मिला होता तो आप इसका अन्दाज कीजिए कि करोड़ों और अरबों एकड़ धरती, जो आज हजार साल बाद भी पानी मिलने की स्थिति में नहीं है, पर सब जगह आज पानी पहुंच गया होता और इस देश के उत्पादन-वृद्धि के साथ इस देश में कितनी खुशहाली आती, इस देश के व्यापार और विदेशी व्यापार में कितने चार चांद लग गए होते। जब गांव के हर आदमी के पास खुशहाली होती, जेब में पैसा होता तो क्या जरूरत होती सरकार को अपनी ओर से स्कूल स्थापित करने की। क्या जरूरत होती सरकार को अपनी ओर से

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

औषधालय स्थापित करने की। जो सामाजिक सेवायें हैं ये तो समृद्ध किसान गांव का रहने वाला अपनी जेब से ही स्कूल कायम करता, कालेज कायम करता और समृद्धिशाली भारतीय नागरिक अपनी ओर से यूनिवर्सिटी बनाता। अपने मनपसंद की शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्थायें करता, स्वास्थ्य सेवायें और शिक्षा सेवायें तो उनका स्वयं का काम होता। यह जो अरबों रुपया हम सामाजिक सेवाओं में लगा रहे हैं इसकी कोई जरूरत नहीं होती यदि हम भारत के आम नागरिक को इस देश की सिंचाई सुविधाओं के द्वारा समृद्ध बना देते। माननीय सभापति महोदय, उस पुरानी गलती को अब भी मैं छोड़ने के लिए निवेदन करना चाहूंगा। सारा बजट गांवाई भाषा में, झाड़साही भाषा में भंगड़ा बखेर बजट है, जैसे चने बिखेरे जाते हैं, प्रसाद बांटा जाता है बराबर-बराबर, वैसा यह बजट है। यह कोई मन्दिर नहीं है जहां हम आये हुए लोगों को एक-एक मुट्ठी प्रसाद बांट दें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समय का ध्यान रखिए। आप समय का ध्यान रखेंगे।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : यह हिन्दुस्तान के विकास का सवाल है, माननीय सभापति महोदय, इसलिये हमें बड़ी गम्भीरता से सोचना होगा। जो बजट है, जनता का पैसा जो हमारे बजट में आता है, उसकी प्राथमिकताओं पर पुनः विचार करना पड़ेगा। हमारे पास देश की प्रधान मंत्री का जो बहुत बड़ा निर्देश है वह बीस सूत्री कार्यक्रम का प्रथम बिंदू है। हमको इस प्रथम बिंदू को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। मुझे उम्मीद है कि हमारी सरकार इस सिंचाई के मामले को आने वाले बजट में बड़ी गम्भीरता से लेगी। जयपुर जिले का उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है जहां कुओं के अन्दर पानी की कमी से खेती बर्बाद होती जा रही है। ऐसे मौके पर छोटी-छोटी नदी और नालों पर एनिकट बनाकर हम कुओं में पानी के स्रोत बढ़ा सकते हैं। जहां नीचे पत्थर है वहां रिग-मशीन के जरिये पांच सौ-सात सौ फीट नीचे बोर करके कुओं में नीचे से, जमीन से पानी ले सकते हैं। कई ऐसे स्रोत भी हैं जयपुर जिले में जहां से पानी निकालने के लिए दो सौ हार्स पावर की मोटर के साथ एक पम्प लगा कर हम एक छोटी नहर कायम कर सकते हैं। यानी जयपुर जिले के अन्दर यहां के बरसाती पानी को सुव्यवस्थित ढंग से रोक कर के उसका अच्छा उपयोग करके खेती को बढ़ा सकते हैं। सभापति महोदय, यह कहते हुए मुझे बड़ा दुःख होता है कि आज 35 साल में राजस्थान के सिंचाई विभाग के अरबों रुपयों के बजट में से कुछ भी हिस्सा जयपुर जिले के पांती नहीं आया। यह जयपुर जिले के साथ बड़ा अन्याय है। मैं पुरजोर शब्दों में कहना चाहूंगा कि राजधानी, जो महत्वपूर्ण जिला है, की अनदेखी करके इस जयपुर जिले की जनता के साथ, खास तौर से यहां के किसानों के साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि सरकार भविष्य में इस जिले की सिंचाई योजनाओं की ओर अवश्य ध्यान देगी।

मैं इसी के साथ बीस सूत्री कार्यक्रम के ग्यारहवें पाइन्ट पर आना चाहता हूं। जिस तरह प्रथम पाइन्ट है सिंचाई का, एक और एक मिलकर ग्यारह होते हैं। इसी तरह इस एक के साथ दूसरा एक मिलाने से

(श्री भैरू लाल भारद्वाज)

बीस सूत्री कार्यक्रम का ग्यारहवां सूत्र है विद्युत् व्यवस्था। जो बिजली की व्यवस्था है उसकी स्थिति हिन्दुस्तान के अन्दर अत्यन्त ही मार्मिक है। अत्यन्त मार्मिक ही नहीं बल्कि जीवन मरण के प्रश्न से जुड़ी हुई बात है। इसका नाम पावर है। इसका नाम शक्ति है। जिस देश में शक्ति का फैलाव जितना धीरे होगा उतना ही वह देश निर्बल रहेगा। यदि हम देश को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमको शक्ति के स्रोतों का तुरन्त ही विकास करना पड़ेगा। हम बड़ी ही धीमी गति से चल रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, हमारी जो बिजली की योजनायें हैं, मुझे अफसोस है कि वे बड़ी धीमी गति से चलाई हैं हमने। अब हम आगे तेजी से चलाने के लिए विचार तो कर रहे हैं परन्तु केवल विचार करने से काम नहीं चलेगा। जहां तक रुपये पैसों की कमी का सवाल है, यह बात ठीक है कि जो बड़ी योजनायें हैं केन्द्र सरकार को उनको केन्द्रीय स्तर पर लेना चाहिये और छोटी योजनाओं को राज्य सरकार को अपनी योजनाओं के तहत लेना चाहिये। इस बात को केवल साधारण तौर पर कह कर हम आत्म संतोष नहीं कर सकते कि केन्द्र सरकार योजनाओं में पैसा नहीं देती। हमको अपनी पूरी शक्ति इस बात में लगानी है। हमारे देश में, खास तौर से हमारे प्रान्त में बिजली की कमी के कारण आज फसलें बरबाद हो रही हैं। आप जानते हैं कि कल किसानों ने प्रदर्शन किया था। उन किसानों को किसान यूनियन के नाम से कुछ राजनैतिक दलों ने भी गुमराह करने की कोशिश की है, परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि वे गुमराह केवल अपनी तकलीफ के कारण हुए हैं। नहीं तो चाहे कोई लोकदल कहे, चाहे कोई जनता पार्टी कहे, किसान कांग्रेस को अपना समर्थक और अपने विकास के साथ जुड़ी हुई संस्था मानता है। परन्तु जब किसान का खेत बरबाद होता है तो आखिर वह गुमराह होने के लिए मजबूर होता है। माननीय सभापति महोदय, आप स्वयं विचार कीजिए, हमने राजस्थान में जब जौ, गेहूं की फसल बोने की शुरुआत की थी, आपको याद होगा तब इस विद्युत् विभाग ने हमको 14 घन्टे बिजली दी थी। आठ घन्टे रात को और छः घन्टे दिन को। माननीय सभापति महोदय, उस 14 घण्टे के हिसाब से हमने अपने खेतों में बुवाई की है। मैं आपको अपना ही उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं केवल मात्र रबी की फसल का काश्तकार हूं। मेरे यहां खरीफ की फसल पैदा नहीं होती। मेरे पास केवल खेती में सिवाय कोई स्त्रोत एक पैसे की भी पैदावार का नहीं है। चाहे आप किसी प्रकार इस बात की जांच करा लें मेरे पास सिवाय खेती के कोई भी श्रोत किसी प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जीवनयापन के लिए नहीं है। ठीक इसी प्रकार से लाखों किसानों के पास मेरी ही तरह केवल खेती ही एकमात्र जीवनयापन का साधन है। आप अन्दाज कीजिए, मैंने अपने खेत पर 14 घन्टे की बिजली के हिसाब से एक कुए पर 30 बीघा पक्के जौ, गेहूं बोये हैं। आज तीन घण्टे, चार घन्टे और पांच घण्टे बिजली मिलने से मेरी फसल बरबाद हो रही है, तो मेरी क्या स्थिति होगी। मैं कांग्रेस का एक जिम्मेदार सदस्य होते हुए जब मेरे खेत पर जाता हूं तो मेरी क्या हालत होती है, मेरे होश फाख्ता हो जाते हैं उस समय जब मैं यह विचार करता हूँ कि मेरा खेती पर जो 35 हजार रुपया लगा है, इस तीस बीघा पर, इस मंहगाई में वह तो बरबाद हो ही रहा है,

(श्री भैरू लाल भारद्वाज)]

आगे आने वाले बारह महीने के लिए मेरी रोजी-रोटी का क्या होगा, यह कौन देगा, कैसे देगा। यह बिजली का सवाल, खास तौर से खेती के लिए बिजली का सवाल कोई साधारण बात नहीं है। हमको बिजली बोर्ड का पुनर्गठन करने के लिए एक उचित कदम उठाना चाहिए। सभापति महोदय, आज बिजली बोर्ड में किसानों का कोई नुमाइन्दा नहीं है इसलिए बिजली बोर्ड बिजली का वितरण करते समय किसानों की प्राथमिकताओं की ओर केवल कागजी और अखबारी ध्यान देता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि बिजली बोर्ड का तुरन्त पुनर्गठन किया जावे। उसमें खास तौर से यह तय किया जावे कि बिजली बोर्ड के जितने सदस्य हों उनमें बहुमत किसानों के प्रतिनिधियों का होना चाहिए। यानी अगर 11 सदस्य हों तो छ: आदमी किसानों के प्रतिनिधि हों, एक आदमी टेक्निकल हैड हो, एक मजदूरों का प्रतिनिधि हो, जो बिजली बनाते हैं और अगर चाहो तो एक उद्योगपतियों का भी प्रतिनिधि रख लो, और बाकी जनप्रतिनिधि हों। इस प्रकार से बोर्ड का गठन होना चाहिए ताकि वह किसानों की फसलों के बारे में बिजली के उपयोग की प्राथमिकताओं का सही अन्दाज लगा सके। मैं इस मौके पर यही निवेदन करना चाहूंगा बिजली के मामले में, अभी भी समय बचा है, एक महीना बाकी है, हम आपसे निवेदन करते हैं कि एक महीने के लिए अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़ कर बाकी की बिजली बिल्कुल बन्द कर दीजिए। लघु उद्योग के नाम पर 25 हार्स पावर की मोटर वालों को भी आप लघु उद्योग बताते हैं। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि किसान के कुएं पर तीन हार्स पावर की मोटर या पांच हार्स पावर का मोटर लगा हुई है क्या वह बड़ा उद्योग है। उद्योग के नाम पर 25 हार्स पावर का मोटर को भी लघु उद्योग कहना और किसान की फसल के लिए कुएं पर तीन हार्स पावर, पांच हार्स पावर की मोटर को बड़ा उद्योग कह कर चार घण्टे, तीन घण्टे बिजली के लिए पाबन्द करना किसानों के साथ अन्याय है। अब भी एक महीने का समय है। आप याद रखिये, विरोधी दल तो इस बात से खुश हैं कि किसानों के साथ जितना अन्याय होगा दो साल बाद उसका रंग नजर आएगा। मैं एक सच्चे कांग्रेसी कार्यकर्त्ता के नाते इस कांग्रेस सरकार के मेरे सहभागी, साथियों से खास तौर से निवेदन करना चाहूंगा कि विरोधियों के जाल में न फसें। किसान एक ऐसा आदमी है जो सीधा ही किसी प्रकार की क्रांति नहीं कर सकता है परन्तु यह बात ठीक है कि जब उसके सामने उसके बच्चे की रोजी-रोटी पर कोई लात पड़ती है, उसके पेट पर लात पड़ती है तो उसका वह जम कर मुकाबला करता है और जरूरत पड़ने पर बदला भी लेता है। हमारी पार्टी के लोग किसान के समर्थक लोग हैं, खास तौर से इन्दिरा गांधी किसानों के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, उसके बावजूद कुछ हमारी व्यवस्थाओं की कमी के कारण से हम किसानों की फसल को जला रहे हैं। केवल मात्र एक महीने के लिए बिजली की कमी को पूरा नहीं कर सके तो यह हमारे लिए दुखद घटना होगी। मैं निवेदन करूंगा कि इसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिये।

मैं इसी के साथ यह बात भी कहना नहीं भूलूंगा कि कृषि जन्य वस्तुओं के भाव हमने एक खुले राम राज्य की तरह पूंजीपतियों

(श्री भैरूं लाल भारद्वाज)

की मर्जी पर छोड़ रखे हैं। आप अन्दाज कीजिये कि आज से 13 साल पहले भी गेहूं का भाव ढाई रुपया किलो था और आज भी गेहूं का भाव ढाई रुपया किलो है। बीच में तो डेढ़ रुपया, सवा रुपया, एक रुपया किलो हो गया था और जनता पार्टी के राज में तो 90 और 95 रुपया क्विण्टल गेहूं विका है जब कि किसान के काम में आने वाली चीजें दुगुनी तिगुनी चौगुनी भाव पर चली गई हैं। आप सीमेन्ट का हिसाब लगा लीजिए। 13 साल पहले 13) रुपया कट्टा लाखेरी सीमेन्ट का बहुत बढ़िया सीमेन्ट का भाव था और आज रेत मिली हुई रद्दी सीमेन्ट मिलती है जिसमें पूंजीपति आधी मिट्टी और आधी सीमेंट लगाते हैं, जिससे मकान गिर जाते हैं, उसके भाव आसमान छू रहे हैं। इसी प्रकार किसान के लिये खेती के काम में आने वाली और जीवन-यापन की जो आवश्यक वस्तुएं हैं, उनके साथ कृषि जन्य वस्तुओं के मोल का कोई तारतम्य नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा आपने सरकारी नौकरों के लिये महंगाई सूचक अंक का एक तरीका बैठा रखा है इसलिये कि वे संगठित हैं, इसलिये कि वे बुद्धिमान हैं। लेकिन मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा यद्यपि किसान अभी संगठित नहीं हैं, किसान अभी बुद्धिमान नहीं बना है पर क्या उसके साथ न्याय नहीं होना चाहिये ? जो कृषि जन्य वस्तुओं के भाव हैं, आम जीवन की उपभोक्ता वस्तुओं के साथ उनका तारतम्य बैठना चाहिये। यदि बाजार की अन्य वस्तुएं महंगी होती हैं तो, बिना कहे ही कृषि जन्य वस्तुओं के भाव ऊंचे होने चाहिये, यदि अन्य वस्तुएं सस्ती होती हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है कि कृषि जन्य वस्तुओं के भाव नीचे गिराये। जब तक यह न्याय व्यवस्था किसानों के साथ स्थापित नहीं करेंगे जब तक मुझे डर है कि किसान यह बात महसूस नहीं करेंगे कि हम उनके सच्चे हितैषी हैं। इतना ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कांग्रेस के हमारे सभी मित्र किसानों के, मजदूरों के, सच्चे हितैषी हैं तो उनको तुरन्त ही इस बात की ओर कदम उठाना पड़ेगा कि कृषि जन्य वस्तुओं के भावों को जीवन उपयोगी वस्तुओं के भावों के साथ जोड़ कर एक व्यवस्थित तारतम्य बैठा दें।

इसके अतिरिक्त मैं एक और आवश्यक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो इस देश के लिये, इस प्रान्त के लिये भयानक स्थिति पैदा कर रही है, वह प्राथमिक शिक्षा का ह्रास है। माननीय सभापति महोदय, हमने राजस्थान में दो सौ करोड़ रुपये से भी अधिक रुपया बजट के अन्दर शिक्षा के लिये रखा है, गये साल में। शायद हम उसको और आगे बढ़ाने जा रहे हैं। मुझे अफसोस है इस प्रान्त की शिक्षा के प्रति छात्र के हिसाब से रेश्यो अगर आप निकालते हैं तो प्राथमिक शिक्षा पर हमने एक प्रकार से जीरो पाइन्ट खर्चा किया। आज आप देखिये, पहले हमारा रेश्यो था 39 छात्रों पर एक अध्यापक। शिक्षा के विकास के लिये 39 से नीचे हमको जाना चाहिये था, हमको 29 या 30 छात्रों पर एक अध्यापक कायम करना चाहिये था। इसके बजाय हम आगे बढ़े हैं और तकलीफ पैदा करने के लिये 49 छात्रों पर एक अध्यापक का रेश्यो कायम किया है। एक अध्यापक प्राइमरी स्कूल में कभी 49 बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है। यदि वह 49 पर भी रखा होता तो भी मैं किसी तरह से संतोष करता। माननीय सभापति महोदय,

(श्री भैंरूंलाल भारद्वाज)

49 पर एक के हिसाब से राजस्थान के प्राइमरी स्कूलों में 10 हजार अध्यापकों की आवश्यकता है। आप देखिये, यद्यपि दो हजार अध्यापकों की नयी पोस्ट क्रियेट हुई हैं तथापि मैं पूछना चाहता हूं, 8 हजार अध्यापकों की जो 49 पर एक के हिसाब से कमी चली रही है यह प्राइमरी शिक्षा को किधर ले जायगी ? जब आपका लड़का प्राइमरी स्कूल में क, ख, ग नहीं पढ़ेगा, और वह पास होता हुआ मिडिल स्कूल और मिडिल स्कूल से हाई स्कूल और कालेज और यूनिवर्सिटी में पहुंचेगा तो हड़ताल करने के सिवाय उसके पास रास्ता क्या है। यूनिवर्सिटी का छात्र प्राइमरी एजूकेशन नहीं लेकर आगे बढ़ता हुआ आता है, उसके पास लम्बे पौथे पढ़ने के लिये दिमाग नहीं है। उसको बीच में नहीं पढ़ाया गया। तो आपकी इस व्यवस्था से मजबूरी में बेपढ़ा लड़का यूनिवर्सिटी में पहुंच गया है। इसलिये, माननीय सभापति महोदय, यह साधारण बात नहीं है। हम प्राइमरी एजूकेशन को नजरअन्दाज करके सारी शिक्षा का बंटाढ़ार करने जा रहे हैं। केवल शिक्षा का बंटाढ़ार नहीं हमारे देश की नयी पौध का, हमारे देश के नये विकसित जन जीवन का, नये मनुष्य जो हम तैयार कर रहे हैं उनका बंटाढ़ार हो रहा है । देश को किधर ले जाना चाहते हैं ? भविष्य में हम देश को सुधारना चाहते हैं, देश को मजबूत करना चाहते हैं। क्या उसको हम योग्य नवयुवक देंगे ? योग्य नवयुवक बिना प्राथमिक शिक्षा को मजबूत किये, बिना अच्छी शिक्षा प्राप्त किये नहीं बन सकेगा। मेरा निवेदन है कि जो हायर सैकण्डरी, सैकण्डरी स्कूल खोलने की अभी योजना है वह तब तक के लिये काट दी जानी चाहिये जब तक हमारे मौजूदा स्कूल, स्कूल न बन जायं। अध्यापकों की कमी से स्कूल स्कूल नहीं भेड़ बकरियों के बाड़े बन रहे हैं । क्या हम देखते हैं कि प्राइमरी स्कूल में 150 बच्चों को···

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री भैंरूंलाल भारद्वाज : माननीय सभापति महोदय, आप मेरी बात को समझिये। प्राइमरी स्कूलों में 100 या 150 लड़कों पर एक अध्यापक है। क्या 150 और 100 लड़कों को एक अध्यापक पढ़ा सकता है ? यह कितनी दर्दनाक स्थिति है, सभापति महोदय, इसको आप केवल कोई बहस या राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर लच्छेदार भाषण के रूप मे न लीजिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, यह मेरा दर्द है। प्राइमरी स्कूलों का जो सत्यानाश हो रहा है उसके लिए मेरे हृदय में बड़ी भारी टीस है मैंने इस बात को बार-बार उठाया है, मगर हमारे हितों की ओर क्यों नहीं ध्यान गया ? मैं दुबारा इस मौके पर निवेदन करना चाहूंगा, शिक्षा के बजट का हम पैसा न बढ़ा सकें तो न बढ़ायें मगर जो हमारा मौजूदा बजट है उसको हम व्यवस्थित करके दूसरे खर्चों को काट कर प्राइमरी स्कूलों में और प्राइमरी स्कूलों में भी केवल अध्यापकों की पूरी संख्या देने के लिए उपयोग में लाना चाहिये। यह मेरा इस मौके पर निवेदन है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपने काफी समय ले लिया । समाप्त करिये ।

श्री भैंरूंलाल भारद्वाज : अब मैं केवल एक मिनट लूंगा, सभापति महोदय, मैं केवल अपनी

(श्री भैरू लाल भारद्वाज)

क्षेत्रीय बात पूरी कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। यह बात मैंने राजस्थान के लिये कही है, किन्तु यह भी नहीं भूल सकता हूं, जिस जमवा रामगढ़ क्षेत्र से मैं प्रतिनिधि चुन कर आया हूं, आप अन्दाज कीजिये, उसके साथ आज तक कितना अन्याय हुआ है। पूरे जमवा रामगढ़ क्षेत्र में एक भी पशु चिकित्सालय नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं, जमवा रामगढ़ क्षेत्र में एक भी पशु चिकित्सालय नहीं है। जिस क्षेत्र में 200 गांवों की आबादी हो, जिसमें 2 लाख के करीब आदमी रहते हों, जिसमें साढ़े पांच लाख पशु हों उसमें एक पशु चिकित्सालय नहीं है। जो जयपुर के नजदीक जमवा रामगढ़ कांस्टीट्यूएंसी है, आप देखिये, कितना बड़ा अन्याय इस क्षेत्र के गरीबों के साथ हुआ है।

श्री सभापति : समाप्त कीजिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला (राज्य मंत्री, पशुपालन) : मैं इस समस्या को दूर करने की कोशिश करूंगा।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : इसी प्रकार मनुष्यों के स्वास्थ्य के लिये भी किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। और तो जाने दीजिये, 15-15, 10-10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मिडिल स्कूल नहीं है। और भी जाने दीजिये दो दो, तीन तीन वर्ग किलोमीटर में प्राइमरी स्कूल नहीं है, इस क्षेत्र में। आप इसके पिछड़ेपन का अंदाज कीजिये। मैं इतना ही निवेदन करके अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं, जमवा रामगढ़ क्षेत्र अत्यन्त पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यह केवल कहने से नहीं आपके सरकारी आंकड़ों के हिसाब से मैं निवेदन करूंगा। इस मौके पर जबकि हमारी सरकार सारे प्रान्त का संतुलित विकास करने जा रही है, मेरा निवेदन है कि वह इस असंतुलन को शीघ्र दूर करने का कदम उठायें। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार ने जो कई अच्छे काम किये हैं उनकी मैं तारीफ भी करना चाहूंगा। हमने कई कार्यों के अन्दर राजस्थान को हिंदुस्तान के अन्य प्रान्तों से आगे बढ़ाया है। मैं उनकी तारीफ करता हूं परन्तु मैंने जो कमियां बतायी हैं, उनको शीघ्र पूरा किये जाने के लिये प्राथमिकता के तौर पर ध्यान दिये जाने का जोरदार समर्थन करते हुए जो राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण दिया उस पर कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा है उसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूं।

धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री नानूराम जी।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री देवेन्द्र कुमार जी।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (सराड़ा) : सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण मैंने पढ़ा, पढ़ कर यह महसूस किया कि अभिभाषण गरीबों का हितैषी भाषण है। इस मौके पर मैं यह निवेदन कर सकता हूं कि हमारे देश की माननीय प्रधान मंत्री महोदय ने जो 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया है वह गरीबों के लिये, पिछड़े वर्ग के लिये और हरिजनों के लिये उपयोगी है। सभापति महोदय, एक बात मैं इस वक्त शिक्षा के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। आप जानते हैं कि मेरे उदयपुर में ट्राइब्स की आबादी बहुत अधिक संख्या

(श्री देवेन्द्र कुमार मीणा)

में है, वहाँ पर हमें शिक्षा के बारे में जो सुविधा होनी चाहिये और पढ़ाई के लिये बच्चों को आगे लाने की सरकार की जो सुविधा है, सरकार का जो पढ़ाने का लक्ष्य है उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, मेरा निर्वाचन क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है। उदयपुर पूरा डिवीजन ऐसा है जो कि हजारों साल से पहाड़ी क्षेत्र है, एक भी आवागवन के साधन नहीं होने के कारण बहुत अर्से से पिछड़ा हुआ है। वहां पर मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल और बच्चों की शिक्षा के लिये होस्टल की जरूरत है। सभापति महोदय, ट्राइब्स की जनजाति की जो उप-योजना बनाई है उसके आधार पर भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने ट्राइबल्स की आवश्यकता के लिये शिक्षा की दृष्टि से हजारों रुपये खर्च करने की बात कही और उसको आगे बढ़ाने में सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन मुझे दुःख है कि ट्राइबल्स की योजना के अधिकारी आज तक इस पर कोई ध्यान न देकर टी. ए., डी. ए. बनाने की कोशिश में सारा पैसा अपने उपयोग में ले रहे हैं। जो फायदा आदिवासियों को मिलना चाहिये वह नहीं मिल रहा है। स्कूल अधूरे पड़े हुए हैं। प्राइमरी स्कूल अधूरे पड़े हैं। जिस तरह से योजना के अन्तर्गत कार्य होना चाहिये वह नहीं हो रहा है।

दूसरी बात, मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, वह क्षेत्र ऐसा है जहां पर आवागमन का कोई साधन नहीं है। जब तक आवागमन के साधनों का विकास न हो तब तक इन पहाड़ों पर कैसे आ जा सकते हैं? जैसे सराड़ा, खेरवाड़ा, गोगुन्दा, झाड़ोल, कोटड़ा, पलासिया आदि ऐसे पहाड़ी एरियाज हैं जिनके लिये हमने सरकार को निवेदन किया था कि यहां के लोगों की हालत सुधारने के लिये सबसे पहले सड़कों की व्यवस्था करिये ताकि किसी अधिकारी को ले जा सकें, मौका दिखा सकें और वहां पर छोटे छोटे एनीकट, कुओं आदि की सुविधा ले सकें। हमें जो फायदा मिलना चाहिये वह नहीं मिल रहा है। जो आंकड़े दिये जा रहे हैं, मैं उन आंकड़ों में कम विश्वास करता हूं। जो आंकड़े आपने बताये, मैं मानता हूं कि मेरे हिसाब से वे आंकड़े सही नहीं हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे क्षेत्र में खास तौर से सराड़ा आदिवासी क्षेत्र में जो स्कूल बने हैं उनका अधूरा काम पड़ा हुआ है वह पूरा नहीं किया गया है। आज आदिवासी क्षेत्र में पिछले चार साल से भयंकर अकाल पड़ रहा है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे वहां पर हम चन्दा नहीं दे सकते। आदिवासियों की हालत ऐसी नहीं है कि चन्दा देकर स्कूल बनवा सकें। हमारे ट्राइबल्स का जो पैसा आ रहा है उसका सही उपयोग नहीं हो रहा है। राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार और भारत सरकार ने जिस गति से आदिवासियों और हरिजनों को आगे लाने की कोशिश की है उस पैसे का सही उपयोग तो अधिकारी लोग टी. ए., डी. ए. में कर रहे हैं और आदिवासियों को फायदा नहीं हो रहा है। जो योजना का पैसा है, प्लान का पैसा है वह प्रेक्टिकल तौर पर इन गरीबों पर खर्च होना चाहिये।

दूसरा, सभापति महोदय, लघु उद्योगों के बारे में निवेदन करना चहता हूँ। हमारे

(श्री देवेन्द्र कुमार मीणा)

आदिवासी क्षेत्र में खेती करने के लिए जमीन एक, डेढ़, दो बीघा और पांच बीघा से अधिक किसी आदिवासी के पास नहीं है। पहाड़ी क्षेत्र में हम बन्धे बांध कर मेहनत से जमीन सींचते हैं। मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में अधिकतर खनन पट्टे जो आदिवासी ट्राइब्स और कास्ट्स के लोग हैं उनको दिये जायं। जब खनन भू-खण्ड अलाट किये जाते हैं तो अच्छे पैसे वाले लोग तो ले लेते हैं लेकिन आदिवासी उनको नहीं ले सकते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। दूसरी उपयोगी चीजें ले लेते हैं। तो इस बारे में ध्यान दिया जाना जरूरी है। सभापति महोदय, इस क्षेत्र में जनता पार्टी के समय में ऋषभदेव के पास सरकार द्वारा एक मिल कायम की गई, अहमदाबाद, बम्बई की पार्टी के साथ मिल कर। उस मिल में हमारे काफी मजदूर लगे हैं। छोटे उद्योग लगाने जरूरी है, लघु उद्योगों के लिये मजदूरों की कमी नहीं है बहुत मिल सकते हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बुनाई और सुथारी के लघु उद्योग लगाये जायं तो आदिवासी लोग मेहनत करके अपनी माली हालत सुधार सकते हैं।

अकाल के बारे में, सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा, इस वर्ष भयंकर अकाल है। सरकार कोशिश कर रही है कि आदिवासियों के हालत सुधरे। पहाड़ी क्षेत्र में अगर एक वर्षा नहीं होती है तो मक्के की फसल सूख जाती है और हमारे लिए अकाल हो जाता है। मेरा सुझाव है सरकार को कि हमारे वहां कुएं, एनीकट और छोटे बन्धे बनावें, बिजली की व्यवस्था सुधारी जाय तो आदिवासी छोटे-छोटे जमीन के टुकड़ों पर मेहनत करके, जमीन को सिंचित करके कुछ टाइम निकाल सकते हैं और अपना निर्वाह कर सकते हैं। मैं इस मौके पर आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को मैंने पढ़ा। उसमें जो आदिवासियों को सुविधा दी है उसका सही उपयोग हो और आगे हमको ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने की कोशिश करें।

माननीय सभापति महोदय, उदयपुर डिवीजन में आदिवासियों की संख्या ज्यादा है। वहां सारे आदिवासी जंगल में रहते हैं। आज आप जंगल पनपाने की बात कहते हैं। हम खुद जंगल में रह रहे हैं, जंगल को अपनी संपत्ति मानते हैं लेकिन कुछ तो सरकार की कमजोरी है। सरकार द्वारा ठेकेदारों को ठेका देने के बाद जंगल खतम हो गये, वह हमने नहीं काटे हैं। आदिवासियों पर आरोप लगाते हैं लेकिन आदिवासियों ने जंगल नहीं काटे। ठेकेदारों को देकर जंगल नष्ट किये गये हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि जंगलों को पनपाना है तो आदिवासियों को एक-एक बीड़ रखने के अधिकार दिये जायं ताकि वह उनकी रखवाली कर सकें। जैसे आज हमने जो बीड़ रखे हैं वहां काफी सागवान और दूसरे वृक्ष हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस योजना के अन्तर्गत एक आदिवासी को 5–6 बीघा जमीन अलाट कर दें और यह कह दें कि इस पर जंगल लगाना है और उसकी रक्षा करनी है। तो अपने आप जंगल हो जायेगा जब कि लाखों रुपया खर्च करने पर भी पर वैसी व्यवस्था नहीं होगी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमें घास की जरूरत पड़ती है और हम उसकी रक्षा करते हैं। अगर हमें घास काटने की सुविधा होगी तो दूसरे पेड़ों

(श्री देवेन्द्र कुमार मीणा)
की रखवाली के लिए मदद दी जायेगी और जंगल पनपेगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समय हो रहा है।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा : साथ ही मैं आपके मार्फत सहकारिता समितियों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। सभापति महोदय, आदिवासियों को सुविधा देने के लिए, उनकी माली हालत सुधारने के लिए कोआपरेटिव सोसाइटी का आधार लिया गया है। सभापति महोदय, मैं कोई विरोध के लिए नहीं कह रहा हूं लेकिन मैं इस हाउस में यह कहना चाहता हूं कि आदिवासियों को लोन देना कतई बन्द कर दिया जाय। सभापति महोदय, लोन बन्द करने का मकसद यह है कि सौ रुपये हमारा आदिवासी भर नहीं सकता। आज एक भी आदिवासी ऐसा नहीं है जो कि सरकार के कर्जे से दबा न हो। अगर वह एक टाइम चूक जाय तो दूसरा फायदा भी नही ले सकता। अगर वह पुराने कर्जे से दबा हुआ है, जिसका ब्याज आप 100 रुपया लेते हैं तो वही ओवर ड्यू हो जाने के बाद 500 रुपये बढ़ गया। फिर कर्जा ले नहीं सकता। आप उसे भेड़ पालन, बकरी पालन, और मवेशी लाने के लिये कहते हैं लेकिन उससे कोई फायदा नहीं मिल रहा है। इसलिये मेरा निवेदन है कि किसी भी आदिवासी को कर्जा मत दो। उसके पास है क्या? हमारे लोगों के पास कुछ नहीं है 1–2 बकरी या गाय, भैंस छोड़ कर, थोड़ी बहुत जमीन है जो नीलाम हो जायेगी और वह मारा-मारा फिरेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि जब तक आप उसका पुराना कर्जा माफ नहीं करें, आदिवासी आगे नहीं आ सकता। तो सरकार इस बारे में गौर करे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करेंगे।

(व्यवधान)

समय कम है, माननीय सदस्य।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा : बस अभी समाप्त करता हूँ।

सभापति महोदय, एक बात यह है कि गांवों में आवागमन का साधन होना चाहिए क्योंकि आज का जमाना ऐसा है कि अगर वहां पर कोई मोटर नहीं जायेगी तो फिर आप वहां पर चाहे दो हजार और पांच हजार की तनख्वाह वाला आदमी लगा दें वह वहां पर जायेगा ही नहीं और रिपोर्ट कर देगा कि सब काम सही है, खुद जाकर के नहीं देखेगा। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर आवागमन के साधन होने चाहिए, शिक्षा के बारे में व्यवस्था हो, प्राइमरी स्कूल का भवन अच्छा हो। खनिज के बारे में निवेदन किया कि उदयपुर जो हमारा आवासीय क्षेत्र है, दक्षिणी जो हिस्सा है वहां खनिज सम्पदा बहुत है। वहां पर आदिवासियों के नाम ही पट्टे दिये जाने चाहिये तभी हम उनकी माली हालत को ठीक कर सकते हैं। अगर आप सेठ साहूकारों के भरोसे रहोगे तो हम आदिवासी जहां पर हैं वहीं पर रहेंगे क्योंकि आज तक हम किसी न किसी कर्जे में जरूर फंसे हुए हैं। जब तक आदिवासी साहूकार के पंजे में रहेंगे तब तक आजाद नहीं हो सकेंगे। हम गुलाम रहेंगे आप कहेंगे कि हम आजाद हैं, हमको बोलने का अधिकार है लेकिन यह तो यहां पर है।

(श्री देवेन्द्र कुमार मीणा)

स्थिति यह है कि जब तक हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं होंगे तब तक क्या हो सकता है ? अगर हम कुछ बोलेंगे तो बोहरा हमको कपड़ा नहीं देगा, अनाज नहीं देगा फिर हम भूखों मर जायेंगे इसलिये हम आजाद नहीं हैं। इसके लिये आप कोई व्यवस्था करें, कोआपरेटिव के माध्यम से या चाहे किसी अन्य ढंग से करें। जो पुराने कर्जे हैं उनको माफ कर दें जिससे की नये कर्जे मिल सकें। अगर आप आदिवासियों का भला चाहते हैं तो आपको यह करना ही होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण है उस पर कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री नानूराम।

श्री नानूराम कुमावत (आसीन्द) : सभापति महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी दो चार बातें निवेदन करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण मैंने पढ़ा, उसमें पेज नं. 8 और पेज नं. 17 पर 'प्रशासन गांवों की ओर' की जो बात कही गयी है यह बिलकुल ठीक है। इससे हमारे राजस्थान के कई गरीब लोगों का काम हुआ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन मेरी तरफ से मैं एक दो सुझाव और निवेदन करना चाहूंगा। जैसा कि पेज नं. 17 पर 'प्रशासन गांवों की ओर' की जो बात कही गयी है, उसमें नियम में एक अड़चन है। सन् 56 में और सन 66 में दो बार रेवेन्यू एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था। उस समय यह अमेंडमेंट किया गया था कि जहां पर कमाण्ड क्षेत्र है और उसमें जो चरागाह हैं, वे चरागाह नहीं रह सकते हैं। उसके बावजूद प्रशासन की ढिलाई की वजह से वहां पर चरागाह कायम है। उस जगह किसानों को जुर्माना भरना पड़ रहा है। एक दो जगह के मैं पर्टीकूलर उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे भीलवाड़ा जिले में एक किसान को तीन महीने की सजा हो गयी है। मैं इसके बारे में, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरी तरफ से एक सुझाव देना चाहता हूं कि किसान को कुछ नहीं चाहिए, किसान केवल अपनी जमीन पर अपना जीवन निर्वाह कर रहा है। नियम ऐसे बन गये हैं कि नाजायज कब्जा करने पर किसान पर नियमों के तहत 91 की कार्यवाही होती है और दो बार कार्यवाही होने के बाद तीसरी बार में किसान को तीन महीने की सजा दी जाती है। इसलिये इसमें अमेंडमेंट किया जाना चाहिए। इसके साथ-साथ जहां पर कमाण्ड क्षेत्र हैं, उस जगह पर चरागाह निकट में दर्ज हैं उनको खारिज किया जाना चाहिए।

एक बात यह और निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, पेज नं. 2 और 3 पर अकाल राहत कार्यों के बारे में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा गया है कि हर जगह पर मजदूरों को रोजगार मिल रहा है। सभापति महोदय, मेरा एक सुझाव यह है कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अकाल राहत कार्य चल रहे हैं लेकिन कुछ जगहों पर पंचायत वाइज कार्य सेंक्शन किये गये हैं, एक पंचायत में 13–14 किलोमीटर का एरिया आता है। अगर इस पंचायत में

(श्री नानूराम कुमावत)
एक ही काम स्वीकृत किया गया है तो 14 किलोमीटर से मजदूर मजदूरी करने के लिये कैसे आयेगा। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो अकाल राहत कार्य चल रहे हैं वह गांव वाइज खोले जायें और गरीबों को रोजगार दिया जाय। मेरा यही निवेदन है।

दूसरी चीज एक यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी सरकार ने जो स्वीकृति के लिये सिस्टम बना रखा है वह बड़ा ही अजीब है। राजस्थान में कई वर्षों से अकाल पड़ रहा है। अकाल राहत कार्यों की जो स्वीकृति होती थी पहले वह हमेशा जिला लेवल से ही होती थी लेकिन अब की बार इन्होंने 'नया सिस्टम' बनाया है कि जिला लेवल से प्रपोजल तैयार होकर सरकार के पास आयें, उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट में जायें और फिर जाकर के सैंक्शन निकलती है। मैं इसके बारे में, सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जिलाधीश को यह पावर दी जाये कि 1 लाख तक के या 2 लाख तक के वर्क वह खुद सैंक्शन कर सके जिससे कि गांवों में तत्काल राहत कार्य चालू किये जा सकें। जैसा कि पहले था लेकिन अब की बार न मालूम यह क्यों किया गया है। ऐसा सिस्टम लागू नहीं किया जाय, यह नहीं होना चाहिये। जिला लेवल पर ही स्वीकृति के अधिकार कलेक्टर को दें और गांवों में राहत कार्य शुरू करें।

सभापति महोदय, एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पेज नं. 19 और 20 पर पेयजल की समस्या के बारे में जिक्र किया गया है। यह बात सही है कि कुछ हद तक गांवों में पेयजल की समस्या का हल निकला है लेकिन एक बात निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, उन्होंने हैंड पम्प के बारे में कहीं जिक्र नहीं किया जब कि राजस्थान में अलग से एक विभाग हैंड पम्पों के बारे में होना चाहिये। करोड़ों रुपया हैण्ड पम्पों के ऊपर गवर्नमेंट ने खर्च किया है उसके बावजूद कई गांवों में हैंड पम्प खराब पड़े हैं और कई गांवों में हैंड पम्प लगे ही नहीं हैं। सैंक्शन हो गई लेकिन हैंड पम्प लग नहीं पाये। मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महोदय मेरे क्षेत्र में पधारे थे उस समय भी उनको मैंने अर्ज किया था और अभी भी यहां पर बैठे हैं, उनका मैं फिर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उस समय जब मैंने उनका ध्यान आकर्षित किया था तो उन्होंने हमारी तकलीफ को सुना था लेकिन मैं इसके बारे में फिर, सभापति महोदय, आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इसमें बड़ा घोटाला है। जिसके बारे में लास्ट सैशन में भी सवाल उठा था, उसकी जांच होनी चाहिये परन्तु अभिभाषण में इसका कोई जिक्र तक नहीं किया गया है।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : इस के बाद तो और भी ज्यादा हो गया है।

श्री नानूराम कुमावत : मैं आपके माध्यम से सुझाव देना चाहता हूं कि हैण्ड पम्पों के बारे में सरकार को अलग से एक विभाग कायम करके इनकी सही क्रियान्विति के लिए कदम उठाना चाहिये ताकि लोगों को इनका सही फायदा मिल सके।

(श्री नानूराम कुमावत)

मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं लेकिन समय बहुत कम है आप अभी मुझे कह दोगे कि समय कम रह गया है लेकिन मैं दो-एक सुझाव देना चाहता हूं। सभापति महोदय, इसी तरह से एक नियम बना हुआ है। खास तौर से मैं कहना चाहूंगा कि जहां पर नगरपालिकायें हैं और वाटर वर्क्स की स्कीम भी जहां पर है उस जगह पर आप कनेक्शन वाइज पैसा लेते हैं। इसके साथ-साथ उस मकान के अन्दर अगर फ्लस लैट्रिन है तो उसका आप 2 रुपये अलग से चार्ज करेंगे। अगर उस मकान के अन्दर किरायेदार हैं तो उसके 2 रुपये और अलग से चार्ज करेंगे। लेकिन जहां नगरपालिकाएं नहीं हैं जहां छोटे-छोटे गांवों में वाटर वर्क्स की स्कीम लागू हैं उस जगह भी इस डिपार्टमेंट के द्वारा 20-20, 30-30 रुपए का बिल भेजा जा रहा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं जो पैसा लगा रहे हैं उसके बजाय रूल्स के अनुसार 8 रुपये कनेक्शन के हिसाब से वसूल किया जाना चाहिये। जहां-जहां बिल ज्यादा भेजे हैं, मैं उदाहरण के रूप में कहना चाहूंगा, मेरे क्षेत्र भीलवाड़ा के आसीन्द, दौलतगढ़, लाचड़ा, पाटण, बरसणी आदि इन-इन गांवों को और पारासोली को बिल ज्यादा भेजे हैं। इसके बारे में मैंने मंत्री महोदय से भी अर्ज किया था हालांकि उन्होंने उस समय जुबानी कहा कि इस प्रकार नहीं होना चाहिये लेकिन लिखित में आदेश नहीं पहुंचे। वे काश्तकार लोग बहुत परेशान हैं। इसलिये रूल्स के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में जहां पर जल प्रदाय योजना है, वाटर वर्क्स स्कीम उस जगह लागू है तो अमेण्डमेंट करके 8 रुपए के हिसाब से पैसा वसूल करना चाहिये।

तीसरी चीज एक और मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय . .

श्री सभापति : माननीय सदस्य, संक्षेप में कहिए। समय अधिक हो रहा है।

श्री नानूराम कुमावत : सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पेज 6 और पेज 8 पर सिंचाई के बारे में और माइनर इरिगेशन के बारे में जिक्र किया गया है, इसमें एक बात निवेदन करना चाहता हूं। जब लास्ट ईयर सैशन चला, उस सैशन में, मैंने एक सवाल उठाया, मैं डिमांड पर भी बोला था, अध्यक्ष महोदय ने भी उसका समर्थन किया था, जहां-जहां पर बांध बन गये और उसके नीचे का जितना सेजा था वह सारा सूख गया, उस जगह पर छोटे-छोटे एनीकट्स बनाये जाने चाहिये। इस बात का माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी समर्थन किया है लेकिन इस साल जब यह फेमिन के काम चल रहे हैं इन फेमिन के कामों में राज्य सरकार ने सिंचाई को प्राथमिकता दी है और एनीकट्स के जितने भी प्रपोजल हैं वह सब प्रपोजल कट गये। इसलिये मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि छोटे-छोटे एनीकट्स बना दिये जायें ताकि किसानों को लाभ मिल सके, यह बात मैं खास तौर से कहना चाहता हूं। एक निवेदन और करना चाहता हूं। सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण के पेज 11 पर जो कहा है, उसमें उन्होंने हमारे पर विशेष कृपा की है, भीलवाड़ा जिले में आसींद तहसील में एक कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की गई। सभापति महोदय, एक बात निवेदन करना चाहता हूं

(श्री नानूराम कुमावत)
कि इसके बारे में तो राज्यपाल महोदय ने हम पर कृपा की। साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूँ हमारे वहां पर करीब 2 लाख 89 हजार रुपए शेयर केपिटल का इकट्ठा हुआ जब कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर हमें केवल 2 लाख 64 हजार रुपया चाहिए था। उसके बजाय 2 लाख 89 हजार शेयर केपीटल का प्राप्त हो गया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन गयी, सोइल टैस्ट हो गया, वाटर टैस्ट हो गया, जमीन कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल को अलाट कर दी गयी लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ उसमें जो पी.आई.बी. की मीटिंग बुलाकर राज्य सरकार का हिस्सा हमको मिल जाना चाहिए था वह हमको नहीं मिला। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि 31 मार्च के पहले बजट पेश हो रहा है, ढाई करोड़ रुपया जो शेयर केपीटल का है, वह हमें मिल जाये तो वहां के जितने भी गरीब लोग, मजदूर लोग हैं, जो दर-दर भटकते हैं, उनको कम से कम इस मिल के माध्यम से रोजगार मिल सकेगा। यह बात मैं खास तौर से अर्ज करना चाहूँगा। साथ ही, सभापति महोदय, लास्ट एक पाइन्ट रह गया है ····

श्री सभापति : समाप्त कीजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बोलने दीजिए, लास्ट पाइन्ट है।

श्री नानूराम कुमावत : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पेज 13 पर लिखा है कि "बिजली की उपलब्धि को बढ़ाने के लिए कोटा ताप विद्युत् गृह, माही पन विद्युत् परियोजना तथा पंजाब व हरियाणा की साझेदारी में पोंग ····।" इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि पूरे 2 पेज हैं। समय के बारे में आपने मुझे हुक्म दिया इसलिए मैं ज्यादा नहीं पढ़ कर एक बात निवेदन करना चाहूंगा, लास्ट सैशन में भी मैंने यह बात कही थी बिजली बोर्ड जब काश्तकारों को कनेक्शन देता है उस समय उस किसान से एग्रीमेण्ट करवाता है कि तुमको 5 हार्स पावर की मोटर और एक साल का 860 रुपया जमा कराना होगा। अगर काश्तकार एक महीने का पैसा जमा नहीं कराता है तो उस किसान का कनेक्शन काट लेते हैं। यह बात सच है कि राजस्थान में बिजली की कमी है लेकिन, सभापति महोदय, काश्तकार का भविष्य आज भी खतरे में है, इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ कि नियम में इस प्रकार का अमेण्डमेण्ट लाया जाये कि काश्तकार से एग्रीमेण्ट कराते वक्त डिपार्टमेण्ट भी इस बात का एग्रीमेण्ट करे कि वह किसान को 24 घण्टे बिजली देगा। अगर 24 घण्टे बिजली नहीं देगा तो एग्रीमेण्ट के आधार पर काश्तकार से पैसा वसूल नहीं करेगा। जितनी बिजली जलायेंगे उतना पैसा लेगा। जैसा कि गत वर्ष इसी जगह सैशन में बिजली की रेट्स बढ़ायी गयीं फ्लेट रेट दुगनी, ड्योढ़ी की गई उस समय भी निवेदन किया था कि काश्तकारों के कुओं में सेजा सूख रहा है, पानी नहीं है, काश्तकार की मोटर कहीं 2 घण्टा चलती है, कहीं 3 घण्टा, कहीं 4 घंटा चलती है उसके बावजूद काश्तकार से एग्रीमेण्ट के आधार पर पैसा लिया जा रहा है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बिजली के मामले में काश्तकारों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए। इस आधार पर कि एग्रीमेण्ट के आधार पर पैसा वसूल

(श्री नानूराम कुमावत)

नहीं हो रहा है काश्तकार का कनेक्शन नहीं कटना चाहिये। यह बात खास तौर से मैं कहना चाहता हूँ।

साथ ही मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ, जैसे राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर के बारे में लास्ट ईयर के सैशन में मैं बोला था····

श्री सभापति : आपने एक मिनट मांगा था····

श्री नानूराम कुमावत : जनता पार्टी के शासन में मध्य प्रदेश ने छोटे-छोटे बांध बना लिए थे, उसकी वजह से आज भी हमारे डैम खाली हैं और बिजली का उत्पादन कम हो रहा है। जनता पार्टी के कुशासन ने हमारा गला घोट दिया, उस क्षेत्र में बांध बनने दिये इसलिए आज हमें इन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार मध्य प्रदेश सरकार को पाबंद करे कि जहां पर हमारा क्षेत्र है उस जगह पर छोटे-छोटे बांध और तालाब नहीं बनाये जायें ताकि हमारा बिजली का उत्पादन बराबर हो और जो हमारा बिजली का हिस्सा है वह भी हमको पूरा मिले। मैं यह बात खास तौर से कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का हृदय से स्वागत करते हुये उस पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है उसका समर्थन करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने जो ज्यादा समय दिया उसके लिये मैं बहुत बहुत आभारी हूं। जैसा कि विरोधी दल के माननीय सदस्य कहते रहे हैं लेकिन, सभापति महोदय, इनका कहना कहां तक क्या है यह समझ में नहीं आता, इनकी कथनी और करनी में बड़ा अन्तर है, ये कहते क्या हैं और करते क्या हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बैठ जायं। श्री कनकराज मेहता।

श्री कनकराज मेहता (सांचौर) : आदरणीय सभापति महोदय, मैं तारीख 17 को राज्यपाल महोदय द्वारा जो अभिभाषण दिया गया है उसके सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदय, मैं सिर्फ 2-3 मुद्दे आपके सामने रखना चाहता हूं। जिनके बारे में मैं अपने क्षेत्र में कमी समझता हूं वह ही मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रथम मुद्दा तो यह है, जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, हैण्ड पम्प का जो मसला है वह वास्तव में मेरे यहां भी बड़ा भयंकर है। हैण्ड पम्पों पर लाखों रुपये खर्च किये गये लेकिन मेरे खयाल से बिना सूझ-बूझ के हैण्ड पम्प लगाने के कारण सरकार का काफी धन व्यय हो गया। जो अधिकारी लोग हैं, उन लोगों ने ठेकेदारों से सांठ-गांठ कर सारा फर्जी काम किया है, इसकी जांच किया जाना और ऐसे लोगों को दण्डित किया जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस समस्या के समाधान का यह तरीका हो सकता है। ठेकेदारों ने गलत तरीके से कार्य करने और

(1.43 म. प.)

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

राज्य का पैसा हड़प करने की नीयत से इस

(श्री कनकराज मेहता)
तरह से गलत काम करवाये हैं इसकी पूरी छान-बीन की जाना बहुत आवश्यक है।

मैं एक ही गांव का उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहता हूं, गांव अरणा है इसके अन्दर 8 हैण्ड पम्प लगाये गये हैं। ये एक ही ठेकेदार द्वारा लगाये गये हैं। 8 हैण्ड पम्प अलग-अलग स्थान पर और अलग-अलग समय पर लगे हैं। एक हैण्ड पम्प खारा निकला, दूसरा खारा निकला, तीसरा खारा निकला, चौथा पांचवा और छठा खारा निकला, फिर क्या औचित्य था। उस जनता को पेयजल से महरूम करने के लिये इस प्रकार से धन का अपव्यय क्यों किया गया? इसलिये मेरा निवेदन है कि जो हैण्ड पम्प का मसला है इसकी पूरी छान-बीन की जानी चाहिये। जिन लोगों ने जान-बूझ कर के सरकार की अर्थ व्यवस्था को बिगाड़ने के लिये और जनता को राहत न देने के लिये ऐसा किया है उनकी पूरी जांच की जाना बहुत आवश्यक है।

दूसरा, मेरा यह भी निवेदन है कि सांचौर के अन्दर काफी बड़ी-बड़ी पाइप लाइन लगाई गई हैं। गांवों को पाइप लाइन से जोड़ते हैं लेकिन कई गांव ऐसे हैं जहां पानी नहीं पहुंच रहा है, तो क्या योजना है ऐसे गांवों को पानी से जोड़ने की? उनको पानी रेगुलरली सप्लाई नहीं होता है। पेयजल की समस्या के समाधान हेतु यह जो स्कीम बनाई गई थी उससे लाभ नहीं मिल रहा है तो पाइप लाइन लगाने का क्या औचित्य है? मेरा यह भी निवेदन है कि जो हैण्ड पम्प योजना और पाइप लाइन से जल प्रदाय योजना क्रियान्वित की जा रही है उसके अन्दर पूरी छान-बीन के बिना कार्य किया जा रहा है, असल में जो गांव लाभान्वित होने चाहिये उन गांवों को लाभान्वित नहीं किया जा रहा है। जहां मीठे पानी के स्रोत हैं उन गांवों को प्राथमिकता दी जा रही है, जहां खारे पानी के स्थान वाले गांव हैं, जहां धरती में पानी नहीं है, जहां पानी तालाबों में नहीं होता है, जहां पर बरसात नहीं होती है ऐसे गांवों को महरूम रखने का क्या कोई औचित्य भी है? मेरा यह निवेदन है कि यह जो सारी योजना बनाई जा रही है वह योजना ब्यूरोक्रेसी अपनी टेबल पर बैठ कर बनाती है। जनता की कोई राय नहीं ली जाती है, सरपंच को पूछा नहीं जाता है, वहां रहने वाले लोगों को पूछा नहीं जाता है, तो समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। मेरा यह निवेदन है कि करोड़ों रुपयों का बजट इस पानी के मद में राज्य सरकार से मिलता है, भारत सरकार भी देती है लेकिन समस्या का समाधान आज भी नहीं होने के कारण लोगों को काफी यातना भुगतनी पड़ रही है। इस भयंकर अकाल के अन्दर लोगों को पानी 4-4, 5-5 किलोमीटर से लाना पड़ रहा है। टैंकरों से भी पानी पहुंचाना संभव नहीं होता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस समस्या का कोई सुलभ हल ढूंढ़ा जाय। यह जो गलती हो रही है, धन का अपव्यय हो रहा है उसको बचाया जाना देश हित में बहुत आवश्यक है।

इसके साथ ही मेरा यह भी निवेदन है कि काश्तकारों के फायदे के लिए काफी स्कीमें शुरू की जाती हैं। कृषि मंत्रीजी यहां विराजमान हैं मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सांचौर के अन्दर कच्चे

(श्री कनकराज मेहता)

बांध बनाये जाते हैं, करोड़ों रुपये की धन-राशि इन बांधों पर व्यय हो चुकी है और कई बार यह टूट चुके हैं लेकिन स्थाई हल न होने के कारण आज काश्तकारों के खेत उजड़ रहे हैं, खेत कटाव की स्थिति में आ गये हैं और खेतों के अन्दर खारापन उगल रहा है जिसके कारण यह समस्या पैदा हो रही है कि इन लोगों को इन जमीनों से हाथ धोना पड़ेगा और खेतों से महरूम रहना पड़ेगा। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इसका पूर्ण सर्वेक्षण करवाया जाय और खारी जमीन जो बढ़ रही है उसको रोकने की कार्यवाही की जाय। इसके साथ ही, अध्यक्ष महोदय, यह जो एनीकट बनाये जाते हैं वह सही तरीके से नहीं बनाये जाते हैं। जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा काश्तकारों में खुशहाली नहीं आ सकती। यदि काश्तकारों को फायदा ही देना है तो मेरा सुझाव है कि जैतपुरा नदी जो बड़गांव से निकलती है और भीनमाल-रानीवाड़ा के क्षेत्र में बहती है, उसका सारा पानी गुजरात में जाता है, राजस्थान को कोई लाभ नहीं होता है; यदि इस नदी के बहाव को सांचौर की तरफ मोड़ दिया जाय तो सांचौर का खारा पेयजल मीठा हो जायगा और जो पेयजल की भयंकर समस्या है उससे भी मुक्ति मिल सकेगी। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि सरकार इस ओर ध्यान दे कि राजस्थान का पानी जो गुजरात की तरफ जा रहा है उसका उपयोग राजस्थान में नहीं किया जा रहा है यह राजस्थान के लिये बड़े अहित की बात है। इसका समाधान ढूंढ़ा जाकर कारगर कार्यवाही किया जाना बहुत आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय, जो बीस सूत्री कार्यक्रम लागू किया गया है, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 'प्रशासन गांवों की ओर' जो कार्यक्रम शुरू हुआ है उसके अन्दर जहां तक मेरा अनुभव है और मैंने जहां-जहां मेरे क्षेत्र में कैम्प लगाये गये हैं वहां जाकर देखा है, उसके आधार पर कह सकता हूं कि लोगों को इससे काफी लाभ हुआ है। जो लोग काफी अर्से से अपने खेत के अन्दर बैठे हुये थे या एक ही स्थान पर बैठे हुए थे उनको हर साल पैनल्टी देनी पड़ती थी उनका रेगुलेशइजेशन हो जाने से और पट्टे दिये जाने से काफी राहत मिली है। कई सालों से नामान्तरण के मामले अटके हुए थे उनको पट्टे दिये गये हैं। जो भूमिहीन लोग थे उन लोगों को भूमि उपलब्ध कराई गई है।

मेरा यह निवेदन है कि यह जो "प्रशासन गांवों की ओर" कार्यक्रम है इससे लोगों को काफी हद तक न्याय प्राप्त हुआ है। किसी क्षेत्र के माननीय सदस्य कहते हैं कि खामियां हैं लेकिन मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूं कि ऐसा कोई नुक्स नहीं पाया जिससे लगे कि इस कार्यक्रम से किसी का अहित हुआ है। तो मेरा यह निवेदन है कि यह एक उलझी समस्या के समाधान का एक तरीका है। जब तक गांवों के अन्दर प्रशासन नहीं जायगा समस्या का समाधान नहीं होगा। किसानों की बिजली की समस्या है, यह मेरे क्षेत्र में भी है लेकिन मेरे क्षेत्र में समय पर डीजल दिये जाने से काश्तकारों की कम शिकायत है। यह बात सही है कि बिजली की कमी से खेती का लॉस हुआ है। हालांकि बिजली की कमी भी एक समस्या है, पूरे राजस्थान के अन्दर समस्या है। लेकिन फिर भी मेरे क्षेत्र में एक महीने

(श्री कनकराज मेहता)

बराबर बिजली न मिलने से काश्तकारों को काफी लाभ से वंचित होना पड़ा है। मेरा निवेदन है राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण के अन्दर जो मार्गदर्शन दिया है और जो बातें उन्होंने बताई हैं वह काफी मार्ग प्रदर्शन करने वाली हैं। उनके अनुसार चलने से राजस्थान का विकास हो सकता है और खुशहाली आई है व आ सकती है, मामूली गलतियां तो हो सकतीं हैं लेकिन जो गलतियां होती हैं वे हमारे कारण रहती हैं। हम लोगों के सजग न होने के कारण सरकारी आदमी काफी हावी हो जाते हैं, वे समय पर नहीं पहुंच पाते हैं, उसके कारण गलती होती है। हमारा प्रथम कर्त्तव्य तो यह होता है, हमको सजग रहना बहुत जरूरी है। अगर हम समय-समय पर मौके पर जाकर ऐसी समस्याओं का समाधान करने के लिए योगदान कर देते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है कि ऐसे कार्यक्रम के अन्दर जनता को लाभ न हो सके।

अन्त में मैं महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। यह प्रकृति का प्रकोप है कि इस साल भी हमेशा की भांति अकाल राजस्थान में है, विशेष तौर से पश्चिमी राजस्थान में है लेकिन जब से कांग्रेस(आई)की सरकार बनी है, गांवों में अकाल राहत कार्य हुए। वास्तव में साधन सीमित होते हुए भी हर प्रकार से गरीब अकाल पीड़ित लोगों की ज्यादा से ज्यादा मांग पूरी की जाय, उनको काम दिये जायें और उनको खाने पीने की वस्तुएं उपलब्ध कराई जायं। पीने के पानी की व्यवस्था की है यह बहुत ही सराहनीय है। इस साल यह जो "प्रशासन गांवों की ओर" अभियान चलाया गया यह वास्तव में बहुत ही अच्छा प्रोग्राम अपने राजस्थान के लिये है, राजस्थान गांवों का प्रदेश है। भारत गांवों का देश, गरीब किसानों का देश है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपस में बात न करें।

श्री अमराराम चौधरी : जहां गरीब किसानों को पहले अदालतों के चक्कर काटने पड़ते थे, वहां यह अभियान शुरू होने से बहुत लोगों को राहत मिली है। मेरा स्वयं का अनुभव है मैंने कम से कम 50 पर्सेन्ट से अधिक केम्पों में स्वयं ने भाग लिया लेकिन इसके हाथ ही मैं कुछ सुझाव भी दूंगा। जहां डिवीजन आफ होल्डिंग्ज का सवाल है, जो प्रक्रिया रखी है उसमें सरलता करनी पड़ेगी। डिवीजन आफ होल्डिंग्ज में स्टाम्प वाले वहां मौजूद नहीं होते हैं, लिखने वाले वहां मौजूद नहीं होते हैं और उसके बाद में कई ऐसी जो प्रिलिमिनरी डिक्री, फाइनल डिक्री, तरमीम वगैरह का होता है वह तो फिर भी सम्भव है, खतौनी वहां उपलब्ध हो जाती है लेकिन यह जो स्टाम्प वाली प्रक्रिया है वह न रख कर जिस प्रकार अदालतों में 50 नये पैसे के स्टाम्प पर हम दावा लिखाकर पेश करते हैं उसी प्रकार उसी समय जवाबदावा भाइयों का पेश करके यह निपटारा हो सके, ऐसी

(श्री अमराराम चौधरी)

व्यवस्था करें। लेकिन गांवों के अन्दर एक दिन के केम्प का बहुत लम्बा अजेण्डा बनाया हुआ होता है, गांवों के जितने लोग हैं उनकी समस्याओं के बारे में अलग-अलग विभागों के क्या काम हैं उसके बारे में सारा लेखा-जोखा करते हैं तो यह डिवीजन आफ होल्डिंग का एक दिन के अन्दर होना भी बड़ा मुश्किल है। बहुत से लोग क्या करते हैं, पहले से ही शहर में स्टाम्प पर लिखवा करके लाते हैं, फिर भी स्टाम्प कुछ कम पड़ जाते हैं। उनको रूल्स का इतना ज्ञान नहीं होता है। यह डिवीजन आफ होल्डिंग की जो प्रक्रिया है, मैं चाहूंगा कि सरकार इसमें कुछ संशोधन लाकर के इसको सरल बनावे।

जहां तक म्यूटेशन का सवाल है, म्यूटेशन जो है इस साल बिलकुल ही शेष नहीं रहे हैं, कहीं 100 बाकी थे, कहीं 70 बाकी पड़े थे, भरने से लोगों को बहुत राहत मिली है। जो लड़के पढ़ करके पटवारी बनना पहले पसन्द करते थे वे पटवारी बनना नहीं चाहते। पुराने जमाने में जो गांव का ठाकुर होता था, साफा बांध कर गांव के बीच में बैठता था और उसका सम्मान होता था उसी प्रकार पटवारी यह सोचता है हमारा भी सम्मान होता रहे। लेकिन इस अभियान से काश्तकार का भी हौसला बुलन्द हो गया, पटवारी के पास बेगार काटने की जरूरत नहीं है। जब साल में अभियान होगा, वह अपना काम करा लेगा। इस साल जैसा अभियान चला वह भविष्य में भी साल में एक बार होना चाहिये। इस अभियान की तरह दूसरे अभियान चलाने चाहिये। नगरपालिका के लिये भी मैं कहूंगा कि नगर की समस्याओं को निपटाने के लिये इसी तरह का अभियान चलाना चाहिये। इसी प्रकार सरकार सम्बन्धित अधिकारियों को राज्य की ऐसी कोई नीति बना कर यह निर्देश दे जिससे सारे वार्डस् के अन्दर इसी प्रकार के अभियान चलाये जायं ताकि वहां की कोई भी तकलीफ हो, गरीब लोगों की तकलीफें हों, उनको अदालत में नहीं जाना पड़े और वहीं निपटारा हो सके। यह अभियान का पहला एक्सपेरीमेंट था यह सफल रहा इसके लिये मैं सरकार को बहुत धन्यवाद देता हूं।

जहा तक चिकित्सा का प्रश्न है, पिछले साल कई सब-सेन्टर खुले। बाड़मेर जिले के अन्दर, मैंने लिस्ट देखी, सब-सेन्टर का कोई नाम नहीं था। आज बाड़मेर जिसकी करीब 11-12 लाख आबादी है, जो पहले से ही पिछड़ा हुआ है लोगों का जीवन-स्तर बहुत ही नीचा है उनका स्तर अच्छा नहीं है। ऐसे क्षेत्र जहां पीने के पानी के साधन भी पूरे नहीं हों वहां चिकित्सा की सुविधा सरकार को, मैं तो कहूंगा, ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिये। जहां तक डिस्पेन्सरीज का सवाल है पिछले साल में कोई नहीं खुली। आयुर्वेदिक औषधालय का प्रश्न था तो करीब तीन साल में, ये मेरे पास आंकड़े हैं, बाड़मेर जिले में शायद एक दो खुले हों तो पता नहीं लेकिन मेरे क्षेत्र में आयुर्वेदिक औषधालय नहीं खुले। तो जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है उसके लिये सरकार को ज्यादा से ज्यादा चिकित्सा की ओर भी ध्यान देना चाहिये।

जहां तक पेयजल की समस्या का सवाल है, हमारी प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने, हमारी सरकार ने बाड़मेर जिला

(श्री अमराराम चौधरी)

और जैसलमेर जिला को प्राथमिकता दी है, पश्चिमी राजस्थान को प्राथमिकता दी है इसके लिये सरकार धन्यवाद की पात्र है। इस साल जिस गति से काम हो रहा है वह बहुत अच्छा हो रहा है। गांव-गांव तक पानी पहुंचाने के लिये जिस प्रकार से बजट सैंक्शन किया गया है, जिस गति से काम हो रहा है, प्रशासन जिस गति से पेयजल के बारे में हमारे वहां काम कर रहा है उसमें यदि शिथिलता नहीं आई तो मेरी यह मान्यता है कि 85 तक जो यह पानी की आज समस्या बनी हुई है वह दूर हो सकती है। जहां तक पेयजल स्रोतों का सवाल था, सम्बन्धित जो हमारे एक्स. ई. एन. हैं उनको जो स्रोत बताये गये, हमारे बहुत ही बूढ़े, वृद्ध व्यक्ति, जो हमारे सम्माननीय हैं, से राय ली गई तो उन्होंने जो बात बताई उसमें हमें कामयाबी मिली। हमारा जो खर्चा पाइप लाइन का पहले होता था उसमें भी कमी आई। इसके लिए मैंने मेरे क्षेत्र में ऐसे जो कुएं बताये उनमें बहुत कम खर्च में ज्यादा पानी भी हो गया और मीठा पानी भी हो गया, यह मैं कल ही वहां जाकर देख कर आया हूं, इसमें बहुत सफलता मिली। हमारे वहां जो अधिकारी हैं वह भी खुश हुए कि गांवों को जोड़ने में बड़ी सुविधा मिलेगी।

इसके साथ जहां तक शिक्षा का प्रश्न है, अभी बहरोड़ के माननीय सदस्य कह रहे थे, बाड़मेर जिले में 22 हायर सैकण्डरी स्कूल हैं एक विधान सभा क्षेत्र में। मेरे यहां पहले तो सिर्फ एक ही था और गये बजट सैशन में एक और हायर सैकण्डरी स्कूल तहसील में खुला है। वहां पर स्कूल भवन हायर सैकण्डरी और हाई स्कूल के लिये बन चुके हैं, दानदाताओं ने आज से तीन चार साल पहले बड़ा गांव पाटोदी आदि गांव में भवन बनवाये हैं लेकिन वहां पर कोई प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। मैं सरकार को सुझाव दे रहा हूं कि यह जो आप कांस्टीट्यूएन्सी के अनुसार नीति अपना रहे हैं यह नीति न अपना कर जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, उनको प्राथमिकता देनी चाहिए, जहां 22 विद्यालय हैं, वहां 24 खुल जायेंगे, 25 खुल जायेंगे। आप ज्यादा वहां प्राथमिकता दें जहां लड़के बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं। आज हमारे बाड़मेर जिले में जहां तक प्राइमरी स्कूल्स, हायर सैकण्डरी और सैकण्डरी का प्रश्न है, वह सबसे कम हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे यहां के लड़के ज्यादा शिक्षित हों। इसलिये मैं सदन में बैठे हुए सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आप में यदि हमदर्दी है तो आप भी यही सुझाव दें कि पिछड़े हुए क्षेत्रों को ज्यादा से ज्यादा प्राथमिकता शिक्षा के बारे में दें।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक उद्योगों का सवाल है, मेरा बालोतरा शहर एक औद्योगिक शहर है। इस बारे में सरकार ने पिछले साल मैंने जब प्रश्न उठाया डी. आई. ओ. और आर. एफ. सी. आफिस को खोलने का तो हमारे यहां यह आफिस खोले। आज छोटे-मोटे धन्धे मिलाकर हजार इकाइयां चल रही हैं लेकिन एक समस्या जो हमारे सामने आ खड़ी हुई है वह है जल प्रदूषण की। पाली में सरकार ने वाटर पोल्यूशन प्लान्ट के लिए रेट मुकर्रर किये हैं। पाली से ज्यादा हमारा जिला डेजर्ट जिला है। हमारा सिवाना तहसील सेमी डेजर्ट में है। मेरी तहसील पचपदरा डेजर्ट में है। वहां बारानी

(श्री अमराराम चौधरी)

जमीन है, चाही बहुत कम है। उस क्षेत्र में अकाल पड़ता रहता है तो लोगों को गुजरात पंजाब, हरियाणा आदि में अपने घर-बार छोड़ कर जाना पड़ता है। यह सरकार ने एक अच्छा काम किया जिससे हमारे यहां पर उद्योग स्थापित हुए। हमारे यहां और भी उद्योग स्थापित हो सकते हैं, अकाल के समय ज्यादा से ज्यादा लोगों को मजदूरी मिल सकती है। परन्तु आवश्यकता इस बात की पड़ रही है कि वाटर पोल्यूशन के लिये जो प्लान्ट लगाना चाहते हैं उसकी जो रेट मुकर्रर की है पाली में रेट हमसे कम है। मैं यह चाहूंगा कि यदि पाली से हमारी रेट कम नहीं करें तो कम से कम पाली के बराबर कर दें ताकि जो उद्योग-पति हैं वह सरकार के सहयोग से इस प्रकार के प्लाण्ट लगा सकें। दूसरे इस प्रकार जल दूषित होने से जो मानव जीवन को खतरा पैदा हो गया है उससे हम बच सकें।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक सरकार ने कृषि भूमि रूपान्तरण किया है, बालोतरा में इसकी अलग समस्या है। बालोतरा में गरीब और अमीर दोनों रहते हैं। यह जो कृषि भूमि रूपान्तरण का कानून बनाया है यह गरीब और अमीर दोनों के लिए बराबर बनाया है। कानून बनाना है तो मेरा एक सुझाव है कि आय के आधार पर कानून बनायें। जो एक करोड़पति को पैसा भरना पड़ता है उतना ही एक हमारे ठेला चलाने वाले या गाय का दूध बेचने वाले को भरना पड़ता है। वह नहीं भर सकता। हमारे यहां 1979 में जो बाढ़ आई उसमें काफी मकान बह गये, लोग बेघर हो गये। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो पिछड़े हुए लोग हैं, माली हैं, चमार हैं, खोमचा वाले हैं, दर्जी का काम करने वाले हैं उनके आज कई केसेज भूमि रूपान्तरण से संबंधित पेंडिंग पड़े हैं। इस कानून में भी थोड़ा डिफेक्ट है, रूल्स में डिफेक्ट है जिसके कारण लोग अपना स्वामित्व हासिल नहीं कर सकते। यह जटिलता जब तक दूर नहीं होगी तब तक यह समस्या भी रहेगी और तब तक जिस आदमी के पास जो जमीन है और जिस मकान में वह रहता है उसका पट्टा नहीं मिलेगा। उसको जमीन देने के लिए मैं चाहूंगा कि ऐसे जो केस पेंडिंग हैं जिनमें पेनल्टी लगी है, सरकार अविलम्ब उस पेनल्टी को रोके और असलियत का पता लगाये कि ये केसेज किस-किस आय वर्ग के लोगों के हैं। जो पैसे वाले थे उन्होंने तुरन्त पैसे भर दिये और अपना पट्टा लेने के लिए जो डवलपमेंट चार्जेज, म्युनिसिपैलिटी चार्जेज देने थे वह दे दिये लेकिन गरीब काश्तकार, मजदूर, जो बाढ़ और अकाल पीड़ित हैं, पैसे जमा नहीं करा सके। हमारी दूसरे क्षेत्रों से एक अलग समस्या है, इस बात को आप सब जानते होंगे। मैं चाहूंगा कि जो पेंडिंग केसेज हैं उनकी नये सिरे से जांच करा कर जितनी उनको रियायत हो सके देने के लिए सरकार कोशिश करेगी, यह मुझे पूरा विश्वास है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक सिंचाई का सवाल है उससे हमारी ड्रिंकिंग वाटर प्राब्लम भी दूर होती है। हमारे सब-डिवीजन बालोतरा में 56 पहाड़ हैं। पहाड़ों में बांध बना कर हम बाड़मेर को हरा भरा करना चाहें तो कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम अगर खेत में मेड़ बना दें तो नेचरली उससे पानी बाहर नहीं जायगा।

(76)

(श्री अमरराम चौधरी)

उसका नतीजा यह होगा कि हम एक दो बारिश में ही अपने खाने योग्य अनाज पैदा कर लेंगे। एक-दो बारिश होती है तो इन पहाड़ों का पानी इतने जोर का बहता है कि हमारी भूमि का कटाव हो जाता है। इससे हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति नष्ट होती है। जब हमारी भूमि का कटाव हो रहा है, हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो रही है। तो हमारा पीने का पानी नहीं है तो क्यों नहीं इस पानी को रोकने के लिए पक्के एनीकट, बांध बनाये जायें। अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मेरा एक प्रश्न भी था, चिपनोद बांध 81 में फेमिन में मंजूर हुआ, उसकी खुदाई हुई; उसके चारों ओर करीब 200 फीट लम्बे पहाड़ है, एक माइल के अन्दर वह पानी रह सकता है। तो उस बांध के लिए क्या हुआ ? पिछले साल वहां फेमिन नहीं था तो जो पानी आया, जो खाई खुदी हुई थी उसके और हमारे पचास हजार रुपये नष्ट हो गये। इस साल डेढ़ लाख रुपये मंजूर हुए, तो अभी तक मजदूर नहीं लगे हैं। सिर्फ 20 मजदूर हैं। वहां पर ट्रैक्टर, जो मशीन चला कर रांग को मजबूत करते हैं, की भी सैंक्शन नहीं हुई। मैं चाहूंगा कि बरसात से पहले सैंक्शन देकर बांध की दीवार का पत्थर टूटा हुआ है उसको ठीक किया जाय। आप सड़कों के बारे में 60:40 की बात कर रहे हैं। भीलवाड़ा, उदयपुर में जहां-जहां पथरीला इलाका है वहां हर सौ कदम पर काज वेज बनाने पड़ते हैं। वहां सड़क बनाने में जो खर्चा आता है उससे हमारे यहां कम खर्चा आता है। मेरे यहां पर सिवाना पचपदरा के अन्दर मैटीरियल ऊपर ही पड़ा है, ग्रेवल लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज ज्यादा नहीं है, काज वेज का वहां कोई प्रश्न नहीं है, इतने कोई नाले नहीं है वहां रोड बनाने में क्या दिक्कत आती है। यदि कोई रिपोर्ट कर दे रोड बन्द कर दो, साहब ! रोड बन्द कर दी तो अधिकारी लोग सड़कें बनाना बन्द कर देते हैं। अध्यक्ष महोदय, आज जो काम किया हुआ है, जहां मेटल डाल कर रोड बनाई, 5 किलोमीटर यहां बना दी, किसी अगले ठेकेदार ने 5 किलोमीटर आगे बनाई लेकिन बीच में रोड छूटी हुई है। हमारी बसेज का आना-जाना बन्द हो गया। जहां हम डवलपमेंट चाहते हैं, जहां हम नया काम शुरू करना चाहते हैं, हमारे पुराने काम जो अधूरे पड़े हैं जिन पर लाखों रुपये लगे हैं, उन्हें पूरा करना चाहते हैं, हमारे देश का विकास करना चाहते हैं वहां यह बात नहीं चाहते हैं कि हमारा पैसा फालतू जाय। आज एक काम प्रारम्भ कर दिया, उसे छोड़ दिया, फिर दूसरा ले लिया उसे छोड़ दिया, फिर कर दिया, इससे हम पूरा विकास नहीं कर सकेंगे। जब पहले वाले काम को हम वापस टेक अप करेंगे तो नये सिरे से करना पड़ेगा। सरकार से मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के रचनात्मक कार्य आप पूरा नहीं करेंगे तो अपने देश का जो बजट है और जो इस प्रकार का खर्चा और भार बढ़ रहा है वह और बढ़ता जायेगा। हमें इस बात को बड़ी गहराई से सोचना पड़ेगा। लोगों ने 'प्रशासन गांवों की ओर' के बारे में कहा कि अधिकारियों ने ऐसा किया वैसा किया। यह तो आदमी जब तक खुद इस बात को नहीं सोचेगा, महसूस नहीं करेगा और अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा, तब तक काम पूरे नहीं होंगे। आज एस. डी. ओ. को अगर

(श्री ग्रमराराम चौधरी)

किसी प्लेस पर जाना है 11 बजे ग्रौर वह नहीं जा रहा है तो वह कहेगा रास्ते में मोटर खराब हो गई। वह कहेगा, मोटर खराब हो गई। इसलिए जब तक ईमानदारी नहीं होगी, जिम्मेदारी ग्रौर राष्ट्रीयता की भावना नहीं होगी, तब तक कोई भी काम पूरा नहीं होगा। राष्ट्रीयता की भावना को लेकर जो भी ग्रधूरे काम हैं जिनसे हमारी ग्राय हो सकती है उनको पहले पूरा करें। हमारी बसेज चलने से हमारा टैक्स वसूल हो सकता है, ऐसी जो सड़कें हैं, जो नष्ट हो गई हैं उनको पहले पूरा करना चाहिए। बांध हमारे ग्रधूरे नहीं रहें, मैं यही निवेदन करना चाहता हूं।

जहां तक कालेज के बारे में बात ग्राई, हमारे रेगिस्तान में ऐसे भामाशाह बैठे हैं जो कालेज बनाने के लिए भी तैयार हैं। बालोतरा के ग्रन्दर हम कालेज का भवन देने के लिए तैयार हैं। यदि बैराठ जैसा क्षेत्र होता तो 10 कालेज ग्रौर बना देते लेकिन गांवों में ज्यादा से ज्यादा सरकार को कालेज बनाने चाहिये। आज जालौर छोटा जिला है वहां दो कालेज हैं। बाड़मेर जैसा बड़ा जिला है जिसमें 12 लाख ग्राबादी है, जिसमें बालोतरा है जिसकी कम से कम है 40हजार ग्राबादी है, जहां सैशन्स कोर्ट ग्रौर मुन्सिफ कोर्ट है, कई ऐसे बड़े-बड़े ग्राफिसेज हैं यदि वहां के कर्मचारियों के लड़के को कालेज में ट्रांसफर कराना होता है तो कहते हैं कि कालेज नहीं है। तो यदि कालेज के लिए भवन सरकार इस साल हमारे यहां पश्चिमी राजस्थान में खुद बनाए तो बहुत ग्रच्छा है। किसी प्रकार ग्रगर सरकार नहीं बना सकती तो वहां के जन सहयोग से हम कालेज बनाने को तैयार हैं। इस साल मैं चाहूंगा कि सरकार कालेज खोले।

ग्रन्त में मैं पुनः माननीय महामहिम राज्यपाल के ग्रभिभाषण पर प्रस्तुत किये गये धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री ग्रसलम खां !

(ग्रनुपस्थित)

श्री चतुर्भुज

(ग्रनुपस्थित)

श्री सी.पी. जोशी।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के ग्रभिभाषण पर मैं ग्रपनी बात प्रारंभ करने से पूर्व · · ·

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : आपके दल का पूरा समय समाप्त हो गया, काफी समय दिया गया। फिर भी मैं ध्यान रखूंगा।

श्री ग्रनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : दो दिन तक इनकी तरफ से बोलने वाले नहीं थे इसलिए हमारे दल के लोग बोले।

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज। उस समय का आपने सदुपयोग कर लिया। ग्राज उनकी पूरी तैयारी है। मेरे ध्यान में है, मैं ध्यान

(78)

(श्री अध्यक्ष)

रखूंगा। आर्डर प्लीज, आप बैठ जायं। उसमें समय लग जाता है, कागज लाकर तैयार करना पड़ता है। आर्डर प्लीज।

श्री सी. पी. जोशी।

श्री सी.पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण पर अपनी बात प्रारम्भ करने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस अभिभाषण में जो मुख्य बात इंगित की गई है, वह यह कही गई है कि वर्ष 1982-83 में 20 सूत्री कार्यक्रम के आधार पर राजस्थान के विकास के लिए राजस्थान सरकार ने प्रयास किया। श्रीमन्, 20 सूत्री कार्यक्रम की प्रगति के बारे में मुझे अपनी बात इसलिए अधिक कहनी नहीं है कि अभी प्लानिंग कमीशन ने जो रिपोर्ट सबमिट की, उस रिपोर्ट में भी यह बात कही गई है कि राजस्थान में 20 सूत्री कार्यक्रम की जो प्रगति है वह सैटिस्फैक्टरी है। मैं तो अपनी बात इस रूप में रखना चाहता हूं कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारी स्टेट में प्रिवेलिंग है या देश में प्रिवेल कर रहा है उस सिस्टम के अंतर्गत जो हमारी कल्पना थी कि हम राजस्थान की जनता का विकास करें, यदि इसके आंकड़े ही यार्डस्टिक हों तो मुझे अपनी बात कुछ नहीं कहनी, राज्यपाल के अभिभाषण का मैं स्वागत करता हूं लेकिन अगर यथास्थिति के और आंकड़ों के आधार पर हम राजस्थान के निर्माण की बात करना चाहें तो मैं समझता हूं आने वाले वर्षों में राजस्थान का जिस तीव्र गति से विकास होना चाहिए वह हम नहीं कर पायेंगे। आप स्वयं इस बात को जानते हैं कि आजादी के बाद राज्य सरकार ने जंगल को रेवेन्यू का सोर्स बनाया तो उसके जो हैजड्र्स हैं वह हमको भुगतने पड़ रहे हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम को आधार मानकर उसकी उपलब्धियों के गुण-गान के आधार पर यदि हम समझते हैं कि आने वाले वर्षों में राजस्थान की प्रगति होती रहेगी तो यह भी इसी बात का उदाहरण होगा। मैं इस बात को मानने वाला हूं कि जो डेमोक्रेटिक सैट-अप हमारा है, जिसके तहत हम काम कर रहे हैं, उसमें कार्य की जो प्रगति है वह आने वाले वर्षों में संतोषजनक इस रूप में नहीं रहेगी। हम देखें कि 20 सूत्री कार्यक्रम लागू करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। मैं समझता हूं, आप स्वयं इस बात को मानेंगे कि 35 साल पूर्व एक गांव के अन्दर गांव का व्यक्ति चाहता था कि हमारे यहां स्कूल बने, हमारे यहां डिस्पेन्सरी खुले, हमारे यहां बिजली लगे या सड़क का निर्माण हो। यह जो फिजीकल डिमांड्स थीं उनको फुलफिल करके कोई भी पार्टी और कोई भी नेता नेतागिरी करके उस गांव के विकास की बात पूरी कर लेता है लेकिन इन 35 सालों में इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद हमने देखा कि गरीब और अमीर के बीच में जो खाई है वह कम होने के बजाय बढ़ी है। उस खाई को कम करने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम दिया। उस कार्यक्रम का बहुत बड़ा मुद्दा यह था कि जो सामान्य नागरिक है, जो गरीब है, उस गरीब की माली हालत जब तक नहीं सुधरेगी तब तक किसी गांव में डिस्पेन्सरी, सड़क, अस्पताल या और सुविधायें उपलब्ध कराने का कोई मायना नहीं रहेगा। इसलिए प्रयास किया गया कि 20 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से गांव में रहने वाले सामान्य...

(2.19 म. प.)

(श्री सी. पी. जोशी)

[श्री माधवसिंह दीवान, सभापति, पदासीन]

नागरिक की माली हालत सुधारें। उसकी माली हालत सुधारने के लिए जो कुछ कार्य-क्रम हाथ में लिए हैं उनके बारे में सबसे पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दो दिन से राज्यपाल के अभिभाषण पर विरोधी दल के माननीय नेता, विरोधी दल के माननीय सदस्य अपनी बात कह रहे थे और हमारे दल के लोग बात कर रहे थे। 20 सूत्री प्रोग्राम के जहां तक मैरिट्स और डिमैरिट्स का सवाल है मैं कहना चाहूंगा, प्रोग्राम निश्चित तौर से अच्छा प्रोग्राम है लेकिन प्रोग्राम का जो इम्पलीमेंटेशन पार्ट है उसके अन्दर आज विधान सभा सदस्य के रूप में या प्रधान के रूप में या जिला प्रमुख के रूप में जन प्रतिनिधि का जो रोल है, भूमिका है वह निश्चित तौर से हमे आशान्वित नहीं करती है। 20 सूत्री कार्यक्रम जिन लोगों के लिए हमने लागू किया उन लोगों को इसका फायदा हो रहा है या नहीं, इसलिए जब तक फीड बैंक नहीं लेंगे इस कार्यक्रम के इम्पलीमेंटेशन के पार्ट को, तब तक हम उपलब्धियों का गुण-गान करें, आंकड़े प्राप्त कर लें, उससे कुछ उपलब्धियां नहीं होंगी। मैं केवल मात्र उदाहरण देना चाहता हूं। सदन में बैठे माननीय सदस्य शायद यह मानेंगे कि 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी की सीमा रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का जो चयन हमने किया है राजस्थान में उसकी प्रक्रिया में एक मोटी खामी रख दी कि जिन लोगों में किसी सहकारी समिति का ऋण बाकी है उनका चयन नहीं करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि गरीब ने आज से दस साल पहले या 15 साल पहले जो लोन लिया था उसको कोआपरेटिव के जो पदाधिकारी थे वह जमा नहीं करा पाये, वह उस पैसे को खा कर भाग गये, इसीलिये उसको बाद में लोन नहीं दिया गया और वह गरीब जो गरीबी की सीमा रेखा के नीचे था वह नीचे ही रह गया। हम उस गरीब का चयन नहीं कर पाये, दूसरे आदमी को गरीबी की रेखा के नीचे मान लिया और उसका चयन कर लिया। इस प्रकार जो पहले गरीब आदमी था उसकी माली हालत नहीं सुधरी और दूसरे की माली हालत सुधर गयी। तो मैं समझता हूं कि गांव में रहने वाले सामान्य आदमी को आज जो सुविधा मिलनी चाहिये थी वह उससे वन्चित रह गया और इस आई.आई.आर. डी. का जो फायदा मिलना चाहिये था वह उसको नहीं मिल पाया।

श्रीमन्, आई.आई.आर.डी. कार्यक्रम लागू करने का आधार बनाया था गांवों का जो गरीब आदमी, गाय, बैल, भैंस और बकरी खरीदेगा उसको सब्सिडी देंगे। अब सब्सिडी का जो माध्यम हिन्दुस्तान में प्रारम्भ किया गया है या जो एक कान्ट्रेक्ट सिस्टम हमने प्रारम्भ किया है, इन दोनों माध्यमों की अगर हम तुलना करें तो हम यह पायेंगे कि जो हमारी सरकार की मंशा गरीब से गरीब की माली हालत सुधारने की थी, जिसमें हम गरीब लोगों को पैसा देते हैं उनको उसका फायदा नहीं मिला। हम देखते हैं कि इस कार्यक्रम के बाद आज से दस साल पहले जो गरीब था वह आज भी गरीब है। लेकिन एक जो नई क्लास है, जिस क्लास की कार्यक्रम के बारे में जागृति है, जो जानता है कि उसको क्या फायदा हो सकता है वह एक नयी क्लास डवलप हो गयी, वह

(श्री सी. पी. जोशी)

नयी क्लास सब्सिडी का जितना फायदा है वह फायदा उठा रही है इसलिये गरीबी की रेखा के बीच के फिजीकल टार्गेट की बात हो कि हमने वर्ष 1981-82 में इतने परिवारों को चयन कर दिया, 82-83 में इतने लोगों का चयन कर दिया, इतने लोगों को लाभान्वित करने के लिये पैसा अलॉट कर दिया पर निश्चित तौर पर हमारे टार्गेट और अचीवमेंट सत्य नही हैं, लेकिन उसका आंकड़ा हम देखते हैं, सामान्य आदमी के पास पैसा नहीं पहुंचा, एक नई क्लास डवलप हो गयी उसे फायदा हो गया और हमारी यह कार्यवाही सारी कागजी कार्यवाही हो गयी। जो टार्गेट पूरे करने थे वह नहीं हुए। अब अगर हम 20 सूत्री कार्यक्रम को देखें, उसके अन्दर जो खामियां हैं उनको हम खुद स्वयं देखें तो हमें पता लगेगा कि जो फायदा हमें मिलना चाहिये था वह नहीं मिला। जैसे इस 20 सूत्री कार्यक्रम का जो पहला और दूसरा सूत्र है वह सिंचाई की सुविधा के बारे में है। पिछले ढाई साल में हमारी राजस्थान सरकार बड़ी सिंचाई योजनाओं को चला रही है उनको देखें। मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि उन बड़े प्रोजेक्ट्स का पूरी तरह से मोनिटरिंग भी नहीं हो पा रहा है। हमारी राजस्थान स्टेट के जो पोलिटिकल लीडर हैं, हैड हैं वह वहां जाकर यह भी नहीं देख पाये कि वहां पर क्या हो रहा है, वह काम पूरा होगा या नहीं। वर्षा कम हुई, यह तो ठीक है लेकिन जो मोटी योजनायें हैं हमारी जिनके टार्गेट पूरे करने हैं वह पूरे हो सकते हैं। मोटी योजनायें हैं इन्हें तो पूरा करना ही है। उनमें देखना होगा कि कितनी पूरी हुई हैं, कितने और क्या सामान की जरूरत है, उसके लिये रुपये का प्रोवीजन किया गया या नहीं। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि हमारे उदयपुर डिवीजन में एक जाखम परियोजना शुरू की गयी। जब वह शुरू की गयी तब जो कोस्ट आंकी गयी थी वह अब 50 प्रतिशत रह गयी है और हालत यह है कि जाखम योजना पूरी नहीं हो सकेगी। सभापति महोदय, मुझे यह कहते हुए दुःख है कि उसका जो कैचमेन्ट एरिया है उसमें जो फोरेस्ट थे वह पानी के कारण बरबाद हो रहा है। आगे बरसात आयेगी तब उसमें पानी भरेगा और फोरेस्ट और बरबाद हो जायेगा।

सभापति महोदय, आज गुजरात के अन्दर हमारे यहां से सरस्वती का पानी जाता है उसके पानी को रोकने के उपाय हम नहीं कर पा रहे हैं। हम यह सोचते हैं कि यों ही राजस्थान उज्जवलित हो जायेगा और बिजली हम मुहैया कर लेंगे। लोकल इण्डस्ट्रीज को डवलप करने के लिये वहां पर पानी की आवश्यकता पड़ेगी। बिना उसके हम हमारे यहां पर उसका टोटल इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप नहीं कर पायेंगे। 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जो हमने गरीबों की माली हालत सुधारने की बात सोची वह हम बिना इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप किये नहीं सुधार पायेंगे। हमारे यहां पर इण्डस्ट्रियलाइजेशन पूरी तरह नहीं कर पायेंगे। साथ ही जो सिंचाई की सुविधा है वह पूरी नहीं कर सकेंगे। जयसमन्द में जो पानी जा रहा है उसको रोक कर हम उदयपुर में देवास की योजना को पूरा नहीं कर रहे हैं। इस कारण उदयपुर में जो इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप होना चाहिये औद्योगीकरण का वह नहीं कर पायेंगे।

(श्री सी. पी. जोशी)

सभापति महोदय, मैंने इस सदन में एक प्रश्न पूछा था उसमें अगूचा की खानों के खनन के बारे में मैंने बताया था कि 650 टन का खनन होने से हमारे पांच हजार करोड़ रुपये का खनन का एस्टीमेट किया है। यह हमारे राजस्थान का दुर्भाग्य है, हमारे यहां की पोलीटिकल स्थिति जो है उसके कारण पांच हजार करोड़ रुपये को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं करा सके। इससे हमारी स्टेट की माली हालत सुधर सकती थी वह नहीं सुधर पायी। इसी के साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि गुजरात, जो कि हमारे से छोटी स्टेट है, ने अपने यहां पर इक्विटी शेयर कन्वर्ट करा लिये। उसका नतीजा यह है कि वहां पर फायदा हुआ। हमारे राजस्थान में उसका एक भी प्रतिशत फायदा नहीं हुआ। राजस्थान की पोलिटिकल लीडरशिप है वह अगूचा से होने वाले डवलपमेंट को एन्टीसिपेट नहीं कर सकी। जो रिसोर्सेज हमें डवलप करने चाहिये थे उनको हम मोबिलाइज नहीं कर सके।

सभापति महोदय, अगर हम यह सोचते हैं कि राज्यपाल महोदय के भाषण पर हम अपनी बात कह दें और बात को समाप्त कर दें तो यह एक रुटिन भाषण होगा मैं समझता हूं, सभापति महोदय, राजस्थान में 50 वर्ष की आयु के नीचे 35 प्रतिशत लोग होंगे और बाकी 50 प्रतिशत लोग 16 से लेकर 21 वर्ष तक के होंगे। वह लोग बेरोजगारी से पीड़ित हैं। आज हमने हालांकि ट्राइसम योजना चालू की है। जैसा कि इस अभिभाषण में लिखा है, हम इस योजना के अन्तर्गत 45541 लोगों को रोजगार दे पायेंगे। पर, सभापति महोदय, हम ट्राइसम योजना के आधार पर लोगों को एम्पलायमेंट देना चाहते हैं तो यह हमारी राजस्थान की जनता के साथ बहुत बड़ा फ्राड होगा। इस योजना के अन्तर्गत एक टेलर मास्टर को आप 200 रुपये दे रहे हैं वह चार कारीगरों को 50-50 रुपये देकर उनको अपने ही इन्स्ट्रूमेंट्स और अपने ही टूल्स से ट्रेनिंग दे रहा है और उनको अपने यहां पर नियोजित कर रहा है तो इससे तो फायदा नहीं होगा। ट्राइसम योजना से जो फायदा जनता को होना चाहिये था वह नहीं होगा। जनता को फायदा देने के लिये होना तो यह चाहिये कि हर पंचायत समिति के अन्दर एक ट्रेनिंग दी जाय। वहां पर लोगों को इन्डिपेंडेंट ट्रेनिंग दी जाय जिससे वह लोग उसका फायदा उठा सकें। पर ऐसा हो नहीं रहा है और ट्राइसम योजना से जो गरीब को लाभ मिलना चाहिये था वह नहीं मिल रहा है। आज ढाई साल से हमने हमारे यहां पर सरकारी नौकरियों में बेन लगा रखा है उसको भी हम लिफ्ट नहीं कर सके। सिवाय शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के किसी केन्डीडेट को भी नौकरी नहीं दे सकते हैं तो आप इस तरह से किस प्रकार से हिन्दुस्तान और राजस्थान में डेमोक्रेसी को जिन्दा रख पायेंगे। अगर आप देश में डेमोक्रेसी को जिन्दा रखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि देश में वायोलेन्स नहीं भड़के और लोगों को रोजगार मिले तो आपको अपने यहां पर हालत में सुधार करना होगा। हमारे यहां पर 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत, ट्राइसम के अन्तर्गत, जो काम देने की बात है उस सिस्टम में हमें आमूल चूल परिवर्तन करना होगा। सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री

(श्री सी. पी. जोशी)

विश्वनाथ प्रतापसिंह जी ने जो सिस्टम चालू किया था उसका मैं उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। उन्होंने यह किया कि डिस्ट्रिक्ट का एक मन्त्री को इन्चार्ज बना कर उस डिस्ट्रिक्ट के जो भी एम. एल. ए. और एम. पी. थे उनको उस कमेटी में रख दिया और उस कमेटी को उस डिस्ट्रिक्ट का डवलपमेन्ट करने का काम दे दिया। उसका 30 प्रतिशत बजट होता था और उस बजट को वह अपने यहां पर खर्च कर सकते थे। अगर आप यह सिस्टम यहां पर लागू कर दें तो राजस्थान के अन्दर जयपुर में सचिवालय के चक्कर काटने आज पड़ते हैं वह बन्द हो जायेंगे। आप फिक्स कर दें कि उदयपुर के अन्दर इतना सिंचाई के लिये, इतना डिस्पेन्सरी के लिये, इतना कॉलेज के लिये और इतना पैसा फलां फलां काम के लिये खर्च करना है। तो वहां पर मन्त्री होगा, उस जिले के एम. एल. ए. और एम. पी. होंगे वह सभी काम तय कर देंगे। जो एक्सपेरीमेंट विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने किया अगर वह यहां करें तो हमारे यहां पर जो 20 सूत्री कार्यक्रम है उसमें तेजी से काम कर सकते हैं। उसका मूल्यांकन भी हो सकेगा वरना तो यह जो टार्गेट हम बनाते हैं उनको पूरा नहीं कर पायेंगे।

आज जो हमारे यहां पर ब्यूरोक्रेसी है उसको हमारे यहां के लोग कन्ट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे पास में पोलिटिकल विल नहीं है। यही कारण है कि जो भी आंकड़े ब्यूरोक्रेसी के द्वारा दिये जाते हैं उनको अचीव नहीं कर पाते हैं। होता यह है कि हमारे राजस्थान का जो विकास होना चाहिये वह नहीं हो पा रहा है। जो राज्यपाल महोदय द्वारा अभिभाषण दिया जाता है उससे हम असेसमेंट नहीं कर सकते हैं कि सही मायने में उतना लाभ हुआ या नहीं। इसमें चाहे जो भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे विरोधी पक्ष की पार्टी हो उसके बिना हमारे यहां पर विकास नहीं हो सकेगा। हर साल राज्यपाल महोदय का अभिभाषण जो भी होता है उसके समर्थन और असमर्थन में भाषण दे देते हैं इससे हमारे जो राजस्थान का भविष्य सुधरना चाहिये था वह नहीं सुधर सकेगा।

जो टी. ए. डी. योजना है ट्राइबल एरिया डवलपमेंट की उसके लिये हमने 10 प्रतिशत बजट अलोकेशन किया हुआ है, उसके दो भाग हैं। उसमें ट्राइबल एरिया डवलपमेंट के 50 प्रतिशत भाग में तो थोड़ा फायदा दिखाई देता है जैसे अस्पताल खोल दिये गये हैं, कालेज खोल दिये गये हैं, स्कूल खोल दिये गये हैं और कुछ उद्योग भी खोले गये हैं पर जो बाकी 50 प्रतिशत भाग है उसका खुल कर दुरुपयोग हो रहा है। आज आदिवासी लोग बुरी तरह से गरीबी की हालत में ही हैं। सिर्फ आप पैसा खर्च कर खाना पूर्ति ही कर रहे हैं पर विकास का कोई काम उनके लिये नहीं हो रहा है। उदाहरण के तौर में हमने अभी उदयपुर डिवीजन में फसल के लिये उनको कहा कि आप सरसों बोइये। उन्हें हमने सीड भी दिया, कोआपरेटिव, सोसायटी के माध्यम से सब्सिडी भी दी पर वह लोग उसको काम में नहीं ले सके और वह काम पूरा नहीं हुआ हालांकि इतनी सब्सिडी हमने दी थी। आप फर्टीलाइजर पर सब्सिडी देते हैं किन्तु हालत यह है कि जो हमारे आदिवासी भाई हैं वह फर्टीलाइजर लेते ही

(श्री सी. पी. जोशी)

नहीं है। सब्सिडी उनके नाम से दूसरे आदमी लेते हैं और बाजार में जाकर उसको ब्लेक में बेच देते हैं गवर्नमेंट के आंकड़ों में हम दिखा देते हैं कि इतना फर्टीलाइजर दे रहे हैं। यह भी सम्भव नहीं हो पा रहा है। इसलिये कन्सेप्ट ऑफ सब्सिडी जो है उसमें जो एक नयी क्लास धीरे धीरे डवलप हो रही है उसको खतम नहीं करेंगे तो यह नयी क्लास सारे विकास की दर को खा जायेगी।

मैं एक और उदाहरण देकर अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। राजस्थान के अन्दर जब राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था तो कुछ लोगों ने हिम्मत करके बस आपरेटर का काम किया। आज हालत यह है, राष्ट्रीकरण करने के बाद डिपो मैनेजर के ए.एम.ई. के पास में बसें हो गयीं और रोडवेज के अन्दर पार्ट टाइम केजुअल ड्राइवर्स और कन्डक्टर्स, जिनका पैसा सरकार दे रही है, के माध्यम से गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाने के साथ वह आदमी सरकार से तनख्वाह भी उठा रहा है और गाड़ी लेकर अपनी एक्स्ट्रा इनकम भी उसने डवलप कर ली है। जो सामान्य मोटर चलाने वाला आदमी था उसकी हालत हमने यह कर दी टैक्सेशन प्रणाली के आधार पर कि वह गाड़ी नहीं चला सकता। जिस सरकार के अन्दर सामान्य आदमी की हालत यह हो गयी है, यह कौनसी सरकार है? रेवेन्यू रिकवर करने में हमारी राजस्थान सरकार फेल्योर हो गयी इसलिए, एक नया सिस्टम लागू किया है जिसकी ओर ध्यान नहीं दिया है। हमने यह कहा है कि जो फुल कैपेसिटी है बस की उस फुल कैपेसिटी का 66 पर्सेंट का असेसमेंट मानकर पेमेंट कर दो। यह कौनसी सरकार हुई? एक आदमी, एक मोटर मालिक, जो सामान्य पैसेन्जर से गवर्नमेंट का टैक्स ले रहा है पूरा, से उस टैक्स की हम रिकवरी नहीं कर पाये इसलिये हमने यह कानून बनाया कि तुम सब का टैक्स ले लो लेकिन 66 पर्सेन्ट टैक्स गवर्नमेंट में जमा करा दो। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। वह आदमी फुल पैसेन्जर का टैक्स तो वसूल कर रहा है लेकिन गवर्नमेंट में जमा करायेगा 66 पर्सेन्ट, यह बिल हमने पास किया है।

माननीय सभापति महोदय, जन प्रतिनिधि की पालिटिकल लीडरशिप नहीं होने से नयी ब्यूरोक्रेट क्लास डवलप हो रही है। आज कितने आई. ए. एस. आफिसर्स हैं जिनका अपनी पत्नी और बच्चे के नाम बिजनेस न चल रहा हो। कितने ही ऐसे आई. ए. एस. आफिसर्स हैं जो कि इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं। कितने ही ऐसे आई. ए. एस. आफिसर्स हैं जो कि आर. एफ. सी. और रीको से लोन लेकर उसका फायदा उठा रहे हैं। उनका जस्टीफिकेशन बैठकर करते हैं हमारे मंत्रीगण और हम स्वयं। आज सामान्य आदमी चोर नहीं है। एक पर्सेन्ट चोरी करते हैं तो हम विधायक खड़े होकर कहते हैं कि चोरी कर दी। आज ब्यूरोक्रेट करोड़ों रुपया खा रहा है, हम बैठे देख रहे हैं और हम ब्यूरोक्रेटस के खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आज हम उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रान्सफर कर पा रहे हैं। यह जो स्थिति बनती जा रही है, माननीय सभापति महोदय, यह इस राजस्थान के लिए नहीं इस डेमोक्रेसी के लिए एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रश्नवाचक चिन्ह इस बात का है कि यदि हम सामान्यतः अभिभाषण को आधार

(श्री सी. पी. जोशी)

बनाना चाहें तो अभिभाषण के आधार पर तो राजस्थान की प्रगति बहुत ज्यादा हो जानी चाहिए थी।

इतना पैसा हमने अकाल राहत के ऊपर खर्च कर दिया किन्तु आज अकाल वैसा का वैसा ही पड़ा है। सारा प्लान का पैसा हमने डाइवर्ट कर दिया अकाल राहत के अन्दर। हम नियम बना दें कि 60 पर्सेन्ट लेबर और 40 पर्सेन्ट मैटीरियल का काम नहीं हो पायेगा तो क्या बनेगा? अब एक नया सिस्टम प्रारम्भ किया है हमने अकाल राहत के अन्दर, गांव का सामान्य आदमी भूखों मरे या कुछ भी हो लेकिन यह फैसला यहां का फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट करेगा कि अकाल राहत के काम शुरू होने चाहिए या नहीं शुरू होने चाहिए। आज की तारीख में इस क्षण तक मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास यह नक्शा नहीं है कि किन किन पंचायतों के अन्दर काम शुरू हो गये और किन किन पंचायतों के अन्दर काम शुरू नहीं हो पाये। आज हालत यह है कि पांच गांवों के अन्दर तो अकाल राहत का कार्य चल रहा है और 15 पंचायतों के अन्दर बिलकुल अकाल से भूखों मर रहे हैं। हम जो बैठ कर निर्णय करना चाहते हैं, हमने कार्य प्रारम्भ किया है उसका हैट्रोजीनस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या नहीं? उसमें हम किस आदमी का भला कर पाये हैं? इसका मतलब तो यह हुआ, सभापति महोदय, वास्तव में अकाल है ही नहीं। हम आर्टीफिशियल अकाल क्रियेट करके कुछ काम करना चाहते हैं और इसलिए कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। किन्तु अकाल की वजह से जो दूसरी स्थिति बन सकती है वह स्थिति नहीं बन पायेगी।

राजस्थान के विकास के सम्बन्ध में मैंने पहले भी कहा कि विकास का जो मापदण्ड है उस पर सोचना पड़ेगा। राजस्थान के डवलपमेन्ट के अन्दर डेजर्ट एरिया की प्राब्लम है, जयपुर की प्राब्लम है या उदयपुर डिस्ट्रिक्ट की प्राब्लम है इन तीनों के अन्दर कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि हम एक यार्डस्टिक से राजस्थान के विकास की बात करना चाहें तो विकास सम्भव नहीं हो पायेगा।

आज हालत यह है, सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं केवल मात्र एजुकेशन की ओर। हमने निर्णय किया है कि डिस्ट्रिक्ट लेबल पर पी. जी. कालेज हो जायेंगे। अब हालत यह हो गयी कि जिस आदमी ने आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले एम. ए., एम. एस सी. या एम. कॉम करके लेक्चररशिप जोइन की वह आदमी आज 15 साल बाद या 20 साल बाद रिसर्च कोर्स पढ़ा रहा है ज्योलाजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एम. काम. का और एम. ए. का जो आदमी डूंगरपुर का रहने वाला है उसके साथ क्या न्याय हो रहा है। इसलिये, सभापति महोदय, हैट्रोजीनस डवलपमेंट हो रहा है।

मैं कहना नहीं चाहता, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट की जनसंख्या 24 लाख है। उस उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर एक हॉस्पिटल है आज। चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट के अन्दर चित्तौड़ के अन्दर हॉस्पिटल है, प्रतापगढ़ के अन्दर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट की टोटल पापुलेशन का डिवीजन करके देख लीजिए उदयपुर डिवीजन की पापुलेशन के हिसाब से चिकित्सा की सुविधा कितनी आयेगी और

(श्री सी. पी. जोशी)

डूंगरपुर की जनसंख्या के आधार पर चिकित्सा सुविधा कितनी आयेगी।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, सभापति महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उसकी पंचायत समिति खमनोर के अन्दर एक भी हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं है। वहां पर एक वेटरिनरी हॉस्पिटल है। एक पंचायत समिति के अन्दर कहीं तो एक डिस्पेन्सरी है और कहीं-कहीं तीन पी. एच. सी. हैं, कहीं पर एक डिस्पेन्सरी और एक भी पी. एच. सी. नहीं है, कहीं पर एक भी हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं है···

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): सभापति महोदय, इन बातों का जवाब कौन देगा? कौन लिख रहा है? कोई केबिनेट स्तर का मंत्री नहीं है। मजाक बना रखा है अभिभाषण को।

श्री सभापति : इस बात की चिन्ता आपको करने की जरूरत नहीं है।

एक माननीय सदस्य : इतनी महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं और कोई लिखने वाला नहीं है। इसका जवाब कौन देगा? आप देंगे क्या?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जब भी सरकार जवाब देगी···

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करिये।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला (राज्य मन्त्री, स्वायत्त शासन) : सभापति महोदय, इनको आश्वस्त कर दीजिए कि हम 5 मन्त्री 10 कानों से इनकी बात सुन रहे हैं। घबरायें नहीं।

श्री सभापति : आप चालू रखिये, माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपमें से केबिनेट स्तर का एक भी नहीं है। लोअर रैंक के मिनिस्टर बैठे हैं यहां।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, शान्त रहिये।

एक माननीय सदस्य : आपका रैंक क्या है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वह चौमू वाला है आपका तो।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय सभापति महोदय, मैंने अपनी बात जो कही है वह मैंने दो रूप में कही है···

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जरा शांत रहें।

श्री सी. पी. जोशी : ... एक बात तो मैंने इस रूप में कही है कि यदि आप राजस्थान विधान सभा की सातवीं विधान सभा में बैठने वाले सदस्य छः विधान सभा के सत्र के अन्दर जो होता आया है यथास्थिति रखकर आज अभिभाषण का समर्थन या विरोध करना चाहें तो एक रूलिंग पार्टी का मेम्बर होने के नाते मैं अभिभाषण का समर्थन करता हूं लेकिन कुछ बातें कही हैं

(श्री सी. पी. जोशी)

उसका सम्बन्ध पार्टी से नहीं है। सम्बन्ध इस बात से है कि आने वाले समय में हमारी हालत क्या होगी। हम राजस्थान को कहां ले जाना चाहते हैं और राजस्थान के विकास की स्थिति क्या बनेगी, उस बारे में निवेदन करना चाहता हूँ।

मैं अपनी बात और कहना चाहता हूँ शायद आपको यह मालूम नहीं होगा कि बीस सूत्री कार्यक्रम में 18 और 19 वें सूत्र में इतनी हमने प्रोग्रेस कर ली है कि बोलने की आवश्यकता ही नहीं रही। सूत्र 19 और 20 सम्बन्ध रखते हैं स्मगलिंग और होल्डिंग को रोकने के लिए। उसमें हमारी क्या प्रोग्रेस रही ?

सभापति महोदय, मैं अपनी बात और स्पष्ट करना चाहता हूं। यह राजस्थान सरकार ने आर. एफ. सी. और रीको की लोन की प्रणाली आरम्भ की है। उस आर. एफ. सी. और रीको के लोन के माध्यम से भी हम एक नयी एन्टरप्रेन्योर क्लास डवलप कर रहे हैं। वह एन्टरप्रेन्योर क्लास टेक्निकल नो हाऊ तो जानती है लेकिन एक नया पैसा खर्च नहीं कर रही है। 120 पर्सेंट की प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करके, लोन के लिए आर. एफ. सी. के डाइरेक्टर और कन्सर्न्ड आथोरिटी को 120 पर्सेंट की प्रोजेक्ट रिपोर्ट देकर और 20 पर्सेंट कमीशन देकर 100 पर्सेंट लोन उठा रही है। एक नयी क्लास डवलप हो रही है इस आर. एफ. सी. और रीको के माध्यम से। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आई. ए. एस. आफिसर को रीको का चेयरमैन बनाते हैं, एम. डी. बनाते है या आर. एफ. सी. का चेयरमैन बनाते हैं तो उससे राजस्थान का विकास नहीं हो पायेगा। राजस्थान का विकास करना है तो राजस्थान के रहने वाले उद्योगपति, जो आज उड़ीसा में रह रहे हैं, कलकत्ता में रह रहे हैं, ऐसे टेक्नोक्रेट्स और ऐसे एन्टरप्रेन्योर को आर. एफ. सी. और रीको का एम. डी. बनाइये, चेयरमैन बनाइये तो राजस्थान के अन्दर सही रूप से हम इन्डस्ट्रीज डवलप कर पायेंगे। यदि हम ने यह निश्चित कर लिया कि हम राजस्थान का विकास केवल मात्र इन ब्यूरोक्रेट्स पर छोड़ देंगे तो, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान का विकास इस दर से नहीं हो पायेगा जिस विकास की दर से हम राजस्थान का विकास करना चाहते हैं।

मैं हैंड पम्प के बारे में अपनी बात नहीं कहना चाहता हूं लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि जो यार्डस्टिक बना रखा है, जो मापदण्ड बना रखा है कि 250 की पापुलेशन को ऊपर एक हैण्ड पम्प लगायेंगे। तो, माननीय सभापति महोदय, आज हमारे वहां पर स्केटर्ड पापुलेशन है। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर रहने वाले आदिवासी भाई कोई तो मागरे पर रहता है और कोई बाड़ी में रहता है। वहां 250 के ऊपर एक हैंड पम्प लगाया तो 250 की पापुलेशन तीन या चार किलोमीटर के रेडियस में बिखरी हुई है। वह यार्डस्टिक हमारे यहां लागू नहीं होगा। यदि आप चाहते हैं कि 1500 की जनसंख्या पर सड़कों को लायेंगे तो हमारे गांव के गांव सड़कों से जुड़ने से रह जायेंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि हमारा जो मापदण्ड है सोचने का विकास करने का, उस मापदण्ड को हमें यथास्थिति की बात से बदलना पड़ेगा। सभापति महोदय, कान्स्टीट्यूशन में,

(श्री सी. पी. जोशी)
संविधान संशोधन होने से पहले ही यदि हम इस बात को एन्टीसिपेट नहीं कर पायेंगे तो सड़कों पर घूमने वाले नौजवान, जो कि आज जोधपुर, जयपुर और बीकानेर में प्राब्लम क्रियेट कर रहे हैं, आने वाले समय में छोटे छोटे शहरों में प्राब्लम पैदा करेंगे। उनकी प्राब्लम साल्व करने की स्थिति में जब हम नहीं होंगे तो आपकी डेमोक्रेसी, आपकी सरकार और आपके राज्यपाल के अभिभाषण सब थोथे हो जायेंगे। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि हम गम्भीरता से इस बात को सोचें कि जो सिस्टम प्रिवेल कर रहा है, उस सिस्टम के प्रिवेल करने के साथ ही साथ जनता की जो अपेक्षा है, आकांक्षा है, उनकी यदि हम पूर्ति नहीं कर पायेंगे तो आने वाला समय हमारे सबके लिए प्रश्नवाचक चिह्न होगा। लेकिन इन सब कठिनाइयों के बाद अगर हमारी वित्तीय स्थिति इस प्रकार की है जो सिस्टम चल रहा है, जो आंकड़े दिये हैं, वह सही होंगे, सही होने चाहिये तो मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन इस बात के साथ करना चाहूंगा कि आने वाले वक्त में हम अपनी स्थिति का मूल्यांकन करके राजस्थान की जनता को वह शिक्षा दे सकें, जो बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित की है तो राजस्थान के हर व्यक्ति का भला होगा। जो सिस्टम प्रिवेल कर रहा है, उसमें 20 सूत्री कार्यक्रम के इम्प्लीमेन्टेशन में जिस किस्म का लेकूना है, उससे सबक सीखकर आगे आने वाले वक्त में गरीबी की रेखा के नीचे के व्यक्तियों का हम चयन करें।

एक बात कह कर समाप्त करूंगा, माननीय सभापति महोदय, जिन लोगों के कोआपरेटिव सोसाइटीज के लोन बाकी हैं, उन लोगों ने प्रबन्धकों को पैसा भी दे दिया है परन्तु व्यवस्थापकों ने पैसा जमा नहीं कराया है, ऐसे हजारों आदमी हैं। मैं चाहूंगा कि उन लोगों, जिन लोगों में लोन नहीं है, का गरीबी की रेखा के नीचे में चयन नहीं हो पा रहा है, उनको आई.आर.डी.एस. का कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है, इसलिये उनके लोन माफ कर दिये जायें ताकि उन लोगों का चयन करके उन बेचारों को गरीबी से मुक्त कर सकें। इस विश्वास के साथ कि मेरा जो क्रिटिसिज्म है वह बीस सूत्री कार्यक्रम को इम्प्लीमेंट करने में सार्थक होगा, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करके अपनी बात को समाप्त करता हूं।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री तेज पाल जी यादव।

श्री तेजपाल यादव (चौमूं) : माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने यहां जो अभिभाषण पढ़ा, उसका समर्थन करते हुए मैं कुछ मुद्दे पेश कर रहा हूं। बीस सूत्री प्रोग्राम गांव की गरीब जनता के लिये, उसके विकास के लिये, उसकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये एक वरदान के रूप में है। लेकिन इसमें जो कमेटियां बनाई गई हैं, जिलेवार कमेटियां बनाने की सरकार की जो योजना थी वह हम नहीं बना पाये हैं जिससे जिस प्रकार से गंगा भागीरथ लाये थे और गंगा को रास्ते में सागर ने रोक लिया और फिर बड़ी मुश्किल से उसके हाथ से निकाली थी उसी तरह से बीस सूत्री प्रोग्राम को जिस भावना से सरकार ने लागू किया था और जो सरकार की मंशा

(श्री तेजपाल यादव)

थी उसके अनुरूप ब्यूरोक्रेट्स ने जमीन पर, धरातल पर कार्यरूप में नहीं उतारा। यह भी एक कमी रही कि जिलेवार इसकी कमेटियां जो बनानी चाहिये थीं और जन प्रतिनिधियों को उसमें जितनी जिम्मेदारी देनी चाहिये थी वह हम नहीं दे पाये हैं।

बीस सूत्री प्रोग्राम में पहला सूत्र सिंचाई का था। अगले सूत्र में ग्राम में उजाले की बात थी। करीब-करीब यह दोनों मुद्दे हमारे प्रदेश के गरीब लोगों के लिये, किसानों के लिए बहुत ही अहमियत के थे। किन्तु न तो हम किसानों को सिंचाई की सुविधा दे सके और न किसानों को बिजली दे सके। इसके चाहे जो भी कारण हों। अक्टूबर और नवम्बर में हमने बिजली 10 और 11 घन्टे तक दी। आप सोच सकते हैं, सभापति महोदय, अक्टूबर और नवम्बर में किसी किसान ने 10 बीघा, किसी ने 11 बीघा पिलाई। अब फिर लोगों को पिलाई करनी है। मार्च और अप्रेल में फसल तैयार करते हैं। 3-9 दिन पानी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से अक्टूबर और नवम्बर में जो बिजली हमने दी, अब मार्च और अप्रेल में बिजली की कटौती करके किसानों को हम बिजली देने में असमर्थ हैं तो उससे हमारा उत्पादन तो गिरा ही, साथ ही किसान को अक्टूबर, नवम्बर में बिजली देकर एक तरह से उनका आर्थिक नुकसान कर दिया। किसान आज अच्छी स्थिति में नहीं रहा। अगले साल वह किस तरह से अपनी फसल बोयेगा, कहां से बीज लायेगा, कैसे व्यवस्था करेगा, यह एक समस्या है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि किसी तरह के हम कितने भी प्रोग्राम बना लें लेकिन उत्पादन वृद्धि के जो साधन हैं उनको हम नहीं बढ़ा पायेंगे तो जो आर्थिक स्थिति है सरकार की, किसानों की, और देश की वह गिरती जावेगी। इसमें बिजली की बात है आज बिजली किसानों को हमको देनी चाहिये थी। उद्योगपतियों को सब्सिडी दे दी, जनेरेटर सैट के लिये सब्सिडी देने की व्यवस्था कर दी तो किसानों की भूमि बचाने के लिये सरकार को ध्यान देना चाहिये। इस प्रकार से जो किसानों का काफी नुकसान हुआ है वह आइंदा किसानों का नुकसान न हो क्योंकि हमारा प्रदेश किसानों और मजदूरों का प्रदेश है और सरकार भी किसानों और मजदूरों की है...

एक माननीय सदस्य : गलत है।

श्री तेजपाल यादव : किसान और मजदूरों का फतवा करने वाले उधर बैठे हैं लेकिन कोई भी सरकार हो वही सरकार अपना कर्तव्य पालन कर सकती है जिसके पीछे किसान और मजदूर हों। सामने बैठने वाले किसानों के लिए बाहर आंसू बहा सकते हैं लेकिन इनको भेजने वाले लोग शहरों में बैठे हैं। शहरों में ही ब्यूरोक्रेट्स बैठते हैं इसलिये शहर वालों को अपने आप सुविधा मिल जायेगी। लेकिन आप और हमको यहां भेजने वाले लोगों की तरफ अगर ध्यान नहीं दिया और केवल मात्र अधिकारियों के आंकड़ों के आधार पर और उनकी रिपोर्ट के आधार पर विश्वास करके यह मान लें कि राजस्थान का भला हो रहा है तो हम अन्धेरे में रहेंगे, धोखे में रहेंगे।

'प्रशासन गांवों की ओर' यह सरकार का बड़ा सराहनीय प्रोग्राम था। 'प्रशासन

(श्री तेजपाल यादव)

गांवों की ओर" प्रोग्राम से गांवों में आशा की एक नई किरण जगी है। जिस किसान की पटवारी, तहसीलदार, विभिन्न अधिकारियों के पीछे पीछे दौड़ने और अपना पैसा खर्च करने के बावजूद समस्या का हल नहीं हो पाता था आज सरकार ने यह अभियान चला कर किसानों की बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को हल किया है, जो मामले वर्षों में नहीं निपट पाते थे जो कई झगड़े हो जाते थे वह गांव में बैठ कर सुलझाये गये। यह सरकार का बड़ा सराहनीय कदम था। इस प्रोग्राम में मैं गांव में गया था। मैंने देखा, दो काम ठीक ढंग से किये गये। एक तो नामांतरण में सारे के सारे दाखिले और खारिज हुए और दूसरा गरीबी रेखा के नीचे जो चयन किया गया वह ठीक किया गया। बाकी मुद्दे ग्राम रास्ते के थे, चरागाह नियमन के थे, कई मुद्दे अभी भी निर्णीत नहीं हो सके। 'प्रशासन गांवों की ओर' प्रोग्राम में जनता की ओर से जो सुझाव आये हैं, ग्रामीण सभाओं ने दिये हैं उनके ऊपर कार्यवाही करा कर जिला प्रशासक पर कुछ पाबन्दी करके उन सुझावों के अनुसार कार्यवाही करवाई जाये तो इससे जनता को बड़ी राहत मिलेगी।

दूसरे जो गांवों में भूमि के झगड़े हैं, फौजदारी के केस हैं, जमीन के झगड़े हैं चाहे वे भूमि तकसीम के हों, चाहे सैटलमेंट में भूल से एक भाई के नाम दर्ज हो जाने और बाकी भाइयों के नाम दर्ज नहीं होने के हों, चाहे जिस जमीन पर काश्तकार बरसों से काबिज है वह उसके नाम न होने के हों, इन मामलों में वर्षों तक कोर्ट के चक्कर लगाने की अभी भी सबसे बड़ी समस्या है। मैं यह चाहता हूं इसके लिए अगर कानून में किसी तरह का अमेंडमेंट लाना हो तो हमको लाना चाहिये। इस तरह के जो मामले हैं उनको गांवों में बैठ कर वहीं तय करें, चौपाल में बैठ कर जैसे दूसरे मामले तय करते हैं, उसी तरह से तय करवा दें। जिस तरह से हमने जागीर जब्त करके जमीन का मालिक किसानों को बनाया था उससे किसानों में सरकार की कितनी साख जमी थी। उसी प्रकार से अगर हम यह करा सकें तो गांवों के लोगों में, किसानों में सरकार की पहले से इज्जत और बढ़ेगी और जो ऐसे मामले हैं वह समाप्त हो जायेंगे। मुझे यह खुशी है कि सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इस बात का जिक्र किया गया है।

दूसरी बात, गरीबी की रेखा के नीचे जो भाई चयनित किये गये थे उनको लाभ पहुंचाने वाली बात थी। उनको राष्ट्रीयकृत बैंक अभी सहयोग नहीं दे रहे हैं। समय समय पर सरकार को इस संबंध में मैंने लिखित रूप में भी निवेदन किया था और आज सदन के माध्यम से भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में राष्ट्रीयकृत बैंक जो बिलकुल निरुत्साहजनक सहयोग प्रदान कर रही हैं, उनको पाबन्द करें कि गरीबों में से जो चयनित हमारे भाई हैं, गांव के मजदूर भाई हैं जिनका चयन कर लिया गया है जो वर्षों से बिना सहायता के पड़े हुए हैं उनको कोई सहायता व ऋण आदि उपलब्ध करायें। इसके लिये व्यवस्था की जानी चाहिये।

अकाल राहत कार्यों के मामले में निवेदन है, वर्षा की कमी की वजह से और

(श्री तेजपाल यादव)

जहां सिंचाई के साधन थे वहां बिजली की कमी की वजह से आज राजस्थान में भयंकर अकाल है। जहां एक फसली इलाका है, बाड़मेर,जैसलमेर इधर तो एक फसली है वहां किसान ने जो बीज बोया वह अकाल पड़ने से जल गया और जो उसको उत्पादन मिलने वाला था वह नहीं मिला लेकिन जहां दो फसली इलाका है, बारानी खेती तो वैसे ही बरसात के अभाव में जल गई और चाही खेती, जिसमें खर्चा किसान को करना पड़ता है खाद, बीज, जुताई का, करीब 300,400, 500 रुपये एक बीघा में खर्च करता है लेकिन बिजली के अभाव में फसल जल रही है। तो जो दो फसली इलाके, सिंचित क्षेत्र वाले किसान हैं वह डबल मार से पिट रहे हैं। कम से कम उनको कोई साधन मुहैय्या करें। किसान को सहारा देने के लिये हम जहां अकाल राहत कार्य खोल रहे हैं वह ज्यादा मात्रा में खोलने चाहिये।

दूसरी बात, आज वर्षा लगातार न गिरने के कारण, लगातार वर्षा में कमी के कारण कुओं का जल स्तर बराबर नीचे गिरता जा रहा है इसलिये किसानों को पानी भी नहीं मिल पाता है। अकाल राहत कार्यों में कम से कम इधर जयपुर जिले में छोटे-छोटे एनीकट बनायें जिससे जमीन का कटाव भी रुकेगा और पानी का जल स्तर भी बढ़ेगा, दो फायदे इससे होंगे। साथ ही सरकार को भी फायदा होगा और किसान को भी फायदा होगा और अकाल के अन्दर जो पैसा खर्च करते हैं उसका डाइरेक्ट लाभ भी किसानों को मिलेगा।

पेय जल की समस्या के बारे में जो बात अभिभाषण में कही गई है वह बहुत ही अच्छी बात है परन्तु आज जो जो स्कीमें चालू की जा रही है और जलप्रदाय विभाग ने जो स्कीम लागू की है, जो टंकिया बनाने की योजना थी उसको खतम करके होद बनाकर टूंटियां लगाकर पानी देने की व्यवस्था की है यह पश्चिमी राजस्थान में तो सफल हो सकती है लेकिन पूर्वी राजस्थान में इसे कतई पसन्द नहीं करते क्योंकि वहां जगह जगह कुएं हैं। इससे तो अच्छा होगा किसान या गांव वालों ने जो कुएं बना रखे है उनसे ही पानी ले लें। जनता को इसका कोई फायदा नहीं पहुंचता है और सरकार का पैसा भी काफी खर्च होता है। तो मेरा सुझाव है कि यह होद प्रणाली जो लागू की है वह पूर्वी राजस्थान में तो कम से कम बिलकुल खतम की जानी चाहिये, उसका कोई फायदा नहीं है।

जहां तक मेरी जानकारी है पंचायतों ने जल दाय विभाग को लिख कर भी दे दिया है कि जो होद लगाकर टूंटियां लगाने वाली योजना है, इस योजना को हम पसन्द नहीं करते। हमें हमारा पैसा वापस लौटा दो। पंचायत समितियों के माध्यम से उन्होंने ऐसे प्रस्ताव भेजे हैं। मेरा सुझाव है यह स्कीम पी. एन. टी. की जो लागू हुई है यह बड़ी ऊंचाई वाली टंकी बनाकर लागू की जानी चाहिये। यदि इसमें धन का अभाव है तो धीरे धीरे लागू की जा सकती है। एक बार हमारा पैसा खर्च हो जाय और उसका सही उपयोग न हो तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है।

बीज और कीटनाशक दवा देने के आकड़े दिये गये है। पहले बीज के मामले में

(श्री तेजपाल यादव)

काफी प्रश्न उठाये गये थे। बीज निगम ने खराब किस्म का बीज किसानों को दिया था और समय के बाद दिया था। बीज के नाम से काफी घपले किये गये थे। यह कल्याणकारी सरकार होने के नाते किसानों की भलाई के लिये, प्रदेश की बहबूदी के लिये कोई नई योजना लागू करती लेकिन आज स्थिति यह बन रही है जैसा कि जोशी जी ने बताया, उसका जमीन पर क्या असर हो रहा है, कीटनाशक दवाइयों का धरती पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, यह भी एक देखने की बात है। तो आपके माध्यम से निवेदन है कि बीज के नाम से और कीटनाशक दवाइयों के नाम से घोटाले हो रहे हैं, और अधिकारियों के घर भरे जा रहे हैं वे रोके जाने चाहिये। गलत बीज देंगे और समय पर बीज नहीं देंगे तो इसका असर हमारे उत्पादन पर कितना पड़ेगा यह भी एक सोचने की बात है। अच्छा यह हो, अगर हम सही बीज किसान को उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं तो इस बीज की योजना को ही समाप्त कर दें। किसान अपने भरोसे और अपने साधनों से अच्छे बीज की व्यवस्था कर सकता है। जो बीज किसानों को उपलब्ध होता है वह किस तरह का होता है और बीज के मामले में क्या हो रहा है, यह सदन के सभी माननीय सदस्य जानते हैं।

कृषि उपज मण्डियां · · ·

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कृषि उपज मण्डियां चलाई हैं उनके द्वारा सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। मैंने पहले भी निवेदन किया था, सड़कों का निर्माण सही मायने में किसान की बेहबूदी के लिये किया जाना चाहिये। आज जो कुछ भी पैसा है वह केवल सड़कों पर ही खर्च किया जाता है। सड़कें केवल किसान को ही फायदा नहीं पहुंचाती हैं, उस गांव के रहने वाले व्यापारी को, लोकल आदमी को और दूसरे लोगों को भी उसका फायदा मिलता है। सड़क बननी चाहिये लेकिन मेरा सुझाव यह है कि किसान को खाद, बीज, बिजली और दूसरे मामलों में जैसे पंजाब हरियाणा और यू. पी. में सहायता दी जाती है उसी प्रकार दी जानी चाहिये।

जहां तक गोदामों के निर्माण का प्रश्न है, किसान अपना माल मण्डियों के गोदामों में रख कर समय पर बेचे, यह योजना बड़ी सराहनीय है। इस सम्बन्ध में मैंने एक प्रश्न भी पूछा था, उसका सरकार ने जवाब दिया था कि 40 गोदामों का निर्माण हो चुका है कृषि उपज मण्डी के माध्यम से। दूसरा मेरा प्रश्न था कि इसमें माल रख कर किसानों को कितना पैसा दिया गया। उसका उत्तर था, एक पैसा भी नहीं दिया गया। इतना पैसा लगा है उसका फायदा एक भी किसान को नहीं मिला, इससे जाहिर होता है कि अधिकारी योजनाओं को मन से लागू नहीं करते हैं। उनका मन नहीं है कि सरकार किसानों के लिये कुछ करे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये।

व्यवस्था का प्रश्न

काबिना स्तर के मंत्री की सदन में उपस्थिति

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) : सभापति महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

आन ए पाइन्ट आफ आर्डर ।

सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कोई माननीय सदस्य किसी समस्या को, किसी बात को यहां कहे तो कम से कम केबिनेट स्तर के मंत्री महोदय को ट्रेजरी बैन्चेज यहां पर बैठे रहना चाहिये ताकि विधायकों की बातों को नोट करें। यहां कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। हम लोग क्या बोले जा रहे हैं, हम लोग क्या कहे जा रहे हैं, इस बात को कौन सुन रहा है, कौन लिख रहा है, कौन नोट कर रहा है, कौन जवाब देगा, क्या होगा, इस बात की व्यवस्था दीजिये। जैसे कोई मतलब ही नहीं, जैसे भागवत बांची जाती है, रामायण बांची जाती है वैसे आकर हम यहां बांच देवें। क्या एक लाख मत-दाताओं के मत जीता हुआ जन प्रतिनिधि यही महत्व रखता है कि आकर विधान सभा में मर्जी आये सो कहे और मर्जी आये तब चला जाय। उसका कोई महत्व ही नहीं है। सभापति महोदय, आप कड़ी ताड़ना दीजिये . . .

(व्यवधान)

आप लोग बातें कर रहे हैं। आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं या सुन रहे हैं तो बताइये तेजपाल जी ने अब तक क्या-क्या बातें कहीं ? आपने नोट कीं ? मैं भाटी साहब, निवेदन करता हूं वे बता दें।

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (राज्य मंत्री, पर्यटन) : सारा नोट हो रहा है।

श्री भैरूं सिंह गुर्जर : इन सभी राज्य मंत्रियों से निवेदन करूंगा, अब तक तेजपाल जी ने क्या क्या बातें कहीं, एक भी बता दें। व्यवस्था दे दीजिये, सभापति महोदय।

श्री सभापति : आपका यह कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला (राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन) : ये सारी लिखी जा रही हैं।

श्री सभापति : आपका यह कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : सभापति महोदय, परम्परा यह रही है कि एक मंत्री तो यहां पर मौजूद रहे . . .

श्री सभापति : केबिनेट मंत्री कोई मंत्रणा कर रहे हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : किसी एक को ही बुला लीजिए। आखिर यह सदन इम्पोर्टेंट है। सारे प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है . . .

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : मैं आपके सामने निवेदन करने से पहले एक एक चैम्बर में घूम कर आया हूं। कोई मंत्रणा नहीं कर रहे हैं। सब मशगूल हैं, अपना अपना काम करने में, अपनी बातें करने में। कोई मंत्रणा नहीं कर रहे हैं। मैं स्वयं जाकर देख कर आया हूं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : हम बैठे हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : राज्य मंत्री बैठे हैं। ये सब राज्य मंत्री हैं। वे केबिनेट

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)
मंत्री की बात कह रहे हैं। आज तक की परम्परा यह रही है...

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : स्वतंत्र चार्ज है हमारे पास।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आज तक की यह परम्परा रही है कि एक न एक केबिनेट मंत्री मौजूद रहता है...

श्री श्रीराम गोटेवाला : केबिनेट मिनिस्टर इम्पोर्टेंट है। हम अनइम्पोर्टेंट हैं क्या? इन्होंने क्या समझा है हमको।

श्री सभापति : सभी इम्पोर्टेंट हैं, कोई अनइम्पोर्टेंट नहीं है।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : माननीय सभापति महोदय, ये राज्य मंत्री हैं। इनको पता नहीं है कि इनके पास विभाग कौन सा है।

(व्यवधान)

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) : यह कह रहे हैं कि राज्य मंत्री के पास स्वतन्त्र विभाग है। जब स्वतन्त्र विभाग होता है तो मंत्री और राज्य मंत्री में क्या अन्तर है?

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ये कौनसे विभाग के राज्य मंत्री है, यह बता दें।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : चतुर्भुज जी बता दें कि डांगी जी कौन से विभाग के राज्य मंत्री हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपने पाइन्ट आफ ऑर्डर उठाया था, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों में मिनिस्टर की डेफिनेशन यह दी है : मंत्री से तात्पर्य मंत्री परिषद् के किसी सदस्य, मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री या संसद सचिव से है।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : मेरा निवेदन यह था कि आप में से किसी ने कोई बिन्दु नोट किया है क्या?

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : खेतसिंहजी आ गए हैं, आपकी बात खतम हो गई।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : सभी राज्य मंत्री यहां विराजे हैं, वे सब अच्छे हैं, सब योग्य हैं। माननीय तेजपालजी जो बोल रहे हैं उसके किसी बिन्दू को इनमें से किसी ने नोट किया हो तो बता दें।

श्री सभापति : यह नोट हो रहा है।

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना) : वह सारा नोट हो रहा है।

श्री दिनेश डांगी (राज्य मंत्री, आयुर्वेद) : हमारे सरकारी अधिकारी भी बैठे हैं, वे नोट कर रहे हैं।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : यह मोहन मोदीजी कब से राज्य मंत्री हो गए। मुझे ध्यान नहीं था।

श्री मोहनलाल मोदी : आपको भी ध्यान आ जाएगा जब आप देखेंगे।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : मेरे को तो ध्यान है।

श्री मोहनलाल मोदी : आपको भी ध्यान आ जाएगा। आप जिस तरह की लड़ाई कर

(श्री मोहनलाल मोदी)
रहे हैं, इससे आपका नम्बर तो आएगा नहीं, शायद मेरा नम्बर आ जाय।

श्री भैरूंसिह गुर्जर : आपका नम्बर आ जाएगा तो कोई बात नहीं। आपका नम्बर एक बार तो आ गया कि हमारे पास आ गए। दूसरी बार और आ जावें तो हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जब कि आपको यह अधिकार नहीं दिया गया है...

श्री मोहनलाल मोदी : अधिकार दिया नहीं जाता है, अधिकार तो लिया जाता है।

श्री भैरूंसिह गुर्जर : फिर ले लो मंत्री पद।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय तेजपालजी यादव।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अब केबिनेट मंत्रीजी आ गए हैं। मैं यह चाहूंगा कि वे कम से कम यह एश्योरेंस दे दें तो अच्छा रहेगा कि जब सदन के समक्ष राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर इम्पोर्टेंट बात चल रही हो तो कोई न कोई केबिनेट मंत्री यहां रहेगा।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, जैसे कि विरोधी दल के नेता महोदय ने डिबेट में यह बात कही थी कि रावी व्यास के समझौते के बारे में क्या बात हो रही है, उसके बारे में आज ही चर्चा की जावे। वह रिजोल्यूशन तैयार कर रहे थे, विरोधी दल के नेता भी वहीं पर थे। चीफ मिनिस्टर साहब आ गए थे, इरिगेशन मिनिस्टर भी वहीं थे, मैं भी वहीं बैठा हुआ था। यह जोइन्ट रेस्पॉंसिबिलिटी है। स्टेट मिनिस्टर्स भी इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो वाले हैं। ये यहां बैठे हुए हैं। सारी बातों को नोट कर रहे हैं।

श्री दाऊ दयाल जोशी (दीगोद) : यह चेलेंज है मेरा कि ये बिलकुल नोट नहीं कर रहे हैं। यह बिलकुल गलत है।

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मंत्री, यातायात) : कोई नई बात कहते तो नोट कर लेते। कोई नई बात कही हो नहीं तो क्या नोट करें।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : तो चौमू से आने वाले माननीय सदस्य इतनी देर से बोल रहे थे वह सारा बेकार ही था।

(व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल जोशी : साढ़े बारह बजे से केवल कांग्रेस पार्टी के ही सदस्य बोल रहे हैं।

श्री सभापति : और भी कुछ बोले हैं।

श्री दाऊ दयाल जोशी : साढ़े बारह बजे से केवल कांग्रेस पार्टी के ही सदस्य बोले हैं। वह कोई भी महत्वपूर्ण बात नहीं बोले माननीय जयकृष्णजी के अनुसार।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप डिबेट को चलने दीजिए।

श्री दाऊ दयाल जोशी : कांग्रेस के सदस्य कोई बात बोलें ही नहीं ।

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन): सभापति महोदय, ये सारे राज्य मंत्री तो यह समझ रहे हैं कि ये सारे दिल्ली दरबार के बंधुवा मजदूर बोल रहे हैं। इसलिए यह चाहते ही नहीं नोट करना । सभापति महोदय, ये तो दिल्ली दरबार के बन्धुआ मजदूर हैं लेकिन जब हम लोग बोलें उसको तो नोट करें, साहब ।

श्री सभापति : आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए । माननीय सदस्य, आपकी पार्टी का समय पूरा हो गया है इसलिए यह जो आप बात कर रहे हैं ....

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : हम बन्धुआ मजदूर नहीं हैं ।

श्री दाऊ दयाल जोशी : भाटी साहब वकालत करते करते तो जेल में जा पहुंचे हैं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : जयपुर की जेल से तो नागपुर की जेल बेहतर है ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदय, इन्होंने जो शब्द कहे हैं, बन्धुआ मजदूर, यह बहुत गलत है । इस तरह का शब्द सदन में उपयोग में नहीं लाना चाहिए ।

श्री दाऊदयाल जोशी : जयकृष्णजी बोले तब कुछ नहीं बोले ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : दूसरा मैं निवेदन यह कह रहा था कि वरबेटम रिपोर्टिंग हो रही है । हमारे आफिसर्स भी जो आप मुद्दे कह रहे हैं वह नोट कर रहे हैं। आप रिप्लाई के वक्त में सुन लेना, आपकी जो खास मुद्दों की बातें हैं उन सब के जवाब मिलेंगे ।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : इसका मतलब है कि आप ब्यूरोक्रेट्स पर ही चल रहे हैं। आपके ब्यूरोक्रेट्स नोट करायेंगे आपके मुख्य मंत्री वही बोलेंगे । सरकारी अधिकारी नोट करेंगे और वे जो जवाब तैयार करेंगे उसी के अनुसार आपकी सरकार के मुख्य मंत्री जी जवाब देंगे ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : जो आप बोल रहे हैं वही नोट कर रहे हैं । मुख्य मंत्री जी अपनी नीति के हिसाब से, पार्टी की नीति के हिसाब से, जो प्रोग्राम है उसके हिसाब से, हमने जो प्रगति की है उसके हिसाब से ऐसा मौकूल जवाब देंगे कि आपके पास जवाब नहीं रहेगा ।

श्री सभापति : माननीय तेजपाल जी, आप अब जल्दी समाप्त करिये ।

श्री जयदेवप्रसाद इन्दोरिया : अध्यक्ष महोदय, यह मान लेना चाहिये कि हमारे मुख्य सचेतक महोदय जो हैं, वह कहीं भी हों, वह यत्र तत्र सर्वत्र हैं ।

श्री तेजपाल यादव : सभापति महोदय, जो सहकारिता के सम्बन्ध में ....

श्री मोहनलाल मोदी : सभापति महोदय, यह बन्धुआ मजदूर शब्द को एक्सपंज किया जावे ।

श्री रामसिंह विश्नोई : इसमें क्या बुरा है ।

श्री अनंग कुमार जैन : आप बन्धुआ मजदूर ही तो हो, साहब।

श्री रामसिंह विश्नोई : इसमें गलत क्या है।

(व्यवधान)

श्री तेजपाल यादव : सभापति महोदय, सहकारिता के सम्बन्ध में . . .

(व्यवधान)

बीच बीच में डिस्टर्ब करने से क्या फायदा।

श्री सभापति : बन्धुआ मजदूर भन-पालियामेंट्री नहीं है।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री तेजपाल यादव : सभापति महोदय, सहकारिता के सम्बन्ध में जैसा कहा गया है, तीन तीन पंचायतों की एक समिति बनी हुई है जिससे किसानों को इसका जितना लाभ मिलना चाहिए उतना लाभ नहीं मिल रहा है। माननीय सहकारिता मंत्री जी ने अभी सहकार सप्ताह के उद्घाटन के दौरान यह घोषणा की थी कि जल्दी ही एक पंचायत पर एक सोसाइटी कर दी जावेगी, तो किसानों को फायदा मिलेगा। आज 15-15, 20-20 मील से किसानों को खाद, बीज व अपनी आवश्यकताओं के लिए सोसाइटी में आना पड़ता है। अगर एक पंचायत एक सोसाइटी जैसे पूर्व में थी वैसे कर दी जाये तो सरकार का कोई खर्चा नहीं बढ़ेगा और किसानों को बड़ी राहत मिलेगी।

दूसरा इस प्रोग्राम में यह निवेदन है कि मध्यमकालीन ऋण की व्यवस्था समितियों के माध्यम से होनी चाहिए, गरीबों की रेखा के नीचे व्यक्तियों को सहायता दी जाती है वह तो है लेकिन जो सामान्य किसान पशु-पालन करना चाहते हैं, पशुओं के लिए ऋण लेना चाहते हैं मध्यमकालीन . .

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उसकी व्यवस्था नहीं है। यदि इस तरह की व्यवस्था कर दें तो सहकारिता के माध्यम से हम गांवों के किसानों की बड़े अच्छे ढंग से सेवा कर सकेंगे।

दूसरे जो प्राइमरी शिक्षा के बारे में जिक्र किया गया है वह सराहनीय है लेकिन आप सब जानते हैं कि आज गांवों में प्राइमरी एजूकेशन की क्या हालत है। जैसे रेवड़ होती है, जो रेवड़ चराते हैं जंगलों में, 20-25 बकरियों के पीछे एक ग्वाला होता है लेकिन यहां तो डेढ़ सौ, दो सौ लड़के हैं और एक मास्टर है। वह भी समय पर नहीं आता है। जब प्राइमरी एजूकेशन की नींव ही कच्ची रह जायेगी तो हायर एजूकेशन का जो इतना भारी भरकम खर्चा बना रखा है उसका क्या फायदा होगा। आपने जैसे पचास का कर रखा है, करना तो यह चाहिये आपको कि तीस से बीस पर आते, लेकिन सरकार जा रही है, चालीस से पचास, साठ और सौ। इस तरह से प्राइमरी एजूकेशन की क्या हालत होगी। मेरा सुझाव है कि कम से कम इस ओर ध्यान देना चाहिये। बच्चों के लिए अभियान गांवों में चल रहा है कि बच्चों को स्कूल में भेजो। यानि लड़के को आवारा करो क्यों कि वहां कोई पढ़ाने वाला नहीं है, कोई सम्भालने वाला नहीं है। सही व्यवस्था

(श्री तेजपाल यादव)

नहीं कर सकें तो इससे क्या फायदा होगा। हम आये दिन नये नये स्कूल खोलते जा रहे हैं किन्तु मास्टरों की व्यवस्था नहीं है इसलिए शिक्षा पर जो व्यय हो रहा है, मैं तो इसको अपव्यय ही मानता हूं। जो कुछ भी शिक्षा पर खर्चा किया जा रहा है उसका कोई फायदा समाज को नहीं मिल रहा है तो एक तरह से शिक्षा पर अपव्यय कर रहे हैं।

अगर हम राष्ट्र और प्रदेश के हित में और हमारे भविष्य को निर्माण करने में इस पैसे का सदुपयोग करना चाहते हैं तो अध्यापक लगाइये, सारी व्यवस्था कीजिये, पठन सामग्री की, शालाओं की जितनी आवश्यकता है उसकी पूर्ति कीजिये। अभी सुबह मन्त्री महोदय ने कहा है कि 200 स्कूलों के हम सरकारी भवन ही नहीं बनायेंगे शहर में सारा पैसा यहां के खजाने से लगाओ मुझे तो यह भी दुःख है कि शहर में तो हालत क्या है कि वहां पैसा सरकार खर्च कर रही है और गांव के अन्दर बेचारे गरीब आदमी से कहते हैं कि जन सहयोग से बनाओ। जहां शहर में सेठ बैठते हैं, जहां अफसर बैठते हैं, जहां बैठने वाले दिग्गज कहे जाते हैं वहां तो आप पूरा पैसा इस खजाने से देते हो, जनता का पैसा खर्च करते हो और गांवों में यह कहते हो कि जन सहयोग से बनाओ। यह कैसी विडम्बना है, यह देखने की बात है।

दूसरे हमारा यह मानना है कि सरकार ने जो बोर्ड बनाया है, वह किसान विरोधी है। अगर हम कहते हैं कि किसानों की कल्याणकारी सरकार है तो कम से कम बोर्ड में बहुमत किसानों का होना चाहिए। हम जानते है, कितनी ही घोषणाएं मुख्य मंत्रीजी या ऊर्जा मंत्री जी करें लेकिन कार्य रूप में वह इन्हें परिणत नहीं होने देंगे। जब तक कि बोर्ड के अन्दर किसानों का सही प्रतिनिधित्व नहीं होगा, किसानों की बात रखने वाले, किसानों की समस्यायें जानने वाले लोग बोर्ड में नहीं बैठेंगे तब तक किसानों का यह बोर्ड भला नहीं कर सकता। इस बोर्ड का निर्माण ही इस ढंग से हुआ है, किसानों के विरोध के अन्दर हुआ है इसलिए...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, काफी समय हो गया आपको।

श्री तेजपाल यादव : तो मैं एक समिति एक पंचायत, विद्युत बोर्ड के पुनर्गठन और उसमें किसान समर्थक, किसानों की बात सुनने वाले लोगों को बैठाने और प्राइमरी एजूकेशन को सुदृढ़ करने के लिए ज्यादा से ज्यादा अध्यापक लगाने के सुझाव देते हुए राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण यहां पढ़ा गया, उसका समर्थन पुरजोर शब्दों में समर्थन करते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : यों तो आपकी पार्टी का समय समाप्त हो गया है, लेकिन आप संक्षेप में कहें।

श्री माला राम (खेतड़ी) : सभापति महोदय, राज्यपाल का 17 तारीख को जो अभिभाषण हुआ, उसका मैं घोर विरोध करता हू क्योंकि इसमें किसानों के लिए कोई

(श्री माला राम)

भी बात नहीं कही है, यह जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की पोथी दी है, इसमें किसानों के लिए कटुता भरी बात है। आज किसानों को बिजली की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, फ्लेट रेट दुगनी बढ़ा दी है और 2–4 घण्टे किसानों को बिजली दी जा रही है, उनकी मोटर जल रही है, किसान त्राहि त्राहि कर रहे हैं, क्योंकि उनकी फसलें जल रही हैं, उनके लिए गवर्नमेंट कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। इसलिए 17 तारीख को दिये गये अभिभाषण की पोथी का मैं विरोध करता हूं।

दूसरी चीज, किसानों के कुओं में पानी बिल्कुल ही खराब हो रहा है पानी बिल्कुल ही नहीं है। गवर्नमेंट हर चीज की सुविधा दे पर इस देश में कम से कम 100 में से 90 किसान है उन 90 किसानों के लिए यह भी व्यवस्था नहीं की है कि उनके कुए में 8–10 घण्टे बिजली चली जाय। कुओं के पानी का स्तर दिन पर दिन कम वर्षा की वजह से कम हो रहा है। कुएं को गहरा करने के लिए गवर्नमेंट की मशीन 465 रुपये एक मीटर का लेती है। तो इतनी रेट है। दूसरी चीज यह है, बड़ा किसान है और लघु किसान है। लघु किसान के लिए भी कोई प्राथमिकता नहीं मिल रही है। इसके लिए कोई छूट हो, ऐसी बात नहीं है।

दूसरी चीज यह है कि राजस्थान में गांवों में कितने प्राइमरी स्कूल है ? चौमू से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, डेढ़-डेढ़, सवा-सवा सौ बच्चों पर एक अध्यापक है।

फेमिन की वजह से आज राजस्थान में विकट समस्या आ गयी। रोटी और रोजी का सवाल है। रोटी और रोजी के लिए मेरे जिले में कोई भी फेमिन का काम चालू नहीं किया, झुंझुनू जिले के अन्दर कोई काम फेमिन का चालू नहीं हुआ है।

दूसरी चीज यह है कि झुंझुनू जिला हरियाणा से बिल्कुल जोइण्ट इलाका है और उसके अन्दर चैन नम्बर तीन के पास नहर है लेकिन राजस्थान की सरकार ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं किया। मिलिट्री में सबसे ज्यादा राजस्थान के झुंझुनूं जिले के लोग हैं और समतल जमीन है, बहुत उपजाऊ है वह चैन नम्बर 3 के पास नहर है लेकिन आज तक उस नहर के लिये गवर्नमेंट ने कोई ध्यान नहीं दिया है। मेरा तो यही सुझाव है।

सबसे बड़ी बात है आज यह बीस सूत्री कार्यक्रम की जय तो बोल रहे हैं परन्तु बीस सूत्री कार्यक्रम में एक भी गरीब आदमी का भला हुआ हो तो आप बता दें। आज सब्सिडी दे रहे हैं, वह भी तहसीलदार, बी. डी. ओ. और बैंक मेनेजर, यह तीनों मिल कर खा जाते हैं और काश्तकार को सब्सिडी का एक रुपया भी नहीं मिलता।

दूसरी चीज, 'प्रशासन गावों की ओर' जो अभियान चलाया गया, इस अभियान में पंचायत का सरपंच और पटवारी का काम है। एस. डी. ओ. और तहसीलदार ने नामान्तरण के अलावा कोई काम नहीं किया। जो अनधिकृत कब्जा 20-20 साल से है, उस एक भी आदमी को जमीन का अलाटमेंट नहीं हुआ है। जो 500-500, 700-700, हजार-हजार रुपये अधिकारियों

(श्री मालाराम)

को दे देते हैं, उनका तो हो जाता है, नहीं तो नहीं होता है। तो मेरा यह निवेदन है कि जो भी सरकार नीति बनाती है वह नीति बनाते समय गांव के गरीब आदमी की ओर नहीं देखती है। आज राजस्थान की विधान सभा में 200 विधायक चुन कर आये हैं। अगर जनता के बीच में जायें तो जनता कपड़े फाड़ती है कि भई बिजली नहीं, सड़क नहीं है, स्कूल नहीं है। अब जो कोई आदमी थोपा हुआ आता है उसको कोई डर नहीं है। आज राजस्थान का मुख्य मन्त्री ढाई करोड़ जनता का चुना हुआ मुख्य मन्त्री नहीं है, यह इंदिरा गांधी का थोपा हुआ मुख्य मन्त्री है, इसलिए आज कोई डर नहीं है इस बात का क्योंकि आज जो 150 कांग्रेस विधायक हैं, इनके द्वारा चुने हुए मुख्य मन्त्री नहीं हैं। अगर चुने हुए हों तो मुख्य मन्त्री को डर रहे। उन्हें कोई डर नहीं है। इंदिरा गांधी को राजी रखे तो राजस्थान का मुख्य मंत्री रहेगा 20 साल तक। मेरा तो सबसे मोटा सुझाव है कि गरीबी का नारा मत लगाओ, इस नारे को पूरा करो, नहीं तो कोई भी विधायक गांव में जाय तो जिस प्रकार सरपंच का निकलना मुश्किल हो गया है इसी प्रकार विधायक का निकलना मुश्किल हो गया है। आज से दो वर्ष पहले जो पंचायत में विकास का काम हो रहा था आज बेचारे चुने हुए सरपंच से पूछते हैं, कहां गई विकास योजना और परियोजना? वह योजना तो सारी फेल हो गयी और आज सारे के सारे सरपंच · · ·

(व्यवधान)

अजी, श्रीमानजी, आपने भी सरपंच का चुनाव लड़ा क्योंकि, श्रीमान जी, जो पंचायत का मैम्बर होगा, वही जिला प्रमुख बनेगा। नारायण सिंह जी, यह तो बात एक है। आप जो योजना बनाते हो यह खाली कागजी कार्यवाही है। यह सरकार टाटा और बिड़ला की सरकार है। टाटा और बिरला का जो भी राजस्थान में उद्योग लगता है, उन उद्योगपति को तो 20 पर्सेंट सब्सिडी मिल जाती है और एक काश्तकार को 5 पर्सेन्ट सब्सिडी मिलती है तो वह भी सारी की सारी तीनों अफसर मिलकर खा जाते हैं। तो मैं तो इसका बहुत विरोध करता हूं।

जयहिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री विष्णु वजारी।

श्री विष्णु प्रकाश वजारी (ब्यावर) : आदरणीय सभापति महोदय, राजस्थान के राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है, उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं। साथ ही साथ इस अभिभाषण के अन्दर जो बीस सूत्री कार्यक्रम का हवाला दिया गया है, उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। इसके अन्दर एक सूत्र पीने के पानी के संबंध में भी आया है। उसके सम्बन्ध में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में पीने के पानी का जितना भयंकर संकट है उतना गम्भीर संकट शायद राजस्थान में किसी भी क्षेत्र के अन्दर नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 48 घन्टे के अंदर, एक दिन छोड़ कर एक दिन हमारे नगर के अंदर सिर्फ आधा घंटे पीने का पानी दिया जाता है। राज्य सरकार ने

(श्री विष्णुप्रकाश बजारी)

हमारे यहां कुछ हैण्ड पम्प अवश्य लगाये हैं लेकिन उनके सहारे अधिक दिन ब्यावर नगर का पेयजल संकट का हल नहीं हो सकता। इसलिये आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहूँगा कि ब्यावर नगर के अन्दर अविलम्ब कम से कम 100 हैण्ड पम्प और खुदवायें जिससे ब्यावर नगर में पेयजल संकट निश्चित रूप से आगामी दिनों में दूर हो सके।

इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा, हमारे ब्यावर नगर के अंदर हाउसिंग बोर्ड के अन्तर्गत सन् 1971 के अंदर पंजीकरण हुआ था लेकिन उस योजना पर कार्य आज तक भी शुरू नहीं हुआ। इसलिये आपके माध्यम से मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, इस योजना का कार्य जल्दी से जल्दी चालू करायें ताकि इस योजना के द्वारा आवासन की जो सुविधा नागरिकों को मिलनी चाहिये वह सुविधा जल्दी से जल्दी मिल जाये।

इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करूंगा कि अर्बन एरिया के अंदर मकानों के लिये अभी तक 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी भी गरीब आदमी को भू-खण्ड आवंटित नहीं किया गया है। मैं चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र ब्यावर, जो अर्बन एरिया है, के अंदर जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, गरीब लोग हैं मजदूर लोग हैं उनको कोई न कोई योजना बना कर जल्दी से जल्दी भू-खण्ड आवंटन किये जायं ताकि उनकी आवासन की दिक्कत दूर हो सके।

इसके साथ ही राज्य सरकार ने भूमि रूपान्तरण के सम्बन्ध में जो कानून बनाये हैं, उनके सम्बन्ध में आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा। यह जो नियम हैं, इनके अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों के अंदर भूमि रूपान्तरण हो रहे हैं उसके अंदर बड़ी भारी दिक्कत और समस्या उत्पन्न हो रही है। हजारों लोगों ने रुपया भूमि रूपान्तरण का जमा करा दिया लेकिन अभी तक उनका भूमि रूपान्तरण नहीं हो रहा है। इसमें बहुत प्रकार की दिक्कतें उत्पन्न हो रही हैं। मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, इस भूमि रूपान्तरण के कानून में आवश्यक संशोधन करें ताकि शहरी क्षेत्रों में जो भी नागरिक भूमि रूपान्तरण कराना चाहें, उनका जल्दी से जल्दी भूमि रूपान्तरण हो जाये और उसके माध्यम से आवासीय समस्या का अधिक से अधिक निवारण हो सके।

इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से अकाल राहत कार्यों की ओर भी मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अजमेर जिले के अन्दर फरवरी और मार्च माह तक के लिये 25 हजार मजदूरों का आवंटन उन्होंने किया था लेकिन उसके अगेंस्ट अभी तक हमारे यहां कुल 8-9 हजार मजदूर ही कार्यरत हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अधिक से अधिक कार्यों की आप स्वीकृति प्रदान करें ताकि जो आपने 25 हजार मजदूरों का टार्गेट रखा है वह टार्गेट पूरा हो सके, हमारे क्षेत्र के गरीब लोग हैं उन लोगों को मजदूरी मिल सके। इन सभी बातों के साथ मैं पुनः राज्यपाल महोदय ने जो

(श्री विष्णुप्रकाश बजारी)

अभिभाषण दिया है उसका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।

धन्यवाद !

श्री सभापति: माननीय श्री नरपतरामजी बरबड़।

श्री नरपतराम बरबड़ (सूरसागर): माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का मैं पुरजोर शब्दों में मैं समर्थन करता हूं।

महामहिम राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण के अन्दर विभिन्न विभागों में जो भी कामकाज होने वाले हैं, जो कामकाज एक वर्ष के कार्यकाल में हुए हैं, उन सबका दिग्दर्शन किया है। माननीय सभापति महोदय, मैंने दो वर्ष पूर्व जोधपुर जिले के कई गांवों का दौरा किया था उस समय मैंने देखा था, कई पाठशालाएं पेड़ों के नीचे छप्परों के नीचे चलती थीं परन्तु अब देखा कि एन. आर. ई. पी. के तहत अच्छे भवन बन गये हैं, कई औषधालय बन गये हैं, कई सांड घर बन गये हैं।

एक माननीय सदस्य: जनता पार्टी के टाइम में बने थे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य को बोलने दीजिये।

श्री नरपतराम बरबड़: गांवों के अन्दर विभिन्न प्रकार के जो पक्के काम हुए हैं वह बहुत ही सराहनीय हैं।

श्री लच्छूराम: अन्तरात्मा की आवाज है।

श्री नरपतराम बरबड: माननीय सभापति महोदय, जोधपुर में गत वर्ष पानी की भयंकर समस्या थी, उसका समाधान करने के लिये जोधपुर शहर में सैकड़ों हैण्ड पम्प खोदे गये। पाल तथा छाई में इमर्जेन्सी वाटर सप्लाई स्कीम को पूरा किया जाकर जोधपुर शहर की पानी की समस्या को दूर किया, जो कि वास्तव में सराहनीय विषय है। यह जोधपुर के लिये बहुत ही खुशी की बात है।

माननीय सभापति महोदय, विद्युत विभाग के अन्दर आपने देखा होगा कि हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण का जो 900 के करीब लक्ष्य था वह 981 कर दी। यह बहुत ही अच्छी बात है। परन्तु पंचायत समिति, मंडोर के लिये मैं निरन्तर पांच साल से यह निवेदन करता आया हूं कि पंचायत समिति, मंडोर के सारे गांवों का विद्युतीकरण किया जाये। किन्तु पंचायत समिति, मंडोर के गांवों की योजना बनती है और जयपुर से वापस जोधपुर पहुंच जाती है। जोधपुर और जयपुर के बीच घूमती रहती है। पांच साल हो गये, अभी तक इस योजना को स्वीकार नहीं किया गया है। शीघ्र स्वीकार किया जाकर पंचायत समिति, मंडोर के गांवों को बिजली दी जाये।

'प्रशासन गांवों की ओर', जो 20-सूत्री कार्यक्रम का भाग है, के अन्दर करीब साढ़े पांच लाख लोगों को राहत पहुंचायी गई है, यह बहुत सराहनीय है। किन्तु इसके अन्दर जहां जहां लापरवाह अफसर लगे हुए थे, वहां उन्होंने जान बूझकर सरकार की छवि धूमिल करने की कोशिश की है। जिन्होंने काम नहीं किया उनके खिलाफ अवश्य कार्यवाही होनी चाहिये। जिन हरिजनों के खेत सवर्णों के कब्जे में हैं उनको कब्जा दिलाया जाना

(श्री नरपतराम बरवड़)

चाहिये था, किन्तु वह भी जान बूझकर टालमटोल करके नहीं दिलाया गया है। इसके लिये भी आवश्यक कार्यवाही किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

माननीय सभापति महोदय, सूरसागर क्षेत्र में विशाल खान क्षेत्र है। वहां का पत्थर केवल राजस्थान में ही नहीं, भारत के विभिन्न भागों तथा विदेशों में जाता है परन्तु उस खान क्षेत्र की बहुत दुर्दशा है, वहां की सड़कें टूटी-फूटी हैं। करीब 25 वर्ष हो गये हैं उन सड़कों का कोई सुधार नहीं हुआ है। न वहां पर पानी की कोई व्यवस्था है न बिजली की व्यवस्था है। वहां पर जो बस्तियां बसी हुई हैं, उनकी ओर खान विभाग की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। निरन्तर उनके लिये कागज जाता है। यह निवेदन किया गया था कि इस खान क्षेत्र के अन्दर सड़कों का सुधार किया जाय, पानी बिजली की सुविधा दी जाये परन्तु अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है जो शीघ्रातिशीघ्र करवायी जाय।

'पिछडे को पहले' के अन्दर बहुत ही अच्छा काम किया गया है। मेरे क्षेत्र के अन्दर नारवां गांव के अन्दर एक आदर्श बस्ती का निर्माण किया गया है जो वास्तव में देखने योग्य है। आपने देखा होगा कि जनता पार्टी के कार्यकाल में 20 सूत्री कार्यक्रम का एक ही अंश था 'अन्त्योदय योजना,' जो बिलकुल फेल हुई। उसके अन्दर जो पांच व्यक्तियों का चुनाव ग्राम सभा के अन्दर किया गया था उससे ...

(व्यवधान)

उनका मनोबल गिर गया, उनका प्रतिष्ठा समाज में गिर गई, वह कर्जदार हो गये हैं, बैंकों से उनको कर्जा दिलाया गया था वह आज दिन तक चुका नहीं सके। गांवों के अन्दर जो साहूकार हैं वह भी उनको कर्जा दे नहीं रहे हैं। उनकी हालत बहुत ही खस्ता है, इसलिए उसके लिए भी कोई उपाय किया जाय।

सभापति महोदय, जोधपुर शहर में मेरे क्षेत्र में अधिकांश कच्ची बस्तियां आई हुई हैं परन्तु राज्य सरकार की ओर से पिछले दो वर्षों से स्लम्स के लिए कोई पैसा नहीं दिया गया है जब कि अन्य शहरों के लिये दिया गया है। मेरा निवेदन है कि जोधपुर शहर को इससे वंचित न रखा जाय।

सभापति महोदय, नगर विकास न्यास अपनी निजी आय से जो भी काम कर रहा है, कच्ची बस्तियों का विकास करने का, बिजली लगाने का और सड़कों में सुधार का परन्तु राज्य सरकार की ओर से जोधपुर शहर को जो हिस्सा मिलना चाहिये वह नहीं दिया जा रहा है। मेरा निवेदन है, वह दिया जाना बहुत आवश्यक है।

सभापति महोदय, पंचायतों, प्रधानों और जिला प्रमुखों के चुनाव हुए। यह बहुत ही खुशी की बात है कि पंचायती राज को पुनः सक्रिय किया गया जिससे प्रदेश की जनता में पुनः पंचायती राज के प्रति विश्वास उत्पन्न हुआ है।

सभापति महोदय, स्कूलों में स्टाफ की कमी सभी जगह है। मेरे क्षेत्र में यह बड़ी भारी समस्या है। कई जगह स्कूल बन्द पड़े हैं। थोरियों की ढाणी में स्कूल आज भी बन्द है। सोरड़ों की ढाणी में बच्चों ने अपने

(श्री नरपतराम बरवड़)

बस्ते ले जाकर आई. ओ. एस. के यहां जमा करा दिये इसके बावजूद आई. ओ. एस. ने ध्यान नहीं दिया। यह बहुत खेदजनक बात है। इसकी व्यवस्था करवाई जानी चाहिये।

पिछले दो सालों में, सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में कोई औषधालय, पशु चिकित्सालय नहीं खुला। इन्द्रोका गांव में एक भारतीय सेना के रिटायर्ड अधिकारी ने करीब दो लाख रुपये लगाकर पशु चिकित्सालय बनवाया जिसको दो वर्ष से ज्यादा समय हो गया परन्तु अभी तक एड पोस्ट तक नहीं खोली गई है। मेरा निवेदन है, इसकी भी शीघ्र व्यवस्था की जानी चाहिये।

जोधपुर विश्वविद्यालय में जितने रिक्रूटमेंट होते हैं चाहे टीचर्स या नान टीचर्स के, उनमें अभी तक अनुसूचित जाति और जन जाति के आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की गई, मेरा निवेदन है, इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जाय।

अकाल सभी जगह है। जोधपुर के पश्चिमी भाग में पांच सालों से बहुत बुरी हालत है। सूर सागर क्षेत्र में केवल नाडियों का काम खुला है और वह भी कहीं-कहीं खुला नहीं है। साथ ही अभी तक अधूरे कार्यों को पूरा करने के आदेश जारी नहीं हुए हैं। जोधपुर जिले में बहुत गरीबी है। ऐसी सूरत में ज्यादा से ज्यादा अकाल राहत के कार्य खोले जायं जिससे वहां के गरीब लोगों का जीवन यापन हो सके।

इसके साथ ही जोधपुर शहर के पास में एक उचियारडा गांव आया हुआ है। उसके लिये मैं बहुत बार निवेदन कर चुका हूं। बारिश में उसके चारों तरफ से रास्ते रुक जाते हैं। लोग वहां से दूध लेकर आते हैं। हर साल दुर्घटनायें होती हैं। नदी में गिर कर लोग मर जाते हैं। एक छोटा सा पुल बना दिया जाय तो लोगों की जान बच जाय। परन्तु सरकार ध्यान नहीं दे रही है। यह पुल जल्दी से जल्दी बनाया जाकर ग्रामवासियों को राहत दिलाई जाय।

माननीय सभापति महोदय; जोधपुर में वन विभाग के कर्मचारियों का भी बड़ा आतंक है। सूथला गांव करीब 300 साल पुराना बसा हुआ है परन्तु वन विभाग के कर्मचारी गांव के बीच मुयाम लगा रहे हैं कि यह हमारी भूमि है, यहां से बेदखल करेंगे। कई को उन्होंने बेदखल कर भी दिया है। जो पीढ़ियों से, वर्षों से बसे हुए हैं उनको बेदखल कर दिया गया तो उनकी हालत बहुत खराब होगी। जोधपुर शहर की भी ज्यों-ज्यों आबादी बढ़ी उसका त्यों-त्यों विस्तार हुआ। हो सकता है कि 1950 में वन विभाग का कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ हो, परन्तु जो गांव बसा हुआ है उसको उजाड़ा नहीं जा सकता। इसके लिये जल्दी से जल्दी आवश्यक निर्देश जारी किये जायं जिससे गांव को उजाड़ा नहीं जा सके।

इसके अलावा नगर विकास न्यास की गोबिन्द तालाब योजना है उसमें भी वन विभाग काफी समय से अड़चनें पैदा कर रहा है जिसके कारण लोगों को भू-खण्ड आवंटित नहीं किये जा सके हैं। इसके लिये सरकार तुरन्त फैसला करे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा किये गये अभि-

(श्री नरपतराम बरवड़)

भाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

जय हिन्द। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री चाव खां।

श्री चाव खां (कामा) : सभापति महोदय, अब मैं आपसे यूं कहूं कि जो किताब गवर्नर साहब ने यहां अभिभाषण की पढ़ी वह मैंने भी पढ़ी। जब यहां से हम वाक-आउट कर गये थे तब किताब भी ना पढ़ी और ना उनके अभिभाषण को सुना, हकीकत यह है। वही बात मैं कहूंगा जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं और जो हो रहा है वह चाहे उस किताब में हो या न हो। अगर है भी तो वह गलत है। हम उसके बारे में आपसे कुछ भी कहें लेकिन होगा वही जिसे भी चाहे। वही सुहागन होगी वही जिसे वे चाहेंगे। हम कुछ भी कहें उसको कोई मानता नहीं है।

'प्रशासन गांवों की ओर' की लोगों ने बड़ी तारीफ की है लेकिन हकीकत यह है कि खीर, फुल्का, मुर्गा और दारू जो सरपंचों और पटवारियों ने हम लोगों के खाने के लिये बनाया वह तो खा गये। इसके अलावा काम कुछ नहीं हुआ। सिर्फ काम हुआ है दाखिले, नामान्तरकरण का, क्या वह काम है? वह तो पंचायत ही कर देती, आज नहीं तो कल चढ़ा देती। लेकिन वह भी क्यों नहीं चढ़ाये गये? इसकी हकीकत यह है कि जब तक पटवारी को 4-5 सौ रुपये नहीं मिल जायं तब तक तो चढ़ाये नहीं जाते। चढ़ाये नहीं तब तक पंचायत में पेश नहीं किये जाते। सरपंच को एक्शन लेने का राइट नहीं कि उनको चढ़वा सके, उनको बुला सके। अगर तहसीलदार, एस डी. एम. को कहें तो वह भी परवाह नहीं करते। पैसा दे दो तो फटाफट चढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं है।

बाकी रही गरीबों को जमीनों के आवंटन की बात, तो हम वहां पर गये। लोगों ने 3-4 सौ दरख्वास्तें दीं आवंटन के बारे में लेकिन जिन लोगों का पैसा पटवारियों के पास आ गया वह तो शायद हो गये हों गुपचुप, हमारे सामने नहीं, वह हमारी कमेटियों में नहीं हुए। मैंने सुना था कि पीछे से लूट हो रही है। लेकिन जिन गरीब लोगों ने पैसा नहीं दिया उनके बस्ते बांध रखे हैं तहसीलों में। इसलिये 'प्रशासन गांव की ओर प्रोग्राम' सरकार का तो बिल्कुल सही है लेकिन काम करने वाले हम जैसे लोग बिल्कुल गलत हैं। सरकार तो चाहती है कि अच्छे काम हों और गांवों में जाकर हों लेकिन जो कर्मचारी हैं वह लोग काम नहीं करें तो सरकार क्या करे। नीति तो सरकार की सही है लेकिन काम करने वाले हम जैसे बेईमान हैं।

दूसरी, मैं एक बात आपको बताऊं, इलाके में डकैती पड़ जाती है। एक आदमी के डकैती पड़ी। उस क्षेत्र के 100-50 घरों में डकैती पड़ जाती है तो होता क्या है कि डकैती बरामद होने का तो सवाल पैदा नहीं होता और हम जैसे आदमियों को बुला-बुला कर थाने में बैठा लिया जाता है, 8-10 दिन बैठाये रखते हैं और एक हजार, दो हजार, पांच हजार, इस प्रकार लाखों रुपये का पुलिस का धन्धा हो जाता है फिर भी डकैती बरामद नहीं होती। यह होता है डकैतियों के मामले में। तो हम चाहते हैं

(श्री चाव खां)

कि जिस आदमी के डकैती पड़े, उसको बुला करके उगाही करके 10–5 हजार दे दो तो उसको तो कुछ मिले। लेकिन नहीं। यह डकैती के मामले दिनों-दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। पुलिस का धन्धा होता जा रहा है। थानेदार लाखों कमा लेते हैं जब कि आज तक एक भी डकैती बरामद नहीं हुई। कम से कम 75 आदमियों को बुला कर लाख-डेढ़-लाख की सौदेबाजी कर लेते हैं। हमारे अलवर के. एस. पी. वाकई ईमानदार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वहां भी खूब धन्धा हो रहा है। कोई इन्साफ नहीं हो रहा है। अब छोटी जातियों की तरफ आ रहा हूं। छोटी जातियों के बारे में किताब में तो बहुत कुछ कहा गया है लेकिन उनका फायदा ऐसे लोग ही उठाते हैं जैसे सम्पतराम जी और डांगो जी। ऐसे लोग ही उठाते हैं बाकी तो सब जूता गांठते हैं उनका स्तर वही का वही है। जो लोग गांवों में रहते हैं उनकी हालत बहुत खराब है। उनको कोई फायदा नहीं दिया जा रहा बल्कि परेशान किया जा रहा है। सोसायटीज में 10–15 प्रतिशत तो ऐसे केस होते हैं जिनमें गांव वालों के लोग कहते हैं कि हमने एक भी पैसा नहीं लिया है। हमने तो सोसायटी को देखा तक नहीं है। उनके नाम पर दो हजार और तीन हजार रु. दर्ज हो जाते हैं। इस प्रकार से लाखों रुपयों का घोटाला होता है। वे ईमानदारी से कहते हैं कि किसी ने भी नहीं लिया है, हमने एक पैसा भी नहीं ...

(3.41 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)।

लिया। इन आदमियों के नाम से जो फार्म भरे गये हैं, किसी ने फार्म नहीं भरे हैं। उस पर दो गवाहों के भी हस्ताक्षर हैं। वे कहते हैं कि जो मुसलमान हैं वे कुरान पर हाथ रख दें और जो हिन्दू है वे गंगा उठा लें। लेकिन उनकी कोई नहीं सुनता है। ये कहते हैं कि कागज में लिखे हुए हैं। उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। उनके साथ अन्याय हो रहा है। यह तो है आपकी छोटी जातियों के प्रति हमदर्दी।

हमारे कई माननीय सदस्यों ने सिंचाई के बारे में और बिजली के बारे में बताया। हकीकत है कि जब तक इस देश में और खास तौर से राजस्थान में पानी की और बिजली की व्यवस्था नहीं होगी तब तक राजस्थान को ऊंचा उठा नहीं सकते हैं, इसकी यही हालत रहेगी। एक तरफ तो उधर रावी-व्यास के लिये पानी की लड़ाई हो रही है और कई दिन से हमारे मुख्य मंत्री जी वहां पर पड़े हुए हैं दूसरी तरफ जो राजस्थान का पानी हरियाणा के अन्दर जा रहा है, उसके लिये किसी को चिन्ता नहीं है, उसको कोई नहीं रोक रहा है। हमारे जिले अलवर के अन्दर एक नदी है जो तीन चार तहसीलों से होकर गुजरती है। उसमें इतना पानी आ जाता है कि गांव के गांव तबाह हो जाते हैं। फिर वह पानी हरियाणा के अन्दर जाता है तो हरियाणा के अन्दर उस पर दो बांध बने हुए हैं। एक तो रावली और दूसरा जो बांध है उसका नाम है कामेड़ा। वह हमारे यहां की नदी से ही आधे भर जाते हैं और लाखों एकड़ जमीन की हरियाणा में सिंचाई होती है। अगर उस पानी को हमारे यहां पर ही रोक लिया जाय, हमारा सिंचाई विभाग हमारे यहां पर ही उस पर बांध

(श्री चाव खां)

बना दे तो हमारे यहां पर कम से कम 100 गांवों की सिंचाई हो सकती है और पानी की परेशानी समाप्त हो सकती है। इस नदी पर बांध बनाया जाना चाहिए। अलवर में ही लंडुवा नाम का नाला है अलवर से निकलकर हरियाणा में जाता है वह नोगांवा होता हुआ, रामगढ़ के नीचे से होता हुआ जाता है। अगर उस नाले को रोका जाये तो हमारे इलाके में काफी पानी आ सकता है और सिंचाई की समस्या आसानी से दूर हो सकती है।

व्यवस्था का प्रश्न

काबिना स्तर के मंत्री की सदन में उपस्थिति

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष): कोई भी मंत्री नहीं है, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो नाले की बात कही है वह काफी महत्वपूर्ण बात है। कोई भी मंत्री उसको नोट नहीं कर रहा है।

(व्यवधान)

न मन में न तन में, कहीं भी नोट नहीं किया है। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जो बातें कही हैं वह इम्पोर्टेंट बातें कही हैं। कई बातों की तो मंत्री महोदय को जानकारी भी नहीं होगी। उन्होंने जिस नाले का जिक्र किया है वह कई बार परेशानी का कारण बन गया है और बना हुआ है। उस नाले को रोकने की बात कई दिनों से चल रही है, लेकिन किसी ने नोट नहीं किया है। इतनी उपेक्षा की जाय माननीय सदस्यों की यह उचित नहीं है। अगर किसी ने नोट किया है तो वह बतायें कि किस नाले का जिक्र किया गया है। नोन सीरियस वे में ले लेते हैं। या तो मंत्री होते नहीं हैं, होते हैं तो ऊंघते रहते हैं। यह कोई तमाशा है क्या। बृज सुन्दर जी अकेले बैठें तो सोयेंगे, दो आदमी बैठेंगे तो बातें करेंगे और तीन व्यक्ति बैठेंगे तो सर नीचा करके बैठ जाएंगे···

श्री अहमद बक्श सिंधी (विधि मंत्री): यह नाला अलवर में से होता हुआ जाता है।

श्री बृज सुन्दर शर्मा (वित्त मंत्री): आप तो अभी आये हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा): व्यवस्था दें, अध्यक्ष महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: यह व्यवस्था है!

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: ताड़ना दीजिये, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: इस पर पूर्व में ही व्यवस्था दे दी है मैंने।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: क्या व्यवस्था दे दी है कि सोते रहें?

श्री अध्यक्ष: मैंने यह निवेदन किया था कि ये नोट कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: आपने व्यवस्था दी है कि नोट कर रहे हैं। तो माननीय सदस्य ने जिस नाले का जिक्र किया है उसका नाम बता दें? क्या कोई भी नाम बता सकते हैं? कोई भी मंत्री बता दें?

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह (राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन): नोट करना कोई आवश्यक नहीं है। यहां पर वरबेटम रिपोर्टिंग हो रही है, लिखा जा रहा है, सरकारी अधिकारी बैठे हुए हैं। आप इस तरह का कोई प्रश्न पूछें कि तीन घंटे पहले किसी ने क्या कहा था, नोट किया या नहीं किया, यह तो कोई बात नहीं

(श्री प्रद्युम्न सिंह)
हुई। हम जब उधर बैठते थे तब आप क्या नोट करते थे। कोई भी नोट नहीं करता था।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। सरकार की ओर से उत्तर दिये जाने के लिये निश्चित समय होता है। उस समय इसका भी उत्तर आ जायेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह तो आ जायगा, अध्यक्ष महोदय, यह नहीं कहता कि सरकार जानकारी प्राप्त नहीं कर सकती है। सरकार जानना चाहती है तो सरकार को पता लग ही जाता है। लेकिन मैं यह कहूंगा कि सदस्यगण जो सुझाव दें, क्या यह उचित है कि मंत्रीगण उसको नोट नहीं करें ?

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, उपेक्षा करने का प्रश्न नहीं है। बहुत से मंत्री बैठे हुए हैं। मैं समझता हूं कि सरकार की ओर से उत्तर आयेगा। अगर उत्तर नहीं आता है और माननीय सदस्य समझते हैं कि प्रश्न का उत्तर नहीं आया है तो फिर जानकारी की जा सकती है। उस समय प्रश्न पूछा जा सकता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : इसका उत्तर नहीं आयगा। जब मुख्य मन्त्री जी या जो भी मन्त्री उत्तर देंगे उस समय अगर हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं आयगा तो क्या हमें पूछने के लिये समय दिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष : सभी प्रश्नों का तो उत्तर आता नहीं है। जो महत्वपूर्ण बातें कही जाती हैं उनका उत्तर सरकार की ओर से दिया जाना चाहिए। अगर नहीं दिया जाता है तो आप महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर सदन का ध्यान दिला दें तो उस समय देख लेंगे।

श्री दिनेश डांगी (राज्य मंत्री, आयुर्वेद): मैं सिंचाई का राज्य मंत्री भी हूं। मैंने नोट किया है।

(व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या नोट किया है, जरा बतलाना ?

श्री दिनेश डांगी : कामां पहाड़ियों से पानी निकल कर हरियाणा में जाता है। वहां पर नाले का पानी बांध बनाकर रोकने की बात कही है।

एक माननीय सदस्य : बाद में लिख कर बता रहे हैं क्या ? पहले लिखा था क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नाला कौनसा था, उसका नाम बतायें।

श्री दिनेश डांगी : नाले का नाम तो उन्होंने ही नहीं बताया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बताया है।

श्री दिनेश डांगी : नहीं बताया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बताया है।

श्री दिनेश डांगी : क्या बताया है ? आप बतायें।

श्री चाव खां : मैंने बताया है यह नाला अलवर से निकलता है...

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : ये ही नहीं जानते हैं। यहां पर इम्पोर्टेन्ट पाइन्ट लिखे जाते हैं। Important points will be noted.

श्री वृज सुन्दर शर्मा : उनको खुद को ही पता नहीं है कि उस नाले का नाम क्या है ?

श्री चाव खां : लंडुवा है।

श्री लच्छराम : लंडुवा ।

श्री वृजसुन्दर शर्मा : ललुवा है या लंडुवा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : Lunda.

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री चाव खां : इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, आज बहुत खुशी का मौका है कि पुनर्वास मंत्री जी यहां पर बैठे हैं। सन् 1947 की बात है, आज से 35 साल पहले जिस वक्त 47 का झगड़ा हुआ था, अलवर भरतपुर के जो मेव थे वे सन् 47 में भाग कर पाकिस्तान जा रहे थे। जब लोग अपने-अपने घर बार छोड़कर जा रहे थे तो उनको रोका गया। महात्मा गांधी 24 जून, 1947 को मुकाम घसिड़ा आये और कहा कि मैं इन मेव मुसलमानों को नहीं जाने दूंगा। उन्होंने उनसे कहा कि मैं आपको आपकी जमीन और आपके मकान वापस दिला दूंगा। उनके विश्वास पर वे अपने घर वापस आये। पर उनकी जमीन उनको जिस प्रकार वापस मिलनी चाहिये थी उस प्रकार से न देकर राज्य सरकार ने एक निर्णय लिया कि उनको वह जमीन दी जायेगी जिस पर वे सन् 1947 में काश्त करते थे अर्थात् सम्वत् 2003 में। अगर किसी के पास 100 बीघा जमीन थी, उसमें से वह 40 बीघा में काश्त करता था तो उसको 40 बीघा जमीन ही दी जायेगी। इस प्रकार जमीन देने की बात हुयी। मकान तो किसी को भी नहीं दिये गये। एक कमिश्नर थे पुनर्वास के श्री शेरसिंह चित्तौड़ा उन्होंने 3 अप्रेल, 1975 को एक मीटिंग बुलायी। उसमें एक निर्णय लिया, जिन मेवों को जमीन दी जायेगी वह 400 रु. प्रति बीघा के हिसाब से दी जायेगी अर्थात् 1000 रु. प्रति एकड़ लेकर ही खातेदारी दी जायेगी। आज उनको तीस साल के बाद जमीन वापस दी जा रही है और वह जमीन उनके क्लेम के बदले में दी जा रही है उस पर भी सरकार 400 रु. बीघा का वसूल कर रही है जो कि उनके साथ सरासर अन्याय है। उनकी जमीन जो सोना उगलती थी, जो चाही जमीन थी उसके बदले में जो जमीन दी जा रही है वह बंजर है। बंजर जमीन का अलाटमेंट किया गया है और उसकी भी 400 रु. प्रति बीघा कीमत ली जा रही है। नॉन क्लेमेंट वालों से भी 400 रुपये प्रति बीघा लिये जायें और क्लेमेंट से भी 400 रुपये प्रति बीघा लिये जायें, यह कौनसा न्याय है ? आप ही फैसला करिये। क्या क्लेमेंट और नॉन क्लेमेंट में फर्क नहीं है ? इसलिये मैं सरकार से अपील करता हूं कि जिन लोगों के क्लेम अभी तक बाकी हैं जो वहां से आये हैं, वह भी हमारे भाई हैं, वह भी जमीन छोड़कर आये हैं, हमें उनसे कोई नाराजगी नहीं है लेकिन जो मुसलमान यहां पर हैं जिनके क्लेम रह गये हैं उनके क्लेम पूरे कर अगर जमीन नहीं है तो पैसा दो। पुनर्वास विभाग के ऊपर करोड़ों रुपयों का खर्चा साल का हो रहा है, फिर भी 35 साल में भी इस मामले को हल नहीं कर पाये हैं। तुम्हारा ही खर्चा तुम पूरा नहीं कर पाओगे। इनको पैसा दो, पैसा नहीं तो जमीन दो और पुनर्वास

(श्री चाव खां)

को खतम करो। क्यों यह खर्चा सरकार के ऊपर डाल रखा है ?

हैंड पम्पों के मामले में भी सरकार ने करोड़ों रुपयों का घोटाला किया। मैं तो कहता हूं कि सरकार की नीति बढ़िया है। हर गांव, जिसमें पानी की व्यवस्था नहीं है, में हैंड पम्प लगा दें लेकिन होता क्या है कि ठेकेदारों से कर्मचारी लोग मिलकर के 2–2 पाईप गाड़-गूड़ कर 10 हजार हड़प कर लेते हैं। मेरे क्षेत्र के अन्दर एक-एक गांव में 8-8, 7-7, 6-6 हैण्ड पम्प लगाये गये लेकिन आपको यकीन के साथ कहता हूं, 90 प्रतिशत काम नहीं कर रहे हैं। वह सारा करोड़ों रुपया ठेकेदार व विभागीय अधिकारी, सब खा गये। इसलिए इसकी जांच कराने के लिए पिछले सैशन में कहा गया था। हमारे मंत्री महोदय ने यह बात कही थी कि मैं इसमें विश्वास नहीं कर सकता कि 80-75 प्रतिशत हैण्ड पम्प काम नहीं कर रहे हैं। मैंने उस वक्त भी कहा था, जो भी खर्चा इन्क्वायरी पर आयेगा मैं दूंगा, आपका खर्चा दूंगा, आप जांच करायें, 75-80 प्रतिशत हैण्ड पम्प काम नहीं कर रहे हैं। पैसा सारा कर्मचारी व ठेकेदारों की जेब में चला जाता है। किन्तु जांच नहीं कराते। सरकार की चोरी हो रही है। हम चोरी के बारे में रिपोर्ट कराते हैं किन्तु कोई नहीं सुनता। सिंचाई के बन्धों व पुलों की लकड़ी काटी जा रही है, हम थाने में रिपोर्ट करते हैं, आपके कांग्रेसी सदस्य उनकी मदद करते हैं, उसमें अपना बयान देते हैं। मैंने यह कह दिया कि अगर मैं झूठा हूं तो 182 में मेरा चालान करें। नहीं तो उन कर्मचारियों, जिन्होंने पुलों व बंधों की लकड़ी को कटवाकर बेचा है उनका चालान करिये। जिस मामले में अपने क्षेत्र में आंखों देखी शिकायत करता हूं आपके कांग्रेस के सदस्य उन लोगों की मदद करते हैं, उन से पैसा खाते हैं।

एक माननीय सदस्य : कानून मंत्री जी बतायेंगे।

श्री चाव खां : अब सड़कों के बारे में कहना चाहता हूं, एक सड़क गुलपाड़ा से लेकर जुरहरा के लिए 1970 में मंजूर हुई। वह गुलपाड़ा से लेकर हालांकि मुकम्मिल नहीं हुई लेकिन ठीक है पहाड़ी से कामां तक रोड जोड़ दी गई है, सन् 1970 को देख लो और आज को देख लो, आज तक सड़क पर काम पूरा नहीं कर रहे हैं। उस सड़क में जो जमीन किसानों की आयी उसका मुआवजा देने का सवाल पैदा नहीं हुआ। उधर सरकार का पैसा खर्च हो रहा है, जमीन किसानों की खराब हो गई है, सड़क का कार्य पूरा नहीं हुआ, मुआवजा दिया नहीं गया। क्या है ? सरकार क्यों इन किसानों को तबाह कर रही है, कैसे वहां पर मुंह दिखायेंगे, तुमको डूब मरना चाहिये। वहां जाकर जीतने के लिये कहते हैं मैं जीतने के बाद यह करूंगा। मैं ढाई साल से देख रहा हूं एक भी आदमी किसानों की आवाज सुन नहीं रहा है। आज 80 साल का एक बुड्ढा पानी में जाकर रात में खड़ा रहे, रात को उसको बिजली दें, थोड़ी देर में बिजली चली जाय, बुड्ढा परेशान हैं, दुःखी हैं, आधा बीघा जमीन रात में नहीं भर सकता। यह है तुम्हारी बिजली की हालत। कारखानों में तो रात को बिजली नहीं दी जाती है। किसानों को रात को देते हैं, वह फसल में खड़े होकर पानी दें चाहे उन्हें सांप काटे

(श्री चाव खां)

बिच्छू काटे, सर्दी मरे, निमोनिया हो। अगर उन लोगों के कारखाने में आग लग जाये बल्कि वह खुद आग लगा लेते हैं, सरकार के और बैंक के पैसे हजम करने के लिये तो हो-हल्ला। अगर हमारी फसलों को ओला मार जाय एक भी मंत्री वहां देखने नहीं जाता है। इसलिये मेरा निवेदन है किसानों की तरफ से कि जो गांवों में रहने वाले हैं, यह हमारी भलाई नहीं, सारे राजस्थान की भलाई है, सारे देश की भलाई है। अगर आप किसानों के प्रति, उदासीन है तो हमें एक तरफ तो खुशी भी है, खुशी तो यह है कि अगर आप ऐसे ही करते रहे तो अगले चुनाव के बारे में मैं दावे के साथ कहता हूं आपकी जमानत जब्त होगी, और आप जीत नहीं सकते। किसान परेशान हैं, बिजली से परेशान हैं, सारी मुसीबतों से परेशान हैं, भूखों मर रहे हैं। इसलिये मुझे भी दु:ख होता है। अध्यक्ष महोदय, आज की सरकार को मैं अपनी सरकार मानता हूं, उसको देखते हुए आपको वोट भी देता हूं लेकिन काम तो करो।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मानते हैं। हैं भी हम तो सरकार।

श्री चाव खां : जिन लोगों ने आप लोगों को चुनकर भेजा उनके दु:ख को तो समझो। आप खून नहीं बहा सकते तो उनके लिये पसीना तो बहाओ, उनके आंसुओं को तो पोंछो। चारों तरफ अंधेरा नजर आ रहा है कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। परेशान हैं दुखी हैं। एक थानेदार के लिए बारबार लिख कर दिया। छः बार लिख कर दिया, आज तक उसका हाल बदला तक नहीं। आतंक छाया हुआ है, खुदा के लिए उस थानेदार को बदल दो। लेकिन आज तक उस थानेदार को नहीं बदला गया, पहाड़ी का थानेदार पहले सस्पेण्ड था, अब उसको बहाल करके उसको पहाड़ी में लगा दिया, हमारे डेढ लाख किसान और मजदूरों के पसीने की कमाई को लूट रहा है, बेइज्जती कर रहा है। एक किसान रिपोर्ट करने के लिए आता है, 18 तारीख की बात कह रहा हूं, उसकी फसल काटी जा रही थी, थाने में रिपोर्ट कराने आया, मुजरिम जिसने फसल काटी वह भी आया, थानेदार से मिला। उसने उसको बैठा दिया और उसकी फसल कटवा दी। मैं वहां पहुंचा। मेरे सामने 800 रुपए लिए। 800 रुपए लेकर उन्होंने उसको छोड़ा। मेरे सामने रोने लगे मुस्तगीस। मैं डी. एस. पी. से मिला। मैंने उनको हालात बताये।। उन्होंने रिपोर्ट पर आदेश लिखा, मुकदमे को दर्ज करके तहकीकात की जावे। डी. एस. पी. साहब ने मुझे समझाया, गरीब आदमी है, परेशान किया जायेगा। आप तो जयपुर जाकर बैठ जाओगे। यह हालत है सरकार की। ऐसा जुल्म हो रहा है किसानों पर, गरीबों पर। एक औरत बड़ी खूबसूरत है, सारे हुनर हैं, खाना बनाना जानती है लेकिन पति को नहीं भाती, अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसकी नीयत दूसरी जगह है। यह तो वैसा है जैसे बाड़ करी ही खेत कूं बाड़ खेत कूं खाये, राजा हो चोरी करे तो न्याय कौन के जाये। आपका शासन अच्छा है तो भी अच्छा है, बुरा है तो भी बुरा है, जो होगा वह होगा, धन्यवाद।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति के 17वें प्रतिवेदन में अन्तर्राज्यीय जल विवाद (रावी-व्यास) पर चर्चा हेतु संशोधन

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : मैंने सुबह निवेदन किया था राजस्थान के रावी-व्यास के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव देने के सम्बन्ध में। मुख्य मंत्री जी भी आ गये। सरकारी पक्ष क्या कहता है यह पता लगे··

(व्यवधान)

सरकार सो रही है।

श्री नन्दलाल मीणा : सचेतक अचेतक हो रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के माननीय नेता महोदय ने अभी कहा है कि मुख्य मंत्री जी दिल्ली से आ चुके हैं, रावी-व्यास के बारे में क्या तय किया गया है। मुख्य मंत्री जी और सिंचाई मंत्री जी दोनों आज सवेरे दिल्ली गये थे और वापस आ चुके हैं। उन से बातचीत हो चुकी है। सरकार स्वयं अपनी ओर से कल प्रस्ताव ला रही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कल उस पर चर्चा होगी ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : कल ही, क्योंकि उसमें हमारे माननीय सदस्य भी भाग लेना चाहेंगे। कुल मिलाकर राजस्थान का प्रश्न है, गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर इन इलाकों के हमारी पार्टी के ज्यादा हैं। उनकी यह भावना है कि वह भी इस डिबेट में भाग लें। उस दृष्टि से मैं निवेदन करना चाहूंगा, कल आप इस विषय को लें ताकि सारे माननीय सदस्यों की भावनायें मालूम हों। बहुत गम्भीर विषय है। जीरो आवर को संस्पेण्ड करके इसको लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मुख्य सचेतक जी ने यह कहा कि गंभीर विषय है। मुझे इस बात की खुशी है कि सरकार ने इस विषय को गंभीर माना है···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं यह निवेदन कर रहा था कि कल यदि रावी-व्यास के सम्बन्ध में चर्चा होनी है, तो कल का बिजनेस आगे पोस्टपोन करना पड़ेगा। रावी-व्यास पर चर्चा होने वाली थी 25 तारीख को इसलिये कल का बिजनेस 25 तारीख के लिये पोस्टपोन किया जाय। एक तो मैं समझता हूं कि मुख्य सचेतक जी इस बात को स्वीकार कर लेंगे। दूसरे सरकारी पक्ष से उत्तर देना है, गवर्नर के एड्रेस पर थैंक्स मोशन पर जो चर्चा हुई उसका 25 तारीख को जवाब दिया जाय।

दूसरे जीरो आवर को सस्पेण्ड करने की आवश्यकता नहीं है। यदि इतनी ही गंभीरता थी तो आप अपनी तरफ से पहले ही मूव कर देते कि हम एक दिन पहले ही डिस्कस करना चाहते हैं। आपने तो इतनी गंभीरता से लिया नहीं। मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, क्या मुख्य सचेतक जी इस पोजीशन में हैं कि प्रस्ताव जो कल वे प्रस्तुत करने वाले हैं उस प्रस्ताव की कापी रात को मैम्बर्स को मिल जाय ?

(112)

श्री खेतसिंह राठौड़ :-अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विरोधी दल के माननीय नेता महोदय ने पहला प्रश्न यह उठाया कि जो 25 तारीख का बिजनेस है हम उसे कल ले रहे हैं। 25 तारीख को जैसा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय हुआ था, अपन आधे दिन रावी–व्यास पर चर्चा करेंगे और आधे दिन अपन नॉन-ग्राफिसियल बिजनेस पर चर्चा करेंगे। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यदि आपकी आज्ञा हो तो 25 तारीख को अपन ऐसा करते हैं, यह डिबेट कन्टीन्यू करते हुये माननीय मुख्य मंत्री जी का जवाब हो जाय और उसके बाद में नॉन-आफिसियल बिजनेस ले लें··

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, नॉन-आफिसियल बिजनेस हो··

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह तो पहले से ही बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है··

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह तो पहले से ही तय है। आपके उप नेता महोदय वहां मौजूद थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसका मतलब यह है कि सरकारी पक्ष का उत्तर 25 तारीख को होगा और उसके बाद में··

श्री खेतसिंह राठौड़ : जी हां।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : समय रहता है, तो आगे के लिये पोस्टपोन हो। प्रस्ताव की प्रतियां मिलेंगी क्या ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : सिंचाई मंत्री जी अभी यहां आकर बैठे हैं, इसका वह जवाब देंगे।

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मंत्री) : सरकार अभी उसका प्रारूप तैयार करवाने में व्यस्त है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या कहा ?

श्री परसराम मदेरणा : सरकार उसका प्रारूप तैयार करने में व्यस्त है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी व्यस्तता का हामी हूं आप से सहानुभूति है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो कुछ बने वह मेम्बर्स को थोड़ा सर्क्यूलेट हो जाय रात को·

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो कार्यसूची सर्क्यूलेट हो उसमें उसका समावेश करने की आज्ञा प्रदान करें। अभी उसका प्रारूप तैयार नहीं है। मैं विपक्ष के नेता महोदय से इसके सम्बन्ध में चर्चा करूंगा। वह तैयार हो जायेगा तो हम सर्क्यूलेट कर सकेंगे। लेकिन समय बहुत कम है, मैं चाहूंगा कि आपके अमूल्य सुझाव हों, तो राज्य सरकार को उनका भी समावेश करने में कोई एतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय ने इसके बारे में जानकारी चाही कि जो रावी-व्यास के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत होना था उसकी क्या स्थिति है ? स्थिति सदन के सामने आ गई है। यह निश्चय किया जाता है कि रावी-व्यास विवाद के सम्बन्ध में प्रस्ताव पर सदन कल विचा

(श्री अध्यक्ष)
करेगा—शून्य-काल के बाद में। मैं सदस्यों से निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्यों का सदैव ही सहयोग रहा है और पिछले दो दिन से शून्य-काल आधे घन्टे से ज्यादा नहीं चलेगा...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके सहयोग से।

श्री अध्यक्ष : तो कल इसी सीमा का ध्यान रखते हुये शून्य-काल होगा। उसके पश्चात् रावी-व्यास विवाद के बारे में सदन में चर्चा होगी। यह व्यवस्था दी जाती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के 17वें प्रतिवेदन में संशोधन हाउस की अनुमति लेकर करना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : सदन की अनुमति है, यह मानकर ही यह व्यवस्था दी है। यह बात यहां पर आ गई है कि सदन की सहमति है। ऐसा मान कर ही आपने विचार व्यक्त किये हैं। सदन की अनुमति है ऐसा मानकर मैंने व्यवस्था दी है।

श्री परसराम मदेरणा : आवश्यकतानुसार बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के प्रतिवेदन, जो हाउस एडाप्ट करता है, में परिवर्तन की आवश्यकता पड़े तो अध्यक्ष महोदय को अधिकार होता है।

श्री अध्यक्ष : उसके सम्बन्ध में एक लाइन लिखी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन कभी उसका उपयोग नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : करते ही कहां हैं? चर्चा फिर प्रारंभ की जाती है।

(व्यवधान)

श्री समर्थलाल। इनके बाद में श्री रतनलाल जी बोलेंगे।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री समर्थलाल (राजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण 17 फरवरी को इस सदन में दिया, उस अभिभाषण को बराबर पढ़ा और पढ़ने के बाद इस बात की कोशिश की कि इस राज्यपाल महोदय अभिभाषण के अन्दर जो कुछ भी बातें हैं, उनका क्या अभिप्राय है?

अध्यक्ष महोदय, पिछले सप्ताह से इस बात की आशा थी कि विधान सभा आयेगी, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा और उस अभिभाषण के अन्दर राजस्थान के किसानों की परेशानी, राजस्थान की जनता की परेशानियों के बारे में कुछ निराकरण का संकेत मिलेगा। लेकिन, अध्यक्ष महोदय,

(4.00 म. प.)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति, पदासीन)

राजस्थान के किसानों की, राजस्थान के गरीबों की परेशानी कैसे दूर होगी, इसका कोई संकेत अभिभाषण को पढ़ने से नहीं नहीं मिलता है।

सत्ता पक्ष की ओर से जिन माननीय सदस्य ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है और दूसरे

(श्री समर्थ लाल)
माननीय सदस्य ने उस प्रस्ताव का समर्थन किया है, दोनों ही माननीय सदस्य किसानों से सम्बन्धित हैं, गांवों से सम्बन्धित हैं। उनसे यह उम्मीद थी कि यह लोग क्योंकि किसानों से सम्बन्धित हैं, गांवों से सम्बन्धित हैं, इनको राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अन्दर किसानों की परेशानियों का, गरीबों की गरीबी का कोई निराकरण नजर नहीं आया तो ये लोग सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए और समर्थन करते हुए कुछ अच्छे सुझाव देंगे। लेकिन सुझाव देने के बजाय, माननीय सभापति महोदय, दोनों माननीय सदस्यों, जो कांग्रेस पक्ष के हैं, ने इसकी भूरी-भूरी प्रशंसा की। मैं समझता हूं कि इस अभिभाषण के अन्दर प्रशंसा करने के लायक कोई विशेष बात कहीं मुझे नजर नहीं आई।

सभापति महोदया, पिछला वर्ष जो निकला है इस पिछले वर्ष के अन्दर जो कुछ भी किसानों के सामने परेशानियां आई हैं वह परेशानियां सदन के अधिकतर माननीय सदस्य जानते हैं। बिजली के मामले को लेकर गांवों के अन्दर किसानों ने जितनी परेशानी का अहसास किया है, मैं ऐसा मानता हूं कि किसी वर्ष के अन्दर किसान इतने परेशान नहीं रहे। बरसात कम हुई, गांवों के अन्दर कुओं में पानी नहीं रहा, उसके बाद बिजली की कमी आई। बिजली की कमी होने के साथ-साथ कई-कई तहसीलों के अन्दर, पंचायत समितियों के अन्दर बिजली 10-10 रोज तक, कई कई सप्ताह तक नहीं आई। मेरे अलवर जिले के अन्दर, राजगढ़ तहसील के अन्दर, पंचायत समिति रेणी के अन्दर तो करीब 12 दिन तक बिजली गायब रही। उसके बावजूद हमने यह कहा वहां के बिजली के एस.ई. को, वहां के कलेक्टर साहब को, जिला प्रशासन को कि हमारे यहां जो राजगढ़ और थानागाजी का पहाड़ी इलाका है उस पहाड़ी इलाके के अन्दर बरसात न होने की वजह से पानी की कुओं के अन्दर अत्यन्त कमी रही है इसलिये हमारे इन गांवों को, तहसील को दो टुकड़ों के अन्दर बिजली दी जाय, कुछ समय रात को दी जाय और कुछ समय दिन को दी जाय। लेकिन इसके ऊपर कोई तवज्जह नहीं दी गई। सभापति महोदया, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि रात्रि के समय कुछ किसान अपने खेत में पानी दे रहे थे तो कुछ किसानों को तो बड़ी भारी सर्दी के कारण जुकाम हुआ, मेरी जानकारी के अनुसार करीब दो सौ किसान रात्रि को पानी देने की वजह से बीमार हुए और उनमें से करीब 70 किसान मौत के घाट उत्तर गये। उनको रात्रि में पानी देना पड़ा जिसकी वजह से कुछ किसानों को विषैले जानवर खा गये। मेरी जानकारी के अन्दर मेरी तहसील में रात्रि में पानी लगाने की वजह से, रात्रि में पानी लगा रहे थे उसकी वजह से पांच या छः किसानों को सांप और विषैले जानवरों के द्वारा काट खाने की वजह से मौत के घाट उतरना पड़ा।

इसके अलावा इस बजट के अन्दर जो सिरस्का गेम सेंक्च्यूरी है उसके अन्दर नेशनल पार्क बनाने की बात कही गई है। यह मेरा सौभाग्य है कि इस समय वन मंत्रीजी मौजूद हैं। मैं वन मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि सिरस्का के आस पास चार तहसीलों में करीब डेढ़ सौ गांव हैं। ये डेढ़ सौ गांव सिरस्का के

(श्री समर्थ लाल)

आस-पास पहाड़ों के अन्दर और बाहर और नजदीक इसलिए बसे हैं कि इनको वहां पशुपालन करना पड़ता है। पशुपालन से इनका धन्धा चलता है। इसके अलावा इनके पास जो जमीन है काश्त की वह बहुत कम है, किसी के पास दो बीघा है, किसी के पास पांच बीघा है, इस प्रकार से इनके जीवन का आधार पशुपालन है लेकिन सिरस्का के आस पास के गांवों के लोगों के साथ वन विभाग के अधिकारियों, सिरस्का बाघ परि-योजना के अधिकारियों का व्यवहार अमानुषिक व्यवहार है। मैं समझता हूं कि उनका व्यवहार इतना गलत और इतना गन्दा है कि उन लोगों का उन गांवों के अन्दर इन्सानियत के साथ जीना दूभर हो रहा है। आपने सुना होगा कि सिरस्का के आस पास के कुछ गांवों के लोगों को जबरदस्ती वह लोग पकड़ कर ले जाते हैं और पकड़ करके उनके साथ मारपीट करते हैं। उनके साथ इस हद तक मारपीट करते हैं बहुत बेरहमी से कि एक दो आदमियों के हाथ पैर टूट गये, एक आदमी का कान उखड़ गया। इस प्रकार की वहां की समस्या है। ये लोग जब पुलिस के अन्दर एफ. आई. आर. दर्ज कराते गये तो पुलिस के लोगों ने एफ. आई. आर. दर्ज करने से मना किया। जब हम जैसे लोग ने वहां जाकर इन्टरवीन किया तो पुलिस के अधिकारियों ने एफ.आई.आर. दर्ज की और उसकी जांच की। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ठीक है गेम सेंक्च्यूरी एरिया होना चाहिये लेकिन आस पास जो गांव हैं उन गांवों के पशुओं के चरने के लिए भी जगह वहां उपलब्ध होनी चाहिए। आपका जो सैटलमेन्ट हुआ वन विभाग का, गेम सेंक्च्यूरी एरिया के अन्दर रेवेन्यू विभाग का सैटलमेंट आपका 1975 के अन्दर हुआ, 1974–75 के अन्दर यह सैटलमेंट हुआ, उस सैटलमेंट के अन्दर बहुत बड़ी खामियां छोड़ी हैं, खामियां इस मायने में छोड़ी हैं कि उन गांवों के लोगों के पास पशु होते हैं, घनी आबादी के अन्दर वह रहते हैं उनके चरने के लिए किसी प्रकार की कोई जमीन नहीं छोड़ी। जमीन नहीं छोड़ने की वजह से मैं समझता हूं कि वह सैटलमेंट अधूरा पड़ा हुआ है। न तो वन विभाग के लोगों को यह जानकारी है कि हमारा वन विभाग कहां तक है और न बाघ परियोजना के अधि-कारियों को यह पता है कि हमारी बाघ परियोजना के क्षेत्र की सीमा कहां तक है। इसी प्रकार से रेवेन्यू विभाग के लोगों को भी यह जानकारी नहीं है कि रेवेन्यू विभाग का क्षेत्र कहां तक है। आज से बीस-पच्चीस साल पहले खुदे हुए कुओं से खेती हो रही है उस जमीन और कुओं के लिए वन विभाग वाले कहते हैं, हमारे हैं, बाघ परियोजना वाले कहते हैं हमारे हैं और रेवेन्यू विभाग वाले कहते हैं हमारे हैं। उन कुओं के और खेती की जमीन के कुछ केसेज ऐसे हैं, वहां की कुछ जमीन ऐसी है जो काबिले काश्त जमीन है जिसके 91 के केसेज तहसीलों के अन्दर चल रहे हैं और वही केसेज बाघ परियोजना के अन्दर चल रहे हैं। तो मैं वन मंत्रीजी से कहूंगा कि जो सैटलमेंट गलत हुआ है उसको दुरुस्त किया जाय। सिरस्का के आस-पास का जो जंगल एरिया है और गांव हैं वहां पर दुबारा सैटलमेन्ट करवाया जाय और वहां के लोगों को जितनी सुविधा चाहिये पशुओं को चराने के लिऐ, स्वयं के लिए वह सुविधायें उन लोगों को दी जाना बहुत आव-श्यक है।

(श्री समर्थ लाल)

इन्हीं शब्दों के साथ, सभापति महोदय, मैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में भी कुछ निवेदन करूंगा। आपको सुन करके आश्चर्य होगा कि सन् 1981–82 में राजस्थान के शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के जो छात्र थे उनको छात्रवृत्ति 1981 और 82 की आज तक नहीं मिल पायी। मेरी जानकारी के अनुसार जब कर्मचारियों की हड़ताल चल रही थी उस समय यह छात्रवृत्ति के बिल वगैरह गये बताये, वहां पर चूंकि कर्मचारी नहीं थे, वह हड़ताल पर थे इसलिए वह छात्रवृत्ति नहीं उठा पाये। मैं समझता हूं, उस समय इस विभाग को हमारे शिड्यूल्ड ट्राइब्स के मिनिस्टर श्री चेतराम जी मीणा संभाले हुए हैं। मैं इन पर यह सीधा आरोप लगाता हूं कि शिड्यूल्ड ट्राइब्स के मिनिस्टर होते हुए भी 1981 और 82 की जो छात्रवृत्ति है वह छात्रवृत्ति उन छात्रों को आज तक नहीं मिल पायी। मैं सोचता था कि इस बजट के अन्दर इतनी बड़ी बातें जो थीं इनका कोई रेफरेन्स आयेगा, छात्रवृत्ति जो 81–82 की है वह दी जायेगी या नहीं दी जायेगी, और दी जायगी तो कब दी जायेगी लेकिन इसके अन्दर इस प्रकार का कोई रेफरेन्स नहीं आया।

इन्हीं शब्दों के साथ जनजाति विकास की ओर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं। जनजाति के जितने भी ब्लाक्स बने हुए हैं उन ब्लाक्स के अन्दर जो भी कार्य हुआ है, जो बजट उनका है वह बजट पूरा उनके अन्दर खर्च नहीं हो पा रहा है। इसका कारण यह है कि जनजाति विकास मंत्री के पास भारत सरकार से पैसा तो आ जाता है राज्य सरकार भी कुछ पैसा इसमें मिला देती है लेकिन जनजाति विकास मंत्री के पास कोई ऐसी एजेन्सी नहीं है जिससे इन कार्यों का एक्जिक्यूशन करा सकें। मैं समझता हूं कि इन कार्यों का एक्जिक्यूशन नहीं होने के कारण जितना भी बजट होता है वह सारा बजट लैप्स हो जाता है। मैं इसको सरकार की बहुत बड़ी अक्षमता मानता हूं कि गरीब वर्ग के लोगों के विकास के नाम पर जो बजट आता है वह बजट भी पूरा का पूरा खर्च नहीं हो पाता है।

इसके अलावा इस अभिभाषण के अन्दर कहा गया है कि 'प्रशासन गांवों की ओर' प्रोग्राम के तहत राजस्व संबंधी साढ़े पांच लाख मामले मौके पर निपटाये गये, कुछ खातेदारी अधिकार दिये गये, कुछ नामान्तरण किये गये और कुछ नियमन किये गये। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति, महोदय, जब सरकार क्रियाशील है तो यह पांच लाख मामले पेण्डिंग क्यों रहे? गांवों के सरपंचों की ड्यूटी थी, पटवारी की ड्यूटी थी नामान्तरण करने की, एस. डी. ओ. और तहसीलदार की ड्यूटी थी कि जो नियमन का काम है वह समय पर अवश्य पूरा होना चाहिये। लेकिन पांच लाख मामले पैण्डिंग रहे। यह पैण्डिंग क्यों रहे? इसलिए रहे कि सरकार की मशीनरी क्रियाशील नहीं थी, मशीनरी की नीयत नहीं थी कि ये मामले समय पर निपटाये जायें। अब भी इस अभियान के अन्तर्गत जो मामले निपटाये गये। मेरी जानकारी के अन्दर कुछ भ्रष्टाचार के मामले तहसीलदार, एस. डी. ओ. और पटवारी द्वारा भी हुए। इस के आधार पर मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, जैसा कि इन्होंने इसके अन्दर बताया है, भूमि अलाटमेंट के अन्दर कि लगभग 75 हजार व्यक्तियों को लगभग

(श्री समर्थ लाल)

2 लाख 29 हजार एकड़ कृषि भूमि का आवंटन किया गया, गैर कृषि भूमि को विकसित कर काबिल काश्त बनाने वाले अतिक्रमियों के कब्जे से लेकर सशर्त नियमित करने के आदेश जारी किये गये। मैं यह कह सकता हूं कि राजगढ़ तहसील के अन्दर नियमन का एक भी कार्य नहीं हुआ। अलाटमेंट के लिए यह अनाउंस हुआ था कि करीब 550 बीघा भूमि है उसका अलाटमेंट होगा। उस भूमि में से आज की तारीख तक एक बिस्वे का भी अलाटमेंट नहीं हुआ।

सभापति महोदया, 'प्रशासन गांवों की ओर' कार्यक्रम की जो बात कही गई है और जिसकी यहां माननीय सदस्यों ने बहुत स्तुति गायी है, मैं समझता हूं कि यह उपलब्धि इतनी नहीं है जितनी कि स्तुति इन लोगों ने गाई है।

इसके अलावा कानून और व्यवस्था की बात भी कही गई है। चालू वर्ष में राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति सन्तोषजनक रही है तथा अपराधों पर पूर्ण नियन्त्रण रहा है। राज्य सरकार की इस नीति के अनुसार कि अपराधों का पंजीकरण तत्काल किया जाये, इस वर्ष जो पंजीकरण हुआ है, गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 9.60 प्रतिशत अपराध बढ़े हैं। इसका तात्पर्य मैं यह मान कर चलता हूं, पिछली लाइनों में भी जैसा कहा गया है कि कानून और व्यवस्था की जो स्थिति है वह सन्तोषजनक रही है इस बात को, सभापति महोदया, कैसे माना जा सकता है।

अलवर जिले के अन्दर विकास का कोई काम पिछले वर्ष के अन्दर नहीं हो पाया। सिंचाई का कोई नया बंध नहीं बन पाया। सड़क के लिए मैं समझता हूं कि कोई नयी सड़क वहां बन रही हो पिछले वर्ष के अन्दर वह भी नहीं बन पायी।

इस बजट भाषण के अन्दर पिछड़े वर्ग का कुछ जिक्र है कुछ झूंटे-मूठे आंकड़ों के साथ। लेकिन आने वाला वर्ष है उसके अन्तर्गत यह सरकार राजस्थान की जनता के लिए, राजस्थान के गांवों के लिये, राजस्थान के किसानों के लिए, राजस्थान के गरीबों के लिए क्या काम करेगी, इसका मैं समझता हूं कि कोई जिक्र नहीं किया गया है। न ही यह बताया गया है कि कितनी सड़कें बनेंगी, न ही यह बताया गया है कि स्वास्थ्य के लिए साधन मुहैया कराये जायेंगे। हां, कुछ गांवों के नाम दे दिये गये हैं जिनका विद्युतीकरण कराया है।...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री समर्थलाल : इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूं कि इस अभिभाषण में करीब एक हजार गांव दिये गये हैं जब कि पिछले वर्ष दो हजार गांव का मामला था। यह अभिभाषण किसान-विरोधी है, गरीब के हित की इसके अन्दर कोई बात नहीं कही गई, गरीब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के हित की कोई बात नहीं कही गई है। इसलिए इस अभिभाषण का मैं विरोध करता हूं।

श्री सभापति : श्री लच्छूराम।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय सभापति महोदया, स्पीकर साहब ने इनके बाद मुझे बोलने के लिए कहा था।

श्री सभापति : मेरे पास लिस्ट है, उसमें आपका नाम नहीं है।

श्री खर्तसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : नाम तो नहीं है, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट की थी,

(118)

(श्री खेतसिंह राठौड़)
स्पीकर साहब को कि इनके बाद इनको बोलने दिया जाये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, 10 मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री लच्छूराम (मण्डावा) : माननीय सभापति महोदया, 10 मिनट में बात समाप्त होगी या नहीं, यह तो भाषण शुरू होने के बाद निवेदन करूंगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप क्षमा करेंगे। और माननीय सदस्यों को भी बोलना है। आप संक्षेप में बोलें।

श्री लच्छूराम : पहले इनको बोलने दीजिए। मैं बाद में बोल लूंगा।

श्री सभापति : 10 मिनट में आप भाषण समाप्त करें।

श्री लच्छूराम : 10 मिनट में इनको समाप्त करना पड़ेगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया आप अपनी बात शुरू कीजिए। आपकी पार्टी का समय जितना है, उसमें से समय निश्चित रूप से डिडक्ट होगा। आप 10 मिनट में समाप्त करें ताकि और भी सदस्य आपकी पार्टी के बोल सकें।

श्री रतन लाल ताम्बी : माननीय सभापति महोदया, राज्यपाल महोदय ने विधान सभा के समक्ष जो अभिभाषण का पठन किया है उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। इस अभिभाषण में विगत एक वर्ष की उपलब्धियों, राजस्थान की सरकार के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में की गई प्रगति और योजनाओं का विश्लेषण किया गया है। उसके साथ-साथ आगामी वर्ष में कितनी ही योजनाओं और कार्यक्रमों को राजस्थान की साढ़े तीन करोड़ जनता के समग्र विकास के लिए हाथ में लेने का भी कुछ संकेत दिया है, आप और हम यह मान कर चलते हैं। राजस्थान प्रशासन ने राजस्थान की साढ़े तीन करोड़ जनता के समग्र विकास और उसकी समस्याओं के समाधान के लिए जिस संकल्प और भावना के साथ पिछले एक वर्ष में काम-काज किया है उसके संबंध में मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा। सबसे पहले तो इस बात के लिये बधाई दूंगा कि राजस्थान अन्य प्रदेशों के मुकाबले में कानून और व्यवस्था की स्थिति में अच्छा रहा है। अपराधों की दृष्टि से भी राजस्थान अन्य प्रदेशों के मुकाबले और देश के औसत से काफी अच्छी स्थिति में रहा है। हमेशा इस बात की शिकायत रहा करती है कि राजस्थान में अपराधों का पंजीयन नहीं होता है। इस बार इस दिशा में भी करीब 10 प्रतिशत के आस-पास अपराधों के पंजीयन में वृद्धि करके खास तौर से एस. सी. और एस. टी. के लोगों के जितने प्रकरण राजस्थान के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में दर्ज हुए हैं उनमें 97 प्रतिशत चालान हुए हैं, यह बहुत ही गौरव की बात है। इससे यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान की सरकार पिछड़े, गरीब और निर्बल व्यक्तियों के लिए कितनी सजग है, कितनी जागरूक है।

इसके साथ साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि देश की महान् नेता प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम के नाम से देश के पिछड़े, उपेक्षित तबकों के समग्र

(श्री रतनलाल ताम्बी)

विकास और उत्थान के लिए जो कार्यक्रम दिया है उसका राजस्थान की सरकार ने जिस तहेदिल से, जिस संकल्प भावना के साथ जो काम किया है उसका मैं समझता हूं राजस्थान के स्तर पर ही नहीं, देश के स्तर पर भी मूल्यांकन हुआ है। आज राजस्थान का अन्य प्रदेशों में सर्वोपरि नाम है, यह हमारे लिए गौरव की बात है। मैं खास तौर से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में लगभग 1 लाख 42 हजार से अधिक गरीब लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं, उन लोगों को लाभान्वित करने का कार्यक्रम राजस्थान की सरकार ने किया है, निश्चित रूप से जिनकी आंखों में आंसू हैं, जो बेसहारा लोग हैं उनको शक्ति मिली है। जो अभिशप्त जीवन जीते हैं उनकी राजस्थान सरकार ने बहुत कुछ मदद की है। इस बात को हम स्वीकार कर के चलें कि राजस्थान में निश्चित रूप से उल्लेखनीय काम हुआ है। लगभग 40 हजार से अधिक शिड्यूल्ड कास्ट्स के और 17 हजार से अधिक शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को लाभान्वित किया गया है। कुल मिलाकर 52 प्रतिशत से अधिक लोग इससे लाभान्वित हुए हैं, यह एक कीर्तिमान है। 20 सूत्री कार्यक्रम में से 11 सूत्र में जो अन्य प्रदेशों के लिए लक्ष्य निर्धारित हुए थे उनमें से एक सूत्र था परिवार कल्याण कार्यक्रम का, जिसमें राजस्थान पिछड़ रहा था। राजस्थान की सरकार ने 15 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक परिवार नियोजन के कार्यक्रम को एक अहम् सवाल मानकर जि। गति से 'प्रशासन गांवों की ओर' का अभियान चलाया था उसी गति से यह कार्य किया। और भी आगे बढ़ने को वह कृत संकल्प है। मैं समझता हूं कि 31 मार्च तक इस सूत्र में भी राजस्थान अपना नाम आगे कर लेगा।

मैं इस अवसर पर जो दूसरी उपलब्धियां हैं उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सबसे पहला सवाल इस बात का है कि राजस्थान हर दूसरे वर्ष अकाल से पीड़ित रहता है। यह राजस्थान की सरकार है जिसने अक्टूबर में गिरदावरी कराकर नवम्बर तक रिपोर्ट प्राप्त कर राजस्थान के गांवों की अकाल पीड़ित जनता को रोजगार उपलब्ध करा दिया। आज के दिन 1.69 करोड़ लोग राजस्थान में अकाल से पीड़ित हैं, दो करोड़ से अधिक पशु पीड़ित हैं, उनके लिए विभिन्न प्रकार के काम शुरू हो गए हैं, करीब 2743 लाख रुपये के काम अभी तक स्वीकृत हो चुके हैं और ढाई लाख से अधिक श्रमिक आज के दिन विभिन्न एजेंसियों के मार्फत जो अकाल राहत कार्य चल रहे हैं उनमें कार्यरत हैं। यह हमारे लिए सबसे बड़े उल्लेख की बात है।

इसी संदर्भ में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता पेयजल की समस्या से हमेशा पीड़ित रहती है और राजस्थान का बहुत बड़ा हिस्सा पीने के पानी की समस्या के कारण अभिशप्त जीवन व्यतीत करता है। इस दिशा में भी राज्य सरकार ने बहुत उल्लेखनीय काम किया है। 3200 गांवों का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उनमें से आज के दिन 2400 गांव किसी न किसी प्रकार की पेयजल व्यवस्था से लाभान्वित हो रहे हैं। वहां की जनता राज्य सरकार के इस कार्य को बहुत अहम् दृष्टि से वरदान के रूप में मानती है। पेयजल की समस्या काफी हद तक इस दृष्टि से दूर हुई है।

(श्री रतनलाल ताम्बी)

मैं इस मौके पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस समस्या का समाधान करने के लिए जहां राज्य सरकार कृत संकल्प है वहां इस काम में कई विषमतायें और कठिनाइयां भी हैं। उस दिशा में मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए अपने क्षेत्र की बात भी इसके साथ जोड़ना चाहूंगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज के दिन राजस्थान के गांव हैं और उनके साथ साथ जो ढाणियां होती हैं, जिनको हमारे यहां मगरा कहते हैं और कई जगह ढाणियों के नाम से पुकारा जाता है, वह पेयजल सुलभ कराने में उपेक्षित रहते हैं। हैंड पम्प्स स्वीकृत होते हैं, बड़े गांवों में लग जाते हैं और छोटे गांवों की तरफ ध्यान नहीं जाता है। इसलिए मैं राज्य सरकार से आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि ढाणियों की जनसंख्या, जो गांवों में सम्मिलित हैं, के लिये सबसे पहले निर्देश दें। ढाणियां जो गांवों से दूर होती हैं, उनमें हैंड पम्प लगाने के लिए राज्य सरकार कुछ निर्देश दे।

मैं इसके साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो गांवों में हैंड पम्प लगते हैं, उनके लगने की प्रक्रिया में भी बड़ी गड़बड़ है। जहां बड़े लोग होते हैं, समर्थ लोग होते हैं वहां हैण्ड पम्प लग जाते हैं, पिछड़े लोगों के मोहल्लों में नहीं लग पाते हैं। इसके लिए भी राज्य सरकार व्यवस्था करे। जो पिछड़ा और गरीब इलाका है या बस्तियां हैं उनमें सबसे पहले यह कार्यक्रम होना चाहिए, तब जाकर पेयजल हम उन लोगों को सुलभ कराने की व्यवस्था कर पायेंगे।

मैं इस मौके पर निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने मोटे तौर से 'प्रशासन गांवों की ओर' नए वर्ष का उपहार दिया है। राजस्थान के जन जीवन ने इस उपहार को बहुत ही हृदय से स्वीकार किया है। आज प्रशासन गरीब की झोंपड़ी पर पहुंचा है। प्रशासन के अधिकारियों ने गरीबों के पास जाकर समस्या का समाधान किया है। मैं पिछले डेढ़ महीने से निरन्तर एक एक पंचायत केन्द्र पर गया, गांवों को देखा। काफी तादाद में लोगों को राहत मिली है। वर्षों से जो काम रुके पड़े थे वह काम हुए हैं। मैं अपने इलाके के साथ साथ और गांवों में घूमा हूं, राजस्थान के हिस्सों की मुझे सारी जानकारी प्राप्त होती रही है। राजस्थान में 95 हजार व्यक्तियों को खातेदारी एक साथ मिल जाना 'प्रशासन गांव की ओर' की सबसे बड़ी उपलब्धि है। 4 लाख से ज्यादा व्यक्तियों के नामान्तरण, जो वर्षों से नहीं हो रहे थे, हुए हैं। जहां नामान्तरण में आम तौर से भ्रष्टाचार होता है और पटवारी बार बार गांवों में किसानों से चक्कर लगवाते हैं वहां अधिकारियों ने बुला बुलाकर सर्वे करवा कर नामान्तरण के केसेज फैसल किए हैं। राज्य सरकार ने 'प्रशासन गांवों की ओर' का महत्वपूर्ण निर्णय लेकर जो नए वर्ष का उपहार जनता को दिया है यह उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। 25 हजार से ज्यादा व्यक्तियों को भूमि आवंटन हो गया। गरीब से गरीब लोग शिड्यूल्ड कास्टस व शिड्यूल्ड ट्राइब्स के शत प्रतिशत लोगों को इस बात में एक विशेष प्रायोरिटी मिली है। 1.65 लाख व्यक्तियों पर नाजायज कब्जे के नाम से जो लाखों रुपये का जुर्माना प्रति वर्ष होता था उस भूमि का नियमन करके खातेदारी जहां की तहां दी गई, यह एक बहुत बड़ा उपहार है राजस्थान के गरीब किसानों के लिए · ·

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जल्दी समाप्त करें।

श्री रतनलाल ताम्बी : मेरी पार्टी का समय बाकी है। मुझे कई मामलों पर बोलना है।

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मंत्री, यातायात) : उधर के एक एक आधा आधा घंटे बोले हैं। हमारी पार्टी का टाइम है।

श्री सभापति : 15 मिनट तो आलरेडी बोल चुके हैं। आप अपनी पार्टी का समय एक दिन में लेना चाहेंगे, मंत्री जी ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : क्यों नहीं? मैं पार्टी की ओर से कह रहा हूं।

श्री सभापति : आज की लिस्ट में दूसरों के नाम भी हैं, उनको भी मौका देना चाहिए। संक्षेप में समाप्त करें।

श्री रतनलाल ताम्बी : अल्पकालीन लोन के रूप में 310 लाख रुपया गांवों में बांटा है। मध्यमकालीन लोन के रूप में 225 लाख रुपये और दीर्घकालीन लोन के रूप में लगभग 145 लाख रुपए राजस्थान के गरीब किसानों को वितरित होना अपने आप में राज्य सरकार की एक उपलब्धि है।

मैं इस अवसर पर निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में आज भी सरप्लस पानी बहुत है। आज सिंचाई की दृष्टि से, योजनाओं की दृष्टि से जो राजस्थान नहर निकली है वह राजस्थान के लिए वरदान है। आने वाले वर्षों में राजस्थान के सुखद भविष्य की इस नहर से कल्पना सामने है, वह निश्चित रूप से वरदान सिद्ध होगी।

मैं इसके साथ-साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी बनास नदी का पानी बह कर चम्बल में बेकार जा रहा है। राजस्थान की सरकार से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि उस नदी पर बड़ी-बड़ी योजनायें बन सकती हैं, पिक-अप बीयर बन सकते हैं और एनीकट्स बन सकते हैं जिससे राजस्थान के कई जिले टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा का औद्योगिक विकास हो सकता है। मैं खास तौर से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे इलाके में भी नदी नाले काफी हैं जिनमें सरप्लस पानी जा रहा है। उन पर कई योजनायें सर्वे के अधीन हैं। उनकी तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मैं इसके साथ-साथ राज्य सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि इस वक्त राजस्थान में कम से कम 232 मिडल स्कूल्स, 212 हायर सैकण्डरी स्कूल्स खोले गये और 328 नए विषय शुरू किए गए हैं। पहली बार राजस्थान में इतनी बड़ी तादाद में स्कूल्स और विषय खोले गए हैं। वर्षों से मांग होने पर भी उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित नहीं हो रहे थे। राज्य सरकार का यह कदम निश्चित तौर से सराहनीय कहा जा सकता है। गांवों की जनता ने इसकी बहुत सराहना की है। मैं इस अवसर पर निवेदन करना चाहता हूं कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री पहाड़िया जी भीलवाड़ा गए और वर्तमान मुख्य मंत्री भी भीलवाड़ा गए। वहां पर दो हजार से अधिक कामर्स के विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। इन्होंने कामर्स कालेज की बात स्वीकार की थी। मैं आपके मार्फत राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना

(श्री रतन लाल ताम्बी)

चाहता हूं कि भीलवाड़ा में कामर्स कालेज की एक महत्वपूर्ण मांग है, उस ओर भी आप ध्यान दें ताकि भीलवाड़ा जिले की बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो सके।

भीलवाड़ा राजस्थान के औद्योगिक नक्शे पर उभरता हुआ जिला है। विपुल खनिज सम्पदा के बड़े भण्डार भीलवाड़ा जिले में हैं। भीलवाड़ा में अगूचा में बहुत बड़ा जस्ते और सीसे का भंडार भी मौजूद है जहां पर स्मेल्टर की योजना भी सरकार के विचाराधीन है। मैं चाहूंगा कि उस दिशा में ध्यान जाए।

इसके साथ-साथ भीलवाड़ा जिले में कई खनिज के भंडार मौजूद हैं। उनके व्यापक सर्वेक्षण की ओर भी राज्य सरकार का ध्यान जाए।

इसके साथ-साथ एक निवेदन और करना चाहूंगा। पोलीटेक्निक जैसा संस्थान भीलवाड़ा जिले में न होना विवादपूर्ण बना हुआ है। यह औद्योगिक जिला राजस्थान के नक्शे पर, देश के नक्शे पर उभर रहा है। वहां इस समस्या की ओर सरकार का ध्यान जाए। मैं चाहूंगा कि सरकार इस मामले पर विशेष तौर से ध्यान दे।

कुछ मुद्दे इस प्रकार के हैं जिनके बारे में खास तौर से मैं निवेदन करना चाहता हूं। बिजली की दृष्टि से राज्य सरकार ने काफी महत्वपूर्ण काम किया है, कई और योजनायें हैं। पौंग बांध है। राजस्थान के हिस्से का पानी लेने के लिए वर्तमान सरकार ने पूरी शक्ति के साथ ध्यान केन्द्रित कर रखा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा राजस्थान को जितना बिजली का हिस्सा मिलता है वह पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाता। राजस्थान सरकार और भी सचेष्ट रहकर नई योजनाओं के माध्यम से राजस्थान की बिजली की समस्या का समाधान करे। आज के दिन राजस्थान के किसानों को इस बात का संतोष है। पौष और माघ की ठिठुरती सर्दी में रात को माताओं और बहनों को खेतों पर जाकर सिंचाई के लिए खड़ा रहना पड़ता है, यह निश्चित रूप से हमारे लिए थोड़ा विचारणीय प्रश्न है। मैं आपके मार्फत सरकार से चाहूंगा कि अगले 15 दिन या एक माह के करीब किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराये। जो घोषणा की है उसको पूरा करने की ओर खास तौर से ध्यान देना चाहिए।

वैसे तो, सभापति महोदय, राजस्थान सरकार ने इस वर्ष 1068 कुओं का विद्युतीकरण किया। जितने कुओं के विद्युतीकरण का जो लक्ष्य था वह पूरा कर दिया। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने 981 हरिजन बस्तियों में बिजली उपलब्ध करायी जब कि राज्य सरकार की योजना सिर्फ 900 हरिजन बस्तियों को ही बिजली उपलब्ध कराने की थी।

राजस्थान सरकार ने जिन कार्यक्रमों को विशेष रूप से चालू किया उसमें आई. आर. डी. की योजना चालू करके राजस्थान की जनता में निश्चित रूप से जागरण और लोगों में आत्म विश्वास पैदा किया है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा समाचार पत्रों में भी आया है कि इसमें कुछ गड़बड़ियां हुई हैं। यह योजना चूंकि राजस्थान सरकार ने गरीबों के भले के लिये चालू की हैं इसलिये गरीबों के नाम से जो पैसा आता है वह पैसा गरीबों तक पहुंचे।

(श्री रतन लाल ताम्बी)
इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिये। मेरा राज्य सरकार को सुझाव है कि इसमें कुछ सुधार किया जाय।

पंचायती राज के बारे में भी·····

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, लच्छूराम का नाम पुकारा जा चुका है। इनको भी आज ही बोलना है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रतनलाल ताम्बी : सभापति महोदय, मैं सिर्फ पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : आप कृपया स्थान ग्रहण करें। पांच मिनट नहीं, दो मिनट।

श्री रतनलाल ताम्बी : सभापति महोदय, सिर्फ दो मिनट में ही अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय, पंचायती राज भी जन-जीवन के लिये बहुत जरूरी है। राजस्थान सरकार ने पंचायती राज के चुनाव कराये हैं उसके लिये राज्य सरकार बधाई की पात्र है। पिछली जनता पार्टी की सरकार ने हालांकि पंचायतों के चुनाव कराये थे लेकिन राजनैतिक दृष्टि से लाभ देखा और पंचायतों के चुनाव कराने के बाद पंचायत समिति और जिला परिषद् के चुनाव कराने का साहस नहीं कर पाये। वर्तमान सरकार ने न केवल पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के ही चुनाव करा कर जन प्रतिनिधियों के हाथ में सत्ता भी सौंप दी, इतना ही नहीं वर्तमान सरकार ने नगरपालिका के चुनाव करा कर शहरों में भी जन प्रतिनिधियों के हाथ में सत्ता सौंप दी। इससे राजस्थान की जनता का जनतन्त्र में विश्वास जाग्रत हुआ। राजस्थान में यह संस्थाएं जन कार्यक्रमों को लेकर आगे बढ़ रही है। मेरा तो निश्चित रूप से यह मानना है कि इन संस्थाओं को लेकर राज्य सरकार ने जो निर्णय लिये थे उनकी अगर क्रियान्विति की गयी तो निश्चित रूप से जनता को लाभ मिलेगा। मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि राज्य सरकार इस ओर विशेष रूप से ध्यान दे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बाकी की विशेष बातें जब उन सब्जेक्ट्स की डिमान्ड आये तब आप कह दें और अपने सुझाव दे दें। अभी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं उनको बोलने दें। आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रतनलाल ताम्बी : सभापति महोदय, दो बातें और निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रतनलाल ताम्बी : सभापति महोदय, एक दो बात कहनी हैं।

श्री सभापति : कृपया, माननीय सदस्य, आसन को सहयोग देने का कष्ट करें।

श्री रतनलाल ताम्बी : सभापति महोदय, तो समाप्त ही कर रहा हूं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले साल-डेढ़ साल से चिकित्सा और पशु चिकित्सा के अस्पताल हमारे यहां और

(श्री रतन लाल ताम्बी)

नियाजू में नहीं खुले जो कि बहुत जरूरी हैं। इसके अलावा हमारे यहां पर पी.एच. सी. के सब-सैन्टर भी नहीं खोले गये हैं। जन संख्या को देखते हुए वह खोलने बहुत जरूरी हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर आर्डर।

श्री रतनलाल ताम्बी : सभापति महोदय, इस ओर भी राज्य सरकार को विशेष तौर से ध्यान देने की जरूरत है।

इतना कह कर मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का स्वागत करते हुए उनको धन्यवाद देता हूं। अपनी बात मैं यहीं पर समाप्त करता हूं।

धन्यवाद।

श्री लच्छुराम (मण्डावा) : सभापति महोदय, जो राज्यपाल महोदय ने यहां पर अभिभाषण दिया है मैं अन्तरआत्मा से उसका विरोध करता हूं। सभापति महोदया, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में केवल एक ही बात बार-बार दोहराई गयी है और उसी को लेकर सन्तोष किया गया है, वह है, हमारे 20 सूत्री कार्यक्रमों को लागू करने के सम्बन्ध में योजना आयोग ने और केन्द्रीय सरकार की मंत्री परिषद् ने सराहना की है। सभापति महोदया, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने से कुछ भी नहीं होने वाला नहीं है। आज आपके 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्दर जो सबसे बड़ा जोर दिया गया है वह दूर-दराज गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था करने का है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह सदन को बतलाना चाहता हूं कि दूर-दराज गांवों में पानी की व्यवस्था करने का सवाल तो बाद में आता है, इस गूंगी और बहरी सरकार ने पिछले पांच-सात सालों में पेयजल की समस्या के बारे में इस सदन के अन्दर और सदन के बाहर गांवों में रहने वाली ग्रामीण जनता की पुकार को नहीं सुना। इसने उस ओर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया। किसानों और ग्रामीण जनता की आवाज से इनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। गांव वालों की किस प्रकार से इन्होंने उपेक्षा की है इसका मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। गांव के लोगों को पानी जो दिया जाता है उसका रेश्यो यही है कि गांव की एक यूनिट पर 8 गैलन पानी दिया जाता है जब कि शहरों में एक यूनिट पर 20 गैलन पानी दिया जाता है। गांव की एक यूनिट के साथ भैंस, गाय, ऊंट और बकरी वगैरह भी होते हैं, वह भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। इस सरकार ने अब तक उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। यह सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के ऊपर पूरी तरह से आश्रित है। इसका मैं आपको नमूना पेश करना चाहूंगा। सभापति महोदया, इस हाउस में इस रेश्यो को चेन्ज करने के लिये बार-बार कहा गया है। पर सरकार ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की।

दूसरी बात, दूर-दराज गांवों के लोगों के लिये पानी की व्यवस्था करने का जहां तक सवाल है वह सिर्फ राजस्व गांवों की ही बात की गयी है। इस सदन में आज ही नहीं बल्कि सन् 1980 से लगातार कहा गया है कि जब तक आप ढाणियों में पानी नहीं पहुंचायेंगे तब तक यह समस्या हल नहीं होने वाली है। आज रेवेन्यू गांवों से भी आपको गांवों

(श्री लच्छूराम)

की ढाणियों की आबादी ज्यादा मिलेगी। कई ढाणियों की आबादी तो एक हजार से ऊपर है, कहीं-कहीं पर पांच सौ भी है। पर अभी तक राज्य सरकार उनकी समस्या का कोई निराकरण नहीं कर सकी है। अब आपने यह सिद्धांत रूप से मान लिया है कि 250 की आबादी पर आप एक पी. एच. सी. देंगे। तो आपने वह क्यों नहीं किया? इसका मतलब साफ है, सभापति महोदया, इस सम्बन्ध में बार बार टोका टोकी होती है पर उस पर कोई ध्यान नहीं देता। जब हाऊस में कहा जाता है मंत्री महोदय को कि इसको आप नोट करें तो मंत्रीजी कहते हैं कि हमारे अधिकारी बैठे नोट कर रहे हैं। जब आप उनके द्वारा तैयार किये जबाव पर आधारित जवाब देते हैं तो उससे तो पहले ही बन्टाढार हुआ है, अब भी आप उनके पद चिन्हों पर चलते हैं तो फिर क्या होने वाला है। तो मेरा, सभापति महोदया, मूल रूप से सुझाव है कि जब तक आप राजस्व गांवों की सरहद की ढाणियों तक पानी नहीं पहुंचायेंगे तब तक उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है जो ढाणियां राजस्व गांव से जुड़ी हुई हैं आप उनकी समस्या को हल नहीं कर सकेंगे। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा गया है कि 47 प्रतिशत गांव पानी से जुड़ गये हैं। मेरा तो कहना यह है कि 47 प्रतिशत नहीं 15 प्रतिशत भी पेयजल से नहीं जुड़े हैं। इसका कारण यह है कि आज ग्रामीण लोग राजस्व गांवों को छोड़कर ढाणियों में जाकर बस गये हैं क्योंकि चाहे उनकी जमीन बारानी हो, चाहे सिंचाई की जमीन हो वह अपने खेत पर रहते हैं। जब तक आप उन तक पानी नहीं पहुंचायेंगे तब तक यह आपका कार्यक्रम पूरा नहीं होगा। आपकी योजना में यह एक बड़ी कमी है। दूसरी जो योजना में कमी है वह यह है कि जलदाय विभाग में पेयजल की समस्या को हल करने के दो माध्यम हैं, पहला पी. एच. ई. डी., दूसरा विश्व बैंक। जब तक आप क्षेत्रीय योजना, पी एन टी टी.एस. एस. को लागू नहीं करेंगे तब तक यह पूरी नहीं होगी। आपके इन्जीनियरों ने उल्टा काम कर दिया है। आपने यह स्कीम वहां चालू कर दी जहां पर गांव इलेक्ट्रिफाइड नहीं हैं। पी. एस. एस. की जो स्कीम है इस स्कीम का मतलब है कि परम्परागत सोर्स से जिस गांव में मीठा पानी हो वहां पर पानी की सप्लाई करनी है। लेकिन जो गांव इलैक्ट्रिफाइड नहीं है वहां पर आपकी पी. एस. एस. स्कीम कैसे लागू होगी? सच बात तो यह है कि पी. एच. ई. डी. और बिजली विभाग में कोई तालमेल नहीं है। मैं, सभापति महोदया, आपको झुंझुनू जिले की बात बताना चाहता हूं। पी. एच. ई. डी. ने बिजली विभाग को वहां कनेक्शन देने के लिये कहा पर वह बिजली देता नहीं है। वह कहता है कि आपके यहां पर इलैक्ट्रिफिकेशन नहीं है। जबकि मन्डावा क्षेत्र के अन्दर बिड़ली और गोपाल-पुरा गांव ऐसे हैं जहां से बिजली दूसरे गांवों को जाती है, पी. एच. ई. डी. ने एप्लाई भी किया पर कोई कनेक्शन नहीं दिया गया।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आपस में बातें नहीं करें, माननीय सदस्य।

*श्री लच्छूराम : सभापति महोदया, विश्व बैंक ने उन गांवों में डी. एल. आर. भी किया है पर कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है। यह जो दूर दराज गांवों को 20

126

(श्री लच्छूराम)

सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल दिया जा रहा है उसके दो चार नमूने मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। जो क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनायें आपने बनायी हैं उनको बिजली पर्याप्त मिलती नहीं है तो योजना को चालू नहीं माना जा सकता है। अगर मान भी लें, साहब, आपने योजना बनायी पर पानी तो वहां पर बिजली के बिना डाइरेक्ट सप्लाई नहीं हो सकता है। आप उनको 20 घन्टे बिजली नहीं देते हैं। उसके बिना पानी दूर दराज गांवों में नहीं पहुंच सकता है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि झुन्झुनू जिले में लूटसर योजना है। 52 गांव पानी के लिए उससे जुड़े हुए हैं। पर वहां पर आप जो बिजली देते हैं वह सिर्फ दो तीन घन्टे देते हैं, बाकी कभी-कभी झपका-झपकी से बिजली आती है तो उसका लाभ नहीं होता। आपने करोड़ों रुपये खर्च किये और वहां पर ए.ईएन. और जे.ईएन. बैठाया है पर पानी नदारद है। उन 52 गांवों में बिलकुल पानी नहीं है। वहां का पानी बिलकुल खारा है। अगर कोई आदमी स्नान कर ले तो उस पानी से उसका शरीर फट जाता है। अगर जानवर उसको पी ले तो वह मर जाता है। तो यह समस्या है। आपको इस समस्या के समाधान के लिए कुछ करना चाहिये। पर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जब अधिकारियों के पास जाते हैं तो वह कहते हैं हम क्या करें बिजली नहीं है। बिजली के अधिकारियों के पास जाते हैं तो वह कहते हैं कि बिजली की शार्टेज है। यह माना कि बिजली की शार्टेज है पर जो असेंशियल चीज है उसको पूरा करना चाहिये। आप आज जयपुर में 24 घन्टे बिजली देते हैं और लोग चोरी-छिपे अपने उद्योगों में भी कनेक्शन लेकर बिजली ले लेते हैं। दिन भर वहां पर बिजली जलती है। अभी परसों मैं दिल्ली चला गया था तो वहां पर बिजली से आंखें चका-चौंध हो रही थी। तो दूर दराज के गांव वालों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता। उनके लिए मेरा सुझाव है कि क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनायें हैं उनको जब तक डाइरेक्ट लाइन से नहीं जोड़ा जायेगा तब तक आपका कार्यक्रम पूरा नहीं हो सकता। मेरा तो यह विश्वास है कि यह बार बार कहना पड़ता है, कि यह अब भी नहीं जोड़ेगे। यह जो ढाणियों वाली बात है।···

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया आसन से सहयोग करें। बातें बहुत धीरे करें। और बात करनी ही है तो कृपया बाहर जाकर बात करके आयें।

श्री लच्छूराम : सभापति महोदय, माननीय मन्त्री श्री परसराम जी देहात के रहने वाले हैं, उनको यह विभाग दिया हुआ है तो वह प्रेक्टिकल बातों की तरफ ध्यान क्यों नहीं देते हैं? यह पेयजल की समस्या लुहारू से लगाकर बाड़मेर और जैसलमेर तक है लेकिन कोई इसका निराकरण नहीं है। आंकड़ों के अन्दर 47 पर्सेन्ट गांवों के अन्दर करना बताया है। यह तो आंकड़ा मात्र है···

श्री सभापति : माननीय सदस्य, ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्यों से निवेदन करना है कि मुझे बार बार आसन से कहना पड़े कि बातें धीरे कीजिए, यह तो मुझे भी कष्टप्रद लगता है। कृपया सहयोग करें।

श्री लच्छूराम : क्षेत्रीय योजना का जहां जहां सोर्स है वहां बिजली पर्याप्त जब तक नहीं दी जायेगी, डाइरैक्ट लाइन से नहीं जोड़ा जायेगा तब तक योजना सफल नहीं हो सकती।

दूसरे मैं कह रहा था कि टी.एस.एस. के बारे में। जो गांव इलेक्ट्रिफाइड नहीं हैं उनमें टी. एस. एस. नहीं होगा। उदाहरण के रूप में बताऊं कि झुन्झुनू जिले के अन्दर केवल 57 गांव अनइलेक्ट्रिफाइड हैं जो कि खारे पानी के क्षेत्र में हैं। अलसीसर, जो कि मण्डावा क्षेत्र में पड़ता है, के 53 गांव अनइलेक्ट्रिफाइड हैं और 4 गांव खेतड़ी और सूरतगढ़ के हैं। अब यह 57 गांव, जो इलेक्ट्रिफाइड नहीं हैं, को किसी प्रकार से इलेक्ट्रिफाइड करने की कोई स्कीम नहीं है क्योंकि वह रेम्यूनरेटिव नहीं है। आर. एस. ई. बी. तो उनको किसी प्रकार से बिजली नहीं दे रहा है, दूसरे डी. पी. ए. पी. की स्कीम झुन्झुनू जिले से काट दी गयी है। बिजली विभाग वाले कहते हैं कि जब तक सब्सिडी या चन्दा या पैसा नहीं दिया जायेगा उस समय तक गांवों को इलेक्ट्रिफाई नहीं किया जायेगा। तो फिर जो गांव खारे पानी के हैं उनको इलेक्ट्रिफाई नहीं किया जायेगा तो उनमें किसी प्रकार का विकास होने की सम्भावना नहीं है।

इसके बाद सिंचाई का मामला है। राजस्थान कैनाल का उद्घाटन सन् 1958 में हुआ था टी. बी. तलवानी के अन्दर और वह श्री गोविन्द वल्लभ पंत ने किया था। उस समय सुखाड़िया जी ने भाषण दिया था कि इस राजस्थान कैनाल के अन्दर पंजाब से लेकर गुजरात तक जहाज चलेंगे, व्यापार, जहाजों से सामान का ट्रांसपोर्टेशन होगा और इस प्रकार से पुल लगाये जायेंगे कि जहाज आयेगा तो उठ जायेंगे और नहीं तो आवागमन के लिए खुले रहेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि उस समय बहुत बड़ी बृहद् योजना का प्रारूप बना था लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम उस योजना को आज आधी भी पूरा नहीं कर सके। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके सामने किस प्रकार की दिक्कतें आई ? माननीय सिंचाई मन्त्री जी ने कहा कि 62 करोड़ रुपये का प्रावधान था। उसके बाद 311 करोड़ रुपया खर्च कर दिया और भी बाकी है। आज यह जो हमारे सामने रावी-व्यास के झगड़े का मसला है यह राजस्थान सरकार की अकर्मण्यता के कारण है। राजस्थान की सरकार ने आज तक सिंचाई के मामले में कुछ नहीं किया है। मैं यह कहूंगा, मेरे कहने में अतिशयोक्ति नहीं है; राजस्थान की सरकार जो अब तक पावर में रही है वह एन्टी पीजेन्ट्स रही है, जो पानी के महत्व को नहीं समझती, जो खेती के महत्व को नहीं समझती। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है कि इतने वर्षों तक यह प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो। आज हमें उसके परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। आज पंजाब क्लेम कर रहा है। आज पंजाब में अकाली लोग यह कह रहे हैं कि केवल राजस्थान को 1.5 मिलियन एकड़ फीट पानी के उपयोग करने की क्षमता है। इसके साथ-साथ पार्लियामेंट में बैठने वाले प्रतिनिधि गंगानगर के हैं वह भी कहते हैं कि हमारे गांव डूबते जा रहे हैं। यह क्यों हुआ ? यह स्थिति क्यों आई ? यह इसलिए आई कि राजस्थान की सरकार सिंचाई के मामले में बिल्कुल सक्षम नहीं रही, बिल्कुल पीछे रही और उनके अंदर क्षेत्रीयवाद की भावना रही। अब तक राजस्थान के अन्दर मुख्य मन्त्री ज्यादातर

(श्री लच्छूराम)

इस प्रकार के इलाके के रहे हैं जो कि नहर का नाम नहीं जानते थे।

मुझे याद है सन् 1957 की बात है जब मैं असेम्बली में मेम्बर था तो माननीय श्योपतसिंह जी हनुमानगढ़ से आने वाले सदस्य थे। उन्होंने क्वेश्चन किया था मोगा का। उस समय सिंचाई मन्त्री श्री भीखाभाई जी ने कहा कि मोगा क्या होता है? तो जो मन्त्री मोगा नहीं समझते वह क्या जानें कि नहर के पानी की कितनी कीमत है। पानी लड़ाई से लिया जाता है। काश्तकार जब पानी टूट जाता है तो मिट्टी की परवाह नहीं करता है। पानी के सामने लेट जाता है और लेट करके पानी रोकता है। हमारी सरकार इतनी अकर्मण्य रही है। आज समय आ गया है कि सारे राजस्थान को जूझना पड़ेगा। यह क्यों हुआ? इसलिए कि हमारी प्रगति बहुत धीमी रही। मैं कहता हूं कि यह सरकार एन्टी पीजेन्ट्स रही है अब तक। इन्होंने काश्तकारों के मामले की बिलकुल अनदेखी की है।

सभापति महोदय, कल 50 हजार किसानों ने यहां प्रदर्शन किया। 50 हजार किसानों ने आकर राजस्थान विधान सभा के दरवाजे पर दस्तक दी और आज भी इस गूंगी बहरी सरकार को सुनाने के लिए धरना दिये बैठे हैं लेकिन इसके बदले में क्या किया? हमारी माननीय ऊर्जा मंत्री जी उनके पास गयीं और कहा कि मैं कुछ नहीं जानती। मै सक्षम नहीं हूं। यह कोई उत्तर है? लेकिन ठीक है, हम समझते हैं यही उत्तर आप देने वाले हैं, क्योंकि यह सरकार ही किसान विरोधी है। किसानों के संबंध में सोचती ही नहीं है केवल आंकड़ों की सरकार है।

बेघर को छप्पर, गरीब को सुविधायें देने की बात कहते हैं लेकिन प्रेक्टिकल रूप में क्या है? मैं अभी उदाहरण देता हूं मण्डावा का.....

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

सदन की कार्यवाही माननीय सदस्य का भाषण समाप्त होने तक बढ़ाई जाती है।

जल्दी समाप्त करें।

धन्यवान प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री लच्छूराम : मण्डावा शहर में हरिजनों की एक बस्ती बसाने के लिए जमीन अलाट की गयी और 30 हजार रुपये उसमें नालियां, सड़कें आदि के लिए दिए गए। वहां के चेयरमेन साहब, जो कि आपके बीस सूत्री कार्यक्रम के पुजारी हैं, ने जो 200 रुपये में ट्रक आता है उसका 500 रुपये का बिल बनाकर तीस हजार रुपये हजम कर लिये। जैसा पहले एक माननीय सदस्य ने कहा कि 'प्रशासन गांवों की ओर' में हरिजनों की जमीन के ऊपर सवर्णों ने कब्जा कर रखा है, उनको कब्जा नहीं दिला सके। अब तो सरमायेदार, जो बड़े बड़े जमींदार हैं, ने एक तरीका और निकाल रखा है। उसमें क्या है कि हरिजनों की जमीन खुद नहीं लेते बल्कि अपने बंधुआ हरिजनों को जमीन दे दी और खुदकाश्त करने लग गए। इस

(श्री लच्छूराम):

प्रकार की शिकायतें राजस्व अभियान में कलेक्टर और एस. डी. ओ. को की गयी लेकिन कोई निराकरण नहीं हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि बीस सूत्री कार्य-क्रम के तहत आप जो करना चाहते हैं वह केवल कागजों में हैं। आप गरीब अवाम को धोखा देना चाहते हैं।

इसके साथ ही साथ शिक्षा के मामले में चौमू से आने वाले माननीय सदस्य, उधर बैठने वाले एक माननीय सदस्य ने कहा था कि स्कूलों की हालत तो बहुत खराब है। 30 भेड़ बकरियों के पीछे एक ग्वाला होता है। जो गरीबी की रेखा से नीचे है उनको 30 भेड़ तक दी जाती हैं। इसका मतलब था कि 30 भेड़ों के पीछे एक ग्वाला चाहिए लेकिन स्कूलों में 150 के पीछे एक अध्यापक है। यही नहीं, शिक्षा का सारा का सारा ढांचा ही खराब है। एक कहावत है कि एक लोटा भांग से एक आदमी पागल हो सकता है; एक बालटी से पांच, सात लेकिन गांव के कुएं में ही भांग डाल दी जाये तो सारा गांव ही पागल हो जायेगा। मेरे कहने का मतलब है चाहे पेयजल की समस्या हो, चाहे स्कूल की समस्या हो, उनका कोई हल नहीं हो रहा है।

माननीय यातायात मंत्री जी बैठे हैं, गांवों में बस चलाने के जो परमिट दिये जाते हैं, जो बसें चलती हैं हमने जिला परिषद; कलेक्टर साहब ने डी. टी ए. से बार-बार सिफारिश की है, स्कोप बढ़ाइये। मैं कहता हूं; झुन्झुनू जिले के अन्दर सारे के सारे आदमी छतों पर बैठते हैं। बसों में आदमियों का बैठना मुश्किल होता है। लेकिन बार-बार प्रयास करने पर भी स्कोप नहीं बढ़ाते क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कब्जा किये बैठे हैं। मेरे कहने का मतलब है आप को इस ओर ध्यान देना चाहिये। मैं सी. टी. ओ. से भी मिला था। वह कहते हैं, ठीक है आगे चालान तो हम करेंगे। ऊपर बैठने वाले यही समझते हैं स्कोप की जरूरत नहीं है। माननीय यातायात मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह हमारे जिले की ही समस्या नहीं है, राजस्थान में सब जगह यह स्थिति है। रोडवेज सक्षम है नहीं तो बसों की संख्या बढ़ा दें। अर्थ का संकट और विभागों में है वहां तो अर्थ का संकट नहीं है। इसी प्रकार से मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हर क्षेत्र में हर आदमी परेशान है। किसान खेतों में परेशान है, कारखाने में मजदूर परेशान है···

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेत सिंह राठौड़ : सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा जब तक माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त करें, तब तक के लिये समय बढ़ा दिया जाये। आपने हां नहीं कहलवाया था। कह तो दिया। हां, कहना जरूरी है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त शीघ्र कर लेंगे···

(व्यवधान)

इसमें आब्जेक्शन तो कोई होना नहीं था। पांच मिनट में क्या होता है। माननीय सदस्य, अब जल्दी समाप्त करें।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री लच्छूराम : माननीय खेतसिंह जी की आदत है। यह आदत से लाचार हैं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

श्री लच्छूराम : मैं कह रहा था एक क्षेत्र की बात नहीं । जहां चले जायें, खेतों में चले जायें, किसान परेशान हैं, कारखानों में जायें मजदूर परेशान हैं, स्कूल में अध्यापक परेशान हैं, दफ्तर में जायें तो बाबू परेशान हैं···

एक माननीय सदस्य : यहां आप परेशान हैं ।

श्री लच्छूराम : पुलिस में जायें तो सिपाही परेशान हैं और यहां आयें तो हमारे चीफ व्हिप परेशान हैं, इनको समय की चिन्ता है।

तो मैं यह कह रहा था कि यह सुधार कब होगा । मैं एक बात और कहना चाहता हूं। एक बात उधर बैठने वाले सदस्य कहा करते हैं, जनता पार्टी के राज में इतनी प्रोग्रेस हुई और हमारे कांग्रेस के राज में इतनी हुई। आप तो जनता पार्टी को दकियानूसी, अप्रजातांत्रिक, साम्प्रदायिक और सामन्तों की पार्टी समझते थे, तो उनकी क्या बात करते हैं । आप जन कल्याणकारी बताते हैं अपने आपको। मेरा कहने का मतलब यह है जनता पार्टी ने जो काम किया वह ठीक था । कांग्रेस 30 सालों में जो काम नहीं कर सकी, देहातों में जनता पार्टी ने ढाई साल में नहीं, दो साल में किया । मैं जनता पार्टी सरकार के पहले मुख्य मन्त्री को बधाई दिये बिना नहीं रह सकता । उनको चाहे आप किसी प्रकार से यहां बदनाम कर सकते हैं लेकिन देहातों में नहीं। गांवों का आदमी भूल नहीं सकता। माननीय सदस्य ने कहा था, मैं चार साल पहले गया था सन् 76 तक पीपल के नीचे बच्चे पढ़ते थे । अब सब जगह स्कूल हो गये हैं, सब जगह औषधालय भी हैं, किसने किया ? फूड फार वर्क प्रोग्राम में जनता पार्टी के राज में किया ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमने हजारों कर दिये । एन.ई.आर.टी. में खड्डे हो रहे हैं जगह-जगह, आपको पता नहीं है ।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य को बोलने दीजिये कृपया ।

(व्यवधान)

श्री लच्छूराम : मैं खेत सिंह जी से कहना चाहूंगा इन्होंने बहुत कुछ कर दिया लेकिन कर दिया भ्रष्टाचार । आपके सारे काम पार्टी बेसिस पर हैं। आपने सरपंच को कोई अहमियत नहीं दी । जनता पार्टी ने कहा, जनता ने सरपंच को चुना है । इसको काम करने का अधिकार है । आपने काम किसको दिया, डिपार्टमेंट को । आप प्रजातांत्रिक नहीं क्योंकि आपकी नेता हैं···

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य, कृपया व्यवधान न करें ।

श्री लच्छू राम : मेरे कहने का मतलब है आपकी नेता इंदिरा गांधी हैं···

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमारी नेता नहीं देश की नेता हैं ।

श्री लच्छूराम : आपकी नेता है, देश की नहीं ।

श्री खेतसिंह राठौड : विश्व की नेता है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री लच्छूराम : तो, माननीय सभापति महोदया, जब भूले भटके कहीं कोई पेट की बात निकलती है, किसी सदस्य के मुंह से निकल जाती है जनता पार्टी राज में काम हुआ तो उस पर मुख्य सचेतक जी कहते हैं हट, यह क्या कहते हो। सही बात तो सही रहेगी। सोना सोना रहेगा और पीतल पीतल रहेगा। इसलिये, माननीय सभापति महोदया··

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया व्यवधान नहीं करें। माननीय सदस्य, अब कृपया समाप्त करें।

श्री लच्छूराम : इधर बैठने वाले सदस्य भी इस बात से बहुत खुश हैं··

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री लच्छूराम : मैं जल्दी कर रहा हूं, मेरा ही समय है।

श्री सभापति : समय तो सदन का समाप्त हो रहा है।

श्री लच्छूराम : मैं दो मिनट में समाप्त करता हूँ।

इनको तकलीफ जनता पार्टी के नाम से बहुत होती है। बरदाश्त करना चाहिए इनको। खेतसिंह जी को एक निर्देश प्रसारित कर देना चाहिये, कोई भी आदमी भूल कर भी नहीं कहेगा कि जनता पार्टी के राज में ठीक काम हुआ। मेरा कहने का मतलब है, आप भी जनता पार्टी के पक्ष में कुछ कहने की कोशिश करो।

श्री जयकृष्ण शर्मा : कौन सी जनता पार्टी, यह तो बता दो।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में बात नहीं करें।

श्री लच्छूराम : मूलभूत समस्याओं के बारे में मैं आपसे निवेदन करूंगा। ट्रेजरी बैन्चेज इस पर ध्यान दें क्योंकि आप लोग भी ऐसे क्षेत्रों, परिवार, किसानों में से आये हुए हैं। आज जो हमारे किसान धरना दिये बैठे हैं उनसे कमला जी ने बात करने से इन्कार कर दिया। मैं यह दरख्वास्त करूंगा आप उनसे बातें करें, उनकी समस्या को सुलझायें।

अब मैं ज्यादा न कह कर, समय के लिये बार-बार टोका टोकी हो रही है, इसलिये राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है, उसका घोर विरोध करता हूं।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल 23 तारीख के सुबह 11 बजे तक के लिये स्थगित की गई।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म.प. 5.08 बजे बुधवार दिनांक 23 अप्रेल, 1983 के म.पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

तारांकित प्रश्न संख्या 60 के प्रस्ताव की सूची

वक्फ जायदाद के बाबत लिये गये प्रस्तावों की सूची

1. वक्फ बोर्ड ने पब्लिक प्रीमिज (इविएक्शन ग्राफ अनग्राथोराइज ग्राक्यूपेन्ट्स) एक्ट के तहत एस. डी. ओ. को स्टेट आफिसर मुकर्रर किये जाने का प्रस्ताव पास किया।

2. बोर्ड ने तय किया कि जैसलमेर स्थित कब्रिस्तान का तबादला नगरपालिका की इच्छानुसार किया जाना मुमकिन नहीं है।

3. सूरसागर कब्रिस्तान, जोधपुर के रकबे के बारे में गजट में कोरिजेन्डम प्रकाशित करने का प्रस्ताव पास किया गया।

4. 12 (बारह) नई वक्फ जायदादों को रजिस्टर करने की तजबीज पास की गई।

5. वक्फ जायदाद, रेन की तलाई, कोटा, दरगाह घोड़ेवाले सैयदबाबा, कोटा व दरगाह शरीफ गागरोन को बोर्ड के सीधे इन्तजाम में लिये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया।

6. वक्फ जायदाद कब्रिस्तान फैजमोहम्मद, जयपुर के कब्रिस्तान से किराये की दरख्वास्त तलब करने की तजबीज पास की गई तथा वक्फ बाग नवाब कल्लन खां, जयपुर के बारे में कब्रिस्तान से किराया वसूल करने व दीगर कार्यवाही करने का प्रस्ताव पारित किया गया।

सूची जिला वक्फ कमेटी

1. जिला वक्फ कमेटी, सवाई माधोपुर।
2. जिला वक्फ कमेटी, अलवर।
3. जिला वक्फ कमेटी, टौंक।
4. जिला वक्फ कमेटी, गंगानगर।
5. जिला वक्फ कमेटी, झालावाड़।
6. जिला वक्फ कमेटी, बूंदी।
7. जिला वक्फ कमेटी, चूरू।
8. जिला वक्फ कमेटी, झुंझुनूं।
9. जिला वक्फ कमेटी, भरतपुर।
10. जिला वक्फ कमेटी, चित्तौड़गढ़।

133

परिशिष्ट 2

तारांकित प्रश्न संख्या 61 की सूची

राजस्थान सरकार
(सहायता विभाग)

पचपदरा तहसील में सिंचाई विभाग द्वारा चलाये जा रहे राहत कार्यों की सूची

1.	किरनोद बांध	2.	गोपड़ी खडीन
3.	तिलवाड़ा बाढ़ बचाव कार्य	4.	जास्ती खडीन
5.	तिरसी गड़ी खडीन	6.	धुबली खडीन
7.	रोडवा खडीन	8.	मंडली खडीन
9.	वरियां खडीन	10.	सावुनी चरणो वाला खडीन
11.	बाढ़-बचाव कार्य सराणा	12.	खेड़ बाढ़ बचाव
13.	नाकोड़ा बांध		

(134)

परिशिष्ट 3

तारांकित प्रश्न संख्या 62 की सूची

सूची—1

उचित मूल्य दुकानदार बीकानेर, गंगाशहर व भीनासर

क्र.सं. 1	नाम उचित मूल्य दुकानदार 2	वार्ड नं. 3
1.	श्री पूनमकिशोर शर्मा	1 नयाशहर
2.	श्री शंकरलाल तिवाड़ी	1 नयाशहर
3.	श्री सुखदेवदास व्यास	2 नयाशहर
4.	श्री भंवरलाल जोशी	2 नयाशहर
5.	श्री शंकरलाल पारीक	2 पाबूबारी के अन्दर
6	श्री गणेश उ. उप. भण्डार	3 बिनाणी चौक
7.	श्री गोपालदास बिस्सा	3 दुजारी चौक
8.	श्री मोहम्मद इब्राहीम	4 कुम्हारों का मोहल्ला
9.	श्री हिम्मतलाल परमार	4 प्रकाश चित्र के पीछे
10.	श्री रामकिशन ओझा	5 सिकों का मोहल्ला
11.	श्री उमरदीन	5 जोशी वाड़ा
12.	वार्ड नं. 5 सह. उप. भण्डार	5 सिकों का मोहल्ला
13.	श्री मोहम्मद आरिफ मो. शरीफ	6 लुहारान
14.	रिद्वी सिद्धि भण्डार	6 लुहारान
15.	वार्ड नं. 6 सह. उप. भण्डार	7 रामपुरिवान
16.	,, ,,	7 ,,
17.	श्री मुरलीधर छगाणी	8 लखोटियों का चौक
18.	श्री घनश्याम पारीक	8 मूंधडा चौक
19.	श्री विश्वनाथ व्यास	9 रघनाथसर कुआ
20.	श्री आदित्याकुमार	9 साले की होली
21.	श्री दिनेश सह. उप. भण्डार I	10 नायूसर गेट के अन्दर
22.	,, ,, II	10 सूरदासानी गली
23.	श्रीमती जाना देवी	11 रतानी व्यासों का चौक
24.	श्री नन्दलाल भंवरलाल	11 आचार्यों का चौक
25.	श्री विष्णुदत्त आचार्य	12 आसानी चौक
26.	श्री इन्द्र कुमार खजान्वी	13 मुकीम बोथरा

135

1	2	3
27.	श्री बीकानेर उद्योग भण्डार	13 मुड़ियामाली
28.	श्री आशाराम अग्रवाल	14 वेगनी चौक
29.	श्री श्याम सुन्दर पारीक	14 गुजरान
30.	वार्ड नं. 14 सह. उप. भण्डार	14 सुनारान
31	वार्ड नं. 15 सह. उप. भण्डार	15 बागड़ियों का चौक
32.	श्री धनपतकुमार जैन	15 गूजरों का मोहल्ला
33.	श्री शेर मोहम्मद अलादीन	16 हमालों का मोहल्ला
34.	श्री रामकिशन लक्ष्मनदास	16 घास मण्डी
35.	श्री अहमद अलादीन	17 छीपों का मोहल्ला
36	श्री जुगलकिशोर आचार्य	17 लक्ष्मीनाथमलजी घाटी
37.	श्री बजरंगलाल आचार्य	18 सिटी बैंक के पास
38	श्री भवानीशंकर आचार्य	18 दर्जियों की गुवाड़ी
39.	श्री जय मरुधर सह. उप. भण्डार	19 सुराणों का मोहल्ला
40.	श्री जय मरुधर सह. उप. (ब्रांच)	19 ,, ,,
41.	श्री आदर्श सह. उप. भण्डार	20 भाटों का बास
42.	श्री शान्तिकुमार व्यास	20 ईदगाह बारी बाहर
43.	श्री रामचन्द्र पुरोहित	20 उस्तों की बारी बाहर
44.	श्री शराफत फारुख एण्ड जलालुदीन	21 व्यापारियान का मोहल्ला
45.	वार्ड नं. 21 सह. उप. भण्डार	21 ,, ,,
46.	श्री पाबूबारी सह. उप. भण्डार	21 पाबूबारी
47.	श्री इलमुदीन अमीरदीन	21 व्यापारियान
48.	श्री आर. के. व्यास	22 जस्सूसरगेट
49.	श्री करणसिंह	22 ,,
50.	श्री सुन्दरलाल श्रीमाली	22 नायक बस्ती
51.	श्री देवकिशन मेघराज	23 कमला कालोनी
52.	श्री रमजान अली इब्राहीम खिलजी	24 हरिजन बड़ी गुवाड़ी
53.	श्री रामलाल कन्हैयालाल	24 फड़बाजार
54.	श्री हाजी सफी मोहम्मद	24 फड़बाजार
55.	श्री वार्ड नं. 27 सह. उप. भण्डार	24 तेलियों की मस्जिद के पास
56.	वार्ड नं. 27 सह. उप (ब्रांच)	24 ,, ,,
57.	श्री महावीर प्रसाद सिकलीघर	25 सिकलीघरान फड़बाजार
58.	श्री माणकचन्द सेठिया	25 फड़बाजार
59.	श्री गुलाबचन्द अशोककुमार	26 वकीलों की गली चौतीनाकुआं

135

2	3
60. श्री मोहनलाल भैरूदान	26 फड़बाजार
61. श्री मोडाराम मोची	26 रतन सागर कुआ
62. बीकानेर मेडिकल कर्म. सह. सं.	27 लालगढ़ रेल्वे कालोनी
63. ,, ,, (ब्रांच)	27 ,, ,,
64. श्री भंवरलाल महात्मा	27 रेल्वे रनिंग शेड लालगढ़
65. श्री मुखत्यार अहमद	27 सुभाषपुरा
66. श्री रामपुरा सह. उप. भण्डार	28 रामपुरा बस्ती लालगढ़ के पास
67. श्री शिवदास सत्यनारायण	28 अनाथालय के पीछे
68. श्री सत्यनारायण जोशी	28 सुभाषपुरा
69. श्री लियाकत अली	28 पंजाब गिरान
70. श्री भूरसिंह भीमसिंह	29 धावड़ियान का मोहल्ला
71 श्री भंवरलाल पीण्टेशकुमार	29 पंवारसर कुए के पास
72. श्री भीखमखां	30 भुट्टों का बास
73. वार्ड नं. 30 सह. उप. भण्डार	30 इन्द्रा कालोनी
74. श्री प्रवीणकुमार	30 ,,
75. वार्ड नं. 23 सह. उप. भण्डार	31 कोरियान मोहल्ला
76. श्री मालचन्द जोशी	31 महाजन डेरे के पास
77. श्री प्यारेलाल खड़गावत	31 पुरानी गिनाणी
78. श्री हनुमानहत्था सह. उप. (ब्रांच)	31 हनुमान हत्था
79. श्री हनुमान हत्था सह. उप. भण्डार	32 ,,
80. श्री सुरेश कुमार खत्री	32 ,,
81. श्री ताराचन्द मेघवाल	33 सादुलगंज
82. श्री ख्यालीराम अरोड़ा (अस्थाई)	33 सादुल कालोनी
83. श्री मुनीर अली	34 माजीसा का बास
84. श्री मुकेशकुमार	34 सिटी स्कूल के सामने
85. श्री ख्यालीराम	34 सादुल कालोनी
86. श्री सैनिक सह. उप. भण्डार	34 सिविल लाइन
87. श्री गोपालदास पणिया	34 सादुल कालोनी
88. श्री सुशील कुमार अरोड़ा	35 रानी बाजार
89. श्री विजय सह. उप. भण्डार (ब्रांच)	35 रानी बाजार
90. श्री ऋषि कुमार	36 सिटी स्कूल के सामने
91. श्री भगवानदास मोदी	36 माल गोदाम
92. श्री विजय सह. उप. भण्डार	37 जेल का कुआं

1	2	3
93.	श्री पूनमचन्द मेघवाल	37 जेल का कुआं
94.	श्री सतीश कुमार कोहली	38 रानी बाजार गंगाशहर
95.	श्री कन्हैयालाल गुप्ता	38 धोबी तलाई
96.	श्री अल्लाबक्श सोढ़ा	38 धोबी तलाई
97.	श्री शंकरलाल गहलोत	39 पंचमुख हनुमानजी
98.	श्री नन्दकिशोर खत्री	39 छींपों का मोहल्ला
99.	श्री भंवरलाल हरिजन	39 हरिजन मोहल्ला
100.	वार्ड नं. 35 सह. इण्ड. ब्रांच	39 इण्डस्ट्रियल एरिया
101.	श्री दामोदरलाल पारीक	40 बंगाली मन्दिर के पास रानीबास
102.	वार्ड नं. 35 इण्डस्ट्रियल एरिया	40 इण्डस्ट्रियल एरिया
103.	श्री रामदेव राजेन्द्रकुमार	40 श्री हरिराम मंदिर इण्ड. एरिया
104.	,, सज्जन सह. उप. भ., गंगाशहर	1,2,3 पाबू चौक गंगाशहर
105.	,, आनन्दप्रकाश गंगाशहर	12 बोथरों का चौक गंगाशहर
106.	,, गोपालराम पुत्र जीयाराम	4-5 पुरानी लाइन गंगाशहर
107.	,, महावीरप्रसाद गंगाशहर	7 गंगाशहर मुख्य सड़क
108.	,, इन्द्रकुमार गंगाशहर	6 कुम्हारों का मोहल्ला गंगाशहर रोड
109.	,, श्रीगोपाल पुत्र मोहनलाल	10-11 नई लाइन गंगाशहर
110.	,, बाबूलाल सेठिया गंगाशहर	8-9 पुरानी लेन गंगाशहर
111.	,, भंवरलाल बांठियां	12 लूणिया चौक, गंगाशहर
112.	,, बाबूलाल/चुनाराम	भीनासर
113.	,, भीनासर स. उ. भ., भीनासर	भीनासर बांठियां गली भीनासर
114.	,, आसाराम पुत्र नरसिंहदास	भीनासर मुख्य सड़क भीनासर
115.	,, हीरानन्द मेघवाल	भीनासर चोतीना कुआं के पास भीनासर

उचित मूल्य दुकानदार, तहसील बीकानेर

क्र. सं.	नाम उचित मूल्य दुकानदार	नाम ग्राम
1	2	3
1.	श्री अमीर खां	धोधा
2.	682 आर. डी. ग्राम सेवा सह. समिति	करणीसर भाटियान
3.	श्री लंगरखां	बरजू

138

1	2	3
4.	श्री रामकिशन ग्राचार्य	जयमलसर
5.	ग्राम सेवा सह्. समिति, बदरासर	कावनी
6.	श्री ग्रमरराम गजाराम ब्राह्मण	कालासर
7.	श्री पेमाराम कतरियासर	कतरियासर
8.	ग्राम सेवा सह. समिति, कानासर	हुसंगसर
9.	श्री सुन्दरराम पूर्णाराम मेघवाल	भैंरूपांवां
10.	श्री मंगलाराम पुत्र लक्ष्मणराम	राजेरा
11.	श्री शिवनारायण भागीरथराम	खारड़ा
12.	श्री कुशलाराम किलचू	किलचू
13.	श्री चुनाराम नारायण राम	लालमदेसर
14.	श्री पन्नाराम नवलाराम	वासी
15.	श्री पेमसिंह रावतसिंह	रायसर
16.	श्री उदाराम/द्वारकादास	श्रीरामसर
17.	श्री लक्ष्मीनारायण/रामलाल	देशनोक
18.	श्री जेठमल खत्री	शिववाडी
19.	ग्राम सेवा सह. समिति	धारूसर
20.	देशनोक प्राथमिक उप. भण्डार	देशनोक
21.	बीकानेर कोयला, क्रय वि स.स. नापासर	नापासर
22.	" " (ब्रांच)	नापासर
23.	ग्राम सेवा सह. समिति बरसिहसर (ग्रस्थाई)	पलाना
24.	पुगल तहसील क्रय विक्रय सह. स.	दन्तौर
25.	पुगल तहसील क्रय विक्रय सह. स.	पुगल
26.	बेरियांवाली क्रय विक्रय सह. स.	खपजूवाला
27.	ग्राम सेवा सह. स., ग्रमरपुरा	ग्रमरपुरा
28.	ग्राम सेवा सह. स., छत्रगढ़	छत्रगढ़
29.	ग्रम सेवा सह. स., सतासर	सतासर
30.	ग्राम सेवा सह. स., ककराला	ककराला
31.	ग्राम सेवा सह. समिति, मोतीगढ़	मोतीगढ़
32.	ग्राम सेवा सह. समिति, बदरासर	बदरासर
33.	ग्राम सेवा सह. समिति, जालवाली	जालवाली
34.	ग्राम सेवा सह. समिति, जामसर	जामसर
35.	ग्राम सेवा सह. समिति, मालासर	मालासर
36.	ग्राम सेवा सह. समिति, कानासर	कावासर

(139)

1	2	3
37.	रूणिया बड़ावास ग्राम सेवा सह. समिति	रूणिया बड़ावास
38.	,, ,, ,,	शेरेरां
39.	ग्राम सेवा सह. समिति, सींथल	सींथल
40.	ग्राम सेवा सह. समिति, सींथल	बेलासर
41.	ग्राम सेवा सह. समिति	मूडसर
42.	ग्राम सेवा सह. समिति, केसरदेसर जाटान	केसरदेसर जाटान
43.	,, गाढ़वाला	गाढ़वाला
44.	,, गुसांईसर	गुसांईसर
45	,, नौरंगदेसर	नौरंगदेसर
46.	,, श्राम्बासर	श्राम्बासर
47.	,, केसरदेसर जाटान	रामसर
48.	,, बर्रसिंहसर	बर्रसिंहसर
49.	,, उदयरामसर	उदयरामसर
50 .	उदासर	उदासर
51.	,, देवकुण्डसागर	रिडमलसर पुरोहितान
52.	श्री गोरधनराम	रिडमलसर सिपाहियान
53.	ग्राम सेवा सहकारी समिति, बम्बलू	बम्बलू
54.	ग्राम सेवा सहकारी समिति, नोपासर	नोपासर
55.	,, ,, कोलासर	कोलासर
56.	श्री जमालदीन	देशनोक
57.	श्री उदाराम द्वारकादास	सुजानदेसर

उचित मूल्य दुकानदार तहसील लूणकरणसर

क्र. सं.	नाम उचित मूल्य दुकान	नाम ग्राम
1	2	3
1.	ग्राम सेवा सहकारी समिति, सोढवाली	सोढवाली
2.	राजासर भाटियान ग्राम सेवा सहकारी समिति	केला
3.	श्री फूसराम पुत्र रेखाराम जाट	मोटासर
4.	श्री श्रीराम पुत्र ईसरराम जाट	अजीतमाना
5.	श्री कालूराम पुत्र भैराराम	जागीर
6.	श्री रामचन्द्र पुत्र चुनाराम	खानीसर

140

1	2	3
7.	महाजन ग्राम सेवा सह. समिति, महाजन	महाजन
8.	,, ,, (ब्रांच)	महाजन
9.	श्री ठाकुरराम पुत्र मानाराम	रामबाग
10.	श्री अर्जनसर ग्राम सेवा सह. समिति, अर्जनसर	रामबाग
11.	श्री लाधूपुरी पुत्र केसरपुरी	शेरपुरा
12.	ग्राम सेवा सहकारी समिति, जैतपुर	जैतपुर
13.	ग्राम सेवा सह. समिति सुंई	सुंई
14.	कपूरीसर ग्राम सेवा सह. समिति, कपूरीसर	कपूरीसर
15.	नाथवाना ग्राम सेवा सह. समिति, नाथवाना	नाथवाना
16.	शेखसर ग्राम सेवा सह. समिति	शेखसर
17.	राजासर उर्फ करनीसर ग्राम सेवा सह. समिति	राजासर उर्फ करनीसर
18.	ग्राम सेवा सह. समिति छट्टासर	गारवदेसर
19.	ग्राम सेवा सह. समिति, रांवासर	रांवासर
20.	कालू ग्राम सेवा सह. समिति, कालू	कालू
21.	हांसेरा ग्राम सेवा सह. समिति, सहजरासर	कुजटी
22.	जैसां ग्राम सेवा सह. समिति, जैसां	धीरेरागांव
23.	हांसेरा ग्राम सेवा सह. समिति ब्रांच सहजरासर	हांसेरा
24.	लूणकरणसर सह. क्रय विक्रय सह. समिति	सुरनाणा
25.	रोझां ग्राम सेवा सह. समिति, रोझां	रोझां
26.	लूणकरणसर क्रय वि. सह. समिति, लूणकरसर	काकड़वाला
27.	कुभाणा ग्राम सेवा सह. समिति, कुभाणा	कुभाणा
28.	श्री नत्थूराम/अन्नाराम खोखराना	खोखराना
29.	श्री गंगाराम/सेडूराम	खीयेरा
30.	श्री फूसराम/रामधन जाट	खोखराना
31.	लूणकरणसर सह. क्रय विक्रय स. स. लूणकरणसर	लूणकरणसर
32.	,, ,, (ब्रांच)	,,
33.	श्री दानाराम पुत्र रामूराम, कानोलाई	कानोलाई
34.	1 के. एम. ग्राम सेवा सह. समिति	महादेववाली
35.	ग्राम सेवा सह. समिति, राणेर	कानोलाई
36.	ग्राम सेवा सह. समिति खारबारा	खारबारा

(१५८)

उचित मूल्य दुकानदार तहसील नोखा

क्र.सं.	नाम उचित मूल्य दुकानदार	नाम ग्राम
1	2	3
1.	ग्राम सेवा सहकारी समिति, जागोर	जयसिंहदेसर
2.	श्री ताराचन्द/मस्ताराम	,,
3.	श्री जसूराम	पिथेरासर
4.	श्री सहीराम विश्नोई	ढिंगसरी
5.	श्री गणेशराम/रामचन्द्र	घरनोक
6.	श्री आसूराम/मंगलाराम	नाथूसर
7.	श्री विशनसिंह	रासीसर
8.	श्री घूड़ाराम	पांचू
9.	श्री मोडाराम/केशराम	भादला
10.	श्री सतूराम जाट	सोभाणा
11.	ग्राम सेवा सहकारी समिति, सारण्डा	सारण्डा
12.	श्री कानाराम	सांधूना
13.	श्री बस्तीराम	चिताणावासी
14.	ग्राम सेवा सहकारी समिति, ककू	ककू
15.	श्री मोहनराम	कूदसू
16.	श्री मानाराम	,,
17.	श्री सूखाराम	शेखासर
18.	श्री मोतीराम	हंसासर
19.	ग्राम सेवा सहकारी समिति, भामटसर	भामटसर
20.	,, ,, जांगलू	जांगलू
21.	श्री चेनाराम/विशनाराम	देसलसर
22.	श्री रुघनाथसिंह	,,
23.	ग्राम सेवा सहकारी समिति, नोखागांव	नोखागांव
24.	,, ,, रोड़ा	रोड़ा
25.	,, ,, जोरावरपुरा	बीकासर
26.	श्री रामसिंह कवलीसर	चाकूडा
27.	श्री मेघसिंह	दावा
28.	श्री मूलाराम	सिलवा
29.	ग्राम सेवा सह. समिति, सुरपुरा	सुरपुरा
30.	,, रासीसर	रासीसर
31.	,, उदासर	उदासर

1	2	3
32.	श्री मानाराम/हेमाराम जाट	रायसर
33.	श्री पदमाराम दासनु	दासनू
34.	श्री रामचन्द्र/श्रीराम	सौमलसर
35.	श्री बालूराम, अणखीसर	अणखीसर
36.	ग्राम सेवा सह. समिति, सुरपुरा	सिंजगुरू
37.	ग्राम सेवा सह. समिति, नोखागांव	सलूडियां
38.	श्री लिछमनराम	गजरूपदेसर
39.	ग्राम सेवा सह. समिति, गोरखाना	गोरखाना
40.	श्री किस्तुराराम	बेरासर
41.	श्री दुर्गाराम देवाराम	बेरासर
42.	श्री पुरखाराम/चेतनराम जाट	कुचार आथूणी
43.	ग्राम सेवा सह. समिति, कुचौर आथूणी	वनिया
44.	ग्राम सेवा सह. समिति, कुचौर आथूणी	कुचौर अगूणी
45.	ग्राम सेवा सह. समिति, साघासर	साघासर
46.	श्री हेमाराम पुत्र अमराराम, उतमामदेसर	उतमामदेसर
47.	श्री नारायणराम पुत्र अर्जुनराम, मंसूरी	मंसूरी
48.	ग्राम सेवा सह. समिति, जसरासर	जसरासर
49.	ग्राम सेवा सह. समिति, जसरासर (ब्रांच)	जसरासर
50.	श्री किसनाराम	उडूसर
51.	ग्राम सेवा सह. समिति, कूरजड़ी	कूरजड़ी
52.	श्री केसराराम, सिनियाला	सिनियाला
53.	ग्राम सेवा सह. समिति काकड़ा	काकड़ा
54.	श्री हंसराम पुत्र पोथाराम	थावरिया
55.	श्री श्रवणराम पुत्र हीराराम जाट	झाड़ेली
56.	श्री गंगाराम बजाज	हिमतसर
57.	श्री गंगाराम बजाज	मुकाम
58.	ग्राम सेवा सह. समिति, गजसुखदेसर	गजसुखदेसर
59.	श्री घूड़सिंह	बिलनियासर
60.	श्री पुरखाराम, मनसुखराम	मेनसर
61.	श्री रामूराम, जेसलसर	जेसलसर
62.	श्री भीखसिंह	गुन्दूसर
63.	श्री करणीसिंह धूपालिया	,,
64.	ग्राम सेवा सहकारी समिति, बाधनू	बाधनू

1	2	3
65.	श्री सुखाराम कुम्हार	बाघनू
66.	श्री रामकरण	लालमदेसर
67.	श्री जयकिशन राठी	नगरपालिका नोखा
68.	श्री सीताराम शर्मा	"
69.	श्री सुरजमल माहेश्वरी	"
70.	नोखा क्रय विक्रय सह. समिति, नोखा	"
71.	" " (ब्रांच)	"
72.	जोरावरपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति	"
73.	नोखा नगर सह. उप. भण्डार	"
74.	श्री धर्माराम/रामदेव	"
75.	विकलांग कल्याण सहकारी समिति	"
76.	ग्राम सेवा सहकारी समिति, कक्कू (ब्रांच)	कक्कू

उचित मूल्य दुकानदार तहसील कोलायत

क. सं.	नाम उचित मूल्य दुकानदार	नाम ग्राम
1	2	3
1.	ग्राम सेवा सहकारी समिति, सुरजड़ा	सुरजड़ा
2.	ग्राम सेवा सहकारी समिति, खारीचारनान	खारीचारनान
3.	ग्राम सेवा सहकारी समिति, गजनेर	गजनेर
4.	श्री भीखसिंह, भोलासर	भोलासर
5.	श्री भीखसिंह	हाड़ला रावलोतान
6.	ग्राम सेवा सहकारी समिति, अकासर	अकासर
7.	श्री अलसीराम मेघवाल	चानी
8.	ग्राम सेवा सहकारी समिति, झझू	झझू
9.	" कोलायत	कोलायत
10.	" सियाणा	सियाणा
11.	" दासोड़ी	दासोड़ी
12.	" खीन्दासर	खीन्दासर
13.	" हुदां	हुदां
14.	" दियातरा	दियातरा
15.	" बीठ्नोक	बीठ्नोक

1	2	3
16.	(बहुउद्देशीय सह. समिति) अस्थाई	गुड़ा
17.	ग्राम सेवा सह. समिति, भाणोकागांव	भाणोकागांव
18.	,, गडियाला	गडियाला
19.	श्री सांवतसिंह/बलवन्तसिंह	ग्रान्धी
20.	ग्राम सेवा सहकारी समिति, नोखड़ा	गिराजसर
21.	ग्राम सेवा सहकारी समिति, नोखड़ा	नोखड़ा
22.	श्री भंवरसिंह	सेवड़ा
23.	ग्राम सेवा सहकारी समिति, नगासर	नगासर
24.	ग्राम सेवा सहकारी समिति, बीकमपुर	बीकमपुर
25.	ग्राम सेवा सहकारी समिति, गौडू	गौडू
26	श्री भारमल	फूलासर बड़ा
27.	श्री सांवलाराम	बेरासर
28.	ग्राम सेवा सहकारी समिति, नोखड़ा (अस्थाई)	माणकासर
29.	श्री देवकिशन बीजेरी	शेरवाला
30.	श्री उदादास मोतीमल	तँवरावाला
31.	ग्राम सेवा सहकारी समिति, बरसलपुर	बरसलपुर
32.	ग्राम सेवा सहकारी समिति, बज्जू	बज्जू
33.	श्री रामेश्वरलाल/मोहनलाल	बांगड़सर
34.	श्री शिवनाथराम	मिठड़िया
35.	ग्राम सेवा सहकारी समिति, भाणेकागांव	भाणेकागांव

सूची–2

1.	सहकारी समितियों के पास	144
2.	निजी व्यक्तियों के पास	175
	योग:—	319

सूची–3

बीकानेर जिले को आवंटित गेहूं, चीनी, कपड़ा एवं सीमेन्ट का विवरण

वर्ष	गेहूं (माला टनों में)	चीनी (मात्रा टनों में)	कपड़ा (मात्रा गांठों में)	सीमेन्ट (मात्रा टनों में)
1980–81	12,250	3512.9	364.5	4410
1981–82	11,409.6	3429.9	246.5	4410
1982–83	16,684	4134.9	84.5	2283

145

बीकानेर जिले में तहसीलवार व मदवार आवंटन का विवरण

वर्ष 1980–81	गेहूं (मात्रा टनों में)	चीनी (मात्रा टनों में)	कपड़ा (मात्रा गांठों में)	सीमेन्ट (मात्रा टनों में)
1. बीकानेर शहर गंगाशहर भीनासर	5387.1	1454.9	197.5	1644
2. तहसील बीकानेर	2306.1	783.4	56	919.5
3. तह. लूणकरणसर	1114.7	481.6	33	405
4. तह. नोखा	2325.4	851.1	53	792
5. तह. कोलायत	1116.7	385.7	25	362
योग:–	12,250.0	3956.7	364.5	4122.5
वर्ष 1981–82				
1. बीकानेर शहर गंगाशहर, भीनासर	4963.4	1457.9	116.5	1,392.5
2. तह. बीकानेर	2035.8	790.2	9	661.5
3. तह. लूणकरणसर	1,341.6	458.3	25	375
4. तह. नोखा	2563.6	783	42	717
5. तह. कोलायत	1505.2	406.9	54	315
योग:–	11409.6	3896.3	246.5	3461
वर्ष 1982–83				
1. बीकानेर शहर गंगाशहर, भीनासर	6100	1395.5	33.5	343
2. तह. बीकानेर	2350	757.1	5	404
3. तह. लूणकरणसर	800	439.3	5	150
4. तह. नोखा	3300	729.7	28	325
5. तह. कोलायत	1834	307.8	13	103
योग:–	14,484	3629.4	84.5	1325

सूची 4

आवेदन-पत्रों एवं प्राथमिकता के आधार पर जारी आदेश की प्रतियां

प्रतिलिपि आवेदन-पत्र देशनोक प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार लि.

प्रपत्र (क)

[खण्ड 3 (3) देखिये]

प्राधिकृत थोक विक्रता प्राधिकृत उचित मूल्य दुकानदार के लिए प्राधिकार हेतु आवेदन :

1. आवेदक का नाम/पिता के नाम सहित	
2. आवेदक का पता——	देशनोक प्राथमिक सह. उप. भण्डार लि.
3. फर्म/कम्पनी/सहकारी भण्डार का नाम——	देशनोक भण्डार लि.
4. स्वत्वधारी/भागीदार/प्रबन्ध निदेशक/अध्यक्ष का नाम——	देशनोक प्राथमिक सह. उप. भण्डार, धनपतराम मंत्री, देशनोक प्राथमिक सह. उप. भण्डार, श्री भंवरदान, अध्यक्ष।
5. निम्नलिखित की पूर्ण विशिष्टियां——	
1. मुख्य कार्यालय——	देशनोक।
2. कारबार परिसर——	सदर बाजार देशनोक, कोठारी भवन, देशनोक।
3. गोदाम——	सदर बाजार।
6. क्या आवेदक पहले ही खाद्यान्नों एवं अन्य आवश्यक पदार्थों का व्यापार कर रहा है ? यदि हां, तो किस हैसियत से——	नहीं
7. खाद्यान्नों एवं अन्य आवश्यक पदार्थों में वर्तमान स्रोत——	राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत होलसेल भण्डार व क्रय-विक्रय समिति
8. आवेदन की तारीख को खाद्यान्नों एवं अन्य आवश्यक पदार्थों का स्टॉक और वे स्थान जहां भण्डारण किया गया है	नहीं
9. उपर्युक्त 5 पर वर्णित परिसरों/गोदामों में आवेदक द्वारा चलाया जा रहा अन्य कारबार——	नहीं
10. क्या ऊपर वर्णित परिसरों में आवेदक खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग द्वारा जारी की गई कोई अन्य अनुज्ञप्ति	नहीं

1५७

धारित करता है। यदि ऐसा है तो उसका पूर्ण विवरण दें।

11. क्या आवेदक को भूतकाल में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन किसी भी अपराध के लिए सिद्ध दोषी ठहराया गया है यदि ऐसा है तो उसका ब्यौरा––	नहीं
12. क्या आवेदक के कब्जे में पर्याप्त वित्तीय स्रोत हैं विशेषतः खाद्यान्नों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं का कारबार करने हेतु––	20000/– रु. सामिति को Hypothication limit Sanction के पत्रादि भिजवाए जा रहे हैं।

13. मैं/हम घोषणा करते हैं कि मेरी/हमारी सर्वोतम जानकारी के अनुसार विशिष्टयां हैं और उसमें कुछ भी नहीं छिपाया गया है।

मैंने/हमने राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थों के वितरण का अधिनियम आदेश, 1976 के उपबन्धों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया है और मैं/हम उस आदेश के उपबन्धों तथा समय-समय पर तदधीन जारी निर्देशों का पालन करूंगा/करेंगे।

ह./–
(भंवरदान)
आवेदक के हस्ताक्षर
(अध्यक्ष)

प्रतिलिपि आवेदन-पत्र श्री जमालदीन, देशनोक।

प्रपत्र (क)

[खण्ड 3(3) देखिये]

प्राधिकृत थोक विक्रेता प्राधिकृत उचित मूल्य दुकानदार के लिये प्राधिकार हेतु आवेदन

1. आवेदक का नाम/पिता के नाम सहित–	श्री जमालदीन पुत्र शफीरखां
2. आवेदक का पता–	वार्ड नं. 3, देशनोक
3. फर्म/कम्पनी/सहकारी भण्डार का नाम–	जमालदीन, देशनोक
4. स्वत्वधारी/भागीदार/प्रबन्धक निदेशक/अध्यक्ष का नाम–	खुद का

5. निम्नलिखित की पूर्ण विशिष्टयां–

1. मुख्य कार्यालय–	देशनोक
2. कारबार परिसर–	खुद का मकान, वार्ड नं. 3
3. गोदाम–	देशनोक
6. क्या आवेदक पहले ही खाद्यान्नों एवं अन्य आवश्यक पदार्थों का व्यापार कर रहा है, यदि हां, तो किस हैसियत से–	
7. खाद्यान्नों एवं अन्य आवश्यक पदार्थों में वर्तमान स्रोत –	नया कार्यक्रम आवंटन के अनुसार
8. आवेदन की तारीख को धारित खाद्यान्नों एवं अन्य आवश्यक पदार्थों का स्टाक और वे स्थान जहां भण्डारण किया गया है–	–
9. उपर्युक्त 5 पर वर्णित परिसरों/गोदामों में आवेदक द्वारा चलाया जा रहा अन्य कारबार –	–
10. क्या ऊपर वर्णित परिसरों में आवेदक खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग द्वारा जारी की गई कोई अन्य अनुज्ञप्ति धारित करता है। यदि ऐसा है तो उसका पूर्ण विवरण दें	नहीं
11. क्या आवेदक को भूतकाल में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन किसी भी अपराध के लिये सिद्ध दोषी ठहराया गया है यदि ऐसा है तो उसका ब्यौरा–	नहीं
12. क्या आवेदक के कब्जे में पर्याप्त वित्तीय स्रोत हैं विशेषतः खाद्यान्नों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं का कारबार करने हेतु।	30,000/–

13. मैं/हम घोषणा करते हैं कि मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार विशिष्टियां है और उसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

मैंने/हमने राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थों के वितरण का अधिनियम आदेश, 1976 के उपबन्धों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया है और मैं/हम उस आदेश के उपबन्धों तथा समय-समय पर तद्धीन जारी निर्देशों का पालन करूंगा/करेंगे।

ह./–

(जमालदीन)

आवेदक के हस्ताक्षर

(149)

प्रतिलिपि आवेदन-पत्र श्री केशूराम देशनोक

प्रपत्र (क)

[खण्ड 3 (3) देखिये]

प्राधिकृत थोक विक्रेता प्राधिकृत उचित मूल्य दुकानदार के लिये प्राधिकार हेतु आवेदन

1. आवेदक का नाम/पिता के नाम सहित–	केशूराम पुत्र श्री मोडा-राम मेघवाल
2. आवेदक का पता–	श्री करणी इन्द्रा बस्ती चुंगी चौकी के पास
3. फर्म/कम्पनी/सहकारी भण्डार का नाम–	सस्ते अनाज की दुकान वार्ड नं. 10
4. स्वत्वधकारी/भागीदार/प्रबन्ध निदेशक/अध्यक्ष का नाम–	स्वयं
5. निम्नलिखित की पूर्ण विशिष्टियां–	
1. मुख्य कार्यालय –	देशनोक
2. कारबार परिसर–	
3. गोदाम	
6. क्या आवेदक पहले ही खाद्यान्नों एवं अन्य आवश्यक पदार्थों का व्यापार कर रहा है, यदि हां तो, किस हैसियत से ?	नया कार्य करना चाहता हूँ
7. खाद्यान्नों एवं अन्य आवश्यक पदार्थों में वर्तमान स्त्रोत-	
8. आवेदक की तारीख को धारित खाद्यान्नों एवं अन्य आवश्यक पदार्थों का स्टाक और वे स्थान जहां भण्डारण किया गया है।	
9. उपर्युक्त 5 पर वर्णित परिसरों/गोदामों में आवेदक द्वारा चलाया जा रहा अन्य कारबार–	
10. क्या ऊपर वर्णित परिसरों में आवेदक खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग द्वारा जारी की गई कोई अन्य अनुज्ञप्ति धारित करता है। यदि ऐसा है तो उसका पूर्ण विवरण दें।	
11. क्या आवेदक को भूतकाल में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन किसी भी अपराध के लिये सिद्ध दोषी ठहराया गया है यदि ऐसा है तो उसका ब्यौरा–	

12. क्या आवेदक के कब्जे में पर्याप्त वित्तीय स्रोत हैं विशेषतः खाद्यान्नों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं का कारबार करने हेतु। 20,000/- रु.

13. मैं/हम घोषणा करते हैं कि मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार विशिष्टियां हैं और उसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

मैंने/हमने राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थों के वितरण का अधिनियम आदेश, 1976 के उपबन्धों को सावधानी पूर्वक पढ़ लिया है और मैं/हम उस आदेश के उपबन्धों तथा समय-समय पर तद्धीन जारी निर्देशों का पालन करूंगा/करेंगे।

ह/-
(केशूराम मेघवाल)
आवेदक के हस्ताक्षर

राजस्थान सरकार

(खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग)

क्रमांक एफ. 13 (23) (खा.वि.)।आवंटन।77 जयपुर दिनांक 10-5-82

आदेश

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (प्रशासनिक सुधार अनुभाग–5) की आज्ञा संख्या पं. 36 (3) प्र. स.।1।79 द्वारा दिनांक 24-11-79 द्वारा उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन हेतु गठित जिला स्तरीय समितियों की दिनांक 5-11-81 को शासन सचिवों की बैठक में लिए गये निर्णयानुसार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की आज्ञा संख्या प. 7 (26) प्र. सु.।5।81, दिनांक 5-12-81, से भंग कर दिया गया है।

कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 24-11-79 में जिला स्तरीय समितियों के गठन के अतिरिक्त उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन के लिए प्राथमिकतायें भी निर्धारित की गई थीं, जो कार्मिक विभाग के सम संख्या आदेश दिनांक 4-3-81 द्वारा संशोधित की गई है। जिला स्तरीय समितियों को भंग किये जाने के फलस्वरूप अब उचित मूल्य की दुकानों के सम्बन्ध में निम्नांकित दिशा निर्देश दिये जाते हैं :—

1. आवंटन में प्राथमिकताएं :

(अ) सहकारी समितियां जिनकी वित्तीय स्थिति अच्छी है तथा जिनके विरुद्ध कोई गंभीर शिकायतें नहीं हैं।

(ब) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन-जाति के व्यक्ति।

(स) अन्य अल्प संख्यक समुदायों के व्यक्ति।

(द) पिछड़े वर्ग (बैकवर्ड क्लाजेज) के व्यक्ति।

(क) भूतपूर्व सैनिक एवं उनकी विधवायें।

(ख) निजी व्यक्ति जो अन्य कोई व्यापार नहीं करते हैं तथा जीवन-यापन के लिए मूल रूप से उचित मूल्य की दुकान पर निर्भर रहेंगे।

संख्या ब से ख प्राथमिकता क्रमों में शिक्षित बेरोजगार नवयुवक एवं ऐसे विकलांग जो शारीरिक एवं अन्य सभी दृष्टियों से दुकान संचालन हेतु सक्षम हों, को प्राथमिकता दी जावेगी। शिक्षित बेरोजगार एवं विकलांगों के लिये यह प्राथमिकता सभी क्रमों को मिलाकर आवंटन की जाने वाली दुकानों के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

सहकारी समितियों के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक, सहकारी समितियों की राय भी ली जावेगी। वैसे सभी वर्गों के लिए यह आवश्यक है कि स्वयं दुकान चलाने के सक्षम हों एवं दुकान बेनामी प्राप्त न की जावे।

2. आवंटन प्रक्रिया :

(अ) आवंटन के पूर्व प्रार्थना-पत्र अखबारों एवं अन्य प्रचार माध्यम से आमंत्रित किये जाने चाहिये।

(ब) एक परिवार में एक से अधिक व्यक्ति को दुकान आवंटित नहीं की जावेगी।

(स) आवंटी का चाल-चलन अच्छा हो एवं आवश्यक वस्तुओं से सम्बन्धित कानूनों के अन्तर्गत कभी न्यायालय द्वारा दंडित नहीं किया गया हो उसे पूर्व में आवंटित उचित मूल्य की दुकान का प्राधिकार पत्र दोषी पाये जाने के कारण निरस्त नहीं किया गया हो।

(द) आवंटित की जाने वाली दुकानों की संख्या की यथा सम्भव 10% प्रतीक्षा सूची तैयार की जावेगी। प्राथमिकता क्रम से इस प्रतीक्षा सूची में से तात्कालिक आवश्यकता (किसी कार्यरत दुकान का निलंबन/निरस्तीकरण अथवा अन्य अस्थाई व्यवस्था किया जाना) होने पर कार्य लिया जावेगा।

(क) प्रतीक्षा सूची में से यदि कोई कार्य करने को तैयार नहीं हो तो निकटतम कार्यरत दुकान से वितरण व्यवस्था अधिक से अधिक तीन माह तक चालू

रखी जावेगी इस अवधि में स्थायी व्यवस्था करली जावे। वर्तमान कार्यरत दुकानों के सम्बन्ध में भी यह शर्त लागू होगी।

(ख) प्रधान मन्त्री के नये बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के क्रियान्वयन के महत्व को ध्यान में रखते हुए एक लाख अथवा इससे अधिक आबादी वाले नगरों में उचित मूल्य की दुकानों की आवश्यकता राज्य सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करके किया जावेगा।

3. अन्य : (वर्तमान में कार्यरत एवं भविष्य में आवंटित की जाने वाली सभी दुकानों के लिए)

(अ) आवंटन के पूर्व दुकान के स्थान और पास-पड़ोस की स्वच्छता को पूर्ण महत्व दिया जावे। दुकान किसी अन्य दुकान का भाग न हो, ऐसी जगह अवस्थित हो जिसका सहज रूप से पता चल सके और आसानी से पहुंचा जा सके। उपभोक्ताओं के खड़े रहने के लिए पर्याप्त स्वच्छ स्थान हो।

(ब) जिस क्षेत्र के लिए दुकान स्थापित की जावे वह यथा सम्भव केन्द्रीय स्थल पर हो।

(स) आटे की चक्की, परचून दुकान अथवा होटल रेस्टोरेन्ट, ढाबे इसी प्रकार के अन्य संस्थानों आदि से दुकान स्थान सुरक्षित दूरी पर हो। चयन एवं अर्हता आदि के क्षेत्रीय सत्यापन के लिए जिलाधीश स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर सुविधाजनक प्रक्रिया निर्धारित करेंगे।

ह/-

खाद्य सचिव,

राजस्थान, जयपुर।

परिशिष्ट 4

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर)

राज्य में विद्युत् उत्पादन

67. श्री हरिसिंह (कुम्हेर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में दिनांक 31-1-1983 को कुल कितनी बिजली उपलब्ध थी और वह मांग से कितनी कम थी ?

(2) क्या वर्ष 1982-83 में राजस्थान में बिजली का उत्पादन बढ़ा है ? यदि हां, तो कितना और किन-किन स्रोतों से ? यदि घटा, तो क्या कारण रहे ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य में दिनांक 31-1-1983 को विभिन्न स्रोतों से केवल 121.23 लाख यूनिट बिजली उपलब्ध हुई, जो अनुमानित अप्रतिबन्धित मांग से लगभग 99 लाख यूनिट कम थी।

(2) यद्यपि राज्य में बिजली की प्रतिस्थापित क्षमता वर्ष 1982-83 में नहीं बढ़ी है तथापि राजस्थान को विविध स्रोतों से उपलब्ध कुल विद्युत् में वर्ष 1981-82 के माह अप्रेल, 81 से जनवरी, 82 की अवधि की तुलना में चालू वित्त वर्ष के माह अप्रेल, 82 से जनवरी, 83 की अवधि में कुल विद्युत उपलब्धि 1422.59 लाख यूनिट अधिक रही है। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष जिन स्रोतों से अधिक बिजली उपलब्ध हुई वे हैं:— चम्बल-सतपुड़ा सिस्टम, भाखड़ा-व्यास काम्पलेक्स, सिंगरोली केन्द्रीय सहायता।

राज्य कार्य में हिन्दी भाषा का प्रयोग

68. श्री बाल चन्द्र आर्यवीर (डग) एवं श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन):— क्या भाषा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार ने हिन्दी को राज भाषा के रूप में मान्यता प्रदान कर रखी है ? यदि हां, तो क्या राज्य के सभी कार्यालयों का पूरा कार्य हिन्दी भाषा में होता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या भाषा निदेशालय द्वारा इस संबंध में कोई कठोर कदम उठाये गये हैं या प्रयास किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो कृपया पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सरकारी कार्य सामान्यतः हिन्दी में किया जाता है तथा राज्य सरकार द्वारा हिन्दी में ही कार्य करने के आदेश हैं, किन्तु अभी भी अनेक स्तर पर अंग्रेजी का उपयोग हो रहा है।

(2) जी हां। किये गये प्रयासों का विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(154)

भाषा निदेशालय द्वारा हिन्दी भाषा के उपयोग हेतु किये जा रहे प्रयासों का विवरण

1. राजभाषा हिन्दी के पूर्ण प्रयोग को सुनिश्चित करने तथा समय-समय पर विभन्न विभागों में हो रहे हिन्दी प्रयोग का जायजा लेने के लिए विभागों का निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण के समय जहां यह पाया जाता है कि किसी अपरिहार्य कारण के नहीं होते हुए भी अंग्रेजी का प्रयोग हो रहा है तो रिपोर्ट सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी के नियंत्रक अधिकारी को दी जाती है। जिस पर वे उचित कार्यवाही करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विभाग से हिन्दी प्रयोग का त्रैमासिक विवरण मंगाया जाता है और यदि अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है तो इसका स्पष्टीकरण भी मंगवाया जाता है।

2. कुछ कार्यों में जैसे सरकारी कागजातों पर हस्ताक्षर, रबर मोहरें, जिला न्यायालयों के फैसले एवं विधान सभा में प्रस्तुत की जाने वाली सामग्री, प्रगति प्रतिवेदन आदि में हिन्दी का प्रयोग अनिवार्य घोषित किया गया है।

3. हिन्दी प्रयोग में सुविधा के लिए हिन्दी प्रयोग मार्गदर्शिका, पदनाम शब्दावली आदि 32 प्रकाशन निःशुल्क विभिन्न विभागों को भेजे गये हैं। विभागों में तैयार होने वाली असंवैधिक अंग्रेजी सामग्री का हिन्दी अनुवाद किया जाता है।

4. टेलीफोन पर हिन्दी पर्याय आदि तुरन्त बताये जाते हैं।

5. हिन्दी शीघ्रलिपि का प्रशिक्षण राज्य कर्मचारियों को नियमित रूप से दिया जाता है ताकि विभागों में हिन्दी शीघ्रलिपिक अच्छी संख्या में उपलब्ध हो सकें।

6. अंग्रेजी टंकण यंत्रों की खरीद पर भविष्य के लिए पाबन्दी कर दी गई है। विश्व बैंक से पत्राचार तथा इंजीनियरी आदि विभागों के तकनीकी कार्यों में, जहां अंग्रेजी प्रयोग अपरिहार्य हो जाता है, अपवाद स्वरूप अंग्रेजी टंकण यंत्र तभी खरीदे जा सकते हैं जब भाषा विभाग सारी स्थिति जांच कर अनापत्ति प्रमाण-पत्र दे दे।

7. तकनीकी कार्यों में हिन्दी का प्रयोग किस प्रकार बढ़े, इसकी जांच करने और सलाह देने के लिये एक तकनीकी विशेषज्ञ समिति कार्यरत है जिसमें तकनीकी विभाग के विभागाध्यक्ष, जैसे मुख्य अभियन्ता आदि सदस्य हैं।

गृह निर्माण सहकारी समितियों में प्रशासकों की नियुक्ति

69. सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य की किन-किन गृह निर्माण सहकारी समिति के संचालक मण्डल को भंग किया जाकर प्रशासक नियुक्त कब और क्यों किये गये ?

(2) क्या प्रशासक को संचालक मण्डल के सब अधिकार प्राप्त हैं ? यदि हां, तो इन समितियों की भूमि किस आधार पर आवंटित किये जाने की प्रक्रिया निर्धारित है ?

(3) किन-किन सहकारी समितियों में प्रशासक नियुक्त नहीं किये गये हैं और क्यों ?

155

उत्तर

(1) जिन गृह निर्माण सहकारी समितियों में प्रशासक नियुक्त किये, उन की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। उप नियमों में प्लाट आवंटन हेतु प्रक्रिया निर्धारित नहीं होती।

(3) जयपुर शहर की जिन समितियों में प्रशासक नियुक्त नहीं किये हैं, उनकी सूचना विस्तृत विवरण सहित संलग्न परिशिष्ट "अ" में अंकित है।

क्रम संख्या	क्षेत्र का नाम	नाम गृह निर्माण सहकारी समिति	प्रशासक नियुक्ति की दिनांक	प्रशासक नियुक्ति के कारण
1	2	3	4	5
1.	जयपुर (शहर)	1. सिन्धी को-आप. हाउ.सोसा.लि.		संचालक मण्डल द्वारा समिति का कार्य सुचारु रूप से न चलाने व अनियमितता वरतने के कारण
		2. सहकारी मित्र गृह निर्माण स.स.लि.	18-6-79	,,
		3. मित्र गृह नि.स.स.	9-10-79	,,
		4. आदर्श ,,	24-9-80	,,
		5. सुदर्शनपुरा ,,	15-10-81	,,
		6. जयअम्बे ,,	5-3-82	,,
		7. बडौदिया बस्ती ,,	10-10-79	,,
		8. वस्सी सीतारामपुरा कच्ची बस्ती गृ.नि. स.स.लि.	8-10-80	,,
		9. भारत भवन गृह नि.स. समिति	1-1-83	समितियों के पास कृषि भूमि होते हुए भी रूपांतरण हेतु आवेदन न करना।
		10. बन्धु गृ.नि.स.स.	,,	,,
		11. जगजीवन ,,	,,	,,
		12. श्री कृष्ण ,,	,,	,,
		13. ज्योति जगजीवन,,	,,	,,

1	2	3	4	5
	14.	बजाजनगर हाउ. को-आप. सोसायटी लि.	1-1-83	समितियों के पास कृषि भूमि होते हुए भी रूपान्तरण हेतु आवेदन न करना
	15.	जवाहरपुरी गृह नि.स.स.	”	”
	16.	किसान ”	”	”
	17.	लाला लाजपतराय	”	”
	18.	ओमशिव ”	”	”
	19.	विश्वकर्मा ”	”	”
	20.	जयपुर हसनपुरा बी गृह नि. स. स.	”	”
	21.	आनन्द भवन गृह नि. स.स.	”	”
	22.	अम्भेश्वर ”	”	”
	23.	बदनपुरा फकीरों की डूंगरी गृह नि.स.स.	”	”
	24.	जलमहल गृ.नि.स.स.	”	”
	25.	अरविन्द नगर ”	”	”
	26.	भुवनेश्वरी भवन नि. स. स.	”	”
	27.	बस्सी सीतारामपुरा बी गृह नि स.स.	”	”
	28.	श्री मोजी हाउ. को-आप. सोसायटी लि.	”	”
	29.	सिविल लाइन्स गृह नि.स. समिति लि.		”
	30.	जयपुर हाउस बिल्डिंग को. आप. सोसायटी	”	”
	31.	महेश नगर गृह निर्माण सहकारी स.	”	”
	32.	रामनगर भवन निर्माण स. स.	”	”
	33.	मालवीय नगर हाउ. को-आप. सो.	”	”
	34.	एवरेस्ट हाउ. को-आप. सोसायटी	”	”
	35.	श्री गणेश ”	”	”
	36.	इन्द्रा नगर गृह निर्माण सहकारी स.	”	”

1	2	3	4	5
	37.	सुभाष सिंधी गृह निर्माण स.ह. स.	1–1–83	समितियों के पास कृषि भूमि होते हुए भी रूपान्तरण हेतु आवेदन न करना
	38.	हीरा को-आप. हाउ. सोसायटी		
	39.	जय जवान गृह निर्माण स. समिति		
	40.	रामराजपुरा ,,		
	41.	अम्बेडकर ,,	,,	,,
	42.	दी शिवा को-आप. हाउ. सो. लि.	,,	,,
	43.	गोपालपुरा गृह निर्माण स. समिति	,,	,,
	44.	मदरामपुरा ,,	,,	,,
	45.	विकास भवन ,,	,,	,,
	46.	स्वर्णकार ,,	,,	,,
	47.	करतारपुरा ,,	,,	,,
	48.	बाबा रामदेव ,,	,,	,,
	49.	भैरव ,,	,,	,,
	50.	दी लक्ष्मी ,,	,,	,,
	51.	भांकरोटा स्कीम फेज नं. 1 गृह नि. स. स. लि	,,	,,
	52.	डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच को-आप. हाउ. सोसायटी लि.	,,	,,
	53.	टेलीफोन एम्प्लाईज हा.को.सो.लि.	,,	,,
2–भरतपुर	54.	सहयोगी बन्धु गृह नि. स. स.लि.	3–3–82	प्रबन्धकारिणी के सुचारु रुप से कार्य न करने के कारण।
3–अलवर	55.	श्री जवाहर नगर गृह नि. स. स. मूंगसका अलवर	27–3–82	आदेशों की अवहेलना व उप नियमानुसार कार्य नहीं करना।
	56.	श्री राम गृह नि.स.स.लि. अलवर	7–12–82	,,
4–अजमेर	57.	कौशलपुरी ,, अजमेर	9–12–82	1–संचालक मंडल द्वारा कर्तव्यों का पालन नहीं करना। 2–समिति की राशि का दुरुपयोग। 3–जमीन की फर्जी खरीद इत्यादि।

1	2	3	4	5
5–ब्यावर	58.	नरायनाबाद रिफ्यूजी हाउ. को-आप. सोसायटी लि., विजयनगर	4–2–67	समिति में व्याप्त भारी अनियमितताओं के कारण।
6–बांसवाड़ा	59.	बांसवाड़ा आदिम जाति गृह नि. स. स.	3–10–79	समिति का कार्य सुचारु रूप से नहीं चलने व प्रबन्ध समिति द्वारा अनियमिततायें करने के कारण।
7–गंगानगर	60.	भारतीय गृह निर्माण स. स. लि. गंगानगर	4-5-81	समिति में व्याप्त भारी अनियमितताओं के कारण।
8–उदयपुर	61.	फकरी गृह निर्माण स. स. लि.	10-6-78	समिति के सदस्यों पर अवधि-पार ऋण बकाया होने व चुनाव सम्पन्न नहीं होने के कारण।
	62.	हमदर्द गृह निर्माण स.स.लि.	28-1-83	,,
9–राजसमंद	63.	राजसमंद गृह निर्माण स. स. लि.	1-4-77	,,
10–बाड़मेर	64.	रायनगर रिफ्यूजी को.आप-हाउ.सो.	1-1-79	संचालकों द्वारा कार्य में अधिक रुचि न लेना व निरीक्षण आडिट हेतु रेकार्ड प्रस्तुत न करना।

परिशिष्ट अ

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	नाम समिति	प्रशासक नियुक्त नहीं किये जाने के कारण
1	2	3	4
1.	जयपुर (शहर)	1. पंजाबी हा. को. सो. लि. 2. चांदपोल रिफ्यूजी शॉप कीपर को. हा. सो. लि.,	पुनर्वास एवं नगर विकास न्यास द्वारा भूमि आवंटित की गई।

1	2	3	4
3.	जयपुर रिफ्यूजी को. हा. सो. लि.	पुनर्वास एवं नगर विकास न्यास द्वारा भूमि अवाप्ति की गई	
4.	ब्रह्मपुरी रिफ्यूजी को. हा. सो. लि.	,,	,,
5.	धर्मा डिस. परसन को. हा. सो. लि.	,,	,,
6.	पंजाबी रिहेबिलिटेशन हा. को. सो. लि.	,,	,,
7.	जयपुर पुरुषार्थी को. हा. सो. लि.	,,	,,
8.	श्रीरामपुरा को. हा. सो. लि.	भूमि रूपान्तरण हेतु आवेदन किया जाना एवं जिलाधीश महोदय द्वारा सूचना चाहे जाने पर प्रस्तुत करना।	
9.	लक्ष्मीनगर गृह नि. स. स.		
10.	जयपुर मैटल एण्ड इले. एम. हा. सो. लि.		
11.	गुलाबीनगर, गृह नि. सो. लि.	,,	,,
12.	शिल्पाचार्य विश्वकर्मा ,, ,,	,,	,,
13.	अपोलोनगर गृह नि. सो. लि.	,,	,,
14.	मोतीभवन गृह नि. सो. लि.	,,	,,
15.	श्री छत्रपति शिवाजी गृह नि. सो. लि.	,,	,,
16.	प्रतापनगर गृह नि. सो. लि.	,,	,,
17.	कृष्णापुरी गृह नि. सो. लि.	,,	,,
18.	गोविन्द ,,	,,	,,
19.	न्यू पिंक सिटी ,,	,,	,,
20.	शंकरभवन ,,	,,	,,
21.	स्वास्तिक ,,	,,	,,
22.	संयुक्त ,,	,,	,,
23.	नवजीवन ,,	,,	,,
24.	खुदाबादीसोनारा ,,	,,	,,
25.	जनता हा. को. सो. लि.	,,	,,
26.	पथिक भवन ,,	,,	,,
27.	न्यू लाइट ,,	,,	,,
28.	गोवरमेन्ट एम. ,,	,,	,,

1	2	3	4
	29.	रामजीपुरा हा.को.सो.लि.	भूमि रूपान्तरण हेतु आवेदन किया
	30.	महालक्ष्मी ,,	जाना एवं जिलाधीश महोदय
	31.	नेशनल	द्वारा सूचना चाहे जाने पर प्रस्तुत करना।
	32.	राज. सेक्रेटेरियट एम ,,	,, ,,
	33.	माडर्न ,,	,, ,,
	34.	दी महावीर ,,	,, ,,
	35.	महालेखापाल कर्म. भवन नि. स. स. ,,	,, ,,
	36.	श्री 108 गृ. नि. स. स.	,, ,,
	37.	जयपुर इण्डस्ट्रियल स्टेट को. हा. सो.	,, ,,
	38.	महाराज गोपालपुरा गृ. नि. स. स.	,, ,,
	39.	मालवीय नगर कच्ची बस्ती गृ. नि. स. स.	,, ,,
	40.	श्री लक्ष्मीनारायणपुरी भवन नि. स. स. लि.	,, ,,
	41.	जयपुर भवन निर्माण स.स.लि.	,, ,,
	42.	हथरोई गढ़ी ,, ,,	,, ,,
	43.	जयपुर बाल्मिकी ,, ,,	,, ,,
	44.	मीणा कालोनी ,,	,, ,,
	45.	फारेस्ट एम. ,,	,, ,,
	46.	विद्युत अभियन्ता ,,	,, ,,
	47.	नवगृह नि. स. स. लि.	,, ,,
	48.	जय चामुण्डा ,,	,, ,,
	49.	सहकारी विभाग कर्मचारी गृह नि. स. स. लि.	भूमि रूपान्तरण हो चुकी है।
	50.	बसन्त बहार सिन्धी ,,	,, ,,
	51.	इन्कमटैक्स गजटेड आफि. हा. को. सो. लि. ,,	,, ,,
	52.	इन्कम टैक्स नान गजटेड एम. हा. को. सो. लि.,	,, ,,
	53.	कीर्तिनगर ,,	,, ,,

1	2	3		4
		54. इन्द्रपुरी	गृह नि. स. स.	न्यायालय द्वारा स्थगन
			,,	आदेश जारी किया जाना
		55. मालकपुरी	,,	,, ,, ,,
		56. गुलाबबाड़ी	,,	,, ,, ,,
		57 सैन कालोनी	,,	,, ,, ,,
		58. दी कृष्ण	,,	,, ,, ,,
		59. तोपखाना देश	,,	,, ,, ,,
		60. मीचूवल	,,	,, ,, ,,
		61. सिन्धुनगर	,,	,, ,, ,,
		62. माधवनगर	,,	,, ,, ,,
		63. नानकपुरी	,,	,, ,, ,,
		64. राजहंस	,,	,, ,, ,,
		65. पहाड़गंज	,,	,, ,, ,,
		66. गांधी	,,	,, ,, ,,
		67. स्टेट बैंक आफ इण्डिया एम. गृ. नि. स. स. लि.		कृषि भूमि का न होना
		68. श्रीराम कालोनी	गृ.नि.स.स.	,, ,, ,,
		69. अशोक पुरा		,, ,, ,,
		70. शिवाजीनगर		,, ,, ,,
		71. महाराणाप्रताप नगर		,, ,, ,,
		72. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर आफि. हा. को. स. स.		,, ,, ,,
		73. श्रीराम पुरी		,, ,, ,,
		74. बुनियादी विकास	,,	,, ,, ,,
		75. बरकत कालोनी	,,	,, ,, ,,
		76. लाखा जी की ढाणी	,,	,, ,, ,,
		77. पटेलनगर	,,	,, ,, ,,
		78. कंकेश्वर महादेव	,,	,, ,, ,,
		79. सुन्दर नगर	,,	,, ,, ,,
		80. लक्ष्मण डूंगरी	,,	,, ,, ,,
		81. फतहनगर	,,	,, ,, ,,
		82. राजेन्द्र नगर आदर्श	,,	,, ,, ,,
		83. अमृतपुरी विकास	,,	,, ,, ,,
		84. श्यामपुरी लक्ष्मीनारायणपुरी		,, ,, ,,

1	2	3		4		
		85. दयानन्द पुरी	आफि.हा.को.स.स.	कृषि	भूमि का	न होना
		86. बलाईबस्ती	,,	,,	,,	,,
		87. प्रेम नगर	,,	,,	,,	,,
		88. रामदेवपुरी	,,	,,	,,	,,
		89. विजय	,,	,,	,,	,,
		90. जय बैंक कर्म.	,,	,,	,,	,,
		91. नागरिक	,,	,,	,,	,,
		92. रिजर्व बैंक	हा. को. सो.	,,	,,	,,
		93. जालूपुरा	गृ. नि. स. स. लि.	,,	,,	,,
		94. जयपुर जिला कर्मचारी	गृ.नि.स.स.	,,	,,	,,
		95. हथरोई बावड़ी	,,	,,	,,	,,
		96. जेल कर्मचारी	,,	,,	,,	,,
		97. श्याम पुरी	,,	,,	,,	,,
		98. सूरजपोल	,,	,,	,,	,,
		99. जैन कालोनी	,,	,,	,,	,,
		100. पुरानी बस्ती कोली	,,	,,	,,	,,
		101. हसनपुरा "ए"	,,	,,	,,	,,
		102. दयाल भवन	,,	,,	,,	,,
		103. कस्साब पुरा	,,	,,	,,	,,
		104. सीकर हाउस	,,	,,	,,	,,
		105. रघुनाथपुरी	,,	,,	,,	,,
		106. सूरजनगर	,,	,,	,,	,,
		107. शान्तिनगर	,,	,,	,,	,,
		108. संतोषनगर	,,	,,	,,	,,
		109. घन्नादास की बगीची	,,	,,	,,	,,
		110. लालकोठी	,,	,,	,,	,,
		111. शिवशंकर	,,	,,	,,	,,
		112. विवेकानन्द	,,	,,	,,	,,
		113. नृसिंहपुरी	,,	,,	,,	,,
		114. गणपत	,,	,,	,,	,,
		115. सुदामा	,,	,,	,,	,,
		116. हसनपुरी "सी"	,,	,,	,,	,,
		117. मेजर खन्ना	,,			

1	2	3	4
		118. इन्द्रा श्रमिक गृ. नि.स.स.	कृषि भूमि का न होना
		119. लोकनायक व्याज ,,	,, ,, ,,
		120. वैद्यपुरी ,,	,, ,, ,,
		121. नवयुवक ,,	,, ,, ,,
		122. नेहरू नगर ,,	,, ,, ,,
		123. मुख्य सोबाला ,,	,, ,, ,,
		124. आजाद ,,	,, ,, ,,
		125. स्वामी कच्ची बस्ती ,,	,, ,, ,,
		126. गौतम बुद्ध ,,	,, ,, ,,
		127. शिव नगर ,,	,, ,, ,,
		128. बेरिया बस्ती ,,	,, ,, ,,
		129, कैलाशपुरी ,,	,, ,, ,,
		130. टैगोर नगर ,,	,, ,, ,,
		131. बैकुन्ठ नगर ,,	,, ,, ,,
		132. सुतरखाना ,,	,, ,, ,,
		133. वर्मा ,,	,, ,, ,,
		134. बापू कालोनी गृ.नि.स.स.लि.	,, ,, ,,
		135. शिव शक्ति ,, ,,	,, ,, ,,
		136. सीताराम पुरी ,, ,,	,, ,, ,,
		137. महात्मा गांधी ,, ,,	,, ,, ,,
		138. गोवर्धन पुरी ,, ,,	,, ,, ,,
		139. मण्डी खटीकान ,, ,,	,, ,, ,,
		140. अवधपुरी ,, ,,	,, ,, ,,
		141. शान्ति गृह ,, ,,	,, ,, ,,
		142. जीवन ज्योति ,, ,,	,, ,, ,,
		143. मदन मोहन मालवीय ,, नगर	,, ,, ,,
		144. सरस्वती हरिजन ,, ,,	,, ,, ,,
		145. गलता घाटी ,, ,,	,, ,, ,,
		146. इन्द्रा ,, ,,	,, ,, ,,
		147. अमृतपुरी भवन ,, ,,	,, ,, ,,
		148. श्री महावीर नगर ,,	,, ,, ,,

अवमानक कोटि के गेहूं का वितरण

70. श्री कनक राज मेहता (सांचौर): क्या खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) वर्ष 1982-83 में भारतीय खाद्य निगम से कितना गेहूं नियंत्रित दुकानों पर वितरण हेतु प्राप्त हुआ ?

(2) क्या यह सही है कि खाद्य निगम से जो अच्छा गेहूं प्राप्त हुआ वह बाजार में बेचने व उसके स्थान पर अवमानक कोटि के गेहूं का वितरण कराने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जनवरी, 1982 से दिसम्बर, 1982 की अवधि में भारतीय खाद्य निगम से वितरण हेतु प्राप्त गेहूं की तालिका सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(2) भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त अच्छे गेहूं के स्थान पर अवमानक कोटि का गेहूं वितरण कराने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। गत वर्ष में अवाप्त चमकहीन एवं वर्षा से भीगे हुए गेहूं के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई थीं। भारतीय खाद्य निगम एवं भारत सरकार को अच्छा गेहूं दिलाये जाने के लिए निवेदन किया गया है।

जनवरी, 82 से दिसम्बर, 82 तक भारतीय खाद्य निगम से नियंत्रित दुकानों पर वितरण हेतु प्राप्त गेहूं की सूची

(मात्रा मै. टनों में)

क्र. सं. नाम माह	भारतीय खाद्य निगम से नियंत्रित दुकानों पर वितरण हेतु प्राप्त गेहूं की मात्रा
1. जनवरी, 82	21766.6
2. फरवरी, 82	21408.5
3. मार्च, 82	17859.6
4. अप्रेल, 82	18948.0
5. मई, 82	17708.8
6. जून, 82	17454.1
7. जुलाई 82	21631.0
8. अगस्त, 82	14094.3
9. सितम्बर, 82	7041.2
10. अक्टूबर, 82	3695.9
11. नवम्बर, 82	5316.8
12. दिसम्बर, 82	7058.6
योग	173123.4

बयाना (भरतपुर) के ऐतिहासिक स्थल

71. श्री जगन सिंह (बयाना) : क्या पर्यटन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या भरतपुर जिले के कस्बे बयाना में प्राचीन महत्व के ऐतिहासिक स्थल हैं ? अगर हां, तो कौन-कौन से हैं, तथा कितने प्राचीन हैं ?

(2) क्या इन प्राचीन ऐतिहासिक स्थलों को विभाग द्वारा संभालने व इनको दर्शनीय स्थलों में सम्मिलित करने हेतु कोई प्रार्थना-पत्र आया था ? अगर हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ? अगर नहीं, तो क्या सरकार भविष्य में कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। बयाना में निम्न ऐतिहासिक स्मारक हैं तथा उनकी प्राचीनता की सूचना निम्नानुसार है :

1. प्राचीन किला	चौथी शताब्दी का है।
2. उषा मन्दिर	10 वीं शताब्दी का है।
3. अकबर की छतरी	17 वीं शताब्दी की है।
4. इस्लाम शाह का दरवाजा	16 वीं शताब्दी का है।
5. जहांगीर का दरवाजा	17 वीं शताब्दी का है।
6. झाझरी	16 वीं शताब्दी की है।
7. लोदी की मीनार	16 वीं शताब्दी की है।
8. सरज सद उद्दोल्लात	16 वीं शताब्दी की है।
9. काले खां का मकबरा	15 वीं शताब्दी का है।
10. बारह खम्भों की छतरी	10 वीं शताब्दी की है।
11. विजय मन्दिर गढ़ के मार्ग में छतरियां	15 वीं शताब्दी की है।

(2) जी हां। हाल ही में प्राप्त हुआ है जिस पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

यू. जी. सी. नियमों के तहत सेवा निवृत्ति की आयु

72. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या महाविद्यालय शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि यू. जी. सी. नियमों के तहत 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने के बाद विश्वविद्यालय के कर्मचारी/अधिकारी को कार्य मुक्त कर दिया जाता है ? यदि हां, तो श्री सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर में कितने अधिकारी/कर्मचारी 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने के बाद भी कार्यरत हैं ?

(2) क्या यह सही है कि निदेशक, महाराणा भूपाल कॉलेज, उदयपुर 60 वर्ष

(166)

(श्री गुलाबचन्द कटारिया

पूर्ण कर लेने के बाद भी कार्यरत है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

(3) क्या राज्य सरकार 60 वर्ष पूर्ण कर लेने वाले प्राध्यापकों को भी सेवारत रखने का विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। विश्वविद्यालय के कर्मचारियों, अध्यापकों एवं अधिकारियों को 60 वर्ष की आयु के बाद सेवा निवृत्त किया जाता है। विश्वविद्यालय के एक अधिकारी 60 वर्ष की आयु के बाद सेवा में वृद्धि विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी समिति द्वारा बढ़ाये जाने के कारण कार्यरत है।

(2) जी हां। निदेशक, एस. बी. एस. एच. को विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी ने स्टेच्यूट 103 के अन्तर्गत उनकी सेवा में वृद्धि स्वीकृत की है। एस. बी. एस. एच. में विभिन्न संकायों में स्वीकृत अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियमित चयन प्रक्रिया पूरी किये जाने के लिए निदेशक के पद को रिक्त रखना उचित नहीं समझा गया और इस कारण यह सेवा वृद्धि स्वीकार की गई।

(3) जी नहीं।

ग्राम बैरासर-बड़ा (चूरू) मन्डेला (झुन्झुनू) सड़क

73. श्री दीपचन्द (सादुलपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार जिला चूरू की राजगढ़ तहसील के गांव बैरासर-बड़ा से मंडेला जिला झुन्झुनू तक जाने वाली कच्ची सड़क को पक्की बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या यह सही है कि राजगढ़ में उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार एवं मुंसिफ मजिस्ट्रेट के कार्यालय भवनों को सार्वजनिक निर्माण विभाग ने खतरनाक घोषित कर दिया है ? यदि हां, तो सरकार उक्त अदालत भवनों का निर्माण कब तक कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) धनाभाव के कारण इस सड़क को निकट भविष्य में बनाये जाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(2) जी हां, इन भवनों को असुरक्षित घोषित किया हुआ है। नया भवन बनाने हेतु अभी कोई स्वीकृति सार्वजनिक निर्माण विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

कोटा थर्मल विद्युत् परियोजना

75. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पिछले 3 साल से लगातार कोटा थर्मल विद्युत परियोजना के चालू करने के बारे में भिन्न-भिन्न घोषणायें भिन्न-भिन्न मुख्य मंत्रियों द्वारा की गई ?

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(2) भूतपूर्व मुख्य मन्त्री, श्री जगन्नाथ पहाड़िया एवं वर्तमान मुख्य मंत्री द्वारा तथा राज्य सरकार के बजट प्रस्तावों में प्रथम और द्वितीय स्टेज को कब-कब चालू करने की घोषणा की गई ? कृपया घोषणा की तारीख एवं चालू करने की तिथि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) इन घोषणाओं के बावजूद अब तक बिजली उपलब्ध न होने के क्या कारण हैं ?

(4) निर्धारित योजना के अनुसार कोटा थर्मल की इकाइयां कब-कब चालू होनी चाहिये थीं और अब तक क्यों नहीं हुई ? इसके लिए कौन दोषी हैं ? क्या सरकार कारणों की जांच कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस ढंग से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, कोटा तापीय परियोजना स्टेज प्रथम की प्रथम एवं द्वितीय इकाइयों के चालू करने के लिये निर्धारित लक्ष्यों में हुए परिवर्तनों के परिप्रेक्ष में समय समय पर भिन्न-भिन्न घोषणाएं की गईं।

(2) वर्ष 1981-82 के बजट अनुमान प्रस्तुत करते समय तत्कालीन मुख्य मंत्री, श्री जगन्नाथ पहाड़िया ने कोटा तापीय परियोजना की प्रथम इकाई से मार्च, 1982 तक उत्पादन प्रारम्भ किये जाने की घोषणा की थी। बाद में इस इकाई के दिनांक 29 दिसम्बर, 1981 को बायलर लाइट अप के समय वर्तमान मुख्य मंत्री ने प्रथम इकाई के मार्च, 1982 एवं द्वितीय इकाई के सितम्बर, 1982 तक प्रारम्भ होने की घोषणा की थी। राज्यपाल महोदय के दिनांक 20-2-1982 के अभिभाषण में प्रथम इकाई के शीघ्र चालू होने तथा दूसरे इकाई के वर्ष 1982-83 में चालू होने की सम्भावना व्यक्त की गई थी। बाद में प्रथम इकाई को मई, 1982 के अन्त तक प्रारम्भ करने के प्रयत्न किये गये। इसके बाद प्रथम इकाई का रोलिंग माह सितम्बर, 1982 एवं सक्रोनाईजिग माह अक्टूबर, 1982 में सम्पन्न होने का लक्ष्य रखा गया।

(3) (च) दिनांक 28 मई, 1982 को टरबाइन रोलिंग करते समय टरबाइन के एल. पी. सिलेण्डर एवम् कन्डेंसर के बीच लगे एक्सपेन्शन जोइन्ट्स का असफल हो जाना।

(छ) दिनांक 30 सितम्बर, 1982 को प्रथम इकाई के कन्डन्सेट एक्सटेंशन पम्प के फेल हो जाने से सिन्क्रोनाइजेशन के कार्य में देरी।

(ज) मैसर्स रामपुर इंजीनियरिंग कम्पनी द्वारा "कोल हैण्डलिंग प्लान्ट" के कार्य को समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूरा नहीं करने से।

(4) योजना आयोग द्वारा स्वीकृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार प्रथम चरण की प्रथम इकाई को जुलाई, 1981 तथा द्वितीय इकाई को नवम्बर, 1981 तक प्रारम्भ होने की सम्भावना आंकी गई थी। योजना आयोग द्वारा द्वितीय चरण की दोनों इकाइयों को सप्तम् पंचवर्षीय योजनावधि में

(ऊर्जा मंत्री)

प्रारम्भ करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रथम चरण की प्रथम इकाई का सिंक्रोनाइजेशन दिनांक 17–1–83 को किया जाकर विद्युत उत्पादन प्रारम्भ किया गया तथा भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स के निरीक्षण के तौर तरीकों के अनुसार तारीख 1-2-83 से इस इकाई को बियरिंग निरीक्षण हेतु बंद कर दिया गया है। बियरिंग निरीक्षण का कार्य प्रगति पर है तथा इस इकाई से माह मार्च, 1983 में पुनः विद्युत उत्पादन प्रारम्भ होने का लक्ष्य है। द्वितीय इकाई को जुलाई, 1983 तक प्रारम्भ करने का लक्ष्य रखा गया है। इन इकाइयों से विद्युत उत्पादन प्रारम्भ करने में विलम्ब के कारण अप्रत्याशित हैं एवं इसके लिए किसी अधिकारी को दोषी करार नहीं दिया जा सकता। अतः जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

तहसील सराडा में मुंसिफ कोर्ट खोलना

76. श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (सराड़ा): क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जिला उदयपुर की तहसील मुख्यालय सराड़ा में मुंसिफ कोर्ट नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार सराड़ा तहसील का मुख्यालय तथा जनजाति बहुल क्षेत्र होने पर भी यहां पर मुंसिफ कोर्ट का खोलना उचित नहीं समझती? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब तक खोल दिया जायेगा?

(3) क्षेत्र की जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए भी सराड़ा में मुंसिफ कोर्ट न खोलने का क्या कारण है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) सराड़ा में मुंसिफ मजिस्ट्रेट का न्यायालय स्थापित करना सम्भव नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय ने सराड़ा क्षेत्र के औसतन मुकदमों की संख्या को देखते हुये न्यायालय स्थापित करने का औचित्य नहीं बताया है।

(3) सराड़ा क्षेत्र के लम्बित प्रकरणों की संख्या को देखते हुये न्यायालय स्थापित करने का औचित्य नहीं है।

बाड़मेर में भूमि विकास बैंक की शाखा

77. श्री हेमाराम चौधरी (गुड़ामालानी): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सरकार भूमि विकास बैंक, बालोतरा की शाखा बाड़मेर में खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि बाड़मेर उपखण्ड में 6 पंचायत समितियों का कार्य-क्षेत्र आता है जबकि बालोतरा उपखण्ड के तहत केवल 2 पंचायत समितियों का कार्य क्षेत्र है?

(3) क्या भूमि विकास बैंक के बोर्ड आफ डायरेक्टर में प्रत्येक पंचायत समिति से एक डायरेक्टर होता है? यदि हां, तो क्या 6 डायरेक्टर्स द्वारा प्रतिनिधित्व किये जाने वाले क्षेत्र के लिये ब्रान्च का होना आवश्यक नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार बाड़मेर

(श्री हेमाराम चौधरी)
में उक्त बैंक की शाखा शीघ्र खोलने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। शाखा खोलने के आदेश पूर्व में दे दिये गये हैं।

काछवा (गोगुन्दा) के डीलर की शिकायतों पर कार्यवाही

78. श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गोगुन्दा तहसील के काछवा का डीलर कौन है ?

(2) क्या यह सही है कि काछवा डीलर कम तोलने, शक्कर का ब्लैक करने का दोषी पाया गया और जुर्माना किया गया ? यदि हां, तो कितना ?

(3) क्या यह भी सही है कि इसी डीलर ने डुप्लीकेट राशन कार्ड बनाकर शक्कर और गेहूं का दुरुपयोग किया था, जिसकी शिकायत भी की गई ? यदि हां, तो कब तथा उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? कृपया कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) श्री देवीलाल, ग्राम काछवा तहसील गोगुन्दा की उचित मूल्य की दुकान के डीलर हैं।

(2) जी नहीं।

(3) डीलर के विरुद्ध दिनांक 21–6–82 को शिकायत प्राप्त होने पर जांच करवाई गई। दो व्यक्तियों के डुप्लीकेट राशन कार्ड ग्राम पंचायत के ग्रुप सचिव द्वारा बनाये गये थे जिन पर डीलर द्वारा 18 किलो 400 ग्राम चीनी दी गई थी। इस प्रकार दी गई चीनी की रकम डीलर से 3/– रुपये प्रति किलो के हिसाब से वसूल की गई एवं जमानत राशि में से 125/– रुपये जब्त किये गये। ग्रुप सचिव को भी इस हेतु चेतावनी दिये जाने के लिए विकास अधिकारी को लिख दिया गया।

राज मार्ग नं. 19

79. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) एवं श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज मार्ग नं. 19 कब घोषित किया गया तथा कहां से कहां तक ?

(2) उक्त मार्ग की वर्तमान में क्या स्थिति है और राज्य सरकार ने इसे विकसित करने हेतु वर्ष 1981–82 व 1982-83 में क्या कार्यवाही की ?

(3) क्या सरकार जनहित को मद्दे-नजर रखते हुए उक्त मार्ग का शीघ्र निर्माण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) राज उच्च मार्ग नं 19 दिनांक 30–3–79 को इन्द्रगढ़ से इटावा, बारां, झालावाड़, भवानी मंडी, डग होकर मध्य-प्रदेश सीमा तक घोषित किया गया था।

(170)

(राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण)

(2 एवं 3) उक्त मार्ग की कुल लम्बाई 315.00 कि.मी. है जिसमें इन्द्रगढ़ व इटावा के मध्य सड़क का एक भाग अनिर्मित है। सड़क का शेष भाग डामर का पक्का बना हुआ है तथा स्थिति साधारणतया ठीक है। राज्य सरकार ने इसे विकसित करने हेतु आहू नदी पर पुल निर्माण हेतु एक करोड़ रुपये की राशि की स्वीकृति प्रदान करदी है। डग से आगर के बीच राजस्थान सीमा में सड़क पर पुलियाओं के निर्माण हेतु 10 लाख रुपये की स्वीकृति दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 10.66 लाख रुपये की लागत से सड़क का सुधार वर्ष 81–82 में विशेष मरम्मत द्वारा किया गया तथा वर्ष 82–83 में 18.90 लाख रुपये का विशेष मरम्मत प्रावधान के अन्तर्गत कार्य किया जा रहा है। आर्थिक साधनों की उपलब्धि के साथ-साथ कार्य पूर्ण कराया जावेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में सिनेमा गृहों का निर्माण

80. श्री सुरजा राम टांक (नौखा) : क्या जन सम्पर्क राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार को विदित है कि केन्द्रीय सरकार ने फिल्म डवलपमेंट कार्पोरेशन का गठन किया है ?

(2) क्या यह कार्पोरेशन ग्रामीण क्षेत्रों में सिनेमा गृह बनाने हेतु प्रान्तीय स्तर पर स्थापित फिल्म डवलपमेंट कार्पोरेशन के माध्यम से ऋण व अनुदान प्रदान करेगा ?

(3) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार का भी राज्य में फिल्म डवलपमेंट कार्पोरेशन के गठन का इरादा है ? यदि हां, तो यह गठन कब तक कर दिया जायेगा ?

(4) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में मनोरंजन हेतु सिनेमा गृहों के लिए सरकार रियायती दरों पर भूमि व ऋण की व्यवस्था करने पर विचार रखती है।

(5) क्या सरकार सस्ता मनोरंजन योजना के तहत बीकानेर जिले में ग्रामीण व पिछड़े इलाकों में चलचित्र प्रचार एवं प्रसार की योजना पर अमल करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) फिल्म निगम की योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में छविगृह बनाने के लिए ऋण देने का प्रावधान है।

(3) अन्य राज्यों से इस संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त की जा रही है।

(4) जी नहीं।

(5) राज्य सरकार की इस समय कोई सस्ता मनोरंजन योजना नहीं है। लेकिन राज्य के अन्य क्षेत्रों की तरह बीकानेर जिले में भी जन सम्पर्क निदेशालय तथा भारत सरकार की क्षेत्रीय प्रचार इकाई द्वारा निःशुल्क चलचित्र दिखाये जाते हैं।

राजस्थान नहर निर्माण में दोषी अभियन्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही

81. श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : क्या राजस्थान नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) रामसिंह आयोग द्वारा राजस्थान नहर के किन किन अभियन्ताओं को विभिन्न अनियमितताओं के लिए दोषी पाया गया था ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री नाथूसिंह)

(2) क्या दोषी अभियन्ताओं के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या क्या ? यदि नहीं, तो क्यों और अब कार्यवाही कब तक की जायेगी ?

उत्तर

(1) रामसिंह आयोग द्वारा राजस्थान नहर के जिन अभियन्ताओं तथा अधिकारियों को विभिन्न अनियमितताओं के लिए दोषी पाया है, उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां, दोषी अभियन्ताओं। अधिकारियों के विरुद्ध रामसिंह आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही की जा रही है। जिन व्यक्तियों के खिलाफ आरोप गंभीर हैं उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को तफतीश करने के आदेश दिये गये हैं। उनके खिलाफ विभागीय जांच की कार्यवाही भी की जा रही है। राजस्थान नहर मण्डल को आगे ऐसी अनियमितताएं न होने देने के लिए विस्तृत आदेश जारी करने के निर्देश दिये गये हैं।

उन अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची जिनका श्री रामसिंह आयोग की रिपोर्ट में जिक्र किया गया है।

क्रम संख्या 1	अधिकारियों/कर्मचारियों नाम 2	श्रेणी 3
1.	श्री ए. डी. अरोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता
2.	श्री अरुण अग्रवाल	सहायक अभियन्ता
3.	श्री ए. सी. सांघी	अधीशाषी अभियन्ता
4.	श्री ए. एस. कपूर	अति. मुख्य अभियन्ता
5.	श्री अमीर चन्द	कनिष्ठ अभियन्ता
6.	श्री अनिल कुमार माथुर	कनिष्ठ अभियन्ता
7.	श्री ए. के. गुप्ता	अधिशासी अभियन्ता
8.	श्री ए. एस. कपूर	अधीक्षण अभियन्ता
9.	श्री बजरंग लाल	कनिष्ठ अभियन्ता
10.	श्री बी. के. एस. माथुर	अधीक्षण अभियन्ता
11.	श्री भागीरथ	सहायक अभियन्ता
12.	श्री बी. एन. शर्मा	कनिष्ठ अभियन्ता
13.	श्री बाबू लाल सांखला	सहायक अभियन्ता
14.	श्री वी. वी. शाह	मुख्य अभियन्ता
15.	श्री बी. के. मुकर्जी	अति. मुख्य अभियन्ता
16.	श्री बक्सीस सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता
17.	श्री बी. एल. मनोचा	कनिष्ठ अभियन्ता
18.	श्री बलवन्त सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता
19.	श्री बी. एल. वर्मा	कनिष्ठ अभियन्ता

1	2	3
20.	श्री बी. एल. जैन	अधिशाषी अभियन्ता
21.	श्री भवानी सिंह	अधिशाषी अभियन्ता
22.	श्री भोपाल सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता
23.	श्री भंवर लाल जैन	अधिशाषी अभियन्ता
24.	श्री बहादुर सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता
25.	श्री भंवर लाल	अधिशाषी अभियन्ता
26.	श्री सी. पी. त्यागी	सहायक अभियन्ता
27.	श्री बी. के. बैराठी	अधिशाषी अभियन्ता
28.	श्री सी. एम. सांखला	कनिष्ठ अभियन्ता
29.	श्री चतरा राम	कनिष्ठ अभियन्ता
30.	श्री सी. बी. एल. माथुर	अधिशाषी अभियन्ता
31.	श्री सी. बी. शर्मा	अधिशाषी अभियन्ता
32.	श्री सी. एल. अरोड़ा	अधिशाषी अभियन्ता
33.	श्री डी. एस. नोत्रा	अति. मुख्य अभियन्ता
34.	श्री डी. सी. चतुर्वेदी	अधिशाषी अभियन्ता
35.	श्री दलीप सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता
36.	श्री देवी लाल	कनिष्ठ अभियन्ता
37.	श्री डी. के. माथुर	कनिष्ठ अभियन्ता
38.	श्री डी. सी. कोठारी	अधिशाषी अभियन्ता
39.	श्री डी. पी. कौशिक	कनिष्ठ अभियन्ता
40.	श्री एफ. सी. माथुर	कनिष्ठ अभियन्ता
41.	श्री गुरुदयाल सिंह चौधरी	सहायक अभियन्ता
42.	श्री गोपीराम गोयल	अधिशाषी अभियन्ता
43.	गुरदीप सिंह	सहायक अभियन्ता
44.	श्री जी. एस. शास्त्री	मुख्य अभियन्ता
45.	श्री जी. एम. माथुर	अति. मुख्य अभियन्ता
46.	श्री जी. एल. नाहर	अधिशाषी अभियन्ता
47.	गुरमेल सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता
48.	श्री गणपत सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता
49.	श्री जी. डी. महेश्वरी	सहायक अभियन्ता
50.	श्री गिरीश चतुर्वेदी	अधिशाषी अभियन्ता
51.	श्री जी. एल. पी. जैन	कनिष्ठ अभियन्ता
52.	श्री गणेशमल	अधीक्षण अभियन्ता
53.	श्री गुरसेब सिंह	सहायक अभियन्ता

1	2	3
54.	श्री हर शरणसिंह	अधिशाषी अभियन्ता
55.	श्री एस. एस. भाटिया	अधिशाषी अभियन्ता
56.	श्री हंस राज	कनिष्ठ अभियन्ता
57.	श्री एच. एस. भाटिया	अधिशाषी अभियन्ता
58.	श्री हरीभान सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता
59.	श्री हरी सिंह	मुख्य अभियन्ता
60.	श्री हेत राम डूडी	अधिशाषी अभियन्ता
61.	श्री आई. एस. जैन	सहायक अभियन्ता
62.	श्री आई. एस. बीका	सहायक अभियन्ता
63.	श्री जगजीत सिंह	अधिशाषी अभियन्ता
64.	श्री जे. सी. परिहार	सहायक अभियन्ता
65.	श्री जे. एस. तोमर	कनिष्ठ अभियन्ता
66.	श्री जे. के. शर्मा	अधिशाषी अभियन्ता
67.	श्री जे. पी. श्रीवास्तव	कनिष्ठ अभियन्ता
68.	श्री जे. एन. मित्तल	कनिष्ठ अभियन्ता
69.	श्री जुगल किशोर	कनिष्ठ अभियन्ता
70.	श्री जोतराम	कनिष्ठ अभियन्ता
71.	श्री जे. सिंह	अधिशाषी अभियन्ता
72.	श्री जे. एम. खट्टर	कनिष्ठ अभियन्ता
73.	श्री जगदीश अरोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता
74.	श्री के. एल. भाटिया	अधिशाषी अभियन्ता
75.	श्री के. एस. गहलोत	सहायक अभियन्ता
76.	श्री के. एस. कंग	अधिशाषी अभियन्ता
77.	श्री के. एस. शर्मा	अधिशाषी अभियन्ता
78.	श्री के. एन. माथुर	कनिष्ठ अभियन्ता
79.	श्री कश्मीरी लाल	कनिष्ठ अभियन्ता
80.	श्री के. एन. चुग	कनिष्ठ अभियन्ता
81.	श्री के. के. माथुर	सहायक अभियन्ता
82.	श्री कस्तुराराम	कनिष्ठ अभियन्ता
83.	श्री के. एस. धानी	कनिष्ठ अभियन्ता
84.	श्री के. एल. रावत	अधिशाषी अभियन्ता
85.	श्री कृपालसिंह शेखावत	अधिशाषी अभियन्ता
86.	श्री के. एम. दानी	सहायक अभियन्ता
87.	श्री के. सी. जैन	अधिशाषी अभियन्ता

1	2	3
88.	श्री लक्ष्मणसिंह	कनिष्ठ अभियन्ता
89.	श्री लाल चन्द	सहायक अभियन्ता
90.	श्री महेन्द्र कुमार	सहायक अभियन्ता
91.	श्री मुन्शीलाल सचदेवा	सहायक अभियन्ता
92.	श्री मुकेन्द्र गुप्ता	कनिष्ठ अभियन्ता
93.	श्री एम. आर. सुथार	कनिष्ठ अभियन्ता
94.	श्री एम. आर. जैन	सहायक अभियन्ता
95.	श्री एम. पी. जैन	कनिष्ठ अभियन्ता
96.	श्री एम. आर. मवानी	कनिष्ठ अभियन्ता
97.	श्री मनोहर लाल	कनिष्ठ अभियन्ता
98.	श्री मुकनाराम	कनिष्ठ अभियन्ता
99.	श्री मुकुट विहारी माथुर	सहायक अभियन्ता
100.	श्री एम. एल. गुप्ता	सहायक अभियन्ता
101.	श्री मूलाराम	कनिष्ठ अभियन्ता
102.	श्री एम. आर. कालरा	अधीक्षण अभियन्ता
103.	श्री माधोराम	अधीक्षण अभियन्ता
104.	श्री एम. एल. सिंघाना	सहायक अभियन्ता
105.	श्री एम. सी. गोयल	कनिष्ठ अभियन्ता
106.	श्री नगायच	सहायक अभियन्ता
107.	श्री एन. डी. जोशी	सहायक अभियन्ता
108.	श्री एन. आर. कालरा	कनिष्ठ अभियन्ता
109.	श्री एन. सी. गर्ग	कनिष्ठ अभियन्ता
110.	श्री एन. आर. भास्कर	कनिष्ठ अभियन्ता
111.	श्री एन. के. मित्तल	कनिष्ठ अभियन्ता
112.	श्री एन. के. तायल	कनिष्ठ अभियन्ता
113.	श्री नाहरसिंह	अधिशाषी अभियन्ता
114.	श्री नन्दराम	कनिष्ठ अभियन्ता
115.	श्री ओ. पी. यादव	सहायक अभियन्ता
116.	श्री ओ. पी. वर्मा	सहायक अभियन्ता
117.	श्री ओ. पी. शर्मा	सहायक अभियन्ता
118.	श्री ओ. पी. गुप्ता	अधिशाषी अभियन्ता
119.	श्री ओ. पी. वेदी	कनिष्ठ अभियन्ता

1	2	3
120.	श्री ओ. पी. सी. पाण्डे	सहायक अभियन्ता
121.	श्री पी. सी. माथुर	सहायक अभियन्ता
122.	श्री पी. पी. बतरा	अधिशाषी अभियन्ता
123.	श्री प्रथमसिंह	सहायक अभियन्ता
124.	श्री रूप सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता
125.	श्री राम कुमार	कनिष्ठ अभियन्ता
126.	श्री आर. एन. माथुर	अधीक्षण अभियन्ता
127.	श्री आर. एल. माथुर	सहायक अभियन्ता
128.	श्री आर. सी. जैन	कनिष्ठ अभियन्ता
129.	श्री आर. बी. शर्मा	कनिष्ठ अभियन्ता
130.	श्री आर. के. वर्मा	कनिष्ठ अभियन्ता
131.	श्री आर. एस. चौहान	अधिशासी अभियन्ता
132.	श्री आर. एम. माथुर	कनिष्ठ अभियन्ता
133.	श्री आर. सी. गोयल	वरिष्ठ लेखाधिकारी
134.	श्री आर. एन. शर्मा	कनिष्ठ अभियन्ता
135.	श्री आर. सी. शर्मा	कनिष्ठ अभियन्ता
136.	श्री आर. एन. माथुर	अधीक्षण अभियन्ता
137.	श्री रामसिंह	कनिष्ठ अभियन्ता
138.	श्री रमेश मौर्य	सहायक अभियन्ता
139.	श्री रामजीलाल	कनिष्ठ अभियन्ता
140.	श्री आर. एन. धींगरा	कनिष्ठ अभियन्ता
141.	श्री राम लुभाया	कनिष्ठ अभियन्ता
142.	श्री रामू राम	कनिष्ठ अभियन्ता
143.	श्री आर. एस. शर्मा	अधिशाषी अभियन्ता
144.	श्री आर. एन. चौधरी	मुख्य अभियन्ता
145.	श्री रामसिंह	मुख्य अभियन्ता
146.	श्री आर. पी. गुप्ता	अधिशासी अभियन्ता
147.	श्री आर. एस. वर्मा	कनिष्ठ अभियन्ता
148.	श्री सोहनलाल कटारिया	कनिष्ठ अभियन्ता
149.	श्री एस. सी. सिंघल	कनिष्ठ अभियन्ता
150.	श्री एस. सी. अडवानी	अधिशासी अभियन्ता
151.	श्री शिवसिंह	सहायक अभियन्ता

1	2	3
152.	श्री एस. एस. माथुर	सहायक अभियन्ता
153.	श्री एस. एन. सेठिया	सहायक अभियन्ता
154.	श्री एस. बी. बघेला	कनिष्ठ अभियन्ता
155.	श्री एस. के. आहूजा	कनिष्ठ अभियन्ता
156.	श्री सहरिया	मण्डलीय लेखाकार
157.	श्री एस. एन. माथुर	कनिष्ठ अभियन्ता
158.	श्री एस. डी. गुप्ता	अधीक्षण अभियन्ता
159.	श्री एस. के. बीसा	कनिष्ठ अभियन्ता
160.	श्री एस. एन. कौशल	कनिष्ठ अभियन्ता
161.	श्री एस. के. माथुर	कनिष्ठ अभियन्ता
162.	श्री सुखसिंह	कनिष्ठ अभियन्ता
163.	श्री शान्ति लाल	कनिष्ठ अभियन्ता
164.	श्री सम्पतलाल माथुर	कनिष्ठ अभियन्ता
165.	श्री एस. पी. रावत	अधिशाषी अभियन्ता
166.	श्री एस. सी. पाटनी	सहायक अभियन्ता
167.	श्री एस. एस. पुरोहित	सहायक अभियन्ता
168.	श्री तुलसी राम	सहायक अभियन्ता
169.	श्री त्रिलोक चन्द	कनिष्ठ अभियन्ता
170.	श्री टी. आर. गर्ग	सहायक अभियन्ता
171.	श्री तुलसी राम टांक	सहायक अभियन्ता
172.	श्री टी. के. चड्ढा	सहायक अभियन्ता
173.	श्री उधा राम	सहायक अभियन्ता
174.	श्री उदय राम	सहायक अभियन्ता
175.	श्री यू. के. गुप्ता	कनिष्ठ अभियन्ता
176.	श्री यू. एस. शर्मा	सहायक अभियन्ता
177.	श्री विशम्बर सिंह	सहायक अभियन्ता
178.	श्री वी. पी. गोयल	अधिशाषी अभियन्ता
179.	श्री बी. के. भारद्वाज	अधिशाषी अभियन्ता
180.	श्री वी. एन. दिवानी	कनिष्ठ अभियन्ता
181.	श्री वी. के. गुप्ता	अधीक्षण अभियन्ता
182.	श्री वी. एस. यादव	अधिशाषी अभियन्ता
183.	श्री वी. एस. चौधरी	अधिशाषी अभियन्ता

1	2	3
184.	श्री वाई. के. पाण्डे	कनिष्ठ अभियन्ता
185.	श्री त्रिपाठी	सहायक अभियन्ता
186.	श्री एस. पी. नारंग	कनिष्ठ अभियन्ता
187.	श्री एस. पी. शर्मा	सहायक अभियन्ता
188.	श्री शोभालाल माथुर	अधीक्षण अभियन्ता
189.	श्री सोहनरूप राय	अधिशासी अभियन्ता
190.	श्री एस. पी. शर्मा	अधिशासी अभियन्ता
191.	श्री एस. एल. चावला	सहायक अभियन्ता
192.	श्री सुरजीतसिंह	कनिष्ठ अभियन्ता
193.	श्री जि. के. शर्मा	कनिष्ठ अभियन्ता

"नॉन फार्मल सिस्टम" द्वारा शिक्षा प्रसार

82. **श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) एवं श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व)** : क्या शिक्षा (प्राथमिक व माध्यमिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार ने राज्य में बालक बालिकाओं के पाठशालाओं में भर्ती के प्रतिशत को बहुत कम मानते हुए 'नॉन फार्मल सिस्टम' द्वारा शिक्षा हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता देने का निर्णय लिया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस व्यवस्था व सहयोग में बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने का उद्देश्य रखा गया है ?

(3) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1983-84 में कितनी धनराशि मिलने का अनुमान है और उसके उपयोग की राज्य सरकार की क्या योजना है ?

(4) कृपया उक्त योजना की क्रियान्वित के लिए केन्द्र से मिली गाइड लाइन्स का ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) वर्तमान में राज्य में 6600 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र स्वीकृत हैं। इन केन्द्रों के संचालन हेतु होने वाले कुल व्यय का तथा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम पर होने वाले अन्य अकादमिक व्यय का 50 प्रतिशत हिस्सा केन्द्रीय सहायता के रूप में अगले वर्ष प्राप्त होगा।

(4) भारत सरकार से समय-समय पर प्राप्त निर्देशों के आधार पर विभाग द्वारा तैयार की गई अनौपचारिक शिक्षा सम्बन्धी संदर्शिका सदन के पटल पर रख दी गई है।

(संदर्शिका विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

(1789)

कोटा की विशेष अदालत में विचाराधीन मामले

83. श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां): क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कोटा की विशेष अदालत में कितने मामले विचाराधीन हैं ?

(2) क्या इस संख्या को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त है ?

(3) क्या सरकार ने बारां व छबड़ा में विशेष न्यायालय खोलने का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो इस मामले में अभी तक क्या प्रगति हुई है ?

उत्तर

(1) कोटा की विशेष अदालत में 4177 प्रकरण विचाराधीन हैं।

(2) जी नहीं।

(3) कोटा जिले में अटरू व बारां में दो और विशेष न्यायालय स्थापित करने का निर्णय ले लिया है। स्वीकृतियां भी जारी की जा रही हैं।

आर. ई. सी. योजना के तहत रानीवाड़ा में अतिरिक्त ग्रिड सब-स्टेशन बनाना

84. श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आर.ई.सी., रानीवाड़ा में 33 के.वी. का ग्रिड सब-स्टेशन बना हुआ है ? यदि हां, तो क्या इस ग्रिड स्टेशन पर भारी लोड है ?

(2) क्या उक्त लोड को कम करने की दृष्टि से आर.ई.सी., रानीवाड़ा में और सब-स्टेशन बनाने के प्रस्ताव विभाग को अनुमोदन हेतु भेजे हैं ? यदि हां, तो सब-स्टेशन कहां, किस जगह बनाये जायेंगे ?

(3) क्या यह भी सही है कि ग्राम कूड़ा, बड़गांव व मालवाड़ा व करड़ा के इन चारों जगह पर 33 के.वी. सब-स्टेशन बनाने की योजना सरकार के पास विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त योजना को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जावेगी ?

(4) आर.ई.सी., रानीवाड़ा में अभी तक कुल कितने कनेक्शन दिए गए हैं व अब कितने कनेक्शन करने के लिए कृषकों ने फार्म जमा करवा रखे हैं ?

(5) जिन किसानों ने कनेक्शन लेने के लिए आवेदन-पत्र दे रखे हैं उनमें कितनों के डिमांड नोटिस निकाल दिए व कितनों के जारी करने शेष हैं ? अब इन किसानों को कनेक्शन कब दे दिये जायेंगे ? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। डाइवरसिटी फैक्टर को ध्यान में रखते हुये रानीवाड़ा में 33/11 के.वी. सब-स्टेशन पर भारी लोड नहीं है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) रानीवाड़ा आर. ई.सी. स्कीम में माह जनवरी, 1983 तक कुल 1461 कृषि कनेक्शन दिये जा चुके हैं तथा 583 प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं।

(5) कृषि कनेक्शनों हेतु प्राप्त विचाराधीन 583 प्रार्थना-पत्रों में से 111 आवे-

(ऊर्जा मंत्री)

दर्कों को डिमान्ड नोटिस जारी किये गये थे तथा उनके द्वारा डिमान्ड नोटिस के पैसे जमा कराये जा चुके हैं। इन आवेदकों को वर्ष 1983-84 के कार्यक्रम के अन्तर्गत कनेक्शन देने हेतु विचार किया जावेगा। वर्ष 1983-84 का कार्यक्रम तय करने पर ही यह पता लग सकेगा कि कितने कनेक्शन आगामी वर्ष में दिये जा सकेंगे।

राज्य पर्यटन विकास निगम

85. श्री कैलाश मघवाल (अजमेर पूर्व) एवं श्री राम किशोर मीणा (सिकराय) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम लि., जयपुर की सर्वोच्च प्रशासकीय इकाई संचालक मण्डल है? यदि हां, तो इस संचालक मण्डल के वर्तमान में कौन-कौन सदस्य हैं और उनके चयन व मनोनयन की क्या प्रक्रिया व आधार रहे हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि सार्वजनिक निर्माण विकास के सचिव भी संचालक मण्डल के पदेन सदस्य होते हैं? यदि हां, तो दिनांक 14-12-1982 के पूर्व कौन सदस्य था और इस तिथि के बाद कौन है?

उत्तर

(1) जी हां।

वर्तमान में श्री वी.एन. काक, अध्यक्ष संचालक मण्डल के सदस्य हैं।

समस्त संचालकगण का चयन व मनोनयन, कम्पनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन की धारा 63 में अंकित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। समस्त संबंधित पहलुओं पर सर्वांगीण रूप से विचार के आधार पर ही ये मनोनयन किये जाते हैं।

(2) जी नहीं। यह आवश्यक नहीं है कि सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग ही संचालक मंडल के पदेन सदस्य हों। 14-12-82 के पूर्व सचिव पदेन संचालक थे तत्पश्चात् अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग संचालक मण्डल के सदस्य बनाये गये।

मालपुरा में कालेज खोलना

86. श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) : क्या महाविद्यालय शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मालपुरा (टौंक) में कालेज खोला जा रहा है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या कालेज के लिये भूमि की तलाश कर ली गयी है? यदि हां, तो कहां पर और इसमें जनता तथा राज्य सरकार का क्या-क्या योगदान है? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

(2) जी नहीं।

परिशिष्ट 5

अतारांकित प्रश्न संख्या 38 की सूची

परिशिष्ट "अ"

(1) लिफ्ट खण्ड चतुर्थ रा. न. प., लूनकरनसर

नाम नहर	सर्वे वर्ष 1980–81	सर्वे वर्ष 1981–82
1. लिफ्ट नहर	16,81,903/-	12,036/-
2. जामसर वितरिका	49,431/-	40,412/-
3. डेलाना ,,	–	34,635/-
4. लूनकरनसर ,,	–	40,731/-
5. भाडेरा ,,	–	39,132/-
6. चारण ,,	–	94,800/-
7. मलकीसर ,,	–	25,232/-
8. धोलेरा माइनर	–	28,665/-
9. फूलेजी ,,	719/-	6,504/-
10. चारण ,,	–	9,952/-
11 खिंचिया ,,	–	17,058/-
12. दूलमेरा ,,	–	4,518/-
13. मलकीसर ,,	12,840/-	–
योग :–	17,44,901/-	3,64,275/-

(2) दशम खण्ड रा. न. प., बीकानेर

1. बीकानेर माइनर की बुर्जी 0-10	–	6,200/-

परिशिष्ट "ब"

लिफ्ट खण्ड, चतुर्थ, रा.न.प., लूनकरनसर

क्रमांक	नाम नहर	वर्ष 1980-81	वर्ष 1981-82
1.	लिफ्ट नहर	8,410 नं.	60 नं.
2.	जामसर वितरिका	247 ,,	232 ,,
3.	डेलाना ,,	–	173 ,,
4.	लूनकरनसर ,,	–	228 ,,
5.	भादेरा ,,	–	195 ,,
6.	चारण ,,	–	474 ,,
7.	मलकीसर ,,	–	126 ,,
8.	धोलेरा माइनर	–	143 ,,
9.	फूलदेसर-माइनर	–	33 ,,
10.	चारण ,,	–	47 ,,
11.	खिचिया ,,	–	22 ,,
12.	दुलमेरा ,,	–	–
13.	मलकीसर ,,	64 नं.	–

(2) दास खण्ड, रा.न.प., बीकानेर :—

(1)	बीकानेर माइनर	इस कार्य के लिए 31 मजदूर 25 दिनों के लिये लगाये गये थे ।

परिशिष्ट 6

अतारांकित प्रश्न संख्या 40 की सूची

सूची "अ"

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा प्रस्तावित पन बिजली घरों का विवरण

क.सं.	परियोजना का नाम	जिला	परियोजना का स्थान/ बांध/नहर का नाम	प्रस्तावित क्षमता (मेगावाट में)	अपेक्षित वार्षिक ऊर्जा उत्पादन (लाख यूनिटों में)
1.	अनूपगढ़ पन बिजली योजना	श्री गंगानगर	राजस्थान नहर की अनूपगढ़ शाखा पर	9	525
2.	आर. एम. सी. पन बिजली योजना	कोटा	दायीं मुख्य नहर चम्बल परियोजना	6	376.6
3.	सूरतगढ़ पन बिजली योजना	श्री गंगानगर	राजस्थान नहर की सूरतगढ़ शाखा पर	4	240
4.	जाखम पन बिजली योजना	चित्तौड़गढ़	जाखम बांध पर	9	363.6
5.	चारणवाला पन बिजली योजना	बीकानेर	राजस्थान नहर की चारणवाला शाखा पर	2	100
6.	माउन्ट आबू पन बिजली योजना	सिरोही	सलागांव व गंभीरी बांधों पर	2.5	149.5
7.	पूगल पन बिजली योजना	बीकानेर	राजस्थान नहर की पूगल शाखा पर	2.25	110.5
8.	आर. एम. सी. माही पन बिजली योजना	बांसवाड़ा	दायीं मुख्य नहर माही परियोजना	0.8	42
9.	बिरसलपुर पन बिजली योजना	बीकानेर	राजस्थान नहर की बिरसलपुर शाखा पर	1.45	80
10.	जयसमंद पन बिजली योजना	उदयपुर	जयसमंद झील की बाईं मुख्य नहर पर	0.75	24.3

परिशिष्ट 7

अतारांकित प्रश्न संख्या 47 की सूचना

गृह निर्माण सहकारी समितियां, जयपुर (शहर)

क. सं.	नाम गृह निर्माण सहकारी समितियां	पंजीयन दिनांक	पदों के नाम	भूमि		
				बीघा	बिस्वा	वर्ग गज
1	2	3	4	5	6	7
1.	पंजाबी हा. को-ओ. सोसायटी लि.	23-2-49	श्री भगवत सिंह, अध्यक्ष श्री गणपत राम, उपाध्यक्ष श्री बी. डी. थापर, मन्त्री श्री सत्यपाल जैन, कोषाध्यक्ष श्री मेघराज सदस्य			312500
2.	चांदपोल रिफूजी शोप कीपर को.ओ. हा. सो.	17-3-51	श्री तोताराम, अध्यक्ष श्री श्रवण कुमार, उपाध्यक्ष श्री कृष्णलाल, मन्त्री श्री चन्द्रभान, कोषाध्यक्ष श्री गोर्धनदास, सदस्य श्री जगन्नाथ, सदस्य			1,20,000

1	2	3	4	5	6	7
			श्री किशन दास, सदस्य श्री जयगोपाल, ,, श्रीमती उत्तम बाई; ,,			
3.	जयपुर रिफ्यूजी को-ओ. हा. सो.	10-12-48	श्री जगमल, अध्यक्ष श्री सुन्दर दास, उपा. श्री तोलाराम, सचिव श्री ठाकुर दास, सयु. सचिव श्री रामचन्द्र, कोषाध्यक्ष श्री बन्दर लाल, श्री ठहूलाराम होतू चन्द, मोहन, सदस्य			12,20,000
4.	ब्रह्मपुरी रिफ्यूजी को–ओ. सोसायटी लि.	15–7–53	श्री नेचल दास, अध्यक्ष श्री खेमचन्द, उपा. श्री सलामराम, मंत्री श्री हरीराम, कोषाध्यक्ष श्री श्यामलाल अमीराम, राधोमल, श्री भुगरोमल, जमनादास, सदस्य	18	8	
5.	बर्मा डिस. परसन को–ओ. हा. सोसायटी लि.	2- 3–68	श्री जोधराज, अध्यक्ष श्री एल. डी. कुशर, उपाध्यक्ष जी ब्रजमोहन सराफ, कोषाध्यक्ष			1174

		श्री देवी प्रसाद बिहानी, मंत्री श्री लालसिंह, संयु. मंत्री श्री राम शरण गुलाटी, भगवानदेव श्याम-बिहारी, मनोहरलाल, सदस्य			
6. पंजाबी रिहेबिलेशन हा. को-ओ. सोसायटी लि.	8-3-49	श्रीमती चन्द्रादास, अध्यक्ष श्रीमती कुंतीदेवी, उपाध्यक्ष श्रीमती सुषमा, मंत्री श्रीमती शंकुतला, सहा. मंत्री श्रीमती कृष्णा शर्मा, कोषाध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मीबाई, कमलावती, लीलावती, सदस्य			75000
7. जयपुर पुरशारथी को-ओ. हा. सो. लि.	13-12-48	श्री श्याम सुन्दर भाटिया, अध्यक्ष श्री नन्दलाल, उपाध्यक्ष, श्री राधाकृष्ण ओझा, मंत्री श्री नन्दलाल, कोषाध्यक्ष श्री वजीरचन्द, बिहारीलाल, सदस्य			62000
8. सिन्धी को-ओ. हाउस सोसायटी लि.	3-5-49	श्री मदनलाल जैन उप रजि. (उप) प्रशा.	32	7	—
9. सहकारी मित्र गृह निर्माण सह. समि.	19-8-68	श्री केशव सिंह टी. ए. टू. ए. आर. प्रशा-	—	—	276424

1	2	3	4	5	6	7
10.	मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति	28-5-56	श्री नवल किशोर अग्रवाल, प्रशासक	60	1	—
11.	आदर्श गृह निर्माण सहकारी समिति	29-10-68	श्री उमा वल्लभ शर्मा, टी. ए. टू. जे. आर.	78	—	—
12.	सुदर्शनपुरा गृह निर्माण सह. समिति	18-5-64	श्री सुरेशचन्द दुबे, ए. आर., जयपुर	50	17	—
13.	जय अम्बे गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड	30-9-63	श्री श्याम लाल चौधरी निरी. (कार्य)	3	4	—
14.	बडोदिया बस्ती गृह निर्माण सहकारी समिति.	28-7-59	श्री श्यामलाल चौधरी ,,			
15.	बस्सी सीतारामपुरा कच्ची बस्ती गृह निर्माण सहकारी समिति	13-9-72	श्री महेन्द्रसिंह राजावत ,,	—	—	—
16.	भारत भवन निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड	8-9-61	श्री ताराचंद जैन, संयु. रजि. प्रशासक	159	11	—
17.	बन्दू गृह निर्माण सहकारी समिति	12-3-64	,,	24	18	—
18.	जगजीन गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड	24-7-72	,,	386	6	—
19.	श्री कृष्ण गृह निर्माण सहकारी समिति	24-12-72	श्री सतीशचन्द शर्मा, प्रशासक	—	—	6400
20.	ज्योती जगजीवन गृह निर्माण सह. समिति	19-3-75	,,	12	3	23998
21.	बजाज नगर हा. को-ओ. सोसायटी	27-9-66	,,	64	15	—

22. जवाहर पुरी गृह निर्माण सह. समिति	1-4-65	श्री के. सी. भार्गव, प्रशासक	17	11	—
23. किसान गृह निर्माण सहकारी समिति	17-5-69	,,	45	—	—
24. लाला लाजपतराय गृह निर्माण सहकारी समिति	9-8-66	,,	7	9	—
25. ओम शिव गृह निर्माण सहकारी स.	15-5-73	श्री विनोद बिहारी सक्सैना जे. आर. प्रशा.	132	15	—
26. विश्वकर्मा गृह निर्माण सहकारी स.	12-2-73	,,	40	—	—
27. जयपुर हसनपुरा "बी" गृह निर्माण सहकारी समिति	11-8-72	,,	—	—	9790
28. आनन्द भवन गृह निर्माण सहकारी समिति	29-6-62	श्री दुउ कृष्ण महर्षी ,,	500	—	—
29. अन्वेशा गृह निर्माण सहकारी स.	9-9-74	,,	147	—	—
30. बदनपुरा फकीरों की डूंगर गृह नि. सहकारी समिति	27-9-74	,,	87	—	—
31. जलमहल को-ओ. हाउ. सोसायटी लिमिटेड	31-10-74	श्री डी. के. जैन, सी. ए., प्रशासक	228	3	4620
32. अरविन्द नगर गृह निर्माण सह. समिति	11-10-72	,,	81	7	—
33. भुवनेश्वरी भवन निर्माण स. समिति	4-10-69	,,	18	—	—

1	2	3	4	5	6	7
34.	बस्सी सीतारामपुरा "बी" भवन निर्माण स. स.	26-9-73	श्री मदनलाल जैन, उप रजि. (उप.) प्रशासक	109	–	–
35.	मोजी हा. को-ओ. सो.	14-2-69	,,	25	3	–
36.	सिविल लाइन गृह निर्माण सह. स.	15-9-69	,,	240	4	–
37.	जयपुर हाउ. बिल्डिंग को-ओ. सो.	30-12-61	श्री पी. एम. खत्री, डी.आर. (बैंक.) प्रशासक	44	7	–
38.	महेश नगर गृह निर्माण सह. स.	4-6-70	,,	23	6	–
39.	रामनगर भवन निर्माण सह. स.	3-10-62	,,	–	–	15600
40.	मालवीया नगर हा. को-ओ. सो.	8-12-66	श्री एच. आर. शुक्ला	271	16	24578
41.	एवरेस्ट को-ओ. हा. सो. लि.	4-9-66	,,	13	–	–
42.	श्री गणेश को-ओ. हा. सो. लि.	17-12-68	,,	14	8	–
43.	इन्द्रा नगर गृह निर्माण स. स. लि.	11-2-76	श्री रामगोपाल शर्मा, टी.ए.टू.आर.सी.एस.प्रशासक	129	3	7874
44.	सुभाष सिंधी को-ओ. हा. सो. लि.	29-7-61	,,	221	5	–
45.	हीरा को-ओ. हा. सो. लि.	16-1-62	,,	4	5	–
46.	जय जवान गृह निर्माण स. स. लि.	1-1-70	श्री के. सी. श्रृंगी एस. ए. ,,	91	15	–
47.	राम राज्यपुरा गृह निर्माण स. स.	3-5-73	,,	–	–	2750
48.	अम्बेडकर गृह निर्माण स. स.	1-8-72	,,	13	4	6466
49.	दी शिवा को-ओ. हा. सो. लि.	24-8-61	श्री ए. सी. जैन परि. निदे. (पी.) ,,	51	12	11130
50.	गोपुलपुरा गृह निर्माण स. स.	11-9-72	,,	14	13	1865
51.	मदरामपुरा ,,	30-9-72	,,	25	3	–
52.	विकास भवन गृह निर्माण स. स.	14-11-63	श्री रणवीरसिंह आर्य आर. ए. ,,	27	8	–

53. स्वर्णकार गृह निर्माण सह. स.	20-5-66	श्री रणवीर सिंह आर्य, आर. ए.	20	19	–
54. करतारपुरा गृह निर्माण सह. स.	9-2-77	,,	65	–	–
55. बाबा रामदेव गृह निर्माण सह. स.	19-10-72	श्री शिवकुमार जैन डी.सी.ए. ,,	14	17	–
56. भैरों गृह निर्माण सह. स. लि.	13-9-78	,,	185	1	–
57. श्री लक्ष्मी गृह निर्माण सह. स.	28-2-73	,,	119	12	–
58. भांकरोटा स्कीम फेज नं. 1 सह. स.	21-8-81	श्री के. एन. गुप्ता उप रजि. प्रशासक	17	18	–
59. डिसट्रिक्स स्पेशल ब्रांच को-ग्रो. हा. सो.	23-2-62	,,	–	–	–
60. टेलीफोन ए. हा. को-ग्रो. सोसायटी लि., जयपुर	22-1-63	,,	6	12	–
61. श्री रामपुरा को-ग्रो. हा. सोसायटी लि.	21-12-62	श्री गोर्धनसिंह, अध्यक्ष श्री मूल चन्द, उपा. श्री चन्द्रराज, मंत्री श्री किशन माथुर, कोषाध्यक्ष श्री मोतीलाल, अर्जुनसिंह, रामगोपाल सद.	72	19	915
62. लक्ष्मीनगर गृह निर्माण सहकारी समिति	7-2-70	श्री चन्दालाल, अध्यक्ष श्री गोविन्द सैन, मंत्री श्री राधेश्याम शर्मा, कोषाध्यक्ष श्री शंकरलाल, कैलाशचन्द, अमृतलाल सद.	38	2	–
63. जयपुर मैटल एण्ड इले. एम. हा. सो. लि.	23-11-63	श्री सुमेरसिंह, अध्यक्ष	14	7	5-

1	2	3	4	5	6	7
			श्री के. एस. मग्न, उपा. श्री रमेश चन्द अग्रवाल, मंत्री श्री जे. पी. गुप्ता, संयु. मंत्री श्री सीताराम अग्रवाल, कोषाध्यक्ष श्री आर. डी. शाह, के. एम. कराड़िया, सदस्य			
64.	गुलाबी नगर गृह निर्माण सहकारी समिति	13–10–69	श्री लियाकत अली, अध्यक्ष श्री सोहनलाल, उपा. श्री मोहम्मद नाज, मंत्री श्री मोहम्मद अमर, कोषाध्यक्ष श्री गोपाल, रणजीतसिंह श्री करीम बक्श, सदस्य	136	10	—
65.	शिल्पाचार्य विश्वकर्मा गृह निर्माण सहकारी समिति	19-7-72	श्री भवानीसिंह, अध्यक्ष श्री संतोष कुमार, उपा. श्री विजयसिंह, मंत्री श्री करतारसिंह, कोषाध्यक्ष श्री सत्यनारायण, रामदयाल, राजेन्द्र पाल, श्री गोपीराम, सदस्य	468	18	—
66.	अपोलो नगर को-ओ. हाउ. सोसायटी लि.	7-2-70	श्री प्रह्लादकिशन, अध्यक्ष श्री राधेश्याम, उपा. श्री सूरजमल, मंत्री	455	—	—

		श्री बद्रीनारायण, कोषाध्यक्ष श्री रामेश्वर प्रसाद, नारायणसिंह, सदस्य			
67. मोती भवन गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	5-8-72	श्री जवाहरसिंह, अध्यक्ष श्री लक्ष्मीनारायण, उपा. श्री सूरजा राम, मंत्री श्री बजरंग लाल, कोषाध्यक्ष श्री भागीरथ, रेखाराम, हबीब, नाथूराम, सदस्य	774	9	--
68. श्री छत्रपति गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	29-6-70	श्री हनुमान सहायक वैद्य, अध्यक्ष श्री पोकर मल, मंत्री श्री ओमप्रकाश, कोषाध्यक्ष श्री तेजप्रकाश पारीक, सदस्य	938	7	--
69. प्रतापनगर गृह निर्माण सहकारी समिति	14-2-69	श्री शीतलदास, अध्यक्ष श्री तुलसीदास, उपा. श्री एम. वी. टेकचन्दानी, श्री अरविन्द सक्सेना, कोषाध्यक्ष श्री भीमसेन, शंकरलाल, नानकराम, कन्यालाल, देवेन्द्र कुमार, सदस्य	101	10	--
70. कृष्णापुरी गृह निर्माण सहकारी समिति	29-7-70	श्री केदारनाथ सोखिया, अध्यक्ष	734	9	3 110

1	2	3	4	5	6	7
			श्री गुरूबक्श, उपा. श्री रामस्वरूप रावत, मंत्री श्री रामबाबू दुसाब, कोषाध्यक्ष श्री रामदेव, राजेन्द्र, मूलचन्द, प्यारसीलाल, सदस्य			
71.	गोविन्द गृह निर्माण सहकारी समिति	11-11-68	श्री आत्माराम, अध्यक्ष श्री अब्दुल शमीम, मंत्री श्री ओमप्रकाश शर्मा, कोषाध्यक्ष श्री हनुमान सहाय शर्मा, सयु. मंत्री श्री प्रेमचन्द, शमशुद्दीन, मोहनलाल, सदस्य	244	11	8982
72.	न्यू पिंक सिटी गृह निर्माण सहकारी समिति	5-11-69	श्री खेमचन्द, अध्यक्ष श्री धर्मचन्द जैन, मंत्री श्री अमरचन्द कोठारी, कोषाध्यक्ष श्री मनमोहनलाल, ओंकार शंकर, श्याम सुन्दर, सदस्य	1241	—	—
73.	शंकर भवन गृह निर्माण सहकारी समिति	31-7-72	श्री टेडीचन्द, अध्यक्ष श्री यमनोप्रसाद श्रीवास्तव, मंत्री श्री प्रियाशरण, सुशील, सदस्य	298	18	—

74. स्वास्तिक गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	7-5-71	श्री गोपीचन्द लुहारियां, अध्यक्ष श्री लक्ष्मीनारायण, उपाध्यक्ष श्री रामबाबू भुखमरीया, मंत्री श्री रामरतन धामाणी, कोषाध्यक्ष श्री सीताराम दुसाद, तोतारा, श्री रामगोपाल, सदस्य	22	14	—
75. संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	7-2-68	श्री पुरुषोत्तम लाल, अध्यक्ष श्री ओमप्रकाश, उपा. श्री ब्रह्मकुमार शर्मा, मंत्री श्री जगमोहन, उप मंत्री श्री राजेश, कोषाध्यक्ष श्री प्रहलाद राय, रतन शंकर, सदस्य	356	—	—
76. नवजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	7-8-72	श्री जगन्नाथ पुरोहित, अध्यक्ष श्री तेजप्रकाश शर्मा, उपा. श्री जगदीश प्रसाद, मंत्री श्री रवीदत्त शर्मा, कोषाध्यक्ष श्री कांती, पवनकुमार, धापा देवी, सदस्य	709	12	6466

(134)

1	2	3	4	5	6	7
77.	खुदाबादी सोनारा गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	23-12-66	श्री यमना प्रसाद श्रीवास्तव, अध्यक्ष श्री एस. के. श्रीवास्तव, मंत्री श्री प्रियाशरण, कोषाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश, अनिल कुमार श्री के. डी. शर्मा, नगेन्द्रकुमार श्री सुरेश कुमार, सदस्य	493	5	—
78.	जनता को–ओ. हा. सोसायटी लि.	11–5–61	श्री ब्रह्मसिंह अध्यक्ष श्री रवीन्द्र कुमार सूद उपाध्यक्ष श्री भूदत्त शर्मा, मंत्री श्री जयकुमार, कोषाध्यक्ष श्री हरीगोपाल, अभय कुमार, नन्द किशोर, ईश्वर लाल, सदस्य	236	2	—
79.	पथिक भवन गृह निर्माण सहकारी स.	29–3–61	श्री शिवराम शर्मा अध्यक्ष श्री घन्नालाल उपाध्यक्ष श्री नवीन राम मंत्री श्री वृद्धि चन्द कोषाध्यक्ष श्री भगवान श्रीवास्तव सदस्य	1268	—	—
80.	न्यू लाइट हा. को-ओ. सोसायटी	15–6–71	श्री कैलाश गुप्ता अध्यक्ष श्रीमती सुशीला जैन उपा.	44	14	—

		श्री एस. के. सोमानी मंत्री श्री प्रेमचन्द कोषाध्यक्ष श्री ब्रजगोपाल, श्रीमती मंजू शर्मा, श्रीमती कंचन, श्रीमती किशोर, सदस्य ।		
81. गवर्नमेन्ट एम. को-ओ.हा. सोसायटी.लि.	21–3–66	श्री एम. आर. हांडा अध्यक्ष श्री डी. पी. भटनागर, उपा. श्री एस. एल. मरूवा, मंत्री श्री पी. डी. पारीक कोषा. श्री एस. डी. गुप्ता श्री विलायती राम एस. के. एल. पाठक सदस्य ।	3	2
82. रामजीपुरा को-ओ.हाउ.सोसायटी लि.	13–5–66	श्री बद्री प्रसाद अध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार मंत्री श्री गंगाधर प्रसाद कोषाध्यक्ष श्री मदन लाल सैनी, लल्लू लाल सदस्य	22	5
83. महालक्ष्मी गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	14-2–69	श्री जगदीशलाल माथुर अध्यक्ष श्री सी. एम. बोहरा, मंत्री	2	16

1	2	3	4	5	6	7
			श्री आत्म प्रकाश, कोषाध्यक्ष श्री जयगोपाल संयु. मंत्री श्री बी. डी. भार्गव, आर. के भार्गव सदस्य			
84.	नेशनल को-ओ. हा. सोसा.	9-1-70	श्री राधेश्याम दाधीच, अध्यक्ष श्री मोरसिंह उपाध्यक्ष श्री गोपाल शर्मा मंत्री श्री एस. एन. श्रीवास्तव कोषा. श्री रामअवतार, कृष्ण मुरारी श्यामसुन्दर सदस्य	113	10	—
85.	राज. सैक्रेटेरियट एम. हाउ. सो. लि.	17-2-66	श्री विश्नूस्वरूप उपाध्यक्ष श्री रमेश चन्द शर्मा, मंत्री श्री वासुदेव पंचवानी, कोषा. श्री कैलाश चन्द शर्मा, चुन्नीलाल जानकीलाल, बाबूलाल, भगवानदास, बाबूलाल आर्य, सदस्य	5	15	—
86.	मोडर्न हाउ. को-ओ. सो.	5-8-69	श्री वी. एम. लुवा, अध्यक्ष श्री एस. के जैन उपा. श्री पी. सी. मंत्री श्री ताराचन्द सोगानी कोषा. श्री गिरधर गोपाल मलूकसिंह श्री प्रतापसिंह सदस्य	14	10	—

87.	दी महावीर हा. को-ओ. सोसायटी लि.	21-2-70	श्री एस. पी. भंडारी, अध्यक्ष श्री भोजराज बाफना, मंत्री श्री वी. एस. मेहता, कोषाध्यक्ष श्री मूल चन्द, खैराथीलाल, पुयूस कुमार जैन, सदस्य	33	5	—
88.	महालेखापाल कर्म. भवन निर्माण सहकारी समिति	28-3-59	श्री शिवकुमार शर्मा, अध्यक्ष श्री उमरावसिंह, मंत्री श्री मोहनलाल, कोषाध्यक्ष श्री अवध विहारी, नन्द किशोर, सदस्य	39	16	—
89.	श्री 108 गृह निर्माण स. स.	16-1-61	श्री प्रेमचन्द, अध्यक्ष श्री हरीनारायण उपाध्यक्ष श्री एस. एस. एस. शर्मा, मंत्री श्री जी. एस. मीना, कोषाध्यक्ष श्री कल्याण, रूपसिंह, अरूरदेव, राजेन्द्र सिंह, मांगीलाल शर्मा, सदस्य	124	—	—
90.	श्री जयपुर इन्डस्ट्रियल स्टेट को-ओ. हा. सो.	13-8-64	श्री रामचन्द्र कासलीवाल, अध्यक्ष श्री विजय चन्द जैन, उपाध्यक्ष श्री प्रेम चन्द करनावत, मंत्री श्री हरशवरधन, कोषाध्यक्ष श्री जगदीश, मोतीचन्द, फूलचन्द, सुभाषचन्द, सदस्य	4	18	—
91.	महाराज गोपालपुरा गृह निर्माण सह. स.	8-12-64	श्री वल्लभ चितलांगिया, अध्यक्ष श्री महेश चन्द शर्मा, उपाध्यक्ष	56	10	—

1	2	3	4	5	6	7
			श्री धर्मेन्द्र कुमार रस्तोगी, मंत्री श्री कुशाल चन्द डांगी, कोषाध्यक्ष श्री रतनलाल डांगी, सं. मंत्री सत्येन्द्र, शंकर, श्रीमती कमला			
92.	मालवीयानगर कच्ची बस्ती गृह निर्माण स. स.		श्री जगदीश, अध्यक्ष श्री कल्याण, उपाध्यक्ष श्री कल्याण मल, मंत्री श्री प्रभूदयाल बेरवा, कोषाध्यक्ष श्री मोहनलाल, मोतीलाल, भौंरीलाल, सदस्य			5390
93.	श्री लक्ष्मीनारायणपुरी भवन निर्माण स. स.	9-10-64	श्री रामनिवास त्यागी, अध्यक्ष श्री मुरारीलाल गोयल, उपा. श्री हनुमान सहाय, मंत्री श्री महेश कुमार कोषाध्यक्ष श्री माधोलाल अग्रवाल, संयु. मंत्री श्री रामचन्द्र, पूरणमल, राधेश्याम, मूल चन्द, सदस्य	109	3	—
94.	जयपुर भवन निर्माण सहकारी स.	31-5-61	श्री उमरावमल, अध्यक्ष श्री बल्लभ दास, उपा. श्री कृष्ण कुमार, सचिव श्री गोर्धन दास, कोषाध्यक्ष श्री राधेश्याम खण्डेलवाल, राधेश्याम अग्रवाल, ज्ञान चन्द, लालचन्द, सदस्य	28	—	—

95.	हथरोई गढ़ गृह निर्माण स. स.	28-10-72	श्री नवल किशोर शर्मा, अध्यक्ष	211	5	—
96.	जयपुर बालिमकी गृह निर्माण सह. स.	26-10-70	श्री अरविन्द कुमार, अध्यक्ष श्री जानकी शरण, मंत्री श्री कृष्ण चन्द, उपाध्यक्ष श्री सुभाष चन्द, कोषा. श्री त्रिलोक चन्द, सत्यनारायण, सदस्य	253	15	—
97.	मीणा कालोनी गृह निर्माण सहकारी स.	22-12-75	श्री प्रहलाद राय, अध्यक्ष श्री सुरेश कुमार, मंत्री	48	13	1300
98.	फोरेस्ट एम. को-ओ. हाउ. सोसायटी लि.	5-8-62	श्री रतनलाल जैन, अध्यक्ष श्री दामोदर लाल, उपा. श्री गुलाब चंद, मंत्री श्री सज्जनसिंह, कोषा. श्री रणवीरसिंह, लल्लूसिंह, विपिन कुमार, बद्रीनारायण, रामदीन, सदस्य	12	3	—
99.	विद्युत अभियन्ता गृह निर्माण सहकारी स.	6-9-69	श्री ओ. पी. बंसल, अध्यक्ष श्री चिरंजीलाल, उपाध्यक्ष श्री आर. जेठमलानी, मंत्री श्री जे. के. मोठ, कोषा. श्री ईश्वर सिंह, सं. मंत्री श्री ए. पी. सिंह, सदस्य स्नेह अग्रवाल, सदस्य	13	6	—
100.	नव गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	5-9-67	श्री राधाकृष्ण डागा सुश्री राजेश्वरी, उपा.	18	—	—

(199)

1	2	3	4	5	6	7
			श्री शिवपूजन सहाय, मंत्री श्री सानेश्वर प्रसाद, कोषा. श्री अशोक कुमार, रवीन्द्र नाथ, कान्ता प्रसाद, सदस्य			
101.	जय चामुण्डा गृह निर्माण स. स.	20-1-70	श्री दिग्वज सिंह, अध्यक्ष श्री अश्वनी प्रसाद, उपा. श्री नवीन चतुर्वेदी, कोषा. श्री आनन्द सिंह, मंत्री श्री खेम सिंह, गजेन्द्र सिंह, सदस्य	131	4	—
102.	सहकारी विभाग कर्म. गृह नि. सह. स.	2-1-61	श्री शिवकुमार जैन, अध्यक्ष श्री बजरंग लाल, उपा. श्री बृजभूषण, मंत्री श्री विजय पाल मलिक, कोषा. सुश्री फूलकुमारी, रामवल्लभ शर्मा, सुरेन्द्र कुमार त्रिवेदी, सीताशरण, शिव कुमार भट्ट, सदस्य	5	5	—
103.	वसंतबहार सिंधी को. ओ. सो. लि.	28-3-70	श्री सीरू मल, अध्यक्ष श्री हेमराज, उपाध्यक्ष श्री गोपाल दास, मंत्री श्री चन्दूमल, कोषा. श्री मीर चन्द, सोभराज, शंकर लाल, जेठानन्द, नारायण, सदस्य	28	1	—

104.	इनकमटैक्स गजेटेड ऑफि. को. ऑ. हा. सो.	21-2-69	श्री वी. पी. गुप्ता, अध्यक्ष श्री एम. आर. अग्रवाल, उपा. श्री जी. सी. माथुर, मंत्री श्री जे. सी. भटनागर, स. मंत्री श्री हरेश सक्सेना, कोषा. एच. आर. लोढ़ा. डी. के. गुप्ता, सदस्य	–	–	19060
105.	इनकम टैक्स नान गजेटेड आ. को. हा. सो.	1-3-69	श्री जे. के. चावला, अध्यक्ष श्री के. वी. सिंह, उपा. श्री वी. के. गिम, मंत्री श्री टी. सी. मिश्रा, कोषा. श्री जे. पी. भटनागर, सदस्य	6	5	–
106.	कीर्तिनगर गृह नि. स. स.	5-12-68	श्री जी. एल. कोषाल, अध्यक्ष श्री एस. पी. भटनागर, उपा. श्री मनोहर लाल, कोषा श्री ध्रुवसिंह, उप मंत्री श्री महेन्द्र सिंह, पी. के. मेहता, नाथूलाल शर्मा, सदस्य	8	4	–
107.	इन्द्रपुरी गृह नि. स. स.	3-2-70	श्री दामोदर हल्दीया, अध्यक्ष श्री ब्रजमोहन, उपा. श्री प्रहलाद, मंत्री श्री भैरूलाल, स. मंत्री श्री केदार नाथ सोखिया, कोषा. श्री भीखमचन्द, रामगोपाल, गुलाब चन्द, राधेश्याम, सदस्य	74	10	–

1	2	3	4	5	6	7
108.	मानकपुरी गृह नि. स. स.	5-12-69	श्री झामन दास, अध्यक्ष श्री देवदास, उपा. श्री रामचन्द, सदस्य	135	20	–
109.	गुलाब बाड़ी भ. नि. स. स.	8-8-72	श्री नाहरसिंह, अध्यक्ष श्री रामकरण, उपा. श्री महादेव पूनिया, मंत्री श्री पूर्णचन्द, कोषा. श्री मदनलाल, सरदार सिंह, रामनिवास, सदस्य	370	–	–
110.	सेन कोलोनी गृह नि. स. स.	16-1-62	श्री ओमदत्त शर्मा, अध्यक्ष] श्री हनुमान सहाय, उपा. श्री विजय नारायण, मंत्री श्री शंकरदास, कोषा. श्री ईश्वर, भूदत, ओमप्रकाश, राम गोपाल, सदस्य	135	5	–
111..	दी कृष्ण को. ओ. हा. सो	24-8-61	श्री हरीराम, अध्यक्ष श्री रोड़ मल, उपाध्यक्ष श्री प्रतापसिंह, मंत्री श्री अब्दुल सत्तार, कोषा. श्री रामपालसिंह, फूलचन्द, विद्याधर आर्य, सदस्य	301	2	–
112.	तोपखाना देश गृह नि. स. स.	7-9-72	श्री महेशचन्द शर्मा, अध्यक्ष श्री पूनमचन्द जैन, उपा.	774	8	–

		श्री चन्द्रकान्त, मंत्री श्री सतीश चन्द, कोषा श्री महेश चन्द जैन, केदार नारायण, सीताराम सोनी. श्रीमती विमला देवी, सदस्य			
113. .मीचूवल गृह निर्माण स. स.	5-8-69	श्री प्रकाश चन्द, अध्यक्ष श्री कैलाशचन्द, उपा. श्री सूरजनारायण, मंत्री श्री प्रभुनारायण कोषा. श्री रूपनारायण श्री दामोदर प्रसाद, प्रकाश चन्द, सदस्य	209	16	–
114. सिन्धु नगर गृह नि. स. स.	31-5-61	श्री चिरंजीलाल मूंदड़ा, अध्यक्ष श्री हनुमान सहाय, मंत्री	295	–	–
115. माधव नगर गृह निर्माण स. स.	3-11-72	श्री पूरनचन्द, अध्यक्ष श्री रमेशचन्द, उपा. श्री द्वारका प्रसाद, मंत्री श्री राधेश्याम शर्मा, कोषा. श्री जसवंतसिंह, रवीन्द्रसिंह, नेमसिंह, दामोदर प्रसाद, सदस्य	714	6	–
116. नानकपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति	31-1-73	श्री झावरसिंह, अध्यक्ष श्री शिवदयालसिंह, उपा. श्री भागरसिंह, मंत्री श्री सायरसिंह, कोषा. श्री सुखदेवसिंह, कु. बीना राठौड़, श्रीमती पाराबाई, सदस्य	82	–	–

1	2	3	4	5	6	7
117.	राजहंस गृह निर्माण सहकारी समिति	6-10-61	श्री महेशचन्द, अध्यक्ष श्री सत्यप्रकाश, उपा. श्री दुर्गा चरण, मंत्री श्री सत्यनारायण, कोषा. श्री वल्लवंतसिंह, मनसुख	278	16	–
118.	पहाड़गंज गृह निर्माण सहकारी समिति	6-4-68	श्री.बाबू बेग, अध्यक्ष श्री मोहम्मद जाहूर, उपा. श्री दामोदर प्रसाद, मंत्री श्री सिवदयाल, कोषा. श्री फयाज खां श्री फकरूद्दीन इरसाद अहमद,मूलचन्द, सदस्य	125	–	–
119.	गांधी गृह निर्माण सहकारी समिति	8-9-60	श्री निवास सोमानी, अध्यक्ष श्री सेव्रांतीलाल, उपा. श्री राधेश्याम, मंत्री श्री जयचन्द, कोषा. श्री ओम प्रकाश सोमानी, सदस्य	–	–	531139
120.	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एम. सहकारी समिति	7-3-63	श्री मदन लाल पालीवाल, अध्यक्ष श्री जी. एन. वीसा, उपा. श्री के. वी. खेरा, मंत्री श्री के. एन. भार्गव, कोषा. श्री विश्वम्भरदयाल, सदस्य	5	8	–

		श्री वी.डी.आचार्य वी.एल.सचदेवा श्री के.पी.धवन, सदस्य			
121. श्री राम कालोनी गृह निर्माण सह.स.	3-10-74	श्री रामेश्वरसिंह, अध्यक्ष श्री कालूराम, उपा. श्री प्रभूसिंह, मंत्री श्री देवीसिंह, कोषा. श्री रामसहाय, नारायण, रामचन्द मुंशीराम, सदस्य	699	2	—
122. अशोकपुरा गृह निर्माण सह.समिति	30-9-72	श्री जगदीशनारायण, अध्यक्ष श्री एन. के. अरोड़ा, उपा. श्री सूरजनारायण, मंत्री श्री किशन लाल, कोषा. श्री हीरालाल. हनुमान, डी.सी.सोनी, जगदीश प्रसाद, सदस्य.	92	3	—
123. शिवाजी नगर गृह नि. स. स.	27-9-74	श्री गणेश लाल अध्यक्ष	5	—	—
124. महाराणा प्रताप नगर गृह नि. स. स.	11-4-75	श्री सूरजसिंह, अध्यक्ष श्री कानसिंह, उपा. श्री मदनलाल, मंत्री श्री जगदीश प्रसाद, कोषा. श्री मोहनलाल, शिवचरण मुरारीलाल, बाबूलाल, सदस्य			66535
125. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर आफीसर हा	11-3-69	श्री आर. के. विजयवर्गीय, अध्यक्ष श्री आर. एल. सविता, मंत्री श्री सी. बी. वाकलीवाल, कोषा.	—	—	26016

205

1	2	3	4	5	6	7
			श्री एम. एल. गुप्ता, आई. एम. मुडाल, जी. एस. चौहान, पी. डी. माथुर, सदस्य			
126.	श्री रामपुरी गृह निमार्ण सहकारी स.	24-8-73	श्री राधेश्याम पूलवाल, अध्यक्ष श्री मोहनलाल, उपा. श्री रामशरण घीया, मंत्री श्री निवास खुटेटा, कोषा. श्री फतेहलाल, मदनलाल, गोबिन्द शर्मा, हरीमोहन सदस्य	–	–	–
127.	बुनियादी विकास गृह निमाण सह. स.	27-8-73	श्रीमती प्रेमकुमारी, अध्यक्ष श्री चन्द भाटी, उपा. श्री पदमसिंह, मंत्री श्री जगनाथ मीणा, कोषा. श्री कानसिंह, दौलतराम, सीताराम, सदस्य			
128.	वरकत कालोनी गृह निमाण सह स.	16-6-75	श्री अब्दुलगनी अध्यक्ष श्री चांदखांन, उपा. श्री अब्दुल अजीम मंत्री श्री अब्दुल गफूर, कोषा. श्री पीरबख्श शाहजादा, जुमाखां, सदस्य	–	–	-
129.	लाखाजी की ढाणी गृह नि. सह. स.	14-8-75	श्री मंगनलाल, अध्यक्ष श्री रामेश्वर लाल, उपा.			

		श्री फूलचन्द वर्मा, मंत्री श्री नाथूलाल कुमावत, कोषा. श्री भंवरलाल, दयालचन्द, गोपाल, सदस्य
130. पटेल नगर गृह नि. स.	29-5-76	श्री जोहरीलाल, अध्यक्ष श्री रसीद खां, उपा. श्री नाथूलाल, मंत्री श्री रामदेव, कोषा. श्री नाथूराम, जुगलकिशोर, कैलाश चन्द, श्री हरीशचन्द, सदस्य
131. कंकेश्वर माहदेव गृह निर्माण सह. स.	27-7-65	श्री गोपालसिंह, अध्यक्ष श्री सुवालाल, उपा. श्री रामगोपाल सैनी, मंत्री श्री भगतशरण सैनी कोषा. श्री छुट्टनलाल, दीनधमल, सेरूराम, सीसाराम, सदस्य
132. सुन्दर नगर गृह निर्माण सह. स.	27-11-72	श्री प्रद्युम्नकुमार, अध्यक्ष श्री सूरजनारायण, उपा. श्री रामबाबू, मन्त्री श्री सत्यनारायण, कोषा. श्री कैलाश चन्द, अनीरुद, रामशरण, रमेश कुमार, सदस्य
133. लक्ष्मण डूंगरी गृह निर्माण सह. स.	16-8-74	श्री सूरज नारायण, अध्यक्ष श्री अब्दुल रसीद, उपा. श्री अब्दुल गनी, मन्त्री श्री रामस्वरूप, कोषा. श्री अहमद बक्स, मोहम्मद पीर, कादिर अली, सदस्य

1	2	3	4	5	6	7
134.	फतहनगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	3-12-74	श्री फूलखां, अध्यक्ष श्री सफुरु खां, उपाध्यक्ष श्री कल्ली खां, मंत्री श्री छीतर, कोषाध्यक्ष श्री अब्दुल, सदस्य श्री मसीर खां, सदस्य श्री लालू, सदस्य			
135.	राजेन्द्र नगर आदर्श – ,,	26-11-74	श्री अकबर खां, अध्यक्ष श्री नसरी मोहम्मद, उपाध्यक्ष श्री अबीब खां, मन्त्री श्री बिन्दू खां, कोषाध्यक्ष श्री इन्दू खां, बसीर खां, नसीर खां, श्री सादुल खां, वसीर खां, सदस्य			
136.	अमृतपुरी विकास ,,	19-8-74	श्री समसुदीन खां, अध्यक्ष श्री इनायत खां, उपाध्यक्ष श्री इमामुद्दीन खां, मन्त्री श्री गुलाम रसूल, कोषाध्यक्ष श्री मोहम्मद खां, कल्लु खां, श्री सलाम खां, सदस्य			
137.	श्यामपुरी लक्ष्मीनारायणपुरी ,,	24-8-74	श्री खुसाल चन्द, अध्यक्ष श्री हजारी लाल, उपाध्यक्ष			

			श्री महावीर प्रसाद, मन्त्री श्री छीतर लाल, कोषाध्यक्ष श्री गुलाम हुसेन, रमजान, जोहरी लाल, रामेलाल, सदस्य
138. दयानन्दपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति लि.		14-2-75	श्री लालचन्द, अध्यक्ष श्री मदनलाल, उपाध्यक्ष श्री ईश्वरलाल, मन्त्री श्री सीताराम, कोषाध्यक्ष श्री पदम चन्द, सतीशचन्द्र, श्री मदनलाल, सदस्य
139. बलाई बस्ती	”	8-8-72	श्री पांचूराम, अध्यक्ष श्री देवीलाल, उपाध्यक्ष श्री सीताराम, मन्त्री श्री भैरूराम, कोषाध्यक्ष श्री हरीनारायण, श्रवणलाल, सदस्य
140. प्रेमनगर	”	16-9-72	श्री नूर खां, अध्यक्ष श्री जहूर खां, उपाध्यक्ष श्री मुनु खां, मन्त्री श्री अब्दुल हमीद, कोषाध्यक्ष श्री मोहम्मद इस्माईल, निसारबेग, श्री नूर मोहम्मद, बफाती खां, सदस्य
141. रामदेव पुरी	”	9-3	श्री सेडू राम, अध्यक्ष श्री कैलाश चन्द्र, उपाध्यक्ष श्री कसाव मल, मन्त्री

1	2	3	4	5	6	7
			श्री कन्हैया लाल, कोषाध्यक्ष श्री हनुमान, बाबूलाल, चौथमल, रामचन्द्र, सदस्य			
142.	विजय ,,	14-3-68	श्री रामनारायण, अध्यक्ष श्री अब्दुल रज़ाक, उपाध्यक्ष श्री याकुब हुसैन, मन्त्री श्री निजामुद्दीन संयुक्त, मन्त्री श्री वृद्धीचन्द्र वर्मा, कोषाध्यक्ष श्री नूर मोहम्मद, नन्दलाल, गोरधन लाल, सदस्य			
143.	जय बैंक कर्मचारी ,,	19-8-69	श्री एस. सी. जैन, अध्यक्ष श्री के. एल. खन्ना, उपाध्यक्ष श्री सुगन सिंह तंवर, मन्त्री, भागचन्द, कोषाध्यक्ष श्री शंकरसिंह, कैलाशचन्द, उमेश, अयोध्या प्रसाद, सदस्य			
144.	नागरिक गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	1-5-73	श्री रमेशचन्द्र शर्मा, अध्यक्ष श्री कन्हैयालाल, मन्त्री			
145.	रिजर्व बैंक हाउ. को-आप. सोसायटी लि.	12-4-74	श्री वी. एन. भार्गव, अध्यक्ष श्री वी. के. सरीन, उपाध्यक्ष			

			श्री श्यामलाल गौड, मन्त्री श्री ग्रार. डी. ग्रग्रवाल, कोषाध्यक्ष श्री रामदयाल, के. के. रमन. श्री बी. के. बक्सी, के. बी. शर्मा, एस. एन. तुल्ली, टी. सी. जैन, सदस्य
146.	जालुपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	30-11-59	श्री ग्रासीन खां, ग्रध्यक्ष श्री ग्रब्दुल रसीद, उपाध्यक्ष श्री नजर मोहम्मद, मन्त्री श्री बसीर खां, कोषाध्यक्ष श्री यासीन खां, नूर मोहम्मद, मोहम्मद खां (प्रथम), मोहम्मद खां (द्वितीय), सदस्य
147.	जयपुर जिला कर्मचारी ,,	24-8-61	श्री ग्यारसीलाल, ग्रध्यक्ष श्री हरीसिंह, उपाध्यक्ष श्री कृष्णचन्द्र, मन्त्री श्री कृष्णमोहन, कोषाध्यक्ष श्री महाराम, नारायण, किशोर, शान्ति कुमार, राम निवास, रामानन्द, सदस्य
148.	हृथरोई बावड़ी ,,	13-10-61	श्री मंगल सिंह, ग्रध्यक्ष श्री घनश्याम, उपाध्यक्ष श्री सलीमुद्दीन, मन्त्री श्री मोहम्मद यासीन, संयुक्त मन्त्री श्री मुरलीधर यादव, कोषाध्यक्ष श्री ग्रर्जुन सिंह, नाथूमल, भवरलाल एवं श्री कमरुद्दीन, सदस्य

1	2	3	4	5	6	7
149.	जैल कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	5-1-62	श्री अमर सिंह राणावत, अध्यक्ष श्री शान्तिलाल, उपाध्यक्ष श्री जगमोहन लाल, मन्त्री श्री उम्मेद सिंह, कोषाध्यक्ष श्री विरदाराम, जौरावर सिंह श्री कल्याणमल, जयसिंह, सदस्य			
150.	श्यामपुरी ,,	23-11-63	श्री बन्शीलाल, अध्यक्ष श्री लल्लुलाल, उपाध्यक्ष श्री ताराचन्द, मन्त्री श्री रामस्वरूप, संयुक्त मन्त्री श्री मोहनलाल, कोषाध्यक्ष श्री किशोर, नारायणलाल, श्री रामसहाय, मदनलाल, सदस्य			
151.	सूरजपोल गृह निर्माण ,,	31-12-64	श्री रामगोपाल, अध्यक्ष श्री परमानन्द, उपाध्यक्ष श्री अवधबिहारी, मन्त्री श्री राधेश्याम ताम्बी, कोषाध्यक्ष श्री रामबिलास, नवरंगलाल, श्री भंवरलाल, बिहारी लाल, श्री प्रभूदयाल, सदस्य			
152.	जैन कालोनी ,,	22-12-65	श्री रिखबचन्द, अध्यक्ष श्री नेमीचन्द, मन्त्री			

			श्री पूनमचन्द, कोषाध्यक्ष श्री लाभ चन्द, उमरावमल, सदस्य
153. पुरानी बस्ती कोली	,,	30-6-59	श्री नारायण, अध्यक्ष श्री प्रहलाद, उपाध्यक्ष श्री रामकिसन, मन्त्री श्री मूलचन्द, कोषाध्यक्ष श्री नानगराम, मांगीलाल, रामसहाय, श्री श्याम लाल, लच्छु राम, सदस्य
154. हसनपुरा "ए" गृह निर्माण सहकारी-समिति लि.		9-2-73	श्री मोदराम शर्मा, अध्यक्ष श्री गोपाल, उपाध्यक्ष श्री गोरधनलाल, मन्त्री श्री बाबूलाल शर्मा, कोषा. श्री सूरज कुमार, मनमोहन, श्रवण, महादेव, सूरजपुरी सदस्य
155. दयाल भवन	,,	7-8-72	श्री जमना प्रसाद, अध्यक्ष श्री शंकरलाल, उपा. श्री मदनलाल, मन्त्री श्री कन्हैयालाल, कोषा. श्री लक्ष्मीनारायण, जगदीश, सन्ताराम, रमेशचन्द्र, सदस्य
156. कस्साब पुरा	,,	7-8-72	श्री मोहम्मद सफीक, अध्यक्ष श्री रसीक अहमद, उपा. श्री मोहम्मद असीफ, मन्त्री श्री मोहम्मद इस्माईल, कोषा.

1	2	3	4	5	6	7
			श्री अब्दुल हमीद, सदस्य श्री निजामुद्दीन एवं फकीर मोह., सदस्य			
157.	सीकर हाउस ,,	10-8-72	श्री मांगीलाल, अध्यक्ष श्री नजीर मोहम्मद, उपा. श्री दीपचन्द सैनी, मन्त्री श्री अहमद अली, कोषा. श्री छीतर, रोशन खां, नारायण सैनी, अब्दुल-गफार, सदस्य			
158.	रगुनाथपुरी ,,	16-9-72	श्री प्रेमनारायण शर्मा, अध्यक्ष श्री महादेव शर्मा, उपाध्यक्ष श्री कृष्ण शर्मा, मन्त्री श्री कन्हैयालाल, कोषा. श्री सूर्यनारायण शर्मा, बद्रीनारायण, नाथूलाल, युगल किशोर, सदस्य			
159.	सूरज नगर गृह निर्माण सहकारी समिति-लि.	26-9-72	श्री अलीमुदीन गौरी, अध्यक्ष श्री शिवलाल, उपा. श्री मनोहर सिंह, मन्त्री श्री रामकिशोर, कोषा. श्री किसनलाल, हनुमान, इस्माईल, मानक-चन्द, सदस्य			
160.	शान्तिनगर गृह निर्माण सहकारी समिति, लि.	26-9-72	श्री रामलाल, अध्यक्ष श्री कल्याण, उपाध्यक्ष			

			श्री मोहनलाल, मन्त्री श्री रामचन्द्र, कोषा. श्री कजोड़, घासीराम, श्री नन्दाराम, लच्छी-राम, सदस्य
161. सन्तोष नगर	,,	30-9-72	श्री प्रेमदास, अध्यक्ष श्री घासीलाल, उपाध्यक्ष श्री सन्तुराम, मन्त्री श्री ग्यारसीलाल, कोषा. श्री रामलाल, छगनलाल, छोटीलाल, सदस्य
162. धन्नादास की बगीची	,,	30-9-72	श्री मेहरोजुद्दीन, अध्यक्ष श्री भंवरलाल, उपा. श्री रूपसिंह, मन्त्री श्री शंकरलाल, कोषा. श्री शयजाद बेग, गणेशलाल, कयुम खां, सिकन्दर खां, सदस्य
163. लालकोठी गृह निर्माण सहकारी समिति लि.		30-9-72	श्री आदेश कुमार, अध्यक्ष श्री प्रभुनारायण, उपा. श्री मनोहरसिंह, मन्त्री श्री मोतीलाल, कोषा श्री नाथूलाल, मोतीराम, आत्माराम, गोपाल लाल सदस्य
164. शिव शंकर गृह निर्माण सहकारी समिति-लि.		23-10-72	श्री पन्नालाल, अध्यक्ष श्री बालूराम, उपा. श्री रामलाल, मन्त्री

1	2	3	4	5	6	7
			श्री गणेशराम, कोषा. श्री टीकाराम प्रहलाद, मोहम्मद, महादेव, सदस्य			
165.	विवेकानन्द गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	9-2-73	श्री इब्राहीम, अध्यक्ष श्री कालूराम, उपा. श्री सीताराम, मन्त्री श्री प्रभातीलाल, कोषा. श्री भीम सिंह, किसनलाल, हनुमान सहाय, दुर्गासिंह, सदस्य			
166. नृसिंहपुरी	"	9-2-73	श्री हीरापुरी, अध्यक्ष श्री राधेश्याम, उपा. श्री चौथमल, मन्त्री श्री बाबूलाल, कोषा. श्री ओंकार, गिरीष कुमार, विजय लाल, सुगनचन्द, सदस्य			
167. गणपत	"	10-10-72	श्री भंवरलाल पंवार, अध्यक्ष श्री जगमोहन वर्मा, उपा. श्री धोलाराम, मन्त्री श्री कन्हैयालाल, कोषा. श्री केसरलाल, पांचुराम, किसनलाल, कन्हैयालाल, सदस्य			
168.	सुदामा गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	9-2-73	श्री श्रवण कुमार, अध्यक्ष श्री मनमोहन, मंत्री			

			श्री सूरजपुरी उपा. श्री बाबूलाल शर्मा कोषा. श्री राधेश्याम, रमेशचन्द्र, राजेन्द्र कुमार, लालचन्द सदस्य
169.	हसनपुरी "सी" गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	12-2-73	श्री गोपीराम, अध्यक्ष श्री कल्याणमल, उपा. श्री मुस्ताक अहमद मंत्री श्री छुट्टनलाल वर्मा, कोषा. श्री रामचन्द्र, रामनारायण, पूरनमल, हरी नारायण, सदस्य
170.	मेजर खन्ना ,,	12-2-73	श्री शंकरलाल, अध्यक्ष श्री ललिता प्रसाद, उपा. श्री छोटेलाल, मन्त्री श्री ईश्वरलाल, कोषा. श्री गोपाल लाल, फूलचन्द, गुन्ना उस्ताद, भोलाराम, सदस्य
171.	इन्द्रा श्रमिक गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	12-2-73	श्री परमानन्द, अध्यक्ष श्री बिरदीचन्द, मन्त्री श्री मोहन लाल, कोषा. श्री नाथूराम, गंगाराम, सदस्य
172.	लोकनायक गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	12-2-73	श्री श्यामलाल, अध्यक्ष श्री राधाकृष्ण, मन्त्री श्री भवानी सिंह, कोषा. श्री कृष्ण शर्मा, उपा.

1	2	3	4	5	6	7
			श्री मुरलीधर, बनवारीलाल, उमराव खां सदस्य			
173.	वैधपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	13-2-73	श्री नारायण जमादार, अध्यक्ष श्री देवीनारायण, उपा. श्री भगवान सहाय, मन्त्री श्री मथुरा लाल, कोषा. श्री बृजमोहन, मांगीलाल, भौंरीलाल, छोटूराम, सदस्य			
174.	नवयुवक गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	8-3-73	श्री रामसिंह, अध्यक्ष श्री समोतीलाल, मन्त्री श्री महीपाल सिंह, कोषा. श्री जवारीलाल, गिरधारीलाल, मिट्ठूखां, मिश्रीलाल सदस्य			
175.	नेह[illegible] गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	24-8-73	श्री दामोदरलाल, अध्यक्ष श्री प्रभूनारायण, उपा. श्री लक्ष्मीनारायण, मन्त्री श्री रामकिशोर शर्मा, कोषा. श्री हनुमान सहाय, हीरालाल, गोपालालाल, रामपाल सदस्य			
176.	गुढ़ा सोडाला ,,	24-8-73	श्री रामपाल शर्मा, अध्यक्ष श्री छीतर मल, उपाध्यक्ष श्री श्रवण कुमार, मन्त्री			

			श्री लक्ष्मीनारायण, कोषा. श्री मूलचन्द, राम लाल, कालूराम चौथमल, सदस्य
177.	आजाद ,,	29-12-73	श्री वुन्धुमियां, अध्यक्ष श्री नारायणदास, उपा. श्री मोहम्मद युसुफ, मन्त्री श्री अब्दुल सकुर कोषा. श्री रफीक मोहम्मद, छुटन, गुहार मोहम्मद, बसीर अहमद सदस्य
178.	स्वामी कच्ची बस्ती गृह निमार्ण स. स. लि.	16-1-74	श्री जहांगीर दास, अध्यक्ष श्री दयाल-दास, उपा. श्री सीताराम, मन्त्री श्री किसनलाल, कोषा. श्री हीरालाल, लादुराम, रामेश्वरदास सदस्य
179	गौतम बुद्ध गृह निर्माण स. स. लि.	14-3-74	श्री रामपाल, अध्यक्ष श्री रामचंद्र, मन्त्री श्री घासीराम, कोषा. श्री चिरन्जीलाल, उपा. श्री गोपाल, सन्तराम, बन्सीराम, नारायणलाल, सदस्य
1[illegible]0.	[illegible]नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	24-7-74	श्री भैरूसिह, अध्यक्ष श्री गणपत लाल, उपा. श्री हीरालाल, मंत्री श्री कन्हैयालाल, कोषा. श्री सोहन सिह, सदस्य श्री बाबू सिह ,, श्री मनोहरलाल, सदस्य

1	2	3	4	5
181.	बेरिया बस्ती गृह निर्माण सहकारी	14-2-75	श्री समसुद्दीन, अध्यक्ष श्री हीनायत खां, उपा. श्री इमामुद्दीन, मन्त्री श्री मोहम्मद शफीक, कुल सदस्य	
182.	कैलाशपुरी ,,	22-3-75	श्री मनफूल सिंह, अध्यक्ष श्री रामनारायण, मन्त्री श्री ललूराम, उपा. श्री मूलचन्द, कोषा. श्री बाबूलाल, रामनारायण मनरूप, सदस्य	
183.	टैगोर नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	22-3-75	श्री श्रवणकुमार, अध्यक्ष श्री बाबूलाल, मन्त्री श्री भैरूलाल, सदस्य श्री मोहरू राम, कोषा. श्री कासीलाल, सदस्य श्री गोकुलराम, सदस्य	
184.	बैकुण्ठनगर	15-5-73	श्री सुरजमल गुप्ता, अध्यक्ष श्री बालजी उपा. श्री भंवरलाल, मन्त्री श्री बाबूलाल, कोषा. श्री सुरजमल, हनुमान, सदस्य	

185. सुतरखाना गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	7-1-76	श्री गोपाल लाल, अध्यक्ष श्री दुर्गाप्रसाद, उपा. श्री रामनारायण, मन्त्री श्री रामप्रसाद, सदस्य श्री लालचन्द, सदस्य श्री फकीर चन्द, सदस्य
186. ब्रह्मा ,,	28-2-76	श्री रूड मल, अध्यक्ष श्री कैलाशचन्द, मन्त्री श्री पूनमचन्द, कोषा. श्री प्यारे लाल, सदस्य श्री लालाराम कजोड़मल, सदस्य
187. बापू कॉलोनी गृह निर्माण स. स. लि.	15-3-76	श्री रामप्रसाद, अध्यक्ष श्री भौरीलाल, उपा. श्री कालूराम, मन्त्री श्री मदनलाल, कोषा. श्री रामलाल, विजयलाल, छोटीलाल, गौरीशंकर, सदस्य
188. शिव शक्ति ,,	31-5-76	श्री हरीसिंह परियार, अध्यक्ष श्री शिवराम, मन्त्री श्री हेमकान्त, कोषा. श्री नारायणसिंह, मदनसिंह, राजनारायण, सुरेन्द्र कुमार, मोहनलाल, सदस्य
189. सीताराम पुरी ,,	22-11-76	श्री जगन्नाथ मेहरा, अध्यक्ष श्री रामलाल, उपा. श्री केदार नाथ शर्मा, मन्त्री

1	2	3	4	5	6	7
			श्री विश्व विजय, कोषा. श्री रामानन्द, देवीलाल, बन्सीधर, श्री नारायण, सदस्य			
190.	महात्मा गांधी गृह निर्माण स. स. लि.	16-2-78	श्री केवल राम, अध्यक्ष श्री छीतर मल, मन्त्री श्री रामेश्वरलाल, कोषा. श्री राधेश्याम, शंकरलाल, मोतीलाल, नाथूलाल, सदस्य			
191.	गोरधनपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	10-5-78	श्री गोरधन लाल, अध्यक्ष श्री ईश्वर सिंह, उपा. श्री रामगोपाल सोनी, मन्त्री श्री भगवान सहाय, कोषा. श्री रामजीलाल, नाथूलाल, श्री महावीर, लक्ष्मीचन्द, सदस्य			
192.	मण्डी खटीकान ,,	5-10-78	श्री सुवालाल, अध्यक्ष श्री गजानन्द, उपा. श्री छगनलाल, मन्त्री श्री जौहरीलाल, कोषा. श्री पूरनमल, रामलाल, कालुराम, हुकमचन्द सदस्य			
193.	अवधपुरी ,,	25-6-79	श्री रामगोपाल सेठी, अध्यक्ष श्रीमती कमला, उपाध्यक्ष			

			श्री जुगलकिशोर, मन्त्री श्री रामगोपाल, कोषा. श्री नोयताराम, सदस्य श्री गुलाबचन्द, द्वारकानाथ, श्री सीताराम, सदस्य
194.	शान्ति गृह निर्माण स. स. लि.	3-12-80	श्री प्रभाती लाल, अध्यक्ष श्री जयराम, उपा. श्री जहूरे मोहम्मद, मन्त्री श्री लक्ष्मीनारायण, कोषा. श्री रामदेव, देवीसिंह, गंगाराम फूलसिंह, सदस्य
195.	जीवन ज्योति कर्मचारी ,,	2-6-81	श्री हरनाथ सिंह अध्यक्ष श्री फूलचन्द उपा. श्री राजेन्द्र जैन मन्त्री श्री सुरेश चन्द उप मन्त्री श्री केशवराम कोषा. श्री कान्तिलाल भट्ट, अन्बूरसिंह, शिवदत्त मिश्रा, सदस्य
196.	मदनमोहन मालवीय नगर गृह निर्माण स. स. लि.	13-9-81	श्री इन्द्रप्रकाश, अध्यक्ष श्री गोपालस्वरूप, उपा. श्री विजय सिंह जैन, मन्त्री श्री महेशबिहारी, कोषा. श्री विनोद कुमार, महावीर सोनी, विजय कुमार, सुरेश कुमार, सदस्य
197.	सरस्वती हरिजन ,,	25-11-81	श्री गुलाब चन्द, अध्यक्ष श्री नेनाराम, उपा. श्री नाथूलाल, मन्त्री

1	2	3	4	5	6	7
			श्री ग्रात्मा राम, कोषा. श्री हरफूल, रामस्वरूप, रामपाल, रामकुमार, सदस्य			
198.	गलताघाटी गृह निर्माण स. स. लि.	22-12-81	श्री मूलचन्द, ग्रध्यक्ष श्री शम्भूमल, उपा. श्री जगदीशनारायण, मन्त्री श्री रामजीलाल, कोषा. श्री प्रभातीलाल, गणपतलाल, धर्मचन्द्र, सुवालाल, सदस्य			
199.	इन्द्रा ,,	11-2-76	श्री जौहरीलाल, ग्रध्यक्ष श्री राधेश्याम, उपा. श्री सीताराम, मन्त्री श्री श्रवणकुमार, कोषा. श्री रामकिशोर, तुलसीराम, रामनारायण, भंवरलाल, सदस्य			
200.	ग्रमृतपुरी भवन ,,	30-8-60	श्री शमसुद्दीन, ग्रध्यक्ष श्री इब्राहीम, उपा. श्री कन्हैयालाल, मन्त्री			
201.	श्री महावीर नगर गृह निर्माण स.स. लि.	22-3-75	श्री नागरवाल, ग्रध्यक्ष श्री भागीरथ मांगे, मन्त्री श्री लालचन्द, कोषाध्यक्ष श्री रामजीलाल, उपाध्यक्ष श्री मांगीलाल, रूपनारायण, शान्तिलाल, सदस्य			

परिशिष्ट 8

अतारांकित प्रश्न सं. 42 की सूची व आदेश

वर्ष 82–83 में स्थानान्तरित व्यवस्थापकों की सूची

1. श्री देवेन्द्र सिंह
2. श्री खुशाल सिंह
3. श्री गिरधारी लाल
4. श्री रामकिशन
5. श्री पूनमचन्द
6. श्री अल्लाबक्स
7. श्री अश्वनी कुमार बोहरा
8. श्री उमराव सिंह
9. श्री केसाराम
10. श्री गणपतसिंह
11. श्री लालुदान
12. श्री हुन्साराम
13. श्री पाबुदान
14. श्री कालुराम
15. श्री बाबूलाल
16. श्री मफतलाल
17. श्री उमेशचन्द्र
18. श्री करता राम
19. श्री हमीरा राम
20. श्री सूर्य प्रकाश
21. श्री बरदाराम
22. श्री मोटाराम
23. श्री उदाराम मीणा
24. श्री भंवराज
25. श्री परताराम
26. श्री केसाराम
27. श्री रेमाराम
28. श्री बाबू खां एल. एस.
29. श्री सदाराम
30. श्री सोहनराज
31. श्री गोपाल सिंह
32. श्री आदाराम
33. श्री मनोहरलाल
34. श्री प्रकाशचन्द्र
35. श्री कनकराज
36. श्री ओटाराम
37. श्री लच्छाराम

वर्ष 82–83 में एक से अधिक बार स्थानान्तरित व्यवस्थापकों की सूची

1. श्री देवेन्द्र सिंह
2. श्री कुशाल सिंह
3. श्री गिरधारी लाल
4. श्री अल्लाबक्स
5. श्री अश्वनी कुमार गोयल
6. श्री उमराव सिंह
7. श्री गणपत सिंह
8. श्री हुन्साराम
9. श्री उदाराम
10. श्री भंवराज
11. श्री आदाराम
12. श्री सदाराम

दी जालोर सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. जालोर प्रधान कार्यालय

क्रमांक ऋए/केडर/82–83/1520 दिनांक 30-7-82

कार्यालय आदेश

अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 688 दिनांक 17-7-82 को निरस्त करते हुए श्री देवेन्द्र सिह व्यवस्थापक को आहोर पश्चिम ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. में पदस्थापन किया जाता है।

श्री खुशाल सिंह हाल व्यवस्थापक आहोर पश्चिम का स्थानान्तरण गोदन ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. में तुरन्त प्रभाव से किया जाता है। वे अपना चार्ज लेकर शीघ्र ही अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करें एवं श्री गिरधारीलाल व्यवस्थापक गोदन ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. का मुख्यावास अग्रिम आदेश तक बैंक प्रधान कार्यालय में किया जाता है।

ह.
(बी. एल. चौमिया)
प्रबन्ध संचालक।

क्रमांक : ऋए/केडर/82–83/1421 से 1432 दिनांक 30–7–82

प्रतिलिपि:– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. श्री सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जालोर।
2. शाखा व्यवस्थापक, दी जालोर सं. कोप. बैंक लि. जालोर/आहोर–2
3. सहायक अधिशाषी अधिकारी, जालोर।
4. अध्यक्ष ————————ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.————
5. व्यक्तिगत पत्रावली श्री————————।

ह.
(बी. एल. चौमिया)
प्रबन्ध संचालक,
दी जालोर सं. कोप. बैंक लि.,
जालोर।

दी जालौर सेन्ट्रल को–ओपरेटिव बैंक लि. जालौर
प्रधान कार्यालय

क्रमांक 2032 दिनांक 24-8-82

कार्यालय आदेश

प्रशासनिक दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए निम्नलिखित व्यवस्थापकों का स्थानान्तरण तुरन्त प्रभाव से किया जाता है। वो अपनी उपस्थिति नव नियोजित स्थान पर देकर उपस्थिति रिपोर्ट सर्कल सहायक अधिशाषी अधिकारी/ऋण पर्यवेक्षक के मार्फत इस कार्यालय को दें।

नाम	कहां से	कहां को
1. रामकिशन	भवतडा जी. एस. एस.	खारा जी. एस. एस.
2. पूनमचन्द	खारा जी. एस. एस.	भवातडा जी. एस. एस.
3. प्रलावक्स (प्रति.)	आलडी जी. एस. एस.	भूभाणी जी. एस. एस.

ह.
(बी. एल. चौमिया)
प्रबन्ध संचालक।

क्रमांक दिनांक

प्रतिलिपि:–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. सहायक रजिस्ट्रार महोदय, सहकारी समितियां, जालौर।
2. सहायक अधिशाषी अधिकारी, सांचोर/भीनमाल।
3. श्री शाखा व्यवस्थापक सांचोर/भीनमाल।
4. श्री ········ व्यवस्थापक ···· जी.एस.एस. को पालनार्थ।
5. श्री अध्यक्ष ···· ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.,

ह.
(बी. एल. चौमिया)
प्रबन्ध संचालक,
दी जालौर सैं. कोप. बैंक लि.,
जालौर।

दी जालौर सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. जालौर
प्रधान कार्यालय

क्रमांकः 2642 ऋण/केडर/82-83 दिनांक 10-9-82

कार्यालय आदेश

प्रशासनिक दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए निम्नलिखित व्यवस्थापकों का स्थानान्तरण तुरन्त प्रभाव से किया जाता है वो अपनी उपस्थिति नव नियोजित स्थान पर देकर उपस्थिति रिपोर्ट सर्कल सहायक अधिशाषी अधिकारी/ऋण पर्यवेक्षक के मार्फत इस कार्यालय को दें।

क्र.सं.	नाम व्यवस्थापक	कहां से	कहां को
1.	श्री अश्विनी कुमार बोहरा	प्रधान कार्यालय से	उम्मेदाबाद जीएसएस सायला
2.	श्री उमराव सिंह	उम्मेदाबाद	पोसाणा जीएसएस

ह.
(दानाराम)
अधिशाषी अधिकारी।

क्रमांक दिनांक

1. श्रीमान् सहायक रजिस्ट्रार महोदय, सहकारी समितियां, जालौर।
2. सहायक अधिशाषी अधिकारी (ऋण पर्यवेक्षक क्षेत्र····)
3. शाखा व्यवस्थापक, दी जालौर सैं. को-आप. बैंक लि.
4. श्री ··········व्यवस्थापक······ जीएसएस लि. को पालनार्थ।
5. श्री अध्यक्ष·······जीएसएस लि.
6. निजी पत्रावली श्री·········

सही/-
अधिशाषी अधिकारी

दी जालौर सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि., जालौर
प्रधान कार्यालय

क्रमांक :—व्यव/केडर/82—83/4145 दिनांक 13-10-82

कार्यालय आदेश

प्रशासनिक, ऋण वसूली, वितरण एवं अन्य कार्यकलापों को मद्देनजर रखते हुए निम्नलिखित व्यवस्थापकों का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थानों पर तुरन्त प्रभाव से किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि वे अपनी उपस्थिति नव नियोजित

स्थान पर देकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सहायक अधिशाषी अधिकारी के मार्फत सूचित करें। आदेशों की तुरन्त प्रभाव से पालना की जावे।

क्र.सं.	नाम व्यवस्थापक	कहां से		कहां को	
1.	श्री केशाराम	बावतरा	जी.एस.एस.	जागनाथ	जी.एस.एस.
2.	श्री गणपतसिंह	नाराणावास	,,	आसाणा	,,
3.	श्री लालूदान	आसाणा	,,	थूर	,,
4.	श्री हंसाराम	थूर	,,	खेतडा	,,
5.	श्री पावूदान	खेतडा	,,	आलासन	,,
6.	श्री कालूराम	गांग	,,	करवाडा	,,
7.	श्री बाबूलाल	करवाडा	,,	गांग	,,
8.	श्री मफतलाल	जेतपुरा	,,	रानीवाडा	,,
9.	श्री रमेशचन्द	ऐलाना	,,	मोखातरा	,,
10.	श्री उमरावसिंह	पोषाणा	,,	ऐलाना	,,
11.	श्री करताराम	धमाणा	,,	सरवाना	,,
12.	श्री हमीराराम	करवाना	,,	धमाणा	,,
13.	श्री सूर्य प्रकाश	स्थानान्तरण आदेशों में		उम्मेदाबाद	,,
14.	श्री अश्विनी कुमार	उम्मेदाबाद	,,	पोषाणा	,,

ह.
(दाना राम)
अधिशाषी अधिकारी।

क्रमांक/4146–4244 दिनांक 13-10-82

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:—

1. श्री प्रबन्ध संचालक, दी जालौर सेन्ट्रल को–आ. बैंक लि., जालौर।
2. श्री सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जालौर।
3. श्री शाखा व्यवस्थापक, दी जालौर से.कोप. बैंक लि.–––––
4. श्री सहायक अधिशाषी अधिकारी/ऋण पर्यवेक्षक सहकारी समितियां––––––
5. श्री –––––व्यवस्थापक–––जी.एस.एस. लि.––––––पं. सं.
6. व्यक्तिगत पत्रावली श्री– –––
7. अध्यक्ष–––––जी.एस.एस. लि.––––––पं. सं.–––––
8. ––––––––

ह.
अधिशाषी अधिकारी।

(230)

दी जालौर सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि., जालौर

प्रधान कार्यालय

क्रमांक : व्यव/केडर/82--83/4570 दिनांक 21–10–82

कार्यालय आदेश

प्रशासनिक दृष्टिकोण, ऋण वसूली, वितरण एवं अन्य कार्यकलापों को मद्दे नजर रखते हुए निम्नलिखित व्यवस्थापकों का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थानों पर तुरन्त प्रभाव में किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि वे अपनी उपस्थिति नव नियोजित स्थान पर देकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सहायक अधिशाषी अधिकारी/ऋण पर्यवेक्षक के मार्फत सूचित करें। आदेशों की तुरन्त प्रभाव से पालना की जावे।

क्र. सं	नाम व्यवस्थापक	कहां से		कहां को	
1.	श्री बरदाराम	जीवाणा	जी. एस. एस.	दादाल	जी. एस. एस.
2.	श्री मोटाराम	दादाल	,,	जीवाणा	,,
3.	श्री उदयराम मीना	आसाणा	,,	देवावास	,,

ह.
(दाना राम)
अधिशाषी अधिकारी।

क्रमांक : 4571-87 दिनांक 21–10–82

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:—

1. श्रीमान प्रबन्ध संचालक, दी जालौर सेन्ट्रल को–आ. बैंक लि., जालौर।
2. श्रीमान सहायक रजिस्ट्रार महोदय, सहकारी समितियां, जालौर।
3. श्रीमान् शाखा व्यवस्थापक, दी जालौर से. को. बैंक लि.————
4. श्री सहायक अधिशाषी अधिकारी/ऋण पर्यवेक्षक क्षेत्र—————
5. श्री——————
6. व्यक्तिगत पत्रावली श्री—————
7. अध्यक्ष, जी. एस. एस. लि.—————

ह.
अधिशाषी अधिकारी।

दी जालौर सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि., जालौर

प्रधान कार्यालय

क्रमांक : व्यव/केडर/82--83/5524 दिनांक 9-11-82

कार्यालय-आदेश

प्रशासनिक, ऋण वितरण, वसूली एवं अन्य कार्यकलापों के मद्दे नजर रखते हुए निम्नलिखित व्यवस्थापकों का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थानों पर तुरन्त

प्रभाव से किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि वे अपनी उपस्थिति नव नियोजित स्थान पर देकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सहायक अधिशाषी अधिकारी/ऋण पर्यवेक्षक के मार्फत सूचित करें। आदेशों की तुरन्त प्रभाव से पालना की जावे।

क्र.सं.	नाम व्यवस्थापक	कहां से	कहां को
1.	श्री भवराज	चूरा जी.एस.एस.	सिवना जी.एस.एस.
2.	श्री प्रतापाराम	मेंडा उपरला जी.एस.एस.	चूरा जी.एस.एस.
3.	श्री केशाराम	बागरा जी.एस.एस.	अ. जी.एस.एस.
4.	श्री रेमा राम	सायला जी.एस.एस.	खानपुर जी.एस.एस.
5.	श्री बाबू खां ऋण पर्य.	सांचोर एल.एस.एस.	सायला एल.एस.एस.
6.	श्री सदाराम	मेडा जी.एस.एस.	मोरसिम जी.एस.एस.
7.	श्री अलाबक्स	भुभाणी जी.एस.एस.	मेडा जी.एस.एस.
8.	श्री सोहनराज	सिवना जी.एस.एस.	मेडा उपरला जी.एस.एस.
9.	श्री गोपालसिंह	केरिया जी.एस.एस.	आसाणा जी.एस.एस.
10.	श्री गणपतसिंह	आसाणा जी.एस.एस.	जगना जी.एस.एस. बागरा

ह.
(बी. एल. चौमिया,)
प्रबन्ध संचालक।

क्रमांक : 5525 दिनांक 9-11-82

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्री अधिशाषी अधिकारी, जालोर सेन्ट्रल को. बैंक लि., जालोर।
2. श्री सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जालोर।
3. श्री शाखा व्यवस्थापक, दी जालोर सैं. कोप. बैंक. लि.——————
4. श्री सहायक अधिशाषी अधिकारी/ऋण पर्यवेक्षक क्षेत्र——————
5. व्यक्तिगत पत्रावली श्री——————
6. अध्यक्ष——————जी.एस.एस.——————
7. ——————

ह.
प्रबन्ध संचालक।

दी सेन्ट्रल को-ग्रापरेटिव बैंक लि., जालौर

प्रधान कार्यालय

क्रमांक: व्यव/केडर/82–83/6943 दिनांक 28-12-82

कार्यालय ग्रादेश

प्रशासनिक दृष्टिकोण से विशेष परिस्थितियों में निम्नलिखित व्यवस्थापकों का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख ग्रंकित स्थानों पर तुरन्त प्रभाव से किया जाता है एवं ग्रादेश दिये जाते हैं कि वे ग्रपनी उपस्थिति नव नियोजित स्थान पर देकर ग्रधोहस्ताक्षर-कर्ता को सहायक ग्रधिशाषी ग्रधिकारी/ऋण पर्यवेक्षक के मार्फत सूचित करें एवं बीस सूत्री कार्यक्रम की सफल क्रियान्विति हेतु ग्रामीण उपभोक्ता योजना का कार्य तुरन्त प्रभाव से करें।

क्र.सं.	नाम व्यवस्थापक	कहां से	कहां को
1.	श्री गणपतसिंह	जागनाथ जी. एस. एस.	सिडाना जी. एस. एस.
2.	श्री ग्रादाराम	भागली जी. एस. एस.	जागनाथ जी. एस. एस.
3.	श्री भंवरराज	सिडाना जी. एस. एस.	भागली जी. एस. एस.

ह.
(बी. एल. चौमिया),
प्रबन्ध संचालक।

क्रमांक: व्यव/केडर/82–83 दिनांक

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं ग्रावश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. श्री सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जालौर।
2. श्री वसूली ग्रधिकारी, जेसीसीबी लि., जालौर।
3. श्री शाखा व्यवस्थापक, दी जेसीसीबी लि.———————
4. श्रीमान् रसद ग्रधिकारी, जिला रसद कार्यालय जालौर को उनके पत्र क्रमांक 3095 दिनांक 24–12–82 के संदर्भ में।
5. श्री ग्रध्यक्ष————————जी. एस. एस. लि.
6. व्यक्तिगत पत्रावली श्री———————

ह.
प्रबन्ध संचालक।

दी जालौर सेण्ट्रल को-ग्रापरेटिव बैंक लि., जालौर

प्रधान कार्यालय

क्रमांक: व्यव/केडर/82-83/8299-8347 जालौर, दिनांक 27-1-83

कार्यालय ग्रादेश

निर्देशानुसार ऋण वितरण एवं व वसूली को मद्दे नजर रखते हुए निम्नलिखित व्यवस्थापकों का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख ग्रंकित स्थानों पर तुरन्त प्रभाव से

किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि वे अपनी उपस्थिति नव नियोजित स्थान पर देकर सहायक अधिशाषी अधिकारी/ऋण पर्यवेक्षक के मार्फत अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करें। आदेश की तुरन्त प्रभाव से पालना की जावे।

क्र. सं.	नाम व्यवस्थापक	कहां से	कहां को
1.	श्री देवेन्द्र सिंह	आहोर पश्चिम जी एस एस	सराना जी एस एस
2.	श्री गिरधारी लाल	वादनवाड़ी जी एस एस	गोदन जी एस एस
3.	श्री उदाराम	देगावास के आदेशों से	देगावास जी एस एस
4.	श्री खुशाल सिंह	गोदन जी एस एस	वादनवाड़ी जी एस एस
5.	श्री मनोहर लाल	सराना जी एस एस	रेवतड़ा जी एस एस
6.	श्री प्रकाश चन्द	कांबा के अलावा आहोर	पश्चिम का कार्य भी संभालेंगे
7.	श्री कनक राज	चितलवाना जी एस एस	हाडेचा जी एस एस
8.	श्री उमराव सिंह	ऐलाना जी एस एस	चितलवाना जी एस एस
9.	श्री हंसाराम	रेवतड़ा जी एस एस	ऐलाना जी एस एस
10.	श्री भंवराज	भागली जी एस एस	आकोली जी एस एस
11.	श्री ओटा राम	आकोली जी एस एस	जागनाथ जी एस एस वागरा
12.	श्री आदाराम	जागनाथ जी एस एस	वागरा भागली जी एस एस
13.	श्री लच्छा राम ऋण पर्यवेक्षक, आहोर अपने कार्य के साथ देवावास ग्राम सेवा सहकारी समिति का अतिरिक्त कार्य करेंगे।		
14.	श्री सदाराम यथावत खेड़ा जी एस एस में कार्य करेंगे।		

ह.
(दानाराम)
अधिशाषी अधिकारी।

क्रमांक : व्यव/केडर/82-83/8298-8347 दिनांक 27-1-83

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. श्रीमान् सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जालोर।
2. श्रीमान् प्रबन्ध संचालक, दी जालोर सं. कोप. बैंक लि., जालोर।
3. श्रीमान् वसूली अधिकारी, जालोर।
4. श्री शाखा व्यवस्थापक, दी जालोर सं. कोप. बैंक लि.............
5. श्री सहायक अधिशाषी अधिकारी/ऋण पर्यवेक्षक क्षेत्र............
6. श्री अध्यक्ष, ...ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.........
   को भेजकर लेख है कि व्यवस्थापक को तुरन्त कार्य मुक्त कर नव नियोजित स्थान के लिए रिलीव करें/ड्यूटी पर लेंवे।
7. व्यक्तिगत पत्रावली श्री.........
8. केडर प्रकोष्ठ, प्रधान कार्यालय, जयपुर।

ह./-
अधिशाषी अधिकारी।

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 51 का विवरण.)

Position of Outstanding Amount in office of Ajmer Zila Dugdha Utpadak Sahakari Sangh Ltd., Ajmer as on 30-6-1982

S.No.	Name of Officers	1976-77		1977-78		1978-79	
		Dr.	Cr.	Dr.	Cr.	Dr.	Cr.
1.	Dr.L.B.L.Mathur	3147.96 400.00	..	2032.57	..	3701.38	6.00
2.	Dr. G. Bhambhani	..	1.00	..	..	1003.30	..
3.	Dr. Abhay Singh	1141.27	..	..	..	1118.77	..
4.	Dr. M.C. Saxena	1154.00	..	..	..	..	249.00
5.	Dr.N.C. Sharma	320.08	..	..	..	6387.40	..
6.	Dr.J.K.Kasliwal	4500.00	..	1064.95	..	..	1064.95
7.	Dr. V.K.Govil	157.67	..	157.65	..	..	..
8.	Sh.Rajender Taksalia	1158.71	..	1.00	..	32.00	..
9.	Anil Dhawan	500.00	..	..	..	..	..
10.	D.K.Kaushal	2158.81	..	166.61	..	306.00	..
11.	S.K. Gulati	28.95	..	2.65	..	..	..
12.	Ashik Mirchandi	140.59	..	..	..	..	..
13.	S.K.Gulondiya	666.66	..	..	..	..	..
14.	M.M.Vinod	43.74	..	43.74	..	..	..
15.	B.L. Jain	..	..	650.00	..	16.00	..
16.	Dr. V.V. Garg	..	..	2.61	..	400.00	..
17.	Dr. Gurnani	..	..	1033.75	..	..	..
18.	R.K. Jatana	..	..	..	..	296.90	..
19.	Dr. Vijay	..	..	..	..	1003.30	..
20.	Dr. Bhupendra Singh	..	..	..	..	1982.00	..
21.	Jeevan Brabhakr	..	..	..	..	820.00	..
22.	N.K. Rajved	..	..	..	..	397.35	..
23	G.N. Patel	..	..	..	..	..	494.88
24.	Dr. Surendra Singh	..	..	..	..	..	..
25.	Dr. M.S. Makkar	..	..	..	..	..	..
26.	Dr. Mahendra Singh	..	..	..	..	..	..
27.	Dr. M.T. Singh	..	..	..	..	..	..
28.	Dr. Rajendra Singh	..	..	..	..	..	..
29.	S.N. Mudhra	..	..	..	..	..	..

नोट :–(1) उपरोक्त तैयार किये गये स्टेटमेंट संघ में तत्समय लेखा पुस्तिकाओं के आधार पर है।

(2) बकाया राशि की वसूली के लिए नोटिसेज् जारी किये गये है/जारी किये जा रहे हैं।

1979-80		1980-81		1981-82		Total
Dr.	Cr.	Dr.	Cr.	Dr.	Cr.	
..	374.00	..	375.60	2787.80	..	11314.11
..	63.64	591.35	..	..	..	1530.01
43.68	..	..	75.82	..	..	2150.54
..	..	..	..	..	49.00	896.00
..	..	..	172.14	172.14	..	6707.48
..	2.67	..	11.26	11.26	..	4487.33
..	86.44	..	191.98	279.42	..	1.10
..	..	..	..	..	..	1191.71
..	..	..	..	..	..	500.00
..	..	..	..	..	..	2631.00
..	..	..	..	..	..	31.60
..	..	..	1165.23	1165.25	..	140.61
..	..	..	..	..	..	666.66
..	..	..	..	..	..	87.48
..	..	..	..	..	..	666.00
..	..	..	..	..	2.61	400.00
..	..	..	..	..	..	1033.75
1596.90	714.15	..	..	..	..	1177.85
..	..	..	296.28	..	..	707.02
..	..	1991.80	..	3000.00	.	2987.61
..	47.00	..	..	..	..	773.00
..	..	..	..	..	..	397.35
1000.00	..	..	..	..	..	505.12
475.03	461.86	..	886.85	886.85	..	10.14
..	557.58	557.58	..	128.43	..	128.43
..	372.70	..	136.25	549.65	..	30.70
50.00	..	..	..	..	..	50.00
300.00	..	..	1131.93	831.93	..	..
—	..	..	..	441.00	..	441.00
						4164380.00

S.No.	Name	1976-77		1977-78		1978-79	
		Dr.	Cr.	Dr.	Cr.	Dr.	Cr.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	G.S. Rawat	21616.49	..	21272.42	17872.91	893.73	..
2.	Kalyan Singh	4982.20	..	557.36	..	..	29480.23
3.	Gopi Singh	1180.55	..	312.23	..	8.10	..
4.	K. Swaminathan	30.00	..	..	..	..	..
5.	Mangi Lal	48.05	..	8.15	..	21.00	..
6.	Mal Chand Sharma	3945.00	..	..	..	..	..
7.	Laxmi Narain	5829.55	..	4.00	..	15.00	..
8.	Arjun Lal	200.00	..	117.25	..	..	..
9.	Nemi Chand	62.82	..	..	..	..	450.25
10.	Amar Singh	9841.12	..	2339.64	6.00	253.60	177.50
11.	Alloh Noor	238.76	..	..	..	..	..
12.	Ram Prakash	479.67	..	..	..	..	..
13.	Hajari Lal	645.99	..	4352.24	..	..	3792.30
14.	Vasu Deo	16.20	..	..	..	..	..
15.	Om Prakash	1901.32	..	..	0.61	..	..
16.	Kailash	1897.88	..	552.88	7880.00	659.88	..
17.	Ram Singh	..	27.00	..	387.76	..	..
18.	S.S. Driver	208.00	..	158.31	..	..	..
19.	S.L. Gahlot	..	..	400.00	..	..	..
20.	B. Prajapat	120.00	..	..	..	..	..
21.	Govind Ram	..	8.50	400.00	147.57	28.64	..
22.	Bhero Singh	401.16	..	154.75	82.18	..	..
23.	Jai Singh D.	402.65	..	500.00	..	100.00	..
24.	Bhero Singh	90.00	..	800.25	..	254.73	..
25.	Bansi Lal	950.30	..	..	..	275.00	..
26.	M.P. Sharma	10201.48	..	..	698.60	..	..
27.	P.N. Agarwal	1204.93	..	1345.20	..	562.25	..
28.	D.K. Mehra	7700.10	..	8682.96	..	..	1871.02
29.	R.P. Nandwana	5563.67	..	2832.35	..	..	..

1979-80		1980-81		1981-82		Total
Dr.	Cr.	Dr.	Cr.	Dr.	Cr.	
9	10	11	12	13	14	15
141.96	..	16093.88	..	..	16093.71	26051.86
42568.08	170.08	..	60.51	..	..	18397.06
..	..	..	10.90	..	..	1489.98
..	..	..	..	..	..	30.00
..	..	..	..	..	..	77.20
..	..	..	2417	..	..	3920.83
12.40	..	..	16.51	..	..	5819.64
..	..	..	..	..	..	317.25
..	2.22	810.75	..	..	..	421.10
..	..	..	1164.00	..	..	11092.82
..	..	..	..	..	..	238.76
..	..	..	..	..	..	479.67
..	..	..	..	..	..	1205.93
..	..	..	..	..	..	16.20
..	..	..	..	....	..	1900.71
8.00	..	..	88.00	97.85	..	9615.85
..	..	..	..	..	..	360.26
..	..	..	..	..	..	367.11
..	..	..	..	..	..	400.00
..	..	..	..	..	..	120.00
..	200.00	..	..	..	..	299.59
..	6.68	..	..	..	..	467.05
..	..	..	..	..	..	1002.65
191.75	..	..	9.25	2346.12	..	3681.60
..	..	..	454.00	..	..	771.30
..	..	..	14.00	..	..	9489.41
..	..	..	..	..	..	3112.88
..	..	..	..	..	..	14512.04
..	..	..	..	..	..	2396.20

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	Har Chand	53 80	..	53.80	..	244.72	..
31.	Ram Chandra	..	117.00	..	..	1500.00	474.25
32.	Kishan Lal	..	104.55	..	..	436.01	..
33.	Jai Mal	116.90	..	66.90	..	..	..
34.	Mahaveer Pd.	1375.49	..	..	250.00	..	..
35.	R. R. Pal	404.90	..	..	..	..	..
36.	Lalit Kumar	367.95	..	..	..	..	..
37.	Chand Mal	5100.18	..	..	..	..	..
38.	Bhanwar Lal	200.00	..	200.00	..	..	..
39.	Har Karan	53.35	..	..	..	..	..
40.	Vinod Kumar	444.07	..	..	..	..	..
41.	Chagan Lal	125.00	..	..	..	..	23.07
42.	Buru Bux	44.52	..	..	..		..
43.	B.S. Sharma	..	59.55	8793.16	..	..	5052.74
44.	Dugar Singh	56.00	..	..	..	307.20	..
45.	R.K. Gupta	9.50	..	8	..	..	..
46.	Ram Dhan	600.00	..	..	..	..	..
47.	R.P. Ranga	27.00	..	95.51	..	..	..
48.	R. C. Sharma	342.54	..	..	..	..	..
49.	Sardar Singh	19.92	..	30.00	..	..	..
50.	Vinod Kumar	..	..	2005.41	..	..	184.97
51.	S.K. Panday	462.43	..	192.32	..	786.77	..
52.	Ram Niwas Goyal	1400.00	..	..	..	..	..
53.	Nahar Singh	..	100.00	..	..	..	..
54.	Kishan Lal	1236.49	..	..	136.01	..	..

239

9	10	11	12	13	14	15
..	..	..	..	..	..	446.42
..	..	..	..	..	..	908.75
66.20	..	..	..	..	..	397.66
..	..	..	64.80	450.70	..	569.70
..	..	..	..	..	..	1125.49
..	..	..	..	..	..	404.90
..	..	..	..	..	..	367.95
..	..	..	..	..	..	5100.18
..	..	..	..	..	..	400.00
..	6.00	..	..	..	..	49.35
..	..	..	..	..	..	444.07
..	..	..	..	..	..	101.93
..	..	..	..	..	..	44.52
..	1804.23	..	12.00	1186.28	..	2952.24
..	..	..	..	..	...	363.80
..	..	..	..	..	..	9.50
..	..	..	..	..	..	600.00
10.50	..	..	..	..	..	133.01
..	..	..	..	..	..	342.54
..	..	20.00	..	..	..	69.92
..	346.15	..	..	..	..	1472.63
..	..	..	..	..	...	1441.52
..	..	..	..	..	..	400.00
415.59	..	..	..	..	..	315.00
..	..	..	..	..	...	1100.48

1	2	3	4	5	6	7	8
55.	Prahlad Kumar	45821.11	..	8.48	..	..	..
56.	S.C. Agarwal	1569.82	..	315.17	..	..	..
57.	Surendra Singh	100.00	..	125.00 543.45	..	500.00 324.00 108.72	..
58.	Jagdish Pd.	..	219.35	400.00	..	246.53	250.00
59.	Sumer Singh	4.00	..	..	109.92	..	..
60.	Abdul Sattar	..	135.15	387.14	18.05	..	400.00
61.	A.K. Kashyap	744.57	..	685.50	20.96	..	1452.84 33104.00
62.	Bhanwar Khan	248.95	..	..	..	..	..
63.	Bhanwarlal	575.00	..	..	..	44.09	..
64.	R.S. Rathore	500.00	..	6.80	95.51	8.80	..
65.	H.S. Rathore	1767.92	..	30.60	..	27.75	278.02
66.	Kesar Singh	..	32.77	..	30.12	250.00	..
67.	P.N. Rathi	388.76	..	8290.13	5270.34	..	589.60
68.	S.R. Agarwal	840.28	..	562.29	286.18	1025.80	77343.60
69.	Fateh Singh	373.50	..	400.00	..	98.00	..
70.	R.K. Chhipa	76614.29	..	6001.54	1980.23	900.00 255.31	2273.61
71.	Faruq Ahmad	500.00	..	..	..	..	..
72.	D.K. Gupta	500.00	..	..	..	..	..
73.	Jalim Singh	..	0.35	..	..	84.60	..
74.	P.N. Sharma	225.11	..	..	..	92.01	..
75.	Omprakash	843.32	..	..	53.25	33.32	..
76.	R.C. Jain	23118.86	..	7931.97	..	8281.50	177.50

9	10	11	12	13	14	15
538.52	..	..	784.39	..	490.94	46174.66
1268.29	..	4.45	..	..	..	621.15
..	1.46	..	..	..	..	1590.79
..	..	..	..	..	..	295.90
..	..	..	..	..	..	113.92
418.12	..	..	..	..	9.25	242.81
60566.56	..	..	378.97	..	..	27039.76
..	..	..	..	..	..	248.95
..	..	..	..	937.50	..	1556.61
..	..	..	..	..	..	420.09
0.60	409.65	396.32	..	..	..	1535.52
..	..	..	..	..	..	187.11
92.00	..	..	5.00	..	..	2907.95
..	44405.85 850.75	5560.00	..	..	9709.24	
..	..	..	..	..	..	871.50
..	1.49	..	1865.44	1365.40	..	79015.87
..	..	..	..	..	..	500.00
..	..	..	..	..	..	500.00
..	..	..	..	..	..	84.25
..	140.04	..	2.98	..	..	204.50
04	..	..	..	..	..	823.33
49462.79	..	9496.74	..		6080.25	92034.11

1	2	3	4	5	6	7	8
77.	K.N. Sharma	32.00	..	299.60 299.60	..	..	171.45
78.	P.C. Sethi	3068.76	..	3187.06 39.50	..	..	987.02
79.	B.C. Jain	174.76	..	..	..	..	..
80.	Arun Bambarkar	10.65	..	..	16.09	17.94	..
81.	R.C. Kekri	31.00	..	..	..	..	..
82.	Kailash Solanki	13.00	..	..	..	56.00	..
83.	R.G. Vashnav	8.00	..	..	..	..	..
84.	Dheera Helper	1.34	..	..	..	..	..
85.	M.S. Khatoli	18.84	..	..	..	..	..
86.	Sher Singh	..	167.20	179.00	..	..	..
87.	R.G. Parashar	8.30	..	..	..	..	..
88.	Shivnarain	11.20	..	..	..	..	..
89.	R.R. Ojha	32.05	..	..	..	..	..
90.	Narainsingh	70.37	..	400.00	..	..	..
91.	M.P. Jain	..	98.00	..	..	..	..
92.	Faruq Hussain	..	13.05	..	..	117.00	..
93.	Ganga Singh	30.00	..	..	..	..	..
94.	Jawan Singh	28.47	..	..	..	..	..
95.	O.P. Sharma	..	10.75	52.62	40.00	..	..
96.	दिनेश कुमार	17.45	..	..	..	..	..
97.	श्रीमती भगवती देवी	6.00	..	..	..	..	..
98.	अनिल गुप्ता	390.40	..	..	..	..	..
99.	भंवर लाल ड्राइवर	136.00	..	..	..	..	44.09

9	10	11	12	13	14	15
..	..	..	2.75	..	..	457.00
..	..	..	..	..	130.00	4007.50
..	..	..	55.81	..	..	118.95
..	..	..	11.00	..	..	1.50
..	..	..	..	..	..	31.00
..	..	..	..	..	..	69.00
..	..	..	..	..	..	8.00
..	..	..	..	..	..	1.34
..	..	..	..	..	..	18.84
..	..	..	..	..	..	11.80
..	..	..	..	..	..	8.30
..	..	..	..	..	..	11.20
..	..	..	..	..	..	32.05
..	..	..	..	..	..	470.37
515.08	..	..	..	..	..	417.08
..	..	..	..	..	..	103.95
..	..	..	..	..	..	30.00
...	..	..	..	..	..	28.47
...	...	..	..	..	..	1.87
..	..	..	..	..	..	17.45
..	..	..	..	..	..	6.00
..	..	..	..	..	..	390.40
25.00	..	..	..	..	..	**116.91**

1	2	3	4	5	6	7	8
100.	प्रकाश चन्द्र जैन	7.86	..	..	..	..	..
101.	रामेश्वरलाल माथुर	171.00	..	..	..	..	..
102.	दामोदर प्रसाद	75.00	..	400.00	..	..	149.05
103.	ओमप्रकाश घीया	25.50	..	..	..	..	..
104.	मेघा	6.29	..	..	..	..	..
105.	गिरधारी लाल गोयल	250.60	..	..	..	..	..
106.	ओम प्रकाश माथुर	75.00	..	..	..	..	..
107.	भंवरलाल सोलंकी	103.20	..	..	..	..	..
108.	बी. एस. शंकरन	22.10	..	..	..	..	..
109.	सी. एम. टण्डन	100.00	..	..	..	..	..
110.	विनोद कुमार	24.53	..	..	..	..	733.40
111	रामानन्द	11.20	..	200·00	..	..	..
112	देवीलाल	3.60	..	..	..	..	..
113.	लालाराम	10.00	..	..	..	..	..
114.	श्रवणलाल	1.80	..	..	..	..	..
115.	रामकिशन	24.00	..	..	..	..	..
116.	राजकुमार शर्मा	11.20	..	..	..	..	..
117.	भंवरसिंह	158.21	..	..	601.16	..	..
118.	रामस्वरूप	..	210.90	.	..	..	4000.00
119.	रघुवीर प्रसाद	..	57.02	..	..	..	653.78
120.	कैलाश नारायण गुप्ता	1965.60	..	..	..	..	..

9	10	11	12	13	14	15
..	..	..	..	..	..	7.86
..	..	..	..	..	..	171.00
..	..	..	..	..	..	624.05
..	..	..	..	..	..	25.50
..	..	..	..	..	..	6.29
..	..	..	..	..	..	250.60
..	..	..	..	..	..	75.00
..	..	..	..	..	..	103.20
..	..	..	..	..	..	22.10
..	..	..	..	..	..	100.00
..	..	..	..	12.00	..	745.93
..	..	..	..	6.04	..	205.16
..	..	..	..	..	..	8.60
..	..	..	..	..	..	10.00
..	..	..	..	..	..	ऋ. 1.80
..	..	..	..	..	..	24.00
..	..	..	..	2.12	..	11.20
..	..	..	..	27.72	..	731.65
..	..	..	..	..	..	3789.10
..	15.25	..	..	..	..	612.01
..	..	..	..	..	..	1965.60

(246)

1	2	3	4	5	6	7	8
121.	डी. आर. चौधरी	1000.70	..	..	..	..	..
122.	विष्णु लाल गौड़	36.80	..	..	..	..	..
123.	एन. के. जैतलिया	54.00	..	..	..	..	..
124.	प्रकाश भार्गव	13.01	..	..	..	..	..
125.	डी. पी. माथुर	1258.10	..	..	..	..	..
126.	पी. सी. भार्गव	1118.44	..	..	..	..	..
127.	गणेशलाल शर्मा	..	..	1481.69	..	..	19498.50
128.	गोविन्दराम ड्राइवर	..	..	26.82	..	..	..
129.	वी. पी. माथुर	..	..	1.19	..	..	..
130.	भानूसिंह रमन हैल्पर	..	..	..	..	..	..
131.	किशनलाल कटारिया	..	..	..	..	..	..
132.	अर्जुनलाल हैल्पर	..	..	300.00	..	..	..
133.	गोविन्द राम वी. ई डब्ल्यू.	..	..	..	..	0.06	..
134.	भुवनेश्वर त्रिवेदी	..	..	400.00	..	..	..
135.	माथूमल वैष्णव	..	..	..	..	..	..
136.	आर. सी. राजनानी	..	..	2271.00	..	7559.42	..
137.	खेतसिंह वी. ई. डब्ल्यू.	..	..	..	..	..	..
138.	शम्भूसिंह	..	..	..	..	..	..
139.	रमेशसिंह राणा	..	..	..	..	..	..
140.	कन्हैयालाल पेशोरी	..	..	899.90	..	..	501.00
141.	रामसिंह आई. एस एस.	..	..	..	..	..	..

9	10	11	12	13	14	15
..	..	..	..	..		1000.07
..	..	..	..	..	..	36.80
..	..	..	..	..	..	54.00
..	..	..	..	..		13.01
..	..	..	..	..	..	1258.10
..	..	..	..	..	..	1118.44
..	816755.37	..	41499.06	..	419.49	10,55815.21
..	..	..	..	623.05	..	26.80
..	700.00	493.33	4087.21	272.40	..	5260.80
..	..	..	51.99	389.99	..	338.00
..	32.19	..	525.50	537.80	..	12.30
..	..	..	50.00	649.65	..	899.65
1875.75	447.14	..	556.45	538.06	..	1410.28
..	..	..	88.85	88.85	..	406.00
..	73.00	282.25	..	106.00	..	103.25
3044.88	485.12	..	4260.98	6336.35	..	14392.55
..	..	..	568.08	448.58	..	105.67
2115.17	..	..	443.80	452.75	..	253.43
244.98	36.21	0.98	..	357.52	..	322.29
18.35	..	..	1143.57	996.83	..	268.15
..	..	470.15	..	..	..	323.25

1	2	3	4	5	6	7	8
142.	नरायणलाल पी. डब्ल्यू.	..	..	..	..	..	..
143.	बनवारी लाल गुप्ता	..	..	..	..	..	..
144.	अशोक कुमार महला आई.एस.एस.	..	..	400.00	..	..	..
145.	भंवरसिंह गहलोत	..	..	..	..	..	..
146.	पदमसिंह हरिजन	..	..	..	..	..	..
147.	खेतसिंह रावत	..	..	..	..	1140.00	11.00
148.	समुन्दरसिंह	..	..	..	..	3.60	..
149.	भीमसिंह जैन	..	..	1529.45	..	..	1051.11
150.	खाजू मोहम्मद	..	..	..	2291.91	458.96	348.30
151.	रामअवतार गुप्ता	..	..	..	161.00	..	..
152.	नारायण माथुर	..	..	..	..	..	..
153.	फखरुद्दीन	..	..	..	..	..	..
154.	रामचन्द्र	..	..	..	..	..	..
155.	रामस्वरूप साधु	..	..	..	..	433.46	391.90
156.	सुखदेव सहायक	..	..	..	203.25	..	..

9	10	11	12	13	14	15
343.44	10.48	152.93	..	..	..	451.59
..	..	..	..	491.46	..	497.46
..	419.91	311.75	..	107.50	..	399.34
..	..	1068.71	..	20.00	..	1088.71
..	..	..	..	22.00	..	22.00
..	48.62	..	751.22	389.52	..	708.69
364.75	..	..	507.15	559.20	..	368.35
386.71	..	..	735.55	735.55	..	1865.05
..	..	..	..	..	1021.20	1160.05
..	..	16.10	16.00	..	..	161.00
..	..	..	100.54	..	..	100.54
82.45	622.77	..	..	..	21.74	562.06
286.31	429.52	..	78.64	..	..	221.85
..	40.00	..	..	..	..	1.56
..	..	..	..	..	48.08	155.17

S. No. 1	Debtors' Name 2	1976-77 Dr. 3	1976-77 Cr. 4	1977-78 Dr. 5	1977-78 Cr. 6	1978-79 Dr. 7	1978-79 Cr. 8
157.	Pritamsingh	..	..	300.00	..	309.71	—
158.	Prabhusingh	..	..	..	..	..	..
159.	Sawai Singh	..	..	400.00	..	..	..
160.	Rakesh D. s.	—	..	200.00	79.00	200.00	..
161.	Mukesh Ch.	..	—	182.62	..	..	..
162.	N. L. Mathur	..	..	335.43	..	..	..
163.	Tejasingh	..	..	..	..	37.80	..
164.	Shivchand Tank	..	..	..	..	..	400.20
165.	Budharam Helper	..	..	400.00	125.00	27.00	429.80
166.	M. S. Rathore	..	..	387.00	..	..	..
167.	R. N. Duve	..	..	400	..	..	..
168.	P. C. Sharma	..	..	..	..	..	..
169.	Narainlal	..	..	363.25	..	415.00	745.01
170.	Nayanlal	..	..	..	..	..	..
171.	Kailash Kishan Mathur	..	..	..	..	..	..
172.	B. S. Rathore	..	..	..	..	5525.18	..
173.	Narainpuri	..	..	..	..	..	..
174.	Asha Mathur	..	..	116.00	..	..	..
175.	Vijai Singh	..	..	..	..	..	..
176.	Chhotus/ OD Dhanna	..	..	0.38	..	..	..
177.	Dhannaram Chaudhari	..	..	1344.70	..	..	..

1979-80 Dr. 9	1979-80 Cr. 10	1980-81 Dr. 11	1980-81 Cr. 12	1981-82 Dr. 13	1981-82 Cr. 14	Total 15
..	53.71	..	49.00	..	..	507.00
..	..	623.00	..	..	..	623.00
..	..	45.65	..	..	..	355.00
..	..	..	55.81	..	..	265.00
..	..	..	55.81	..	..	126.81
..	..	..	100.54	...	..	235.43
..	82.20	643.00	..	..	..	598.60
..	187.31	568.08	..	..	..	19.23
425.35	..	..	15.00	..	..	258.25
820.70	..	..	506.96	414.96	..	1116.20
..	..	..	1288.30	1288.33	..	400.00
..	..	410.75	..	..	..	410.75
..	..	..	9.25	..	..	23.99
..	..	289.86	..	..	..	289.86
..	195.62	660.51	..	..	..	464.89
..	14.67	...	1.02	..	..	5509.49
348.04	..	9.10	..	..	..	357.14
..	..	..	1.67	..	..	114.35
..	..	26.00	..	..	..	26.00
..	..	..	..	..	..	0.38
..	..	..	..	..	..	1344.70

1	2	3	4	5	6	7	8
178.	N.K.Raj. gadia	..	..	2.65	..	..	..
179.	Ajai Sharma	..	..	2.65	..	..	..
180.	Manohar	..	..	159806.23	..	..	345.30
181.	Babulal	..	..	200.00	..	..	..
182.	Chhotulal	..	..	200.00	..	..	..
183.	Shyambehari	..	..	400.00	..	..	..
184.	Bhairulal	..	..	43.61	..	..	..
185.	Madho Singh	..	..	250.00	..	..	6.29
186.	B.Sharma	..	..	210.13	..	..	..
187.	Sangram Singh	..	..	24.55	..	..	..
188.	Dharm Singh	..	..	..	..	8.00	..
189.	Suresh Soni	..	..	399.60	..	3549.20	..
190.	Labhu Singh	..	..	30	..	477.50	..
191.	Rajesh Kr. Sharma	..	..	..	..	122.50	..
192.	Mithu	..	..	..	..	..	25.74
193.	Surendra	..	..	..	..	72.90	..
194.	Shiv Pd.	..	..	..	..	2.11	..
195.	D.K. Gupta	..	..	..	..	392.92	..
196.	Salim	..	..	..	..	308.40	..
197.	S.R. Soni	..	..	..	..	475.00	..
198.	SaL.Jat	..	..	1991.55	..	..	6.60
199.	K.L. Sharma	..	..	..	..	128.22	..
200.	Prahladrai	..	..	..	..	645.00	..
201.	Prakash Ch.	..	..	..	..	435.18	..
202	N.K. Sharma	..	..	..	..	388.50	..

9	10	11	12	13	14	15
..	..	..	..	..	..	2.65
..	..	..	..	..	..	2.65
..	152737.23	..	..	..	..	6783.70
..	..	..	..	..	..	200.00
..	..	..	..	..	..	200.00
..	..	..	..	..	..	400.00
..	..	..	..	..	..	43.61
..	..	..	..	..	..	243.79
..	..	..	..	..	..	210.13
..	..	..	..	..	..	24.55
..	..	..	..	..	..	8.00
..	1720.78	..	..	..	..	2028.02
..	..	..	..	..	..	507.50
						122.50
202.75						
406.24						20.25
..	..	..	..	..	..	72.90
..	..	..	..	..	..	2.11
..	..	..	..	..	..	392.92
..	..	..	..	..	..	308.40
..	..	..	..	..	..	475.00
..	..	..	..	..	..	1854.95
..	..	..	..	..	..	128.22
..	..	..	..	..	..	645.00
..	..	..	..	..	..	435.18
..	..	..	..	..	..	388.50

1	2	3	4	5	6	7	8
203.	Denish	..	..	..	..	341.65	..
204.	R.Kothari	..	..	..	..	2280.26	..
205.	R.L.Jain	..	..	..	..	6218.79	..
206.	R.G.Lokhotia	..	..	..	..	250.00	..
207.	M.D.	..	..	..	..	233.29 92.00	..
208.	Indrasingh	..	..	..	..	485.18	..
209.	Ram Pd.	..	..	..	..	469.25	..
210.	Ram Pd. Tailor	..	..	..	..	202.75	..
211.	Shashi Malik	..	..	..	..	50.00	..
212.	Deep Ch. Saraswat	..	..	..	..	75.00	..
213.	Amar Singh	..	..	..	..	1164.00	..

नोट :—(1) उपरोक्त तैयार किये गये स्टेटमेन्ट संघ में व्रत सतत लेखा पुस्तिकाओं के आधार पर है।

(2) बकाया राशि की वसूली के लिए नोटिसेज जारी किये गये है, और किये जा रहे है।

9	10	11	12	13	14	15
..	..	..	..	..	..	341.65
..	..	..	..	..	..	2280.26
..	..	..	..	..		6218.79
..	..	..	..	..	..	250.00
..	..	..	..	..	..	325.29
..	..	..	..	..	..	485.18
..	..	..	..	..	..	469.25
..	..	..	..	..	..	202.75
..	..	..	..	..	..	50.00
..	..	..	..	..	..	75.00
..	..	..	..	..	..	1164.00
						1551477.12

(256)

AJMER JILA DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD., AJMER

STATEMENT SHOWING THE DUES UPTO 30-6-82

S. No.	Debtors' Name	1976-77 Dr.	1976-77 Cr.	1977-78 Dr.	1977-78 Cr.	1978-79 Dr.	1978-79 Cr.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	R. L. Yadav	..	68.80	..	3685.69	..	..
2.	Ram Swroop	500.00	..	180.00	..	..	..
3.	Kailash Ice Fac.	..	2500.00	..	..	..	..
4.	Vishramji	3259.62	..	3259.62	1800/-	..	719.90
5.	Abdulrao	698.04	500/-	..	892.30	1229.25	2767·32
6.	Rajendra Ice Fac.	101.00	..	..	..	..	..
7.	Sajjansingh	..	71.00	14.00	100.00	8/-	..
8.	Pritam Ind.	10.00	..	..	..	..	..
9.	Sharwanlal	15.70	..	7058.40	2927.57	7522.52	..
10.	M.P. Jain	1117.62	..	1375.49	291.61 1250.00	..	..
11.	Nanudas	509.00	..	2427.84	..	..	..
12	Nathudas	11994.49	..	509.00 19123.64	..	..	..
13.	Deepchand Jain	456.60	..	456.00	..	..	..
14.	S.M. Yadav	817.60	..	817.60	..	..	..
15.	Jai Kr Bansal	3300.00	..	..	..	..	..
16.	Jailaxmi Tr. Co.	1089·17	..	1089.16	..	..	..
17.	Laxmi Motors	45.10	..	..	..	..	..
18.	Smt. Ratan Kanwar	117·42	..	..	..	..	..
19.	Gopal Ice Fac.	516.00	..	..	150·00	5834.15	..
20.	B. Chand	2000.00	..	2000.00	..	62.91	..
21.	P. Dayal	..	..	..	..	46479.04	..

1979-80		1980-81		1981-82		Total dues
Dr. 9	Cr. 10	Dr. 11	Cr. 12	Dr. 13	Cr. 14	upto 30-6-82 15
6994.83	..	..	..	..	..	2985.00
..	..	..	..	..	..	680.00
8459.23	..	..	..	..	..	5959.83
..	..	..	..	..	..	3999.34
..	..	..	..	..	..	2628.41
..	..	..	..	..	..	101.00
1000.00	..	634.74	..	..	..	1485.74
..	..	..	..	..	..	10.00
..	..	..	..	..	..	11669.05
..	2354.32	1843.12	..	..	..	440.30
..	..	..	..	..	..	3445.84
..	..	..	..	..	..	31118.13
..	..	..	..	..	..	912.00
957.62	..	..	..	..	..	677.58
..	..	..	..	..	..	3300.00
..	..	..	..	..	..	2178.32
..	..	..	..	..	..	45.10
..	..	12.20	..	..	1.20	130.82
150.00	..	..	..	..	..	6350.15
..	105.80	..	..	..	..	4168.71
..	..	..	..	..	..	46479.04

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	Nanlal	..	..	..	..	3464.34	..
23.	Hiralal	..	..	..	..	8061.67	.. 3500.00
24	Baini Pd.	..	..	..	..	500.00	..
25.	K.L. Garg	..	..	36.80	..	..	..
26.	Mahendarlal	..	..	300.00	..	..	..
27.	A.K. Garg	..	..	27.40	..	..	..
28.	Vinod Kr.	..	..	24·53	..	..	..
29.	C.M. Yadav	..	..	5100.18	..	..	..
30.	Harisingh	..	..	505.44	..	..	..
31.	Anil Gupta	..	..	390.40	..	..	..
32.	Udaibhan Singh	..	..	..	1000.00	..	..
33.	Nihal Chand	..	..	..	1800.40	..	..
34.	Digvijai Co.	..	..	..	..	..	..
35.	Mahavir Pd.	..	..	..	..	..	..
36.	Kishan & Co.	..	..	..	..	..	..
37.	Bhanwarlal	..	..	..	..	..	..
38.	Lal Chand Badlani	..	..	..	..	..	..
39.	Nimba	..	..	..	..	..	..
40.	Bansigopal Malu	..	..	..	..	..	..
41.	Satyanarain	..	..	..	..	..	..
42.	Sajjan Singh	..	..	..	..	..	..
43.	Madan Gopal	..	..	..	..	..	..
44.	Vasir Mohd.	..	..	..	..	..	..

9	10	11	12	13	14	15
..	..	..	..	..	..	3464.34
3000.00	..	..	..	..	..	6561.67
..	..	..	..	..	..	500.00
..	..	..	..	..	..	36.80
..	..	..	..	..	..	300.00
..	..	..	..	..	..	27.40
..	..	..	..	..	..	24.53
..	..	..	..	..	..	5100.18
..	..	..	..	..	..	505.40
..	..	..	..	..	..	390.40
1500.00	..	1000.00	..	500.00	..	2000.00
1963.20	..	..	..	..	..	162.80
1000.00 133.00	..	..	..	..	..	1033.00
1000.00	..	..	..	..	..	1000.00
200.00	..	..	..	..	..	200.00
13036.40	..	..	..	..	..	13036.40
1250.00	..	..	..	..	..	1250.00
1000.00	..	..	..	..	..	1000.00
500.00	..	..	..	..	..	500.00
..	11094.46 7667.89	..	..	4926	..	1500.00
255.26	..	..	..	..	..	255.26
..	9630.13	12384.33	..	..	..	2754.20
..	7856.17	10856.67	..	..	..	3000.50

1	2	3	4	5	6	7	8
45.	Sh. Ajay Kumar	..	..	..	..	..	..
46.	Kanhayiya Lal	..	..	..	..	..	..
47.	Bhag Chand	..	..	..	..	..	..
48.	Mohan Lal	..	..	..	..	..	..
49.	Paras Mal Jain	..	..	..	..	..	..
50.	Uda Ram	..	..	..	..	..	..
51.	Bansi Lal	..	..	..	..	..	..
52.	Shyam Sundar	..	..	..	..	..	..
53.	Chaturbhuj	..	..	..	..	..	..
54.	Kailash Saraswat	..	..	..	..	..	..
55.	Kailash Gadia	..	..	..	..	..	..
56.	Shyam Mal	..	..	..	..	..	..
57.	Durga Lal Tak	..	..	..	..	..	..
58.	Ghanshyam	..	..	..	..	..	..
59.	Kishan Choudhary	..	..	..	..	..	..
60.	G.S. Chouhan	..	....	..	..	..	..
61.	Sampat Lal	..	..	..	..	..	..
62.	Ladu Ram	..	..	..	..	..	..

(I) उपरोक्त तैयार दिये गये स्टेटमेंट संघ में तत्व समय लेखा पुस्तिकाओं के आधार पर है।

(II) बकाया राशी की वसूली के लिये नोटिस जारी किये गये हैं। और किये जा रहे हैं।

9	10	11	12	13	14	15
40.00	..	..	..	..	..	40.00
250.00	..	..	..	..	..	250.00
250.00	..	..	..	..	..	250.00
..	1500.00	..	..	1506.93	..	6.93
6301.08	..	..	..	..	..	6301.08
2426.20	..	..	..	..	..	2426.20
2374.10	..	..	..	..	..	2374.10
2053.92	..	..	..	..	..	2053.92
2760.00	..	..	..	..	..	2760.00
9267.06	..	..	..	..	..	9267.06
1050.00	..	..	..	..	..	1050.00
1432.50	..	..	..	..	..	1432.50
..	..	..	3974.88	4477.88	..	503.00
..	..	..	2500.00	500.00	..	2000.00
..	..	..	1000.00	1501.00	..	501.00
..	..	500.00	..	500.00	..	1000.00
..	..	501.00	..	..	..	501.00
..	..	25.92	..	..	..	25.92
						209543.07

नाम देनदार बूथ एजेन्ट व व्यवस्थापक	1976-77 नामे	1976-77 जमा	1977-78 नामे	1977-78 जमा	1978-79 नामे	1978-79 जमा	1979-80 नामे	1979-80 जमा	1980-81 नामे	1980-81 जमा	1981-82 नामे	1981-82 जमा	दिनांक 30-6-82 को देनदारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. नगरा रोड		20.33	3454.44			24915.15							3434.44
2. आदर्श बेल	10729.80					24915.15							35644.95
3. सर्वेन्ट हाउस	2151.80							1609.30					642.50
4. वस्टर्नरिले हॉसपिटल	46102.38							419.96					45682.42
5. आदर्श नगर	4495.86		3354.64										7850.50
6. अलवर गेट	42.82												42.80
7. पुरानी मंडी	4166.03												4166.03
8. शास्त्री नगर	1056.77												1056.77
9. बिहारी गंज	721.37												721.37
10 कृपाराम नगरा	1491.20		804.18										2295.38
11 ब्रह्मपुरी	111.95				3.05								108.90
12. नगरा रोड	3133.28												3133.28
13. कचहरी रोड	3596.46		3209.14										6805.60
14. पट्टी कटला	1221.09				440.96								780.13
15. श्री टाकीज	21.97												21.97
16. रीजनल कालेज	2651.99												2651.99
17. मेयो कोलेज कैंटीन	13.60												13.60
18. मिलिट्री हॉस्पीटल	3041.93												3041.93
19. मेयो कालेज	120.52												120.52
20. संत फान्सीस हॉस्पीटल	510.35												510.35
21. तोपदड़ा स्कूल	800.00												800.00

22. रामचन्द	98.00			199.10		101.10
23. भंवरसिंह चौहान			70.00	500.00		430.00
24. बद्रीप्रशाद			5.00	500.00		495.00
25. डी.पी. माथुर		1452.77				1452.77
26. राजकुमार		11.20				11.20
27. दामोदर प्रसाद		75.00				75.00
28. श्रोमप्रकाश मालपानी		75.00				75.00
29. भंवरलाल सोलंकी		119.20				
30. नरायण सिंह		70.37				119.20
31. दिनेश कुमार		17.45				70.37
32. श्रीमती भगवती देवी		6.00				17.45
33. भैरूलाल				500.00	498.50	6.00
						998.50
34. नरायण लाल				500.00		
35. उमरावसिंह राठौड				500.00		500.00
36. शिवप्रसाद				500.00		500.00
37. अजीत कुमार जैन					200.00	500.00
38. शकुन्तला गुप्ता					500.00	200.00
39. नेमीचन्द					394.40	500.00
40. गणपत					500.00	394.40
41. पृथ्वीराज जामोला					500.00	500.00
42. घास कटला एजेन्ट				45.00		500.00
43. श्रीमती डी. एन. गर्ग				3.00		45.00
						3.00
						127019.44

नोट:—(i) उपरोक्त तैयार किये गये स्टेटमेंट संघ में तत् समय लेखा पुस्तिकाओं के आधार पर है।
(ii) बकाया राशि की वसूली के लिए नोटिसेज जारी किये गये हैं, और किये जा रहे हैं।

परिशिष्ट (अ)

परिशिष्ट 10

अतारांकित प्रश्न संख्या 55 की सूचना

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	निलम्बन करने का कारण	निलम्बन दिनांक	निलंबित करने वाले अधिकारी	दिनांक बहाली	बहाल करने वाले अधिकारी	विशेष विवरण
1.	श्री अखेसिंह डाबरिया	ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर	1-1-65	समिति अध्यक्ष	20-10-65	अध्यक्ष समिति	आरोप सिद्ध न होने के कारण बहाल किया गया
2.	,, ,,	ऑडिट आक्षेपों की पूर्ति न करना एव स्वेच्छा से व्यक्तियों को उधार माल देना आदि	31-1-70	अध्यक्ष समिति	18-11-70	अध्यक्ष समिति	,,
3.	,, ,,	समिति के साथ विश्वास भंग एवं समिति की सम्पत्ति को खुर्द बुर्द करना	12-5-76	सहायक रजिस्ट्रार स.स., जयपुर	23-8-76	उप रजिस्ट्रार जयपुर खंड, जयपुर	,,
4.	,, ,,	समिति से अधिक वेतन लेना व कर्मचारियों को दिलाना एवं मनमाने ढंग से गलत कार्य करना	20-8-80	प्रशासक एवं सहायक रजिस्ट्रार, दौसा	13-11-80	प्रशासक एवं सहायक रजिस्ट्रार	पैंडिंग इन्क्वायरी बहाल

5. श्री अखैसिंह ढाबरिया	सम्पत्ति को खुर्द-बुर्द करना समिति से अधिक वेतन लेना व कर्मचारियों को दिलाना एवं मनमाने ढंग से गलत कार्य करना	24-7-81	प्रशासक एवं सहायक रजिस्ट्रार, दौसा	31-10-81	संयुक्त रजिस्ट्रार स.स. जयपुर खंड, जयपुर	क्षेत्र के काश्तकारों को खाद बीज की वितरण की व्यवस्था नहीं होने के कारण पेंडिंग इन्क्वायरी बहाल किया गया।

परिशिष्ट 11

अतारांकित प्रश्न संख्या 56 की सूचना

पंचायत समिति सांगानेर

क्र. सं.	नाम पंचायत	सहकारी समिति का नाम	पंजीयन दिनांक	कार्य	चुनाव दिनांक	वाद है या नहीं	वाद किस न्यायालय में चल रहा है	वाद की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	दहमीकलां	1. दहमीकलां ग्रा. से. सह. स.	2-3-65	ऋण व खाद-बीज	11-2-82	नहीं	नहीं	नहीं
		2. दहमीकलां दुग्ध उत्पा.	23-6-76	दुग्ध	6-76	नहीं	नहीं	नहीं
		3. बगरू चर्म उत्पा. सह. स.	31-3-62	चर्म	27-5-70	नहीं	नहीं	नहीं
		4. बगरू कलां खटीक कृषि	30-6-59	कृषि	30-6-59	नहीं	नहीं	नहीं
		5. बगरु ग्रामीण बैंक	5-3-57	खाद-ऋण	5-3-57	नहीं	नहीं	नहीं
2.	कलवाड़ा	1. कलवाड़ा ग्रा. से. स. स.	24-8-56	ऋण व खाद-बीज		नहीं	नहीं	नहीं
3.	महापुरा	1. महापुरा ग्रा. से. स. स.	23-6-56	ऋण व खाद-बीज	11-2-82	नहीं	नहीं	नहीं
		2. जयकिसान श्रमिक ठेका	26-8-72	ठेका-लेना	1972	नहीं	नहीं	नहीं
		3. रामचन्द्रपुरा दुग्ध उत्पा.	23-6-66	दुग्ध	23-6-66	नहीं	नहीं	नहीं
4.	भांकरोटा	1. छपाई उद्योग बगरू	1-11-77	छपाई	1-11-77	नहीं	नहीं	नहीं
		2. भांकरोटा चर्म	21-5-77	चर्म	21-5-77	नहीं	नहीं	नहीं
		3. भांकरोटा प्राथ. शाला	28-3-62	बाल	28-3-62	नहीं	नहीं	नहीं

	4. लाल्या का वास	4-1-58		4-1-58	नहीं	नहीं	नहीं
	5. भांकरोटा दुग्ध उत्पा.	29-6-76	दुग्ध	29-6-76	नहीं	नहीं	नहीं
	6. भांकरोटा ग्रा. से. स. स.	12-1-57	ऋण व खाद-बीज		स्टे	स्टे	स्टे
5. कपूरावाला	1. कपूरावाला कारपेन्टर्स	21-2-56	कारपेन्टर्स	21-2-56	नहीं	नहीं	नहीं
6. मुंहाना	1. मुहाना ग्रा. से. स. स.	11-2-45	ऋण व खाद्य-बीज	11-2-82	नहीं	नहीं	नहीं
	2. कामधेनु दुग्ध उत्पा.	18-1-75	दुग्ध	30-8-78	नहीं	नहीं	नहीं
	3. मुहाना ईंट-भट्टा	22-2-78	ईंट बनाना	22-2-78	नहीं	नहीं	नहीं
7. श्योपुर	1. सीतापुरा चर्म उत्पा.	30-3-62	चर्म	14-12-73	नहीं	नहीं	नहीं
	2. श्योपुर रैगर उत्पा.	28-1-57	चर्म	28-1-57	नहीं	नहीं	नहीं
	3. श्योपुर कृषि स. संघ	30-6-59	कृषि	30-6-59	नहीं	नहीं	नहीं
8. लूनियावास	1. लूनियावास ग्रा. से. स.स.	16-11-56	ऋण व खाद बीज	20-2-81	नहीं	नहीं	नहीं
9. दांतली	रूपाहेड़ा श्रमिक ठेका	5-10-71	ठेका लेना	5-10-71	नहीं	नहीं	नहीं
10. गौनेर	गोनेर दुग्ध उत्पा.	31-3-77	दूध कार्य	31-3-77	नहीं	नहीं	नहीं
	गोनेर रैगर उत्पा.	21-2-56	चर्म कार्य	21-2-56	नहीं	नहीं	नहीं
	कोली स. स.	25-1-46	बुनाई कार्य	25-1-46	नहीं	नहीं	नहीं
11. विदानी	बिदानी दुग्ध उत्पा.	29-10-77	दूध कार्य	29-10-77	नहीं	नहीं	नहीं
12. बीलवा	बैरवा चर्मकार	20-3-56	चर्म कार्य	22-7-72	नहीं	नहीं	नहीं
	बीलवा दुग्ध	31-3-77	दूध कार्य	31-3-77	नहीं	नहीं	नहीं
	मयुरावाला दुग्ध उत्पा.	22-2-55	दूध कार्य	16-2-72	नहीं	नहीं	नहीं
13. मोहनपुरा	भटेटावाला दुग्ध उ.	13-4-73	दूध कार्य	13-4-73	नहीं	नहीं	नहीं
14. वाटिका	मोहनपुरा ग्राम सेवा	5-11-63	ऋण व खाद बीज	—	हां	हाईकोर्ट	हाईकोर्ट
	दादिया प्राथ. पाठशाला	3-3-62	बाल शिक्षण	3-3-62	नहीं	नहीं	नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8
सांगानेर (नगरपालिका)	सांगानेर ग्राम सेवा	30-11-61	ऋण व खाद बीज		हां	हाईकोर्ट	हाईकोर्ट
	सीतापुरा ,,	2-3-65	ऋण व खाद बीज		हां	हाईकोर्ट	हाईकोर्ट
	खोनागोरियान श्रमिक ठेका	3-11-71	ठेके लेना	1972	नहीं	नहीं	नहीं
	सुखिया संयुक्त कृषि	30-11-61	कृषि कार्य	1966	नहीं	नहीं	नहीं
	बन्ध्या संयुक्त कृषि	31-3-62	कृषि कार्य	31-3-62	नहीं	नहीं	नहीं
	कोदर सामूहिक कृषि	29-10-60	कृषि कार्य	1962	नहीं	नहीं	नहीं
	प्रगतिशील सामूहिक कृषि	26-10-66	कृषि कार्य	1966	नहीं	नहीं	नहीं
	खोहनागोरियान ग्रा. से.	31-3-62	ऋण व खाद बीज	30-11-81	नहीं	नहीं	नहीं
	दुर्गापुरा हाथ कर्घा वस्त्र	23-10-56	बुनाई कार्य	23-10-56	नहीं	नहीं	नहीं
	दुर्गापुरा मजदूर बीड़ी उ.	3-7-56	बीड़ी बनाना	1972	नहीं	नहीं	नहीं
	सांगानेर चिप्स उत्पा.	13-1-64	चिप्स उत्पादन	6-10-71	नहीं	नहीं	नहीं
	नवीन जागृत बाल स.	27-3-62	बाल शिक्षण	27-3-62	नहीं	नहीं	नहीं
	मोहनपुरा प्राथ. शाला	31-3-62	बाल शिक्षण	31-3-62	नहीं	नहीं	नहीं
	प्राथमिक शाला बाल स.	26-3-62	बाल शिक्षण	26-3-62	नहीं	नहीं	नहीं
	नरवरिया प्राथ. शाला	30-3-62	बाल शिक्षण	30-3-62	नहीं	नहीं	नहीं
	सांगानेर सिन्धी प्रा. शाला	26-3-62	बाल शिक्षण	26-3-62	नहीं	नहीं	नहीं
	सूखिया प्राथ. पाठशाला	30-12-61	बाल शिक्षण	30-12-61	नहीं	नहीं	नहीं
	एयरपोर्ट बाल सह. समिति	30-3-62	बाल शिक्षण	30-12-62	नहीं	नहीं	नहीं
	सांगानेर कैलिको प्रिन्टर्स	31-8-44	प्रिन्टर्स कार्य	1960	नहीं	नहीं	नहीं
	तरुण सहकारी उद्योग	28-7-71	उद्योग	28-7-71	नहीं	नहीं	नहीं
	मनोहरपुरा रैगर उत्पा.	7-2-58	चर्म कार्य	15-9-71	नहीं	नहीं	नहीं
	आयरन चेयर उत्पा. स. स.	6-6-57	कुर्सी उत्पा. कार्य	6-6-57	नहीं	नहीं	नहीं
	गोपालपुरा कृषि यन्त्र उत्पा.	7-10-61	उद्योग	12-12-73	नहीं	नहीं	नहीं
	पालडी मीणा ईंट उत्पा.	31-3-62	ईंट उत्पादन कार्य	31-3-62	नहीं	नहीं	नहीं
	सांगानेर राज्य कर्मचारी	25-6-56	बचत एवं साख	15-9-77	नहीं	नहीं	नहीं

शिक्षा विभाग कर्मचारी स.	25-3-54	बचत एवं साख	25-3-54	नहीं	नहीं	नहीं
सांगानेर मोटर ट्रान्सपोर्ट	23-6-56	ट्रान्सपोर्ट	12-12-73	नहीं	नहीं	नहीं
सांगानेर रिफ्यूजी मोटर	8-3-49	ट्रान्सपोर्ट	27-10-81	नहीं	नहीं	नहीं
दुर्गापुरा कृषिफार्म स. स.	9-4-56	फार्मिंग	9-4-56	नहीं	नहीं	नहीं
सांगानेर सैन्ट्रल को-आप.-मार्केटिंग यूनियन	24-12-48	मार्केटिंग से चन्दा लेना	24-12-48	नहीं	नहीं	नहीं
सांगानेर कुक्कुटपालन	27-12-56	कुक्कुटपालन	12-12-73	नहीं	नहीं	नहीं
सांगानेर अन्नपूर्णा सह. स.	30-11-81	आयरन वर्क	27-11-61	नहीं	नहीं	नहीं
दुर्गापुरा रिफ्यूजी सह. स.	31-12-48		31-12-48	नहीं	नहीं	नहीं
हैण्ड मेक पेपर्स	31-8-44	कागज बनाना	31-8-44	नहीं	नहीं	नहीं
आदर्श पशुपालन सह. स.	24-3-62	दूध कार्य	4-8-72	नहीं	नहीं	नहीं
मदाऊ ग्राम सेवा सह. स.	3-12-61		स्टे	स्टे	स्टे	स्टे

15. आवनियां
16. रामपुरा उक्ती
17. अजयराजपुरा
18. भौमोरियां
19. सिकरिया
20. कल्याणपुरा
21. मांगीयावास
22. जयसिहपुरा
23. पावलियां
24. लाखना
25. पुरुषोत्तमपुरा
26. शिवारपुरा
27. रामनागल

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.	जगतपुरा							
39.	जयपुरा							
20.	नेवटा							

जिन ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समितियां अंकित नहीं की गई है उनकी निकटवर्ती ग्राम पंचायतों में स्थित ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यक्षेत्र सम्मिलित कर दिया गया है और उन सहकारी समितियों का कार्यक्षेत्र बढ़ा दिया गया है। वहीं ग्राम सेवा कार्य करेंगी।

पंचायत समिति–चाकसू

क्रम संख्या	नाम पंचायत	सहकारी समिति का नाम	पंजीयन दिनांक	कार्य	चुनाव दिनांक	वाद है, या नहीं	वाद किस न्यायालय में चल रहा है	वाद की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	कुम्हारियावास	बाजडोली ग्राम सेवा	31-8-59	ऋण व खाद बीज	24-11-81	नहीं	नहीं	नहीं
2.	चन्दलाई	चन्दलाई ,,	30-8-58	ऋण व खाद बीज	29-11-81	नहीं	नहीं	नहीं
		चन्दलाई चर्म उत्पा.	9-8-62	चमड़े का सामान	4-12-73	नहीं	नहीं	नहीं
		चन्दलाई दुग्ध उत्पा.	13-4-77	दूध का कार्य	10-3-77	नहीं	नहीं	नहीं
3.	शिवदासपुरा	शिवदासपुरा ग्राम सेवा	20-4-49	ऋण व खाद बीज	29-11-81	नहीं	नहीं	नहीं
		यारलीपुरा ,,	25-8-58	ऋण व खाद बीज	23-2-81	नहीं	नहीं	नहीं
		शिवदासपुरा तेल घाणी	17-5-58	तेल उत्पादन	23-8-74	नहीं	नहीं	नहीं
		शिवदासपुरा चर्म उत्पा.	19-2-62	चर्म कार्य	18-11-69	नहीं	नहीं	नहीं
		सालगरामपुरा कृषि	23-6-59	कृषि कार्य करना	10-10-72	नहीं	नहीं	नहीं

4. बाढ़ा मकसूदनपुरा	शिवडूंगरी श्रमिक ठेका	5-3-66	ठेके लेना	6-11-71	नहीं	नहीं	नहीं
	बल्लूपुरा कृषि	28-8-59	कृषि कार्य	16-10-67	नहीं	नहीं	नहीं
5. तीतरिया	तीतरिया ग्राम सेवा	17-8-60	खाद बीज	5-12-81	नहीं	नहीं	नहीं
6. कादेडा	कादेडा ग्राम सेवा	26-3-57	ऋण व खाद बीज	24-11-81	नहीं	नहीं	नहीं
	कादेडा दुग्ध उत्पा.	16-2-78	दूध का कार्य	21-4-79	नहीं	नहीं	नहीं
	कादेडा चर्म उत्पा.	3-7-62	चर्म कार्य	13-4-71	नहीं	नहीं	नहीं
	रूपवास दुग्ध उत्पा.	14-6-78	दूध कार्य	19-11-79	नहीं	नहीं	नहीं
	कादेडा कृषि	7-7-59	कृषि कार्य	19-10-61	नहीं	नहीं	नहीं
7. तामडिया	तामडिया ग्राम सेवा	18-1-62	ऋण व खाद	26-11-81	नहीं	नहीं	नहीं
	खेजड़ी दुग्ध उत्पा.	24-3-74	दूध कार्य	24-2-79	नहीं	नहीं	नहीं
	तामडिया कृषि	24-3-73	कृषि कार्य	12-10-78	नहीं	नहीं	नहीं
8. थली	थली ग्राम सेवा	31-8-59	ऋण व खाद बीज	26-11-81	नहीं	नहीं	नहीं
	थली कोली स. स.	22-9-45	बुनाई कार्य	1970	नहीं	नहीं	नहीं
	रसूलपुरा दुग्ध उत्पा.	26-6-78	दूध कार्य	2-10-79	नहीं	नहीं	नहीं
	बीढ़ बागपुरा दुग्ध उ.	16-2-78	दूध कार्य	6-11-79	नहीं	नहीं	नहीं
	थली दुग्ध उत्पा.	29-7-78	दूध कार्य	20-9-79	नहीं	नहीं	नहीं
9. कोथून	कोथून ग्राम सेवा	8-8-77	ऋण व खाद बीज	24-12-81	नहीं	नहीं	नहीं
	माधोसिंहपुरा ग्रा. से.	25-6-77	ऋण व खाद बीज	25-1-82	नहीं	नहीं	नहीं
10 सवाईमाधोसिंहपुरा	माधोपुरा दुग्ध उ.	20-12-76	दूध कार्य	19-11-77	नहीं	नहीं	नहीं
11. मंडालिया	मंडालिया ग्राम सेवा	25-9-59	ऋण व खाद बीज	2-2-82	नहीं	नहीं	नहीं
12. सकर खावदा	संकर खावदा ग्राम से.	20-5-60	ऋण व खाद बीज	6-2-82	नहीं	नहीं	नहीं
13. छांदेल कलां	छांदेल दुग्ध उत्पा.	15-3-79	दूध कार्य	16-2-79	नहीं	नहीं	नहीं

271

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	निमोडिया	निमोडिया ग्राम सेवा	7-9-60	ऋण व खाद बीज	11-2-82	नहीं	नहीं	नहीं
15.	गरुड़वासी	गरुडवासी ग्राम सेवा	21-4-56	ऋण व खाद बीज	20-11-81	नहीं	नहीं	नहीं
		गरुडवासी गृह नि.	31-3-75	मकान के लिए भू-खण्ड	31-4-76	नहीं	नहीं	नहीं
16.	कोटखावदा	कोटखावदा ग्राम सेवा	12-10-55	ऋण व खाद बीज	10-2-82	नहीं	नहीं	नहीं
		डोवला ग्राम सेवा	18-1-62	ऋण व खाद बीज	5-12-81	नहीं	नहीं	नहीं
		कोटखावदा ऊन उत्पा.	9-8-58	ऊन का कार्य	19-9-78	नहीं	नहीं	नहीं
		कोटिल्य चर्म उत्पा.	23-9-65	चमडा तैयार करना	6-7-70	नहीं	नहीं	नहीं
		नैनीपुरा कृषि	8-6-59	खेती का कार्य	18-11-61	नहीं	नहीं	नहीं
		कोटखावदा कृषि	8-6-59	खेती कराना	18-11-63	नहीं	नहीं	नहीं
		राडोली ग्राम सेवा	31-8-59	खाद, बीज व ऋण	18-11-63	नहीं	नहीं	नहीं
		दहलाला ग्राम सेवा	31-1-62	ऋण व खाद बीज	20-11-63	नहीं	नहीं	नहीं
17.	रूपाहेड़ी	रुपाहेड़ी ग्राम सेवा	30-5-82	ऋण व खाद बीज	30-6-82	नहीं	नहीं	नहीं
18.	महादेवपुरा	दामोदर का बास दुग्ध उत्पादक	31-3-79	दूध कार्य	15-2-79	नहीं	नहीं	नहीं
		महादेवपुरा चर्म उत्पा.	3-7-62	चमड़े का कार्य	3-6-69	नहीं	नहीं	नहीं
19.	खेडारानीवास	भोज्यापाडा दुग्ध उ.	14-6-78	दूध कार्य	24-7-79	नहीं	नहीं	नहीं
	चाकसू (नगर पालिका)							
		चाकसू पं. समिति कर्मचारी	24-1-64	कमचारी बचत एवं साख	6-2-71	नहीं	नहीं	नहीं
		चाकसू ग्राम सेवा	20-4-59	ऋण व खाद बीज	27-1-82	नहीं	नहीं	नहीं

	चाकसू ईंट कली उ.	23-9-72	ईंट व चूना उत्पा.	20-8-72	नहीं	नहीं	नहीं
	दलपतपुरा कृषि	22-7-59	कृषि कार्य	22-3-75	नहीं	नहीं	नहीं
	चाकसू चर्म उद्योग	9-7-52	चमड़ा का कार्य	7-4-69	नहीं	नहीं	नहीं
	चाकसू वीवस	18-1-46	बुनाई कार्य	20-10-68	नहीं	नहीं	नहीं
	चाकसू ऊन उद्योग	9-8-58	ऊन का कार्य	6-11-78	नहीं	नहीं	नहीं
	आदर्श खजूर पंखी	24-3-72	पंखी बनाना	20-9-74	नहीं	नहीं	नहीं
	लक्ष्मी चर्म उत्पा.	27-3-71	चमड़े का कार्य	20-9-77	नहीं	नहीं	नहीं
	चाकसू भेड़ पालन	24-11-79	भेड़ पालन	20-10-79	नहीं	नहीं	नहीं
	शिवडूंगरी वीड सामूहिक कृषि स.स.	4-3-63	कृषि कार्य	14-8-71	नहीं	नहीं	नहीं
	नैनवा की ढ़ाणी कृषि	14-12-66	खेती करना	25-11-69	नहीं	नहीं	नहीं
	दलपतपुरा कृषि	28-8-59	कृषि कार्य	18-1-71	नहीं	नहीं	नहीं
	रायपुरिया कृषि	30-6-59	कृषि कार्य	28-10-71	नहीं	नहीं	नहीं
	रूपारामपुरा कृषि	30-6-59	कृषि कार्य	13-10-67	नहीं	नहीं	नहीं
	किसनपुरा कृषि	20-6-59	कृषि कार्य	10-1-68	नहीं	नहीं	नहीं
	चाकसू जगदम्बा श्रमिक ठेका	22-4-80	ठेके लेना	27-1-81	नहीं	नहीं	नहीं
	चाकसू घाणी तेल उ.	20-2-56	तेल तैयार करना	10-9-67	नहीं	नहीं	नहीं
	चाकसू क्रय विक्रय	2-9-60	खाद, बीज, उप. सामग्री नियंत्रित वस्तुएं, कीटनाशक दवाई	18-11-73	नहीं	नहीं	नहीं
	चाकसू हाथकर्घा	27-1-81	कपड़ा बनाना	20-1-2-80	नहीं	नहीं	नहीं
	दहलाना बान मूंज उत्पा.	13-10-81	बान व मूंज बनाना	10-9-80	नहीं	नहीं	नहीं
19.ए टूमली का बास	टूमली का बास ग्राम सेवा	5-8-60	ऋण व खाद बीज	5-12-81	नहीं	नहीं	नहीं
19. बाडापदमपुरा	बाडापदमपुरा ग्राम सेवा	17-9-60	खाद बीज व ऋण	5-12-81	नहीं	नहीं	नहीं
20. सूरजपुरा उर्फ टूटोली	टूटोली ग्राम-सेवा	6-11-61	ऋण व खाद बीज	15-9-82	नहीं	नहीं	नहीं
21. कारेड़ा खुर्द							
22. लक्ष्मीपुरा							
23. आकोडिया							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.	हरिपुरा							
25.	बडोदिया							
26.	रानोली							
27.	रामनगर							
28.	आपदा							
29.	अजयपुरा							
30.	ठीकरिया गूजरान							

नोटः–जिन ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समितियां अंकित नहीं की गई हैं उनकी निकटवर्ती ग्राम पंचायतों में स्थित ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्य क्षेत्र सम्मिलित कर दिया गया है और उन सहकारी समितियों का कार्य क्षेत्र बढ़ा दिया गया है, वहीं ग्राम सेवा कार्य करेंगी।

परिशिष्ट 12

अतारांकित प्रश्न संख्या 63 का विवरण

मुख्य मंत्री के निवास स्थान बंगला नम्बर-8, सिविल लाइन्स, जयपुर पर हुए खर्चे का विवरण

प्रपत्र-''क''

अवधि	कार्य का नाम	खर्चा	मद का नाम
6-6-80 से 13-7-82	एडिशन आल्टरेशन	2, 18,867 (माह 6/80 से 7/82 तक)	483- आवासीय योजना (प्लान)
14-7-80 से 31-1-83	एडिशन आल्टरेशन	2,18,867 (माह 7/80 से 1/83 तक)	483- आवासीय योजना (प्लान)
6-6-80 से 13-7-82	संधारण व मरम्मत कार्य	2,60,194 (माह 6/80 से 7/82 तक)	283-आवासीय योजना (मरम्मत)
14-7-80 से 31-1-83	संधारण व मरम्मत कार्य	3,60,362 (माह 7/80 से 1/83 तक)	283- आवासीय योजना (मरम्मत)

(276)

प्रपत्र (ख)

मुख्य मंत्री एवं उनके स्टाफ के कक्षों पर हुआ खर्चे का विवरण

अवधि	साज सज्जा पर किया गया खर्चा		मद का नाम
6-6-80 से 13-7-82	रु. 60883		259–सा.नि. (ख) निर्माण अन्य सा.प्र. योजना भिन्न
,,	रु. 38647		459–सा.नि. पर पूंजीगत परिचय
,,	रु. 20140		259–सचिवालय (5) कार्यालय व्यय फर्नीचर
14-7-80 से 31-3-83	रु. 60883		259–सा.नि. (ख) निर्माण अन्य सा.प्र. योजना भिन्न
,,	रु. 38647	कुल-63391	459–सा.नि. पर पूंजीगत परिचय
,, दायित्व बाकी	रु. 23744		
,,	रु. 31506	कुल-49506	252–सचिवालय (5) कार्यालय व्यय (फर्नीचर)
,, दायित्व बाकी	रु. 18000		

परिशिष्ट 13

अतारांकित प्रश्न संख्या 65 की सूची

प्रपत्र "क"

ग्राम पंचायत मुख्यालय जो किसी प्रकार की सड़क से नहीं जुड़े हुए हैं की सूची:–

1. बाड़मेर जिला

(क) पंचायत समिति बाड़मेर
  (1) बोथिया

(ख) पंचायत समिति बालोतरा
  शून्य

(ग) पंचायत समिति बेतू
  (1) कपूरड़ी
  (2) खारडा-भारत सिंह

(घ) पंचायत समिति चौहटन
  (1) डोक
  (2) हरपालिया
  (3) सरला
  (4) नवतला
  (5) भारपा
  (6) भंवरिया

(ङ) पंचायत समिति धोरीमना
  (1) केकर

(च) पंचायत समिति सिणधरी
  शून्य

(छ) पंचायत समिति सिन्धरी
  (1) सेवनयाल

(ज) पंचायत समिति शिवना
  (1) गोलिया
  (2) धिरन
  (3) भगवा

2. जिला जैसलमेर

(क) पंचायत समिति श्याम
  (1) विडा
  (2) लूनर
  (3) बेरीसियाला
  (4) केरड़ा
  (5) तेजरेवा
  (6) हरनू
  (7) कपूरिया
  (8) देवरा
  (9) भादली
  (10) कोटड़ी
  (11) छत्तरगढ़

(ख) पंचायत समिति जैसलमेर
  (1) कथोड़ी
  (2) टडाना
  (3) रेहला
  (4) तेवरीवाला
  (5) भारीवाला

(ग) पंचायत समिति संकर
  शून्य

परिशिष्ट 14

अतारांकित प्रश्न संख्या 68 का विवरण

श्री कल्याण कालेज, सीकर में राज्य सरकार ने एक पुस्तकालय भवन अलग से बनवाया है जो बनकर तैयार हो गया है। अतः पुराने पुस्तकालय भवन के दो कमरे जिनका साइज 40'×25' है, कक्षाओं हेतु उपलब्ध हो गये हैं।

राज्य सरकार ने रुपये 2.05 लाख की एक स्वीकृति कमरे बनवाने हेतु दी थी जिससे दो कमरे 25'×40' व एक कमरा 15'×25' तैयार हो गये हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली से छठी पंचवर्षीय योजना में वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु भी कार्यवाही की जा रही है।

परिशिष्ट 15

अतारांकित प्रश्न संख्या 69 का शिकायत-पत्र

राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ

मोहन श्रोत्रिय
67, हवाई अड्डा मार्ग,
अलवर-301001

4904 6 अक्टूबर, 1982

संचालक,
जवाहर विद्यापीठ,
कानोड़ (उदयपुर)

पं. उदय जैन महाविद्यालय की अनियमितताओं एवं धांधली के क्रम में।

महोदय,

पं. उदय जैन महाविद्यालय में हो रही अनियमितताओं एवं शिक्षकों पर बढ़ते हुए दबाव एवं प्रबन्ध/प्रशासन द्वारा उन्हें परेशान करने की घटनाओं की ओर हम आपका ध्यान पहले भी आकर्षित करते रहे हैं। हमें यह उम्मीद थी कि स्थिति को सुधारने के प्रयत्न होंगे तथा महाविद्यालय का वातावरण शिक्षण के अनुकूल तथा सौहार्द्र पूर्ण बन पायेगा। हमें यह कहने में कतई संकोच नहीं है कि हमारी उम्मीदें निराधार एवं निरर्थक सिद्ध हुई हैं। हाल ही में जो तथ्य हमारी जानकारी में आये हैं वे हमें यह मानने को विवश करते हैं कि स्थिति को अमानवीयता की हद तक बिगाड़ने का पूरा श्रेय महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति एवं उसके दलालों (चाहे वे शिक्षक हों, विद्यार्थी अथवा कर्मचारी) को जाता है। हमारी सदैव से यह मान्यता रही है कि शैक्षिक वातावरण को बनाये रखने के लिए संस्था के विकास के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षकों के बीच, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के बीच तथा शिक्षकों एवं प्रबन्ध समिति के बीच सौहार्द्र का वातावरण हो। नाजुक संतुलन को बनाये रखने में प्रबन्ध समिति की भूमिका महत्वपूर्ण है। जाहिर है, शिक्षकों को आपस में लड़ाकर, शिक्षकों के खिलाफ विद्यार्थियों को भड़काकर अपनी न्यायोचित मांगों के लिए आवाज उठाने वाले शिक्षकों के खिलाफ फर्जी केस बनवाकर यह सन्तुलन कायम नहीं रखा जा सकता।

शिक्षकों को मनमाने ढंग से सेवामुक्त करना, पहले कम और अब नियमित रूप से अनियमित भुगतान करना, धांधलोबाजी के खिलाफ आवाज उठाने वाले शिक्षकों को तंग करने के लिए आवासीय नल-बिजली काटना और फिर आवास खाली करा लेना, राज्य सरकार द्वारा रुक्टा अधिवेशन के लिए स्वीकृत विशेष आकस्मिक अवकाश का लाभ शिक्षकों

(280)

को न देना तथा अधिवेशन में भाग न लेने वाले शिक्षकों को अनुपस्थित मानकर उसका वेतन काट लेना, राजकीय अवकाशों के दिनों कतिपय शिक्षकों को अनुपस्थित मानकर उनका वेतन काट लेना आदि महाविद्यालय में व्याप्त गड़बड़ियों के मात्र कुछ उदाहरण हैं। शिक्षकों के शोषण व उन्हें परेशान किये जाने की कहानी बहुत लम्बी है। खलनायक वही हैं। वे स्वयं को जन सेवक व शिक्षा के मसीहा मानते रहे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

1. श्री समय सिंह यादव को इस आधार पर सेवामुक्त करना कि निदेशालय से उनके पद की स्वीकृति नहीं मिली है, एवं उन्हें सेवामुक्त करते ही उनके पद पर नई नियुक्ति कितनी हास्यापद व तर्कहीन है, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। श्री समय सिंह यादव की सेवा मुक्ति के अठारह महीने बाद भी उनका हिसाब चुकता न करना कितना नैतिक है ?
2. श्री के. सी. शर्मा का नाम चयनित व्यक्तियों के पेनल में होने पर भी (तथा वरिष्ठताक्रम में अन्य व्यक्तियों द्वारा नियुक्ति स्वीकार न करने पर भी) उन्हें नियुक्ति न देना तथा उन्हें विधिवत् रूप से देय धनराशि दबाये रखना कितना उचित है।
3. श्री माधव शर्मा एवं श्री महेन्द्र लूनिया, जिन्हें वर्षों पहले सेवा मुक्त कर दिया गया था, का हिसाब अभी तक चुकता नहीं किया गया है।
4. श्री आर. पी. यादव, डी. पी. ई. एवं कार्यकारिणी सदस्य, रूक्टा को दुर्भावना से प्रेरित होकर परेशान किया जा रहा है।
5. श्री वसंत बलाला को राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रभारी पद से मुक्त किया जाना तथा उनकी वरिष्ठता की अवमानना करके उनके वैधानिक अधिकारों से वंचित करना प्रबन्ध समिति की किस प्रवृत्ति का प्रतीक है ?
6. श्री वी. के. स्वामी को योजना मंच के प्रभारी पद से हटाना भी क्या दुर्भावना से प्रेरित नहीं है ?

तथ्य इतने अधिक हैं कि सूची सुरसा के मुंह के समान बढ़ सकती है।

यह सब लिखने के पीछे हमारी मंशा यही है कि आप शिक्षकों को तंग करना बंद करके संस्था के विकास की ओर ध्यान दें अन्यथा रूक्टा आपके महाविद्यालय में प्रशासक की नियुक्ति के लिए संघर्ष करने को विवश होगी।

सौहार्द्र का वातावरण बनाने में हम अपना पूरा योगदान करने को प्रस्तुत हैं।

आशा है कि आप इस पर गम्भीरता से विचार करेंगे तथा संस्था के व्यापक हितों को ध्यान में रखकर उपयुक्त एवं उचित कदम उठायेंगे।

धन्यवाद सहित।

भवदीय,
ह.
(मोहन श्रोत्रिय)
महामंत्री, रूक्टा।